पंचम माला, खण्ड 50, अंक 24 शुक्रवार, 21 मार्च, 1975/30 फाल्गुन, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. L, No. 24 Friday, March 21, 1975/Phalguna 30, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र / Thirteenth Session]

5th Lok Sabha

[खण्ड 50 में अंक 21 से 30 तक हैं / Vol. L contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये *Price* : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 24, शुक्रवार, 21 मार्च, 1975/30 फाल्गुन, 1896 (शक)

No. 24, Friday, March 21, 1975/Phalguna 30, 1896 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	*Oral Answers to Questions*	
तारांकित प्रश्न संख्या 444, 445, 449, 451, 452 और 454	Starred Questions Nos. 444, 445, 449, 451, 452 and 454	2–15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	*Written Answers to Questions*	
तारांकित प्रश्न संख्या 446, 448, 450, 453 और 455 से 463	Starred Questions Nos. 446, 448, 450, 453 and 455 to 463.	15–22
अतारांकित प्रश्न संख्या 4276 से 4308, 4310 से 4312, 4314 से 4317, 4319 से 4417, 4419 से 4421, 4423 से 4437, 4439 से 4450 और 4452 से 4475	Unstarred Questions Nos. 4276 to 4308, 4310 to 4312, 4314 to 4317, 4319 to 4417, 4419 to 4421, 4423 to 4437, 4439 to 4450 and 4452 to 4475 ..	22–116
भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की हत्या के प्रयास के बारे में।	Re-Attempt on the life of the Chief Justice of Supreme Court of India. . ..	117
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table ..	117–118
विधेयक पर अनुमति	Assent to Bill	118
भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की हत्या के प्रयास के बारे में वक्तव्य	Statement Re:Attempt on the life of Chief Justice of Supreme Court of India	118
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy	118
नागालैंड में स्थिति के बारे में	Re-Situation in Nagaland ..	120–121
सभा का कार्य	Business of the House	121–126
गुजरात बजट, 1975-76—सामान्य चर्चा	Gujarat Budget, 1975-76 General Discussion	126

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।
*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
लेखानुदानों की मांगें 1975-76	Demands for Grants on Account 1975-76 ..	
और	and	
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (गुजरात) 1974-75	Supplementary Demands for Grants (Gujarat), 1974-75	126
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	133
श्री डी० डी० देसाई	Shri D.D. Desai ..	134
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H.N. Mukerjee	135
श्री नटवरलाल पटेल	Shri Natwarlal Patel ..	135
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxm narain Pandeya.	136
डा० महिपतराय मेहता	Dr. Mahipatray Mehta ..	137
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	137
श्री अरविंद पटेल	Shri Arvind Patel	138
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel	138
श्री डी० पी० जदेजा	Shri D.P. Jadeja	139
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K.S. Chavda	140
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar	141
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ..	142
श्री प्रणब कुमार मुकर्जी	Shri Pranab Kumar Mukerjee	143
गुजरात विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975—पुरः स्थापित किया गया और पारित किया गया	Gujarat Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975—Introduce and Passed ..	151
गुजरात विनियोग विधेयक, 1975-पुरः स्थापित किया गया और पारित किया गया	Gujarat Appropriation Bill, 1975--Introduced and Passed	152
श्री प्रियरंजन दास मुंशी का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 101 और 102 आदि का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 101 and 102 etc.) by Shri Priya Ranjan Das Munshi	154
विचार करने के लिए प्रस्ताव (वाद-विवाद स्थगित)	Motion to consider (Debate Adjourned) ..	154
श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal	154

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S. P.Bhattacharyya ..	154
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga ..	155
श्री जे० माता गोडर	Shri J. Matha Gowder ..	155
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y.S. Mahajan	156
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N.K. Salve ..	157
श्री महादीपक सिंह शाक्य	Shri Mahadeepak Singh Shakya	157
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen ..	157
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B.R. Shukla ..	158
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar ..	158
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan ..	159
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R.S. Pandey	160
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan ..	160
श्री सी०के०चन्द्रप्पन का संविधान (संशोधन) विधेयक (नंवी अनुसूची का संशोधन)—वापस लिया गया	Constitution (Amendment) Bill withdrawn (Amendment of Ninth Schedule) by Shri C.K. Chandrappan.	161
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan ..	161
श्री मधु लिमये का कम्पनी (संशोधन) विधेयक (धारा 90 का लोप)	Companies (Amendment) Bill (Omission of section 90 by Shri Madhu Limaye —	162
विचार करने के लिए प्रस्ताव	Motion to Consider	162
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ..	162
आधे घंटे की चर्चा	Half-An-Hour Discussion ..	162
मद्य निषेध लागू करना	Enforcement of Prohibition	162
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	162
श्री अरविंद नेताम	Shri Arvind Netam ..	165

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 21 मार्च, 1975/30 फाल्गुन, 1896 (शक)
Friday, March 21, 1975/Phalguna 30, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप प्रश्नों को लें, 20 मार्च, 1975 को सत्तारूढ़ त्रिपुरा राज्य सरकार का राज्य विधान सभा में एक सरकारी विधेयक के अस्वीकृत हो जाने के बावजूद भी उसके सत्ता में बने रहने के बारे में मैं एक स्थगन प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं । इससे वहां संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? ये बातें प्रश्न काल के दौरान नहीं उठाई जा सकती। किसी भी राज्य सरकार में कोई भी स्थिति हो वह मामला यहां सभा में पेश नहीं किया जा सकता । यदि प्रश्नकाल के बाद भी वह यहां पेश होता है तो भी स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्रीमान मैं यहां खड़ा हूं और कुछ कह रहा हूं । आपने यह समाचार पत्रों में पढ़ लिया होगा । उस राज्य में कुछ हो गया है, अत: कृपा करके इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें । प्रश्नकाल स्थगित किया जा सकता है । (**व्यवधान**)

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : श्रीमान आपने आज भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ हुई घटना के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा । . . .

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : मुख्य न्यायाधीश पर हुए हमले के बारे में गृह मंत्री एक वक्तव्य देंगे । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठ जाइये । सर्व प्रथम बात तो यह है कि प्रश्नकाल से पहले इस तरह के मामले नहीं उठाये जाते । दूसरे, त्रिपुरा या नागालैण्ड में जो कुछ हुआ है, चाहे वहां सरकार बनी है या गिरी है, इसका सम्बन्ध उसी राज्य विधान सभा से है न कि इस सभा से । यह राज्य का मामला है और यदि कल हम वहां की विधान सभा के गठन या दलीय स्थिति पर चर्चा करेंगे तो वे भी वहां की स्थिति पर चर्चा करने लगेंगे । (**व्यवधान**)

जहां तक दूसरे मामले का सम्बन्ध है, गृह मंत्री उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे। मुझे मन्त्री जी ने अभी बताया है। बाद में जो भी स्थिति होगी हम उसी के अनुसार चर्चा करेंगे। यह कोई छोटा मामला नहीं है। मेरी भी यही राय है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

गुजरात में पर्यटन का विकास

+

*444. **श्री डी० पी० जडेजा**

श्री एन० आर० बेकारिया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में वर्ष 1975-76 के दौरान पर्यटन के विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ख) वर्ष 1974-75 के दौरान गुजरात राज्य में उस पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख) पर्यटक सुविधाओं का विकास राज्यवार अथवा स्थानवार आधार पर नहीं किया जाता, अपितु किसी स्थान के पर्यटकों के लिए वास्तविक अथवा संभावित आकर्षणों को दृष्टि में रखते हुए किया जाता है। इस नीति का अनुसरण करते हुए 1974-75 के दौरान गुजरात में निम्नलिखित सुविधाओं का विकास हाथ में लिया गया था :—

योजना	प्रत्याशित व्यय
(1) गिर वन में विश्रामगृह	3,51,000 रुपये
(2) गांधीनगर में युवा होस्टल	0,75,000 रुपये
(3) पोरबंदर में पर्यटक बंगला	3,00,000 रुपये
	7,26,000 रुपये

उपरोक्त योजनाओं को पूरा करने के लिए पर्यटन विभाग के 1975-76 के बजट प्रस्तावों में 3,50,000 रुपये की राशि सम्मिलित की गई है।

राज्य क्षेत्र में की गई 9 लाख रुपये के प्रावधान के मुकाबले में 1974-75 के दौरान नल सरोवर, बेरावल, पोरबन्दर, मोढेरा, सस्सनगिर, पलिताना इत्यादि में सुविधाओं के विकास पर 6 लाख

रुपये का प्रत्याशित व्यय होने की सम्भावना है। 1975-76 के लिए राज्य की वार्षिक योजना में पर्यटक स्कीमों के लिए योजना आयोग ने 9 लाख रुपये के परिव्यय की सहमति प्रदान की है।

श्री डी० पी० जदेजा : श्रीमान क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या मुख्य रूप से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु गुजरात में संभावित पर्यटक केन्द्रों की खोज के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है? यदि हां तो किन किन स्थानों का और यदि नहीं तो क्या सरकार की सर्वेक्षण करने की कोई योजना है?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : श्रीमान यह कार्य निरंतर किया जा रहा है। मन्त्रालय समय-समय पर सर्वेक्षण करता रहता है और जब पर्यटकों की रुचि का कोई स्थान दिखाई देता है, जिसका विकास करना हो, उसे केन्द्रीय क्षेत्र में ले लिया जाता है।

श्री डी० पी० जदेजा : श्रीमान यह प्रश्न एक बहुत ही विशिष्ट प्रश्न है। किन्तु उत्तर संगत नहीं है। फिर भी मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पता है कि हिन्द महासागर में, लक्का द्वीप में प्रवाल भित्तियां हैं और वहां पिरीटन नामक सुन्दर द्वीप है और क्या सरकार को पता है कि इस सुन्दर द्वीप में विदेशी पर्यटक ठहरने के लिये आते हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि आज वहां कार्य कर रहे ड्रेगर्स इस द्वीप को नष्ट कर रहे हैं और क्या सरकार इसे नष्ट होने से बचाने के लिए कदम उठाने जा रही है?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : श्रीमान इस द्वीप के बारे में माननीय सदस्य ने स्वयं हमें जानकारी दी थी। मन्त्रालय ने उसे ध्यान में रख लिया है और हम इसे नष्ट होने से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। इस प्रश्न के बारे में कि हम इसके विकास के लिए क्या कह रहे हैं, कुछ कहना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

श्री एन० आर० वेकारिया : श्रीमान वक्तव्य से ऐसे लगता है कि गिर फोरेस्ट तथा पोरबन्दर दोनों को पर्यटन स्थलों में सम्मिलित कर लिया गया है। सामान्यतः सरकार की नीति यह है कि इस प्रकार के पर्यटक केन्द्रों को हवाई मार्गों से मिलाया जाये। श्रीमान पोरबन्दर तथा केशोद हवाई अड्डे इस पर्यटन स्थल के बहुत समीप हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन मार्गों पर जहाज सेवा पुनः आरम्भ करने का विचार करती है?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य को पता होगा कि तेल की कीमत में वृद्धि हो जाने और विमानन के अधिक महंगा हो जाने के कारण हमने कुछ स्थानों पर यह सेवा बन्द कर दी है। हमें खेद है किन्तु हम इसे यथा संभव शीघ्र पुनः आरम्भ करने के लिए प्रयास करेंगे। किन्तु मैं वायदा नहीं कर सकता।

श्री पी० जी० मावलंकर : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मन्त्री जी ने कहा है कि पर्यटन सुविधाओं का विकास राज्यवार अथवा स्थानवार के आधार पर नहीं होता अपितु विदेशी तथा भारतीय पर्यटकों के आकर्षण के आधार पर होता है। किन्तु मैं उनका ध्यान मांग संख्या 84 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस पर गुजरात बजट में आज चर्चा होने जा रही है। इसमें कहा गया है कि :

> "सरकार ने गुजरात पर्यटन विकास निगम की स्थापना का हाल ही में निर्णय किया है। निगम को प्रारम्भिक व्ययों को पूरा करने के लिए सरकार ने 17 फरवरी, 1975 को आकस्मिक निधि से 1 लाख रुपये अग्रिम रूप से निकालने की स्वीकृति प्रदान की है।"

इस बात को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार एक पर्यटन निगम की स्थापना कर रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार इस निगम को पर्याप्त वित्तीय सहायता देगी और क्या सरकार गिर लायन सैंक्चवरी के तीव्र विकास के लिए विश्व वन्य प्राणी निधि से भी वित्तीय सहायता देगी? सरकार सपुतारा पहाड़ियों के विकास के लिए क्या कर रही है। मन्त्री जी ने मूल उत्तर में उसका उल्लेख नहीं किया है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जहां तक राज्य पर्यटन विकास निगम का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को यह सुन कर हर्ष होगा कि सरकार ने इस निगम की स्थापना के लिए पांचवीं योजना में 15 लाख रुपये स्वीकृत कर लिए हैं। केन्द्रीय सरकार ने 1975-76 के दौरान 2 लाख रुपये का प्रावधान पहले ही कर दिया है। जहां तक गुजरात के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास का सम्बन्ध है उस परियोजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया है और मेरा विचार है कि पांचवीं योजना के दौरान लगभग 1 करोड़ रुपया व्यय किया जायेगा। पर्वतीय स्टेशनों के विकास के लिए पांचवीं योजना में 2 लाख रुपये निर्धारित किए हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : विश्व वन्य प्राणी निधि ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। इसके लिए पृथक से सूचना दी जाये।

दोहरे मूल्य निर्धारित करने की नीति

*445. **श्री पी० गंगादेव**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दोहरे मूल्य निर्धारित करने की प्रणाली आरम्भ करने की नीति पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया हैं ;

(ग) क्या उत्पादकों को निर्धारित कम मूल्य पर बिक्री के लिए अपना कुछ प्रतिशत उत्पादन देने को विवश किया जायेगा; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) से (घ) दोहरी मूल्य नीति से उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं का काफी बड़ा हिस्सा अपेक्षाकृत कम दामों पर प्राप्त करने में सहायता मिलती है जबकि दूसरी ओर कम कीमत पर सामान देने से उत्पादकों को जो घाटा होता है उसे वे तैयार किये गये माल के खुले बाजार में बेचे जाने वाले हिस्से से पूरा कर सकते हैं। अतः दोहरी मूल्य नीति, जैसी कि इस समय चीनी के मामले में है, कभी-कभी उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों के हित में हो सकती है। चूंकि कोई एक मूल्य प्रणाली भारतीय उद्योग की विभिन्न शाखाओं की मौजूदा परिस्थितियों के साथ न्याय नहीं कर सकती, इसलिए सरकार ने प्रत्येक वस्तु के मामले में लचीली मूल्य नीति अपनायी है।

श्री पी० गंगादेव : कुछ राज्यों जैसे उड़ीसा में कुछ कृषि वस्तुओं के विद्यमान वसूली मूल्य तथा मिल मूल्य को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि जब उड़ीसा में मिल मूल्य बहुत अधिक हो तो क्या उत्पादकों को अपनी वस्तुएं वसूली मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य करना न्यायोचित होगा । सरकार की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है ? क्या दूसरी बात मैं यह जान सकता हूं कि यह नीति उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिम्मेदार थी अथवा नहीं और यदि हां तो सरकार धान तथा चावल के सम्बन्ध में नीति में क्या परिवर्तन करने की सोच रही है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यदि माननीय सदस्य खाद्यान्नों की वसूली का उल्लेख कर रहे हैं तो कृषि मन्त्रालय की क्या जिम्मेदारी है और उन्हीं के द्वारा नीतियां भी बनाई जाती हैं । मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह ऐसे प्रश्न कृषि मन्त्रालय से पूछें ।

श्री पी० गंगादेव : चूंकि प्रधान मन्त्री ने 28 दिसम्बर को बम्बई में व्यापारी समुदाय को सम्बोधित करते हुए यह बात स्पष्ट कर दी है कि जब तक उत्पादन का कुछ भाग अपेक्षाकृत कम मूल्य पर उपलब्ध नहीं किया जाता तब तक सरकार दोहरे मूल्य की नीति को स्वीकार नहीं कर सकती । क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि प्रधान मन्त्री के इस सुझाव पर उद्योगों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : उद्योगों की प्रतिक्रिया तो सदैव लाभ कमाने की होती है । यही उन की प्रवृत्ति है । इस लिए यदि हम कोई नीति निर्णय ले लेते हैं तो हमें उसे लागू करना ही होता है ।

उदाहरण के लिए चीनी लीजिए । चीनी में लेवी चीनी तथा बिना लेवी वाली चीनी है जिसे खुले बाजार में बेचने की अनुमति है । हम उद्योग की प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं देते । अतः जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समाज के कमजोर वर्ग को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करनी हैं तो निस्संदेह हम उद्योगों से परामर्श करें किन्तु अन्ततः हमें नीति निर्णय करना ही है और उसे लागू भी करना है ।

Shri Shrikishan Modi : Mr. Speaker, the hon. Minister has replied only to part (a) of the Question and he has not replied parts (b), (c) and (d). We want to know ultimately what decision they have taken and whether they will set up committees to fix the prices and percentage thereof. I want to know how much time they will take to implement it and how they will change it. I want to know the details in this regard.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : समय सीमा निर्धारित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह प्रक्रिया तो चलती रहेगी । स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें इस दोहरे मूल्य प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं को लाना होगा ।

माननीय सदस्य को मालूम है कि इस्पात में पहले ही दोहरे मूल्य की प्रणाली चल रही है । स्टैन्डर्ड कपड़ा तथा गैर स्टैन्डर्ड कपड़े के लिए भी दोहरे मूल्य की प्रणाली चल रही है । अतः हम स्थिति के अनुसार ही निर्णय लेते हैं और देखते हैं कि इस दोहरे मूल्य प्रणाली में कौन कौन सी वस्तुएं सम्मिलित की जा सकती हैं । किसी विशेष वस्तु या उत्पादन को ध्यान में रख कर जब हमें ये नीति निर्णय लेने होते हैं तो हम इसके समितियां या विशेषज्ञ निकाय स्थापित कर सकते हैं जो कि मूल्य

निर्धारण तथा अन्य बातों पर विचार करें। हमारी अपनी ही लागत निर्धारित करने वाली एजेन्सियां हैं। निर्णय लेने से पूर्व इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मन्त्री ने अपने उत्तर में चीनी के मूल्य का उल्लेख किया है। मन्त्री जी को इस बात का पता है कि पटसन, कपास तथा तम्बाकू उत्पादकों को अपनी वस्तुएं कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया जाता है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार फसल काटने के समय इनकी वस्तुओं के उचित मूल्य निर्धारित करके तथा उन्हें बोनस देने की घोषणा करके इन उत्पादकों के हितों की रक्षा करेगी ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य के प्रश्न का दोहरे मूल्य प्रणाली से कोई सम्बन्ध नहीं है। बाजार की शक्तियां कार्य कर रही हैं और इसीलिए मूल्य बढ़ते भी हैं और कम भी होते हैं। किन्तु दोहरे मूल्य प्रणाली में हम लागत मूल्य से कम मूल्य देते हैं और जो घाटा होता है वह मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ अधिक मूल्य पर बेचने पर पूरा कर लिया जाता है। माननीय सदस्य ने पटसन तथा अन्य उत्पादकों के बारे में कहा है और मुझे आशा है मेरे सहयोगी इन बातों को ध्यान में रख लेंगे।

श्री के० नारायण राव : यदि मैं सही समझ पाया हूं तो दोहरे मूल्य प्रणाली का आधार यह है कि कम मूल्य वाली वस्तुएं समाज के कमजोर वर्गों में वितरित होंगी। सिद्धान्त के बारे में मेरा कोई झगड़ा नहीं है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कमजोर वर्गों को कम कीमत पर आवश्यक वस्तुएं मिल रही हैं। स्टैन्डर्ड कपड़े के मामले में यह संभव है कि कमजोर वर्गों में सस्ते कपड़े का वितरण किया जाए। परन्तु चीनी तथा इस्पात के मामले में भेद करना कठिन है। क्या मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि इस नीति का सख्ती से पालन किया जाये ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं इस बात से सहमत हूं कि इस पद्धति का दुरुपयोग किया जा सकता है। अन्ततः यह अच्छी लोक वितरण प्रणाली पर निर्भर है। हम चाहे जो दृष्टिकोण अपनायें हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक दक्ष एवं उचित लोक वितरण प्रणाली आवश्यक है। हमारी अधिकांश कठिनाइयों का केवल एक यही निदान है।

श्री समर गुह : माननीय मन्त्री बार बार अन्य मन्त्रालयों की भूमिका का उल्लेख करते रहे हैं। यह प्रश्न स्पष्टतया "दोहरी मूल्य नीति" से सम्बन्धित है। स्वाभाविक रूप से यह आशा की जाती है कि अन्य मन्त्रालय वित्त मन्त्रालय के परामर्श से कार्य करते हैं तथा वित्त मन्त्री से यह आशा की जाती है कि वह इस प्रश्न के अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर दें, अन्यथा इस प्रकार के प्रश्नों को गृहीत नहीं किया जाना चाहिए।

श्री एच० के० एल० भगत : क्या सरकार का विचार कुछ अन्य वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं को मूल्य नियंत्रण की परिधि में लाने का है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा कब तक ऐसा किया जायेगा ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं इस प्रश्न का तुरन्त उत्तर नहीं दे सकता। इस पर लगातार विचार किया जाता रहता है। नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय यह निश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि किन किन वस्तुओं को लोक वितरण पद्धति के अधीन लाया जाये, जिनके लिए लागत मूल्य से कम मूल्य पर वसूली करनी होगी। वे कई वस्तुओं पर जैसाकि खाद्य तेल, घरेलू ईंधन आदि पर इस बारे में

विचार कर रहे हैं। ये मामले विचाराधीन हैं तथा निर्णय करने के बाद सभा को अवगत करा दिया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : You have been adopting "dual pricing policy". I want to know the benefit accrued to the 60% persons living below poverty line and other weaker sections. I want to know the percentage of goods produced in the industries is given to the poor at fair price.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह प्रतिशतता वस्तुवार भिन्न भिन्न है। परन्तु सामान्य नीति यह है कि गरीब लोगों को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध की जायें। यह स्वाभाविक ही है कि इसमें वे लोग भी आ जायेंगे जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : My question has not been replied. I wanted to know the percentage of production given to the poorer sections at fair price and the percentage of production allowed to be sold in open market.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : उदाहरण के तौर पर 65 प्रतिशत चीनी नियंत्रित मूल्य पर बेची जाती है तथा 35 प्रतिशत चीनी खुले बाजार में बेची जाती है। जहां तक कपड़े का सम्बन्ध है 8 करोड़ मीटर कपड़ा निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है तथा शेष खुले बाजार में। इस लिए यह प्रतिशतता उद्योगवार भिन्न भिन्न है।

Shri Narsingh Narain Pandey : Dual Pricing policy has been adopted for sugar and that is why an amount of Rs. 150 crores of the sugarcane growers is outstanding against the mill owners in U.P. and other parts of the country and they are pressing the Government to revise the levy price and free sugar policy of the Government as also the policy of the Reserve Bank and as such they are creating numerous impediment and the result is that the policy is not proving successful. I want to know the steps taken by Government to provide relief to the farmers and other weaker sections ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी है, वह इस समय मेरे पास नहीं है। निस्सन्देह मैं यह प्रश्न अपने साथी कृषि मन्त्री को भेज दूंगा।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : रिजर्व बैंक की ऋण नीति तो वित्त मन्त्री से सम्बन्धित होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सामान्य प्रश्न के साथ ऐसे विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें। इस के लिए अलग नोटिस दिया जाना चाहिए, ताकि मन्त्री महोदय विशिष्ट जानकारी दे सकें।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय मन्त्री ने अपने उत्तर में चीनी की दोहरी मूल्य प्रणाली का उल्लेख किया है। इस लिये इस सम्बन्ध में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस समय हमारे देश में चीनी की प्रति व्यक्ति खपत केवल 7.3 किलोग्राम है, जब कि विदेशों में, विकासशील देशों में भी, इस की प्रति व्यक्ति खपत कहीं अधिक है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दोहरी मूल्य प्रणाली को समाप्त करना श्रेयकर नहीं होगा, ताकि लोक वितरण प्रणाली के लिए अधिक चीनी उपलब्ध हो सके।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह तो अपना अपना मत है। वस्तुत: एक मत यह भी है कि "अधिक चीनी, कम स्वास्थ्य"। मैं नहीं जानता कि यह बात कहां तक सही है। परन्तु जहां तक वर्तमान

स्थिति का सम्बन्ध है, हमें भुगतान संतुलन बनाये रखने के लिए अधिक चीनी का निर्यात करने की आवश्यकता है। इस लिये चाहे जो दृष्टिकोण हो, वर्तमान स्थिति यह है कि देश में अधिक खपत करने की बजाए अधिक निर्यात किया जाए।

जीवन बीमा निगम का कार्यकरण संबंधी व्यय

*449. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम का कार्यकरण संबंधी व्यय 28 प्रतिशत होता है जबकि अमरीका और ब्रिटेन की बीमा कम्पनियों का व्यय लगभग 16 प्रतिशत होता है और भारत में डाक जीवन बीमा का कार्यकरण संबंधी व्यय केवल 8 प्रतिशत होता है ;

(ख) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम का इतना अधिक व्यय होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस निगम के व्यय अनुपात में कमी करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) जीवन बीमा निगम का 1973-74 का समग्र व्यय-अनुपात (अर्थात् कुल प्रीमियम आय के प्रति कुल व्यय का अनुपात) 28.52 प्रतिशत था। ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में सुस्थापित जीवन बीमा कम्पनियों का 1973 का समग्र व्यय अनुपात 18 प्रतिशत से 22 प्रतिशत के बीच घटता-बढ़ता रहा। डाक जीवन बीमा निधि का 1973-74 का समग्र व्यय-अनुपात 10.13 प्रतिशत था।

(ख) और (ग) विभिन्न बीमा संगठनों की परिस्थितियों में असमानताओं को देखते हुए उनके व्यय अनुपातों के बीच न्यायसंगत तुलना नहीं की जा सकती। तथापि, जीवन बीमा निगम अपने व्यय को समुचित सीमाओं के भीतर रखने की आवश्यकता के प्रति सजग है और बजट नियंत्रण उपायों के माध्यम से अपने व्यय को सीमित करने के उपाय कर रहा है।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : ये कदम कब से उठाये जा रहे हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : ये कदम लगातार काफी समय से उठाये जा रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मन्त्री महोदय के लगातार प्रयास का परिणाम कार्यकरण सम्बन्धी व्यय में कमी होने की बजाय वृद्धि होना है क्या इसका कारण यह नहीं है कि डिविजनल आफिसर कुशलता से कार्य नहीं करते तथा क्या यह सच नहीं है कि डिविजनल कार्यालय, पटना में अकुशलता का बोलबाला है और वहां कोई रिकार्ड ही नहीं मिलता? जीवन बीमा निगम के मुख्यालय में इस बात की जांच की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता कि व्यय में वृद्धि क्यों हुई है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर पहले दूंगी। मैं समझती हूं कि जीवन बीमा निगम की कार्य कुशलता में सुधार करने की गुंजाइश है, चाहे यह पूना का कार्यालय हो अथवा कहीं और का। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती। परन्तु मैं यह नहीं मानती कि कारोबार में कमी अकुशलता के कारण आई है, हालांकि कार्यकुशलता में सुधार किया जा सकता है।

प्रश्न के प्रथम भाग के सम्बन्ध में मेरा उत्तर यह है कि व्यय में कमी वृद्धि होने का कारण वेतन तथा भत्तों में वृद्धि होना है।

Shri Madhu Limaye : Huge expenditure is being incurred in the various offices of L.I.C. in providing facilities to the officers. I want to know the steps taken to curtail this expenditure.

Shrimati Sushila Rohtagi : The question of effecting economy in the expenditure of L.I.C. is receiving serious consideration.

श्री पी० आर० शिनाय : क्या यह सच है कि भारत में बीमा कारोबार रोजगार प्रधान है और इस लिए इस में संगणकों का उपयोग नहीं किया जा सकता और इसीलिए औसत व्यय में वृद्धि हुई है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं माननीय मन्त्री के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि जीवन बीमा निगम में संगणकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता । मैं समझती हूं कि जीवन बीमा निगम ठीक ढंग से कार्य कर रहा है । जैसाकि मैंने अभी कहा है जीवन बीमा निगम के व्यय में वृद्धि होने का कारण वेतन तथा भत्तों में वृद्धि होना है ।

जीवन बीमा निगम के फील्ड वर्करों द्वारा आन्दोलन

*451. **श्री नागेश्वर द्विवेदी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के फील्ड वर्करों ने अपनी कुछ मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय स्तर पर आन्दोलन आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं तथा इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम के श्रेणी II अधिकारी संघ द्वारा चलाया गया आन्दोलन अब वापस ले लिया गया है ।

(ख) विकास अधिकारियों की मुख्य मांगें वेतन-मानों, भत्तों, बोनस तथा सवारी भत्तों में संशोधन करने के बारे में हैं । उनके हाल के वक्तव्यों में जीवन बीमा निगम द्वारा अपने पालिसी-धारियों के लिए की जा रही सेवाओं में सुधार का भी उल्लेख किया जा रहा है । इन मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है ।

Shri Nageshwar Dwivedi : Will the hon. Minister be pleased to state whether the agitation has been called off on the basis of any assurance and if so, on whose behalf the assurance was given ?

Shrimati Sushila Rohtagi : Sir, during the negotiations held between L.I.C. and the federation an offer was given to them that their demands would be met subject to the approval of the Board and the Government. The Government are considering them and no decision has so far been taken.

Shri Nageshwar Dwivedi : By which time the decision would be taken ?

Shrimati Sushila Rohtagi : Very soon.

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि यह सच है कि आन्दोलन आरम्भ करने से पूर्व उन्होंने निगम तथा मंत्रालय के दरवाजे खटखटाये थे परन्तु उन्हें कोई प्रत्योत्तर नहीं मिला ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन आश्वासनों के कार्यान्वियन के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय किया जायेगा अथवा इस समस्या को हल करने के लिये निगम एक और आन्दोलन की प्रतीक्षा करेगा ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : कोई और आन्दोलन आरम्भ करने की धमकी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है । परन्तु सरकार इस मामले के प्रति सजग है और उनकी मांगों तथा फेडरेशन को दिये गये आश्वासनों पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है ।

श्री राम सहाय पांडे : मैं जानना चाहता हूं कि जीवन बीमा निगम के फील्ड वर्करों की मांगों का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें क्या क्या आश्वासन दिये गए हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : उन्होंने अपनी मांगें बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश की हैं . . (**व्यवधान**)

श्री राम सहाय पांडे : क्या बढ़ा चढ़ा कर पेश की हैं ? सभा यह जानना चाहती है ।

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : विकास अधिकारियों ने अपनी मांगें मूलत: अपने कार्य के आधार पर पेश की थी तथा उन्हें अपने कार्य पर परिश्रमिक और कमीशन मिलता था । एक समय ऐसा आया कि उन्हें जीवन बीमा निगम के स्थायी अधिकारी बनाया जाये और निश्चित वेतनमान दिये जायें । ऐसा किया गया । अब वे चाहते हैं कि उनके कार्य की ओर ध्यान दिये बिना उनके वेतन तथा भत्तों आदि में वृद्धि की जाये । वास्तविक कठिनाई यही है । विकास अधिकारियों के बारे में उनकी उपलब्धियों को उनके कारोबार से संबंधित करना होगा । इस समय स्थिति यह है कि यदि वे तीन वर्ष और ग्यारह महीने कोई कार्य न करें तथा चौथे वर्ष एक महीने तक कार्य करें तो वे समूचे वेतन के हकदार हो जाते हैं । इस समूची असंगती को दूर करना होगा । माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं कि व्यय में वृद्धि क्यों हुई है । इसलिए इस प्रकार की असंगति पर विचार करना होगा । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि जबकि कर्मकारों की उचित मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिए, इस प्रश्न का दूसरा पहलू भी है कि कारोबार कार्यकुशलता तथा अनुशासन होना चाहिए । इसके बिना आप वेतन बढ़ाते चले जाइये उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आन्दोलन न केवल विकास अधिकारियों द्वारा अपितु बीमा कम्पनियों के एजेन्टों द्वारा भी किया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने प्रारम्भिक तौर पर कोई अनुमान लगाया है कि इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने में कितना धन खर्च होगा ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जहां तक एजेन्टों द्वारा आन्दोलन का संबंध है, मैं समझती हूं । कि वह भी उस समूचे आन्दोलन का एक अंग था जो जुलाई में आरम्भ किया गया तथा मार्च में समाप्त हुआ । यह लगभग 8 महीने चला । निश्चित रूप से राशि के आंकड़े बताना कठिन है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

+
*452. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**

श्री विजय पाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 1972–73, 1973–74 और 1974–75 में 5 करोड़ रुपये से अधिक की आस्तियों वाले चीनी, रूई और कपड़े के बड़े-बड़े व्यापारियों, अनाज के थोक व्यापारियों और बड़े औद्योगिक गृहों को लघु उद्योगपतियों, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों की तुलना में, उसी अवधि में अधिक ऋण दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राष्ट्रीयकरण के बाद से समग्ररूप से अधिकांशत: छोटे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्रों, जैसे---कृषि, छोटे उद्योग, सड़क एवम् जल परिवहन, व्यापार, स्वयं-नियोजन के वास्ते उपक्रम आदि की दिशा में बैंक ऋणों के संवितरण में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखायी दे रहे हैं। इस प्रकार, जून, 1969 के अन्त में जहां सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इन क्षेत्रों को मात्र 2.6 लाख खातों में दिये गए अग्रिमों की राशि 441 करोड़ रु० के लगभग थी, और जो कुल अग्रिमों के 14.9 प्रतिशत से अधिक नहीं थी, वहां जून, 1974 के अन्त तक इस प्रकार के प्रयोजनों के वास्ते दिए गए ऋणों में लगी राशि बढ़कर 1688 करोड़ रु० हो गयी, खातों की संख्या बढ़कर 26.16 लाख हो गयी और कुल अग्रिमों के अनुपात में प्रतिशत 25.7 तक पहुंच गया।

2. उपर्युक्त क्षेत्रों के साथ-साथ सार्वजनिक खाद्यान्न वसूली अभिकरणों, निर्यात और सरकारी उपक्रमों जैसे समान रूप से महत्वपूर्ण गतिविधि-क्षेत्रों में ऋण के बढ़ते हुए प्रवाह के साथ ही परम्परागत क्षेत्रों अर्थात् बड़े पैमाने के उद्योगों और थोक व्यापार को सरकारी क्षेत्र के बैंकिंग उद्योग द्वारा दिया गया कुल ऋण जो अक्तूबर, 1972 के अन्त में 54 प्रतिशत था अप्रैल, 1974 में घटकर 51 प्रतिशत रह गया है। सांख्यिकी संकलन की वर्तमान प्रणाली में यद्यपि ऋण-कर्ताओं द्वारा धृत परिसम्पत्ति के आकार के हिसाब से अग्रिमों का वर्गीकरण नहीं किया जाता है, तथापि यह तथ्य कि सकल बैंक-ऋण में अपेक्षाकृत अधिक-बड़े ऋणकर्त्ताओं के अंश में गिरावट आ चुकी है, एकाधिकार जांच समिति की रिपोर्ट की उस सूची से उजागर हो जाता है, जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 75 औद्योगिक घरानों पर उनकी बकाया राशि के विषय में अलग से आकड़े संकलित किये गए हैं। 1971 के अन्त में चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गए कुल ऋणों में इन घरानों को दिये गये ऋणों का अंश 19 प्रतिशत था। दिसम्बर, 1972 के अन्त में यह अनुपात घटकर 18.2 प्रतिशत हो गया और दिसम्बर, 1973 के अन्त तक और घटोतरी हो जाने से यह प्रतिशत 15.2 रह गया। भारतीय स्टेट बैंक के विषय में दिसम्बर, 1971 के अन्त में यह अनुपात 21.78 प्रतिशत था जो दिसम्बर, 1973 के अन्त तक घटकर 19 प्रतिशत हो गया है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : वक्तव्य के शुरू में कहा गया है :

"राष्ट्रीयकरण के बाद से अधिकांशत: छोटे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्रों, जैसे कृषि, छोटे उद्योग, सड़क एवम् जल परिवहन, व्यापार, स्वयं नियोजन के वास्ते उपक्रम आदि की दिशा में बैंक ऋणों के संवितरण में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं।"

उसके साथ-साथ बाद में कहा गया है :

"सांख्यिकीय संकलन की वर्तमान प्रणाली में यद्यपि ऋणकर्त्ताओं द्वारा धृत परिसम्पत्ति के आकार के हिसाब से अग्रिमों का वर्गीकरण नहीं किया जाता है, तथापि यह तथ्य है कि सकल बैंक ऋण में अपेक्षाकृत अधिक बड़े ऋणकर्त्ताओं के अंश में गिरावट आ चुकी है।"

मेरा प्रश्न विशिष्ट से यह था कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऐसे औद्योगिक गृहों को ऋण दिये गये हैं, जिनकी पूंजी 5 करोड़ रुपये से अधिक है। यदि आपके पास आंकड़े एकत्र करने की व्यवस्था नहीं है तो मेरा प्रश्न यह है कि सरकार को यह कैसे पता चलता है कि छोटे वर्ग के लोगों को अमीर वर्ग के लोगों से अधिक ऋण दिया गया है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य ने 5 करोड़ रुपये की राशि का उल्लेख किया है। वास्तव में हमारे यहां 75 बड़े परिवार हैं और यह स्वाभाविक है कि हम यह देखते हैं कि उन्हें किस प्रकार के ऋण की सुविधायें चाहिये। यहां मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हमारी ऋण नीति में कृषि तथा उसके सहयोगी क्षेत्र को प्रमुखता प्राप्त है उसके बाद निर्यात को और औद्योगिक क्षेत्र में उन्हें प्राथमिकता दी जाती है जो जनता के लिए अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ये प्राथमिकता प्राप्त वस्तुयें सम्भवतया बड़े परिवारों द्वारा भी उत्पादित की जाती हैं हम उन्हें ये चीजें उत्पादित करने से नहीं रोक सकते। अतः हमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का ध्यान रखना है। यदि माननीय सदस्य की धारणा यह है कि बड़े परिवारों को बिल्कुल ऋण न दिये जायें तो वह अलग बात है। हमें अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है, देश में उत्पादन बढ़ाना है। लेकिन हम यह देखते हैं कि बड़े परिवार के संसाधन चूंकि अधिक हैं अतः उसी के अनुसार हम ऋण सुविधाओं में कमी कर देते हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि ऋण देते समय कृषि को प्राथमिकता दी जाती है। यह तथ्य है कि छोटे कृषकों को ऋण दिये गये हैं। और भी प्रोत्साहन प्राप्त हुए हैं। लेकिन उसके साथ-साथ स्थिति यह है कि कपास तथा पटसन की बहुत बड़ी मात्रा किसानों के पास पड़ी है। राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय कपास निगम और भारतीय पटसन निगम को ऋण क्यों नहीं देते ताकि वे इन भंडारों को वहां से उठा सकें। उससे किसान भी ऋण चुका सकेंगे। सरकार इस बारे में स्पष्ट नीति क्यों नहीं अपनाती ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इस बात के दो पहलू हैं। एक है उत्पादन और दूसरा व्यापार परिचालन। हम उत्पादन कार्यक्रमों को प्राथमिकता देते हैं। स्वाभाविक है कि किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम मूल्य मिलना चाहिये जिसे हम समर्थन मूल्य कहते हैं। इस संबंध में हम यह नीति नहीं अपना सकते कि निजी कपड़ा मिल मालिकों के सभी दायित्वों को अपने ऊपर ओढ़ लें। तथ्य यह है कि बहुत से माननीय सदस्यों को यह पता नहीं कि मिल मालिक और उद्योगपति ही अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डाल रहे हैं कि कपास निगमों या पटसन निगमों को वित्त व्यवस्था प्रदान की जाये ताकि उनके दायित्व कम हो जायें। अतः हमारा प्रयास यही है कि किसानों को समर्थित मूल्यों से कम मूल्य प्राप्त न हों। हम इसके लिये सभी सम्भव प्रयास करेंगे।

श्री नटवर लाल पटेल : बड़े रेशे वाली कपास के मूल्य बहुत ही कम हो गये हैं। भारतीय कपास निगम को पर्याप्त धन नहीं दिया गया है। क्या ऐसी व्यवस्था की जायेगी ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मूल्यों का घटना बढ़ना सापेक्ष बात है। पिछले वर्ष मूल्य बहुत अधिक बढ़ गए थे। वे वहीं पर स्थिर नहीं रह सकते थे और उन्हें उचित स्तर पर नीचे आना ही था।

कृषि मूल्य आयोग ने भी इस बात का अध्ययन किया था। लेकिन लम्बे रेशे की कपास के उत्पादकों की कुछ शिकायतें जायज हैं। अधिक कीमतें होने के कारण उन्होंने खाद तथा अन्य वस्तुओं के लिये काफी अधिक कीमत दी है। हमें इस बात का ध्यान है और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

श्री के० गोपाल : वक्तव्य में शब्दों को बड़ी चतुराई से रखा गया है। कहा गया है कि 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1971 में 19% ऋण दिये, 1972 में 18.2% और 1973 के अन्त तक 15.2 % कुल ऋण दिये। मैं जानना चाहता हूं कि (क) बड़े परिवारों को कुल कितना ऋण दिया गया और (ख) क्या मंत्री जी को पता है कि इन बैंकों के कुछ नियम ऐसे हैं जिनसे बैंकों का उद्देश्य ही पूरा नहीं होता। जैसे मुर्गी फार्म के लिए ऋण चाहिये तो फार्म का बैंक से 10 कि०मी० की दूरी के भीतर होना आवश्यक है। क्या मंत्री जी इन नियमों में संशोधन करेंगे ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह निश्चय ही एक समस्या है और मैं इन त्रुटियों को शीघ्रातिशीघ्र दूर करने का प्रयास करूंगा।

श्री के० गोपाल : आपने जो प्रतिशत में आंकड़े दिये हैं वे भ्रामक हैं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं है। उद्योगों के अनुसार आंकड़े उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ बड़े और कुछ छोटे परिवारों के उद्योग हो सकते हैं। चीनी उद्योग के आंकड़े ये हैं दिसम्बर, 1972 में 74 करोड़ रुपये, दिसम्बर, 1973 में 70 करोड़ रुपये। कपड़ा उद्योग का जहां तक संबंध है ये दिसम्बर, 1972 में 425 करोड़ रुपये और दिसम्बर, 1973 में 423 करोड़ रुपये हैं।

पटसन	दिसम्बर, 1972 में 104 करोड़ रु०
	दिसम्बर, 1973 में 133 करोड़ रु०
अन्य	1972 में 164 करोड़ रु०
	1973 में 239 करोड़ रु०

अतः आप देखेंगे कि प्राथमिकता प्राप्त वस्तुओं के संबंध में अधिक ऋण दिया गया। कठिनाई यह है कि हम उद्योग के आकार को देख कर कार्य नहीं कर सकते। हमें प्राथमिकता को दृष्टि में रखना पड़ता है।

श्री जगदीश भट्टाचार्य : राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उन औद्योगिक गृहों को कितना ऋण दिया गया जिनकी आस्तियां 500 करोड़ रु० से ऊपर हैं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इस बारे में अलग से प्रश्न होना चाहिए।

श्री पी० वेंकटासुब्बैया : माननीय मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र और समाज के दुर्बल वर्ग को ऋण की सुविधायें देना है। लेकिन ये बैंक विशेषकर स्टेट बैंक कई प्रकार की बाधायें उपस्थित कर रहा है जैसे 10 कि०मी० आदि जैसे नियमों से दुर्बल वर्ग और बेरोजगारों को लाभ नहीं मिल रहा। क्या उनका मंत्रालय इस बात की सलाह देगा कि प्रत्येक बैंक में शिकायत कक्ष खोले जायें ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मुझे पता नहीं कि शिकायत कक्ष खोलना सम्भव है या नहीं लेकिन स्टेट बैंक में शिकायत कक्ष होता है। माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि ऋणों के वितरण के लिये

दूरी की सीमा तय की गई है । लेकिन इसके पीछे परिचालन की कठिनाई ही है । पहले 30 या 50 मील की दूरी पर रहने वालों को भी ऋण दिये गये लेकिन वहां पर यह देखना संभव नहीं रह जाता कि ऋण का उपयोग किस प्रकार किया जाता है । इसलिए कुछ सीमा नियत करनी पड़ती है । अतः अब प्रश्न रह जाता है नई शाखायें खोलने का । हमारा प्रयास यही है कि अधिक शाखायें खोल कर अधिक क्षेत्रों को लाभ पहुंचाया जाये । लेकिन इन वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंचा जा सकता । इसके लिये हमने किसान सेवा समितियां बनाने का निश्चय किया है । कुछ स्थानों पर उन्हें चलाने का दायित्व बैंकों पर होगा और कई स्थानों पर जहां सहकारी समितियां सुदृढ़ हैं वहां उन्हें ये उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा ।

प्राकृतिक रबड़ का आयात

*454. **श्री वरके जार्ज**

श्री सरोज मुखर्जी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ उत्पादक संघ ने सरकार से प्राकृतिक रबड़ का आयात न करने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या सरकार ने प्राकृतिक रबड़ की स्टाक स्थिति का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त संघ द्वारा किये गए अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख)जी हां ।

(ग) 1974–75 में प्राकृतिक रबड़ का आयात करने का कोई इरादा नहीं है ।

श्री वरके जार्ज : माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकार ने रबड़ के भंडार का अनुमान लगाया है । मैं जानना चाहता हूं कि इस समय देश में प्राकृतिक रबड़ का वार्षिक उत्पादन और उपभोग कितना कितना है और रबड़ का कितना भंडार मौजूद है ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): मैं पिछले वर्ष के आंकड़े दे सकता हूं । 1974–75 के आरम्भ में प्राकृतिक रबड़ का भंडार 4,45,160 मीट्रिक टन तथा सिंथेटिक रबड़ का 14,500 मीट्रिक टन था और प्राकृतिक रबड़ का वार्षिक उत्पादन 1,31,000 मीट्रिक टन, सिंथेटिक रबड़ का 18,000 मीट्रिक टन था । विशेष प्रयोजनीय सिंथेटिक रबड़ जिसे नाइट्रिक सिंथेटिक रबड़ कहते हैं का आयात 1,000 मीट्रिक टन किया गया । पिछले वर्ष कुल 2,54,660 मीट्रिक टन रबड़ उपलब्ध हुआ । इसमें से यदि हम प्राकृतिक रबड़ 350 मीट्रिक टन, सिंथेटिक रबड़ 669 मीट्रिक टन के उस रबड़ को जो निर्यात किया गया और उपभोग किये गये 132 हजार मीट्रिक टन प्राकृतिक रबड़ और 23,000 मीट्रिक टन सिंथेटिक रबड़ को निकाल दें तो 1974–75 के अन्त तक प्राकृतिक रबड़ का 44,000 मीट्रिक टन और सिंथेटिक रबड़ का 15,000 मीट्रिक टन भंडार उपलब्ध था । इससे $4\frac{1}{2}$ मास के लिए हमारी आवश्यकतायें पूरी हो सकना सम्भव था । जो सामान्यतः उचित ही है ।

श्री वरके जार्ज : इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश में प्राकृतिक रबड़ का 44,000 मीट्रिक टन भंडार मौजूद है। क्या हम इसका आधा भी निर्यात नहीं कर सकते ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी नहीं। इतना भंडार तो सामान्य बात है !

श्री वयालार रवि : माननीय मंत्री जी ने कहा था कि 5000 मीट्रिक टन का निर्यात किया जायेगा। मेरा विश्वास है कि केवल 2000 मीट्रिक टन ही निर्यात किया गया है। क्या मंत्री महोदय सभा में दिया गया अपना आश्वासन पूरा करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : पहले 3000 मीट्रिक के निर्यात का निश्चय किया गया था। अब तक 3,050 मीट्रिक टन ही निर्यात किया जा सका है। वर्तमान स्थिति में और रबड़ का निर्यात करना उचित नहीं लगता।

श्री समर गुह : क्या यह सत्य है कि भारत रबड़ निर्माताओं को देश में रबड़ के उत्पादन में और सिंथेटिक रबड़ के आयात में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं ? क्या उन्होंने सरकार को अभ्यावेदन दिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में पूरे तथ्य क्या हैं और सरकार की क्रिया तथा प्रक्रिया क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : रबड़ निर्माताओं ने यह अभ्यावेदन दिया है कि रबड़ के आयात की अनुमति दी जाये। लेकिन सरकार का अनुमान है कि निर्यात प्रयोजन के लिए 7000 मीट्रिक टन रबड़ का आयात काफी है तथा अधिक रबड़ का आयात करके घरेलू बाजार में विसंगति पैदा करना उचित नहीं। विशेषकर इस समय जब रबड़ उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त हो रहे हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री जी ने कहा है कि और रबड़ का निर्यात नहीं किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार दिए गए आश्वासन को पूरा करने में क्या कठिनाई अनुभव कर रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 1970 में रबड़ के मूल्य बढ़ गये। रबड़ से बाजार भर गया अतः सरकार ने राज्य व्यापार निगम से रबड़ खरीदने के लिये कहा। लेकिन यह भी पर्याप्त न था। 1972 में सरकार ने केरल राज्य निगम, बाजार संघ से भी रबड़ खरीदने के लिए कहा। लेकिन रबड़ का मूल्य ठीक नहीं हुआ। अतः सरकार ने निश्चय किया कि रबड़ का भंडार समाप्त करने के लिये 5000 मीट्रिक टन का निर्यात किया जाये। अब मूल्य सामान्य हो गए हैं। जनवरी, 1974 में मूल्य 500 से 1000 रुपये प्रति कि०ग्रा० थे। अब ये 824 रु० प्रति कि०ग्रा० हैं। हमारे विचार से यह उचित मूल्य है और मांग तथा पूर्ति की स्थिति भी सामान्य है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय रुई तथा पटसन निगमों को बैंक ऋण

*446. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने हाल ही में भारतीय रुई तथा पटसन निगमों को खरीदारी-मौसम में बैंक ऋण देने पर भारी आपत्ति की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) भारतीय रुई तथा पटसन निगमों ने कुल कितनी सहायता का अनुमान लगाया और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से कितनी सहायता मांगी; और

(घ) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अनुदेशों के अनुसार भारतीय रुई तथा पटसन निगम को कितना शुद्ध ऋण दिया गया ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) एक तरफ तो निक्षेप संसाधनों के एकत्रीकरण में लक्षित हो रही प्रवृत्तियों और दूसरी ओर उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, और इस साल के व्यस्त मौसम की ऋण-नीति की समग्र संरचना के भीतर रहते हुए वाणिज्यिक बैंक भारतीय रुई निगम और भारतीय जूट निगम की ऋण-आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भरसक पूरी कोशिश कर रहे हैं।

रुई निगम के विषय में वर्तमान स्वीकृत ऋण-सीमायें कुल मिलाकर 10 करोड़ रु० तक पहुंच जाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से खरीदी जाने वाली रुई के वास्ते, 4 से 6 करोड़ रुपये तक की और ऋण-सीमा के सम्बन्ध में निगम को आश्वस्त कर दिया गया है। यह निगम बाजार में चयनात्मक आधार पर हस्तक्षेप कर रहा है और लम्बे रेशे की रुई के बाजार में प्रवेश करने की योजना बनाई जा रही है।

भारतीय जूट निगम के संबंध में स्थिति यह है कि 1974-75 के फसल-वर्ष में, जोकि उत्पादन कर्त्ता से की जाने वाली खरीदों की दृष्टि से अब समाप्त प्रायः है, इस निगम को 20.5 करोड़ रु० की ऋण-सीमा मंजूर की जा चुकी है। जुलाई, 1975 से आरंभ होने वाले आगामी फसल-वर्ष के लिए इस निगम की ऋण-आवश्यकताओं की जांच यथासमय की जायेगी।

बहुराष्ट्रीय निगम

*448. **श्री भान सिंह भौंरा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के विचार में भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की कुल आस्तियों अथवा पूंजी की राशि कितनी है ;

(ख) क्या बहुराष्ट्रीय निगमों की वित्त व्यवस्था पर सरकार नियंत्रण रखती है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के नवम्बर, 1974 के बुलेटिन में विदेशी कम्पनियों और भारत में निगमित विदेशी कम्पनियों के कार्य पर प्रकाशित अध्ययन के अनुसार 1971-72 के अन्त में विदेशी कम्पनियों की 193 शाखाओं की कुल परिसम्पत्ति (मूल्य ह्रास घटाने के बाद कुल परिसम्पत्ति) 476 करोड़ रुपये और भारत में निगमित चुनी हुई 516 विदेशी कम्पनियों की कुल परिसम्पत्ति 2293 करोड़ रुपये बैठती है।

(ख) और (ग) जी, हां। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के द्वारा जमा रकमों की प्राप्ति, उनके द्वारा लिये जाने वाले ऋण, गैर-निवासियों द्वारा शेयरों की बिक्री, प्रीमियम पर और शेयरों के जारी किये जाने, बोनस शेयर जारी किये जाने, 25 लाख रुपये के अतिरिक्त सममूल्य पर नये शेयर जारी किये जाने, विस्तार और विविधीकरण योजनाओं आदि के बारे में इन कम्पनियों के वित्त पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973, पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1949, उद्योग (विकास

और विनियमन), 1951, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रणाली अधिनियम, 1969, और कम्पनी अधिनियम, 1956 जैसे विभिन्न अधिनियमों के विनियमनकारी उपबन्धों के अन्तर्गत नियंत्रण रखा जाता है ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से अरण्डों के तेल का निर्यात

*450. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि राज्य व्यापार निगम के गैर-व्यावसायिक दृष्टिकोण के कारण अरंडी के तेल के निर्यात के अनेक अवसर खो दिये गये हैं ;

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा सहायक रुख न अपनाये जाने के कारण क्या हैं ;

(ग) अरंडी के तेल का निर्यात सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) वर्ष 1974 में अरंडी के तेल के निर्यात की वर्ष 1973 में किये गये निर्यात से क्या तुलना है ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अरंडी के तेल के निर्यातों की निरंतर समीक्षा की जा रही है ताकि जितना सम्भव हो सके अरंडी के तेल का निर्यात किया जा सके ।

(घ) 1974 में 29,934 मे० टन अरंडी का तेल निर्यात किया गया जबकि 1973 में 28,795 मै० टन का निर्यात हुआ था ।

World Bank's Assistance to Developing Countries

*453. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the nature of facilities proposed to be provided to developing countries by the World Bank ;

(b) the nature of benefit accrued to India as a result of a new policy laid down by the World Bank to curb inflation and to overcome the crisis arising out of increased price of oil; and

(c) whether Government of India has submitted any memorandum to Mr. McNamara, the President of the World Bank at the time of his last visit to India and if so, the salient features thereof ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramanian): (a) & (b) The World Bank Group provides assistance for economic development through provision of financial resources and technical assistance to developing countries and in order to help particularly low income countries which have been affected by recent changes in the world economy has proposed to increase the volume of Bank group landing and to supplement the IDA assistance to those countries which would have otherwise no

means of access to concessionary form of external capital by limited amount of Bank lending which is on hard terms.

(c) No, Sir.

अन्तर्राष्ट्रीय काजू समुदाय

*455. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय काजू समुदाय की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है जिसमें कीनिया तंजानिया और मोजाम्बिक अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि होंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नेपाल से वस्तुओं की तस्करी

*456. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मन्त्री तस्करी-विरोधी अभियान के बारे में 21 फरवरी, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 62 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी-3/14, माडल टाउन, नई दिल्ली से प्रकाशित और सागर प्रिन्टर्स, 3842 मंडी तेल, पहाड़गंज, नई दिल्ली से मुद्रित "कैम्पस रिपोर्टर" के जनवरी अंक में छपे नेपाल से तस्करी के समाचार से संबन्धित तथ्यों की जांच कर ली गई है; यदि हां, तो ऐसी जांच के बाद किन तथ्यों का पता चला है ;

(ख) पटना या बिहार के अन्य भागों के रास्ते से भारत-नेपाल के बीच की जाने वाली तस्करी से संबंधित व्यक्तियों और एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या उक्त समाचार में उल्लिखित "सुन्दर केन्द्रीय मन्त्री" के नाम का पता लगाया जा सका है; यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) तथा (ख) 11 अक्तूबर, 1974 को 35 लड़कियां, दो पुरुष तथा एक महिला आर० एन० ए० सी० उड़ान सं० आर०ए०-223 से काठमाण्डू से पटना हवाई अड्डे पर पहुंचे। सीमाशुल्क कर्मचारियों द्वारा उनके असबाब की जांच की गई थी परन्तु निषिद्ध अथवा शुल्क लगने योग्य कोई माल नहीं पाया गया। पूछताछ से पता चला कि उक्त व्यक्तियों का दल नई दिल्ली के एक यात्रा प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा की गई व्यवस्था के अन्तर्गत यात्रा कर रहा था। परन्तु, उक्त यात्रा एजेन्सी के कार्यालय का पता लगाने के प्रयत्न अभी तक असफल रहे हैं।

जिन व्यक्तियों को भारत-नेपाल (तथा भारत में अन्यत्र) तस्कर-व्यापार से सम्बद्ध पाया जाता है उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और कानून का उल्लंघन किए जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। जहां कहीं आवश्यक होता है न्यायालयों में इस्तगासे की कार्यवाही भी की जाती है ।

(ग) जी, नहीं, उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

ऊनी कपड़ा उद्योग में कारखानों का विस्तार और आधुनिकीकरण

*457. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ऊनी कपड़ा उद्योग में कारखानों का विस्तार और आधुनिकीकरण करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय): (क) तथा (ख) ऊनी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में समय समय पर निम्नलिखित योजनाएं तैयार की गई हैं :—

(1) वैस्टड क्षेत्र के प्राथमिकता वाले एककों का विस्तार ।
(2) हौजरी एककों का उदग्र समेकन ।
(3) हौजरी एककों का आधुनिकीकरण ।
(4) अतिरिक्त काम्बिंग क्षमता का सृजन ।
(5) शाडी कताई एककों का समेकन ।

(ग) सरकार द्वारा पूंजी लगाये जाने की कोई योजना नहीं है और धन का कोई विनिधान नहीं किया गया है ।

Charges against a Director of M.M.T.C.

*458. **Shri Ishwar Chaudhry**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item appearing in the 'Motherland' dated the 18th November, 1974 to the effect that a particular person with Intermediate qualification (who was appointed as a Deputy Divisional Manager in the State Trading Corporation in August, 1956) was appointed as a Director in the Minerals and Metals Trading Corporation by his Ministry in May, 1971 and whether he has made large fortune in connection with the export of pig iron from Goa and has also opened a secret account in a Swiss bank ;

(b) whether the charges of corruption against him in Vascode Gama, Calcutta and Delhi have been looked into by the C.B.I. ; and

(c) the findings thereof and the action taken by Government in this regard?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhaya) : (a) Government is aware of the news-item.

(b) & (c) The Central Bureau of Investigation investigated a case against a firm in which a Director of Minerals and Metals Trading Corporation was also alleged to be concerned. The report of the Central Bureau of Investigation has been received, which is under examination by Government. The Central Bureau of Investigation has not investigated any other case against this Director.

Contract for Operating Bus-Service from City to Palam Aerodrome and back

*459. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether a contract for operating bus service from the city to Palam aerodrome and back has been given to a private person ;

(b) whether this bus carries air passengers to various public sector hotels in the city ;

(c) whether it is a fact that this bus does not take Members of Parliament to North Avenue and South Avenue; and

(d) if so, the reasons for adopting this discriminatory policy ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) to (d) For operating bus services between city and Palam airport, two contracts have been awarded by the International Airports Authority of India, one to M/s Ex-Servicemen Airlink Transport Services (P) Ltd. which is a limited company for domestic passengers and the other for international passengers to M/s I. S. Goel & Co. which is a proprietory concern. The bus service for domestic passengers operates from Connaught Place to Palam via Willingdon Hospital and on return via Akbar, Ashoka, Claridges, Janpath and Imperial Hotels. The bus service for international passengers is to operate from Connaught Place to Palam via the Akbar, Ashoka, Janpath, Imperial and Oberai Intercontinental Hotels. These bus services do not pass through North Avenue and South Avenue, but effort would be made to arrange the re-routing of the buses for domestic passengers through North and South Avenue to the extent possible.

मैसर्स पावर केबल्स (प्राइवेट) लि०, बम्बई के प्रवर्तकों/निदेशकों की कर सम्बन्धी देनदारियां

*460. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स पावर केबल्स लिमिटेड, बम्बई के प्रवर्तकों/निदेशकों के नाम क्या हैं और उन पर आयकर, धनकर, उत्पादन-शुल्क और निगम-कर की कितनी बकाया देय राशि है और उसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या उनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कभी जांच की गई थी या उनके विरुद्ध ऐसी कोई जांच चल रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कम्पनी के निदेशकों/प्रवर्तकों के आवास या कम्पनी के परिसर पर कोई छापे मारे गये थे ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त छापों के दौरान बरामद हुए सामान का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) कम्पनी की संस्था के ज्ञापन और नियमावली के अनुसार, कम्पनी के संस्थापक, श्री डी० डी० देसाई और श्रीमती शांतावेन डी०

देसाई हैं। 30 अप्रैल 1973 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध सब से अन्तिम तल-पट के अनुसार कम्पनी के जो निदेशक हैं उनके नाम ये हैं :—

(1) श्री डी० डी० देसाई, अध्यक्ष ।
(2) डा० एन० डी० देसाई, प्रबन्ध निदेशक ।
(3) श्रीमती शांताबेन डी० देसाई, निदेशक ।

31 जनवरी, 1975 की स्थिति के अनुसार, इन संस्थापकों/डाइरेक्टरों की तरफ प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी कोई दायित्व नहीं है ।

इन व्यक्तियों की तरफ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के संबंध में यदि कोई देनदारी बकाया रही होगी तो उसके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) आयकर प्राधिकारियों ने कम्पनी के किसी भी संस्थापक/निदेशक के निवास-स्थान पर अथवा कम्पनी के परिसरों पर कोई छापा नहीं मारा । वित्त मन्त्रालय के अधीन, अन्य प्राधिकरणों द्वारा, यदि कोई छापे मारे गये होंगे तो उनके बारे में सूचना एकत्र करके सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

निषिद्ध वस्तुओं की नीलामी

*461. **श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क विभाग द्वारा पकड़ी गई निषिद्ध वस्तुओं की नीलामी बन्द करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी, नहीं । सरकार, सीमाशुल्क विभाग द्वारा पकड़े गये निषिद्ध माल की नीलामी बन्द करने के प्रश्न पर विचार नहीं कर रही है । जब्त किए गए माल के निपटान की कार्याविधि को हाल ही में सुव्यवस्थित बना दिया गया है ताकि माल का निपटान शीघ्र किया जा सके । जब्त की गई तस्करी की वस्तुएं, सहकारी समितियों और केन्द्रीय तथा राज्य एजेन्सियों द्वारा चलाई जा रही कैण्टीनों के जरिये और वास्तविक उपभोक्ताओं तथा कोटा-धारियों तक सीमित सार्वजनिक नीलामी द्वारा भी उपभोक्ताओं को बेची जाती हैं।

डच व्यापार-दल की भारत यात्रा

*462. **श्री राम सहाय पाण्डे :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक डच व्यापार-दल ने फरवरी, 1975 में इस देश की यात्रा की थी और हमारी सरकार के साथ बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और क्या निर्णय लिये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) फरवरी, 1975 के दौरान किसी ऐसे डच व्यापार दल ने भारत का दौरा नहीं किया । तथापि भारत-नीदरलैंड संयुक्त

समिति की बैठक के पहले अधिवेशन में भाग लेने के लिए फरवरी-मार्च, 1975 में नीदरलैंड से एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा किया ।

(ख) निम्नलिखित मुख्य बातों पर विचार किया गया :—

यह नोट किया गया कि "विकासशील देशों से आयात संवर्धन हेतु नीदरलैंड केन्द्र" विकासशील देशों को विभिन्न प्रकार की सहायता देगा और भारत इन सुविधाओं का कारगर लाभ उठा सकता है ।

भारतीय सप्लायर नीदरलैंड सरकार की खरीद की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने की सम्भावनाओं पर विचार कर सकते हैं ।

नीदरलैंड को सीधे निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया गया । जिन मदों में निर्यात सम्भाव्यता है, उनमें चाय, डिब्बाबन्द तथा साधित खाद्य, खली, चमड़ा तथा इंजीनियरी व रासायनिक मदें शामिल हैं । आयात की मदों में शिपिंग/ड्रेजर संघटक शामिल हैं ।

"विकासशील देशों से आयात संवर्धन हेतु नीदरलैंड केन्द्र" नीदरलैंड में बाजार सर्वेक्षण करने में कुछ सहायता के सम्बन्ध में विचार करेगा ।

निर्यातों आदि के संदर्भ में इलैक्ट्रोनिक्स, शिपिंग/ड्रेजर, हवाई जहाज जैसे सहयोग की सम्भावनाओं वाले क्षेत्रों के बारे में विचार विमर्श किया गया । कृषि क्षेत्र में सहयोग के बारे में भी रुचि प्रकट की गई थी ।

तीसरे देशों में औद्योगिक उद्यमों में भारत-नीदरलैंड सहयोग को बढ़ाने की सम्भावनाओं पर विचार किया गया ।

Government Employees apprehended for possessing Black Money

*463. **Shri Mulki Raj Saini** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of Government officers and employees apprehended during 1974-75 for having unaccounted money ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : There is no provision in the Income-tax Act, 1961 for apprehending (arresting) a person for having unaccounted money. The said Act provides for seizure of unaccounted money, if found, followed by framing of assessments and levy of penalty and prosecution wherever warranted. These provisions are applicable to Government officers and employees as to others.

If a Government officer/employee is found to be in possession of assets disproportionate to his known sources of income, action is taken against him under the Prevention of Corruption Act and/or the relevant Conduct Rules.

खनिज तथा धातु व्यापार निगम और पूर्ति विभाग द्वारा उर्वरकों का आयात

4276. **श्री जी० वाई० कृष्णन**
श्री एन० ई० होरो :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा उर्वरकों का अब तक किया गया आयात पूर्वी यूरोप के केवल रुपये में व्यापार करने वाले देशों से ही हुआ है और इन देशों में 10 लाख टन से अधिक उर्वरक का आयात करने के करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनको खनिज तथा धातु व्यापार निगम और पूर्ति विभाग द्वारा क्रयादेश दिये गये हैं, तथा वे क्रयादेश कितनी मात्रा के लिए तथा कितने मूल्य के हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम रुपये में भुगतान करने वाले देशों से उर्वरक के आयात करता है। चालू वर्ष के लिए अभी तक उसने 7.67 लाख मे० टन उर्वरक के लिए संविदाएं की हैं ।

(ख) तथा (ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा की गई संविदाएं

क्रमांक	देश का नाम	मात्रा (लाख मैं० टन)
1.	रुमानिया	2.00
2.	सोवियत संघ	2.67
3.	बुल्गारिया	0.70
4.	पोलैंड	2.30

सप्लाई विभाग द्वारा की गई संविदाएं

सं० रा० अमरीका 1.10/1.14

ये व्यापारिक सौदे होते हैं अतः संविदाओं के मूल्य को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया जाता है ।

Amount given by IDBI as Direct Assistance for Projects of Backward Areas of Madhya Pradesh

4277. **Shri G.C .Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state whether Industrial Development Bank of India gave an amount as direct assistance for the projects of backward areas of Madhya Pradesh during the year 1973-74 and if so, whether the assistance was adequate ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : During its accounting year 1973-74 the Industrial Development Bank of India sanctioned direct financial assistance of Rs. 60.00 lakhs to a Mini Steel Plant located in Raipur District, one of the specified backward districts of Madhya Pradesh.

The adequacy of the assistance depends on the number of applications received or on the number of projects in the pipeline for any given State/region. It has been the endeavour of the Development Bank and the other financial institutions to ensure that no worth-while industrial project is allowed to languish for want of financial assistance from them.

The Development Bank together with all the financial institutions has completed survey of industrially backward areas of Madhya Pradesh. The survey team has identified a number of project ideas for implementation in the next 5 to 10 years. The inter-institutional group of Madhya Pradesh is taking follow-up steps to convert the project ideas into actual projects.

मध्य प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम द्वारा ऋण

4278. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य उद्योग विकास निगम द्वारा 2.5 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त करने के लिए केन्द्र की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य अनेक राज्य सरकारों को भी अतिरिक्त मात्रा में बाजार से ऋण प्राप्त करने की अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां। चूंकि बाजार ऋण कार्यक्रम के लिए उपलब्ध साधनों को देखते हुए राज्य सरकारों या उनकी एजेंसियों द्वारा कोई अतिरिक्त बाजार ऋण लिये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, इसलिए उनका अनुरोध स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

(ख) निगम का उद्देश्य राज्य के औद्योगिक उद्यमों को वित्तीय सहायता देने के लिए उसके सामने रखी जाने वाली मांग को पूरा करने के प्रयोजन से और संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं में रुपया लगाने के लिए साधनों को बढ़ाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

पश्चिम के समृद्ध देशों से फालतू पुर्जों की खरीद के लिये पुरानी प्रक्रिया

4279. **श्री राजाराम दादा साहिब निम्बालकर :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम के समृद्ध देशों से फालतू पुर्जों की खरीद के लिए उसके द्वारा अपनायी जा रही प्रक्रियाएं पुरानी हैं जिसके परिणामस्वरूप काफी विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है ;

(ख) क्या इस बारे में किन्हीं सुधारात्मक उपायों का प्रस्ताव किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वे उपाय क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) रख-रखाव तथा मरम्मत सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय क्रय संगठन अथवा प्रयोक्ता विभागों द्वारा फालतू पुर्जों की खरीद की जाती है। खरीद का उपयुक्त तरीका अपनाया जाता है ताकि किफायती कीमतों पर खरीद सुनिश्चित हो सके। वाणिज्य मन्त्रालय, ऐसे क्रय अभिकरणों तथा इन प्रयोक्ता विभागों की सिफारिश पर आयात लाइसेंस जारी करता है।

इस्पात से बनी ट्यूबों तथा पाईपों के निर्यात में गिरावट

4280. **श्री सोम चन्द सोलंकी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात से बनी ट्यूबों तथा पाईपों के निर्यात में गत दो वर्षों के दौरान गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का निर्यात हुआ ;

(ग) क्या सरकार यह समझती है कि वर्ष 1975-76 में शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय की दृष्टि से इस्पात से बनी ट्यूबों तथा पाईपों के निर्यात का भविष्य बड़ा उज्जवल है ;

(घ) क्या ट्यूब उद्योग ने यह अभ्यावेदन किया है कि उक्त निर्यात लाभप्रद नहीं रह गया है; और

(ङ) यदि हां, तो ट्यूब उद्योग को अपनी वर्तमान अनुपयुक्त क्षमता का पूरा उपयोग करने में सहायता देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान इस्पात के पाइपों तथा ट्यूबों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार हैं :—

	मात्रा मे० टनों में मात्रा	मूल्य लाख रु० में मूल्य
1972-73	56,463	858.57
1973-74	97,770	1938.90
1974-75 (केवल अप्रैल-दिसम्बर)	72,524	2447.54

(ग) जी हां। अच्छी सम्भावनाएं हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइन्स को एच० एस० 748 विमानों की डिलीवरी

4281. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने वाइकाउन्ट तथा डी० सी०-3 विमानों को प्रयोग से हटाने की नीति के अनुसार लाग्रोस एयरलाइन्स को 2 वाइकाउन्ट तथा 4 डी० सी०-3 विमान बेचे हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार बेचे गये विमानों के स्थान पर एच० एस० 748 विमान लाये जाने हैं और इंडियन एयरलाइन्स गत दो वर्षों से इन की डिलीवरी के लिए प्रतीक्षा कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जिन विमानों का डिस्पोजल किया गया वे कारपोरेशन के परिचालनरत बेड़े का हिस्सा नहीं थे। तथापि, इंडियन एयरलाइंस के विमान-बेड़ का विस्तार करने के लिए नये विमानों की खरीद के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी लघु उद्योगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

4282. **श्री टुना उरांव** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी में लघु उद्योगों को वर्ष 1975 में कितना ऋण दिया गया; और

(ख) जनवरी, 1975 के अन्त में कितने ऐसे आवेदन-पत्र विचाराधीन थे ?

वित्त मन्त्रालय मेंउप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :(क) विभिन्न क्षेत्रों को बैंक ऋण के प्रवाह के सम्बन्ध में जिले-वार सूचना कुछ समय के बाद ही उपलब्ध होती है । राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जलपाईगुड़ी जिले में लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों की बकाया राशि के बारे में वर्तमान उपलब्ध सूचना दिसम्बर 1973 के अन्त तक के विषय में है । उस तारीख तक ऐसे बकाया ऋणों की राशि 179.84 लाख रुपये थी ।

(ख) आंकड़ों की सूचना देने की वर्तमान प्रणाली में बैंकों की शाखाओं में विचाराधीन पड़े हुए ऋण-आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने की व्यवस्था नहीं है । किन्तु फिर सरकारी क्षेत्रों के बैंकों का यह प्रयास रहा है कि ऋण-आवेदन पत्रों के निपटारे में आवश्यक विलम्ब बिलकुल न होने दिया जाए ।

मकानों का निर्माण करने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा कर्नाटक सरकार को दी गई धनराशि

4283. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के दक्षिण कनारा जिले और अन्य भागों में वर्ष 1974 की बाढ़ में जिन लोगों के मकान नष्ट हो गए थे, उनके लिए मकानों का निर्माण करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कर्नाटक सरकार को कुल कितनी धनराशि दी गई है ;

(ख) उक्त प्रयोजन के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ; और

(ग) जिस प्रयोजन के लिए यह धनराशि दी गई थी, उसके लिए पूरी रकम का उपयोग न किए जाने के यदि कोई कारण हैं तो, उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 1.50 करोड़ रुपये ।

(ख) और (ग) ऋण के वास्तविक उपयोग और निर्माण की प्रगति के बारे में जानकारी केवल वर्ष 1975-76 के प्रारंभ में उपलब्ध होगी ।

राज्यों को उपलब्ध कराई गई राशि के व्यय पर वित्त मन्त्रालय का नियंत्रण

4284. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मन्त्रालय ने राज्यों को ग्रामीण रोजगार तथा आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के लिए द्रुत कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि के खर्च तथा उचित उपयोग के बारे में कोई नियंत्रण रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की क्रियान्विति तथा धनराशि के उचित उपयोग के सम्बन्ध में कोई त्रुटियां पाई गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) (i) **ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत योजना** : वित्त मन्त्रालय का संबंध योजना के लिए बजट में उपबन्धों और संशोधित अनुमानों की स्वीकृति से था। वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली 1958 के अधीन निहित शक्तियों के अनुसार राज्य सरकारों को धन राशियां देने के साथ-साथ प्रशासनिक जिम्मेदारी और योजना के कार्यान्वयन के लिए धनराशियों के उचित उपयोगीकरण के बारे में नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी कृषि मन्त्रालय के तत्कालीन समुदाय विकास विभाग की थी। 1971-72 के पहले वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत परियोजनायें तत्कालीन समुदाय विकास विभाग द्वारा, जहां कहीं आवश्यक था, वहां वित्त मन्त्रालय के परामर्श से स्वीकृत की गई थीं। दूसरे और तीसरे वर्षों में परियोजनायों को स्वीकृति देने की शक्तियां राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को प्रत्यायोजित कर दी गई।

वर्ष 1972-73 के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अनुपूरक रिपोर्ट में राज्य सरकारों द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन में कुछ त्रुटियां बताई गयीं।

(ii) **आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम** : भारत सरकार ने वित्त मन्त्रालय संबंधित मन्त्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ अन्तर-मंत्रालय समूह स्थापित किये ताकि योजनाओं के कार्यान्वयन पर और आपात कृषि उत्पादन कार्य क्रम 1972-73 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को दी गई धन राशियों के उपयोग किये जाने पर नियंत्रण रखा जा सके। प्रशासनिक तौर पर स्वीकृत ऋणों के लिए वास्तविक धन राशियां राज्य सरकारों द्वारा सूचित वास्तविक व्यय और कार्यान्वयन प्रगति तथा कृषि विभाग द्वारा मनोनीत क्षेत्र-अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दी गई रिपोर्टों और सिफारिशों के आधार पर किश्तों में दी गयीं।

1972-73 के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अनुपूरक रिपोर्ट में इस योजना के कार्यान्वयन में कुछ त्रुटियां बताई गई हैं।

Branches of Private Banks Functioning in Rural and Semi-Rural Areas of Rewa Division of Madhya Pradesh

4285. **Shri Martand Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of branches of private banks functioning at present in rural and semi-rural areas of Rewa Division of Madhya Pradesh; and

(b) whether the Centre has laid down any guidelines for them regarding credit and deposit policy and giving advances to priority sector and if so, the particulars thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) As at the end of December, 1974 private sector banks had no branches operating in the Rewa Division comprising the districts of Rewa, Satna, Sidhi and Shahdol in Madhya Pradesh.

(b) Does not arise.

औद्योगिक एककों को टैक्स से छूट

4286. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु तथा मध्यम औद्योगिक एककों को कुछ प्रकार के करों से छूट दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Technical Staff of Opium Factory Ghazipur

4287. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a team of C.P.W.D. Engineers visited Ghazipur in connection with reorganisation of technical workers of the Opium Factory, Ghazipur and if so, when; and

(b) whether Government has implemented their report and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) and (b) A team of C.P.W.D. Engineers had visited the Government Opium and Alkaloid Works, Ghazipur, in September, 1970, in connection with the reorganisation of Engineering Services. In the report dated 31-3-1971, the team made recommendations in regard to Supervisory Engineering Officers and not in respect of workers at lower levels like fitters, mechanics, electricians etc. These recommendations are at variance with the set-up subsequently approved for Government Alkaloid Works, Neemuch. The Committee of Management, Government Opium and Alkaloid Works Undertaking are of the opinion that in order to provide for uniformity and inter-change-ability of officers, it may be desirable to have as far as possible, a comparable set-up at Ghazipur. The matter is being examined further keeping in view the requirements of the factory and the imperative need for economy.

विद्युत चालित करघों पर लेवी लगाया जाना

4288. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम:** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया पावरलूम वीवर्स फेडरेशन ने प्रत्येक विद्युत चालित करघे पर लेवी को 10 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये करने से बढ़े हुए भार के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है ;

(ख) क्या उत्पादन शुल्क अधिकारी बराबर यह धमकी देते हैं कि लेवी का भुगतान समय पर न करने पर विद्युत चालित करघों को बन्द कर दिया जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार का विचार विद्युत चालित करघों पर लगी लेवी को कम करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) सम्मिलित शुल्क की वृद्धि के बारे में अखिल भारतीय विद्युत-करधा संघ, बम्बई का अभ्यावेदन मंत्रालय को प्राप्त हो गया है।

(ख) ऐसी कोई रिपोर्ट मन्त्रालय की जानकारी में नहीं आई है।

(ग) बढ़े हुए शुल्क से प्रभावित विभिन्न हितों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है।

कलकत्ता और जमशेदपुर के बीच विमान सेवा

4289. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखो :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता और जमशेदपुर के बीच नया हवाई अड्डा बनाने से पूर्व विमान सेवा चलाने संबंधी प्रश्न पर पुनर्विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो विमान सेवा पुनः कब आरम्भ की जायेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राजबहादुर): (क) और (ख) विमानन ईंधन के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण और इंडियन एयरलाइन्स के विमान-बेड़े से डकोटा और वाईकाऊंट विमानों के हटाये जाने के परिणामस्वरूप जमशेदपुर के लिये विमान सेवा बन्द कर देनी पड़ी। इन्डियन एयरलाइन्स की निकट भविष्य में इस सेवा को पुनः चालू करने की कोई योजना नहीं है। एक निजि परिचालक मैसर्स जामेर कम्पनी को एक-एक दिन के आधार पर कलकत्ता-जमशेदपुर क्षेत्र पर विमान सेवा परिचालन का प्राधिकरण दिया गया है। किन्तु इस समय वे इस क्षेत्र में परिचालन नहीं कर रहे हैं।

मोहनबाड़ी हवाई अड्डा

4290. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोहनबाड़ी हवाई अड्डे को ऐसा बनाने के लिए कोई कार्यवाही की है जिससे वहां बोइंग जेट विमान उतर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार के अनुमानानुसार वह कब तक पूरा होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) मोहनबाड़ी विमान-क्षेत्र का बोइंग-737 के परिचालन के लिए विकास करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। तथापि, इंडियन एयरलाइन्स पहले से ही चाबुआ (मोहनबाड़ी के निकट) के लिए बोइंग-737 विमानों का परिचालन कर रही है।

विकासशील देशों में शिक्षा के संवर्धन के बारे में विश्व बैंक का नीति संबंधी लेख

4291. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मन्त्री विकासशील देशों में शिक्षा के संवर्धन के बारे में विश्व बैंक नीति संबंधी लेख के बारे में 7 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2576 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित नीति संबंधी लेख के निहित विकासशील देशों में शिक्षा के संवर्धन के लिए प्रस्तावों पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) सरकार का विचार इनको कहां तक क्रियान्वित करने का है ?

वित्त-मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जिस लेख की ओर संकेत किया गया है वह शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धी नीति (ऐजुकेशन सेक्टर पालिसी) नामक एक आन्तरिक रिपोर्ट है जो विश्व बैंक समूह ने अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण एवं विकास बैंक के कार्यकारी निदेशकों के विचारार्थ तैयार की थी। चूंकि इस लेख पर अभी विश्व बैंक द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है इसलिए इसमें वर्णित प्रस्तावों के बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रियां बताना समयपूर्व होगा ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

Missing of a Letter sent for Display at Indian Pavilion of EXPO 67 Exhibition

4292. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether an important letter written by Gandhi ji to Nehruji sent for display in the Indian pavilion in EXPO 67 Exhibition held in Montreal has been missing;

(b) if so, whether an enquiry has been made in this regard;

(c) if so, the results thereof; and

(d) the action taken against the persons found guilty ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The enquiry into the matter has been entrusted to Central Bureau of Investi_ation. Their report is awaited.

पहले दस नम्बर पर आने वाली विदेशी कम्पनियों द्वारा 1974 में धन का प्रत्यावर्तन

4293. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में काम करने वाली विदेशी कम्पनियों में से ऊपर की 10 कम्पनियों ने वर्ष 1974 के दौरान कुल कितनी धनराशि का प्रत्यावर्तन किया ;

(ख) इनमें से कितनी कम्पनियों को क्षमता का विस्तार करने तथा उत्पादों के विविधिकरण की अनुमति दी गई है ;

(ग) क्या इन कम्पनियों द्वारा लाभों को राशि के प्रत्यावर्तन को हतोत्साहित करने तथा लाभों को भारत में औद्योगिक परियोजनाओं में लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी कम्पनियों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1972–73 में विदेशों को भेजी गयी राशियों के अनुसार विदेशी कम्पनियों की चोटी की दस भारतीय सहायक

कम्पनियों के नाम दिये गए हैं और साथ ही उन राशियों का ब्यौरा दिया गया है। 1972–73 ही सबसे हाल का ऐसा वर्ष है जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं।

(ख) वर्ष 1974 में इनमें से तीन कम्पनियों के नाम औद्योगिक लाइसेंस है और दो कम्पनियों के नाम आशय पत्र जारी किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विवरण

विदेशी कम्पनियों की चोटी की दस भारतीय सहायक कम्पनियों द्वारा 1972–73 के वित्तीय वर्ष में विदेशों को भेजी गयी राशि का विवरण इस प्रकार है:-

(लाख रुपयों में)

कम्पनी का नाम	लाभांश	तकनीकी जानकारी फीस	रायल्टी
1	2	3	4
1. इंडियन टोबेको कम्पनी लि०	227.34	—	—
2. इंडियन एक्सप्लोसिव्स लि०	146.01	—	2.39
3. हिन्दुस्तान लीवर लि०	145.67	—	—
4. यूनियन कार्बाइड (इंडिया) लि०	123.17	28.35	1.51
5. एस्सो स्टेण्डर्ड रिफाइनिंग कम्पनी (इंडिया) लि०	112.50	—	—
6. बर्मा शेल रिफाइनरीज लि०	107.78	—	—
7. गैस्ट कीन विलियमस लि०	84 90	0.24	1.37
8. फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कं० आफ इंडिया प्रा० लि०	75.91	—	—
9. ब्रुक ब्रांड इंडिया लि०	74.65	—	—
10. फाइजर लि०	69.04	—	—

सवारी डिब्बों और रेल डिब्बों की सप्लाई के लिए बुल्गारिया से प्राप्त निर्यात आदेश

4294. **श्री हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुल्गारिया का रेल वैगनों, सवारी डिब्बों और बोगियों की सप्लाई के लिये निर्यात आदेश प्राप्त करने के लिए अभी हाल में बातचीत चल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई समझौता हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी शर्त क्या हैं; और

(ग) निर्यात किये जाने वाले सामान का ब्यौरा क्या है और उसकी कितनी लागत होगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) वैगनों, बोगियों तथा स्टील कास्टिंग्स की सप्लाई के लिए बातचीत अभी चल रही है ।

स्टैंडर्ड कपड़े की वितरण व्यवस्था का पुनरीक्षण करने के लिए सर्वेक्षण

4295. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता को स्टैण्डर्ड कपड़े की वितरण व्यवस्था का पुनरीक्षण करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के निष्कर्षों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) नियंत्रित कपड़े के वितरण का पुनरीक्षण करने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Loss due to Strike by Jute Workers in West Bengal

4296. **Shri Mahadeepak Singh Shakya**
Shri R.N. Barman :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of jute mills affected and the total financial loss suffered as a result of the strike by Jute Workers in West Bengal; and

(b) the steps being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) 62 jute mills were affected. The total loss of production is estimated to value about Rs. 70.00 crores.

(b) The strike has already been called off as a result of conciliatory measures taken by the Government of West Bengal.

तीव्रगामी नौकाओं को चलाने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण

4297. **श्री अरविंद एम० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीव्रगामी नौकाओं को चलाने वाले कर्मचारियों को भली प्रकार प्रशिक्षित नहीं किया गया है तथा इसके परिणामस्वरूप नौकायें कार्य नहीं कर रही हैं और वे चट्टानों से टकरा जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी नौकाओं को चलाने के लिए उन कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण देने पर विचार कर रही है ताकि ये नौकायें भली-भांति काम दे सकें ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) यह कहना सही नहीं है कि अप्रशिक्षित कर्मीदल के कारण नौकायें कार्य नहीं कर रही हैं। तेज चलने वाली नौकाओं को चलाने वाला सारा कर्मी दल अनुभव प्राप्त भूतपूर्व नौसेना कर्मचारी हैं। उनमें से 9 कर्मचारियों को स्वीडन और नार्वे में निर्माताओं द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने बाद में कर्मीदल के अन्य सदस्यों को इस कार्य में प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, स्किपर तथा स्किपर-मेट के लिये नौसेना स्कूल, कोचीन में नियमित प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम चालू किया गया है।

सऊदी अरब से सहायता

4298. **श्री बालकृष्ण बेकन्ना नायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974 के दौरान भारत को सऊदी अरब से क्या सहायता मिली थी ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : वर्ष 1974 के दौरान भारत को सऊदी अरब से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई थी।

एशिया और प्रशान्त के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का प्रतिवेदन

4299. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एशिया और प्रशान्त (एस्काप) के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक आयोग द्वारा हाल ही में जारी किये गए प्रतिवेदन की जानकारी है ;

(ख) क्या प्रतिवेदन में अल्पावधि के लिए व्यापक आपातकालीन सहायता की मांग की गई है; और

(ग) क्या प्रतिवेदन में उद्योग में कार्य पर अधिक प्रशिक्षण के लिये ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रतिभा पलायन को रोकने के उपाय किए जाने तथा औद्योगिक प्रबन्ध में अनेक सुधार किए जाने की भी मांग की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) स्पष्ट है कि एस्केप के 31वें अधिवेशन में विचारार्थ एस्केप सचिवालय द्वारा तैयार किए गए "इकानामिक एण्ड सोशल सर्वे आफ एशिया एण्ड दि पैसिफिक, 1974" के बारे में पूछा गया है। इस सर्वेक्षण में "एस्केप क्षेत्र, 1974 में द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विकास दशक के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास नीति की मध्यवर्ती समीक्षा तथा मूल्यांकन" शामिल है। सर्वेक्षण में अन्य बातों के साथ साथ प्रश्न के भाग (ख) तथा (ग) में निर्दिष्ट मामलों का उल्लेख है।

निर्यात किये गए इंजीनियरिंग माल की किस्म में गिरावट

4300. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 और 1974 के दौरान किन-किन मुख्य देशों को इंजीनियरिंग माल का निर्यात किया गया था ;

(ख) वर्ष 1975 के लिये निर्यात का क्या लक्ष्य है; और

(ग) क्या सरकार को निर्यात किये गए इंजीनियरिंग माल की क्विस्म में गिरावट के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) ईरान, इराक, श्रीलंका, फारमोसा, सिंगापुर, मलयेशिया, थाइलैण्ड, कुवैत, बर्मा, बंगलादेश, मस्कत, यमन, कत्तार, सऊदी अरब, सूडान, मिस्र का अरब गणराज्य, नाइजीरिया, केन्या, यूगांडा, तंजानिया, ब्रिटेन, जर्मनी (संघीय लोकतन्त्रीय गणराज्य), हालैण्ड, सोवियत संघ, यूगोस्लाविया, चैकोस्लोवाकिया, जर्मनी (जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य), सं०रा० अमरीका तथा न्यूजीलैण्ड ।

(ख) वित्तीय वर्ष 1975–76 के लिये 350 करोड़ रु० ।

(ग) जी नहीं ।

सिगरेटों पर लगे करों से आय

4301. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में सिगरेटों की वार्षिक खपत कितनी है; और

(ख) वर्ष 1974–75 के दौरान सिगरेटों पर लगे करों से कितनी आय हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) देश में सिगरेटों की वार्षिक खपत के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । लेकिन वर्ष 1974–75 में (दिसम्बर, 1974 तक) शुल्क अदा करने पर 44458.5 करोड़ सिगरेटों की देश के अन्दर खपत के लिये निकासी की गई थी ।

(ख) वर्ष 1974–75 में (दिसम्बर, 1974 तक) सिगरेटों से केन्द्रीय कर के रूप में 214.38 करोड़ रुपये प्राप्त हुए ।

(उपर्युक्त आंकड़े अनन्तिम हैं)

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा स्थापित की जा रही होटल परियोजनाओं का चयन

4302. **श्री भाऊ साहेब थामनकर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा इस वर्ष स्थापित की जा रही नई होटल परियोजनाओं के लिए स्थानों के चयन की कसौटी क्या है ; और

(ख) क्या ये मध्यम मूल्य के दो या तीन स्टार होटल होंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) तकनीकी संभाव्यता की दृष्टि से विचार के अतिरिक्त, नयी होटल प्रायोजनाओं के लिए स्थानों का चयन करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अपनाई जाने वाली मुख्य-मुख्य कसौटी यह है कि वे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन महत्व के स्थानों पर स्थित हों जहां पर होटल आवास, परिवहन, मनोरंजन आदि के रूप में वर्तमान सुविधायें पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के दृष्टिकोण से पर्याप्त नहीं समझी जाती हों ।

(ख) निगम की 1975–76 की वार्षिक योजना के मसौदे में दो नयी होटल स्कीमें सम्मिलित की गयी हैं—(i) नयी दिल्ली में एक तीन-स्टार होटल, तथा (ii) गोआ में एक समुद्र-तटीय विहार-स्थल होटल ।

चाय निर्यात संवर्धन के सम्बन्ध में परिवर्तन

4303. **श्री हरी सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चाय निर्यात संवर्धन के संबंध में परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) चाय के निर्यात संवर्धन के संबंध में सतत समीक्षा की जा रही है ताकि जो परिवर्तन उपयुक्त पाए जाएंगे वे उस समीक्षा के बाद अपनाए जायेंगे ।

महाराष्ट्र राज्य द्वारा बाजार से ऋण लिया जाना

4304. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 और 1974–75 के दौरान महाराष्ट्र राज्य को खुले बाजार में कितना ऋण लेने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए राज्य की वर्ष 1975–76 के लिये कितनी मांग है ;

(ग) खुले बाजार से ऋण लेने के लिये यह नियतन किन सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है; और

(घ) 1975–76 के लिये महाराष्ट्र के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यन) : (क) महाराष्ट्र राज्य सरकार, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड, महाराष्ट्र के नगर निगमों और राज्य सरकार के उपक्रमों ने वर्ष 1973–74 में खुले बाजार से 31.73 करोड़ रुपये के और 1974–75 में 34.05 करोड़ रुपये के निवल ऋण लिए थे ।

(ख) राज्य सरकार ने बम्बई नगर निगम के लिए 3.30 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बाजार ऋण लेने के लिये कहा है । उसने यह सुझाव भी दिया है कि राज्यों के बीच खुले बाजार से लिए जाने वाले ऋणों का निर्धारण करने के प्रयोजन से एक फार्मूला बनाया जाना चाहिए, जिसमें केन्द्रीय सहायता और बाजार ऋणों यानी दोनों को हिसाब में लिया जाना चाहिए ।

(ग) सरकारी ऋण कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए साधनों की संभावित उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए 1975–76 में राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा खुले बाजार से लिए जाने वाले निवल ऋणों का स्तर उनके द्वारा 1973–74 में वास्तव में लिए गए ऋणों के बराबर रखा गया है । लेकिन राज्यों द्वारा लिए जाने वाले कुल बाजार ऋणों की राशि इस प्रकार निश्चित की जायेगी जिससे वे छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1963–64 में केन्द्र द्वारा राज्यों की ओर से लिए गए समेकित बाजार ऋणों की वापसी की जिम्मेदारी को पूरा कर सकें । खूब सोच विचार से तय की गयी बातों के आधार पर राज्यों के बीच बाजार ऋणों का निर्धारण करने के प्रश्न पर योजना आयोग विचार कर रहा है

(घ) महाराष्ट्र राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों के लिये 1975–76 में निवल बाजार ऋणों की 45.91 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है ।

कर्नाटक में पर्यटक केन्द्रों का विकास

4305. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कर्नाटक में पर्यटकों के आकर्षण के किन-किन महत्वपूर्ण केन्द्रों का विकास किया जा चुका है ;

(ख) उन पर्यटक केन्द्रों के नाम क्या हैं जिनका विकास किया जा सकता है ; और

(ग) उनके विकास के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) हस्सन में मोटल के विस्तार, डांडेली वन्य जीव शरण-स्थल पर एक वन-लाज के निर्माण तथा अशोक होटल, बंगलौर के विस्तार कार्य को केन्द्रीय क्षेत्र में 1972–73 तथा 1973–74 में प्रारंभ किया गया था । इनके अतिरिक्त कर्नाटक में होटल मालिकों तथा कार परिचालकों को होटलों के विस्तार/निर्माण तथा परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था के लिए क्रमश: 49 लाख रुपये तथा 79,928 रुपये की राशि के ऋण दिये गए थे ।

(ख) और (ग) साधनों के सीमित होने के कारण, पर्यटन विभाग द्वारा कर्णाटक में विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित पर्यटक केन्द्रों बादामी, पट्टाडकल, ऐहोल तथा हाम्पी का विकास अपने 1975–76 के सांस्कृतिक पर्यटन कार्यक्रम के अंतर्गत किया जायेगा । प्रारंभ में, इन स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए इन स्थानों के "मास्टर प्लान" तैयार किए जायेंगे :

नारियल जटा वस्तुओं का निर्यात

4306. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री नारियल जटा वस्तुओं के निर्यात के बारे में 23 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3344 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल जटा के निर्यात में वृद्धि करने के लिए तथा टैरिफ दरों में कमी करने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ बातचीत का क्या परिणाम निकला ;

(ख) बोर्ड द्वारा प्रायोजित बिक्री तथा अध्ययन दल के अन्य देशों को नारियल जटा के निर्यात में वृद्धि करने में कितनी सहायता की ;

(ग) क्या एफ०ए०ओ० ने भारत में नारियल जटा अनुसंधान केन्द्र की जिस शाखा का वायदा किया था, उसकी स्थापना के लिये कोई कार्यवाही की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) एफ ०ए०ओ० के विशेषज्ञों, जिन्होंने भारत का विकसित देशों से विकासशील क्षेत्रों को प्रौद्योगिकी के अन्तरण के बारे में अध्ययन करने तथा सिफारिश करने के लिए दौरा किया था, के सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला; और

(ङ) 1975–76 में नारियल जटा वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार ने आगे क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हुई वार्ताओं के परिणामस्वरूप एक करार किया गया था । इस करार की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

(1) समुदाय ने कयर कालीनों के संबंध में सामान्य सीमाशुल्क टैरिफ में 1-1-74 से 40 प्रतिशत का और 1-1-75 से 60 प्रतिशत का निलम्बन किया । (1973 के दौरान वास्तविक टैरिफ 23 प्रतिशत था और उपर्युक्त टैरिफ निलम्बन के परिणामस्वरूप 1-1-75 से वास्तविक टैरिफ 9.2 प्रतिशत है) ।

(2) समुदाय कयर कालीनों पर कोई नये मात्रा संबंधी प्रतिबन्ध न लगाने के लिए सहमत हुआ ।

(3) करार के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ साथ करार के क्रियान्वयन के फलस्वरूप आने वाली किसी भी समस्या पर विचार करने, दोनों पक्षों के कयर व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच संबंध स्थापित करने और गवेषणा के क्षेत्र में संभाव्यताओं का पता लगाने और सुझाव देने के लिए एक संयुक्त समिति की स्थापना के लिए व्यवस्था थी ।

(ख) दल ने विदेशों में कयर उत्पादों को लोकप्रिय बनाने और अन्य दुर्लभ रेशों तथा संश्लिष्टों की संभाव्यता की तुलना में हमारे उत्पादों की संभाव्यता के संबंध में बाजार अध्ययन करने में सहायता की है ।

(ग) तथा (घ) ये विषय अभी खाद्य तथा कृषि संगठन के विचाराधीन हैं । प्रौद्योगिकी के अन्तरण का विषय यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ होने वाली बैठक में उठाया जाना है ।

(ङ) उत्पादन बढ़ाने, हमारे उत्पादों के लिये बाजार बनाने और आयातक देशों से टैरिफ रियायतें प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

जब्त की गई विलास वस्तुओं का निर्यात

4307. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जब्त की गई विलास वस्तुओं का, जिनकी अब तक उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से अथवा विभागीय नीलामी द्वारा बिक्री की जाती रही है, निर्यात करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके परिणामस्वरूप कितना लाभ होने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जब्त की गई वस्तुओं में से वस्त्र, घड़ियों तथा रत्नों के निर्यात के संबंध में विचार किया गया था । घड़ियों और वस्त्रों के मामले में सरकार के प्रयासों को सफलता नहीं मिली है । तथापि, रत्नों के निर्यात के प्रस्ताव और वस्त्रों को पोशाकों में बदल कर निर्यात करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

कर्नाटक में कुद्रेमुख परियोजना के लिए ईरान से सहायता

4308. **श्री के० मालन्ना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कुद्रेमुख परियोजना के विकास के लिए ईरान ने सहायता देने का आश्वासन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) कुद्रेमुख परियोजना के विकास के लिए प्राप्त होने वाली सहायता के संबंध में बातचीत चल रही है ।

Payment of Central Sales Tax and Excise Duty by M/s Kohinoor Mills Limited, Bombay

4310. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether full payment of Central Sales Tax and Excise Duty, due since 1972 to date, has not been made by the Kohinoor Mills Co. Limited, Bombay; and

(b) if so, the reasons therefor and the action being taken by Government to realise the same ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) & (b) The administration of the Central Sales Tax as well as the general Sales Tax law of a State is vested in the State Government. Accordingly the matter was referred to the Government of Maharashtra who have sent a reply as follows :

> "LOK SABHA STARRED QUESTION 7570 FOR 21ST MARCH REGARDING PAYMENT OF CENTRAL SALES TAX BY KOHINOOR MILLS CO. LTD. BOMBAY STOP DISCLOSURE PROHIBITED UNDER SECTION 9(2) OF CENTRAL SALES TAX ACT READ WITH SECTION 64 OF BOMBAY SALES TAX ACT STOP".

The company have paid full Central Excise duty since 1972 to date. No arrears of Central Excise duty are outstanding against them except a demand for Rs. 4,550 against which they have filed an appeal to the Appellate Collector of Central Excise, Bombay, who has granted them a stay order on 16th January, 1975.

Import of Long Staple Cotton

4311. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether India imports long staple cotton in large quantity in different forms;

(b) if so, the quantum thereof imported during 1973-74; and

(c) the steps taken to reduce its import and to boost up its production in India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) & (b) Government have no proposal at present to import any long staple cotton. Limited quantities of long staple cotton were imported in 1973-74 from Sudan and Egypt. Quantum of imports from these countries during 1973-74 was :

	Quantity in bales of 180 *kg. each*
Sudan	7,120
Egypt	42,224

(c) Ministry of Agriculture, in coordination with various State Governments, is implementing intensive cotton development programmes as a result of which production of long staple cotton has shown substantial increase. During 1974-75 long staple cotton is not being imported.

Scheme to attract Tourists to Ranakpur

4312. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government are formulating a scheme for attracting tourists to Ranakpur, Udaipur (Rajasthan) keeping in view the unique architecture of the temple there;

(b) if so, the broad details thereof; and

(c) whether State Government have made a proposal for developing the said place as a tourist centre ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) The Government is aware of the importance of the temples at Ranakpur, Rajasthan. Due to the present constraint on resources necessitating a selective approach it has not been possible to include the development of tourist facilities in the Central Sector in the Fifth Plan. However, an amount of Rs. 0.85 lakhs was spent for bringing electricity to Ranakpur in the Fourth Plan.

(c) No proposal has been received recently from the State Government.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से ली जाने वाली ब्याज की दरें

4314. **चौधरी राम प्रकाश**
श्री गजाधर माझी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि, लघु उद्योग और निर्यातकर्ता फर्मों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से ली जाने वाली ब्याज की रियायती दरों के बारे में व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों पर न्यूनतम ब्याज-दर लागू होती है, जो आजकल 12.5 प्रतिशत है। फिर भी, इस दृष्टि से कि बैंकों को, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अधिकाधिक मात्रा में सहायता करने में प्रोत्साहन मिले, भारतीय रिजर्व बैंक ने, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और किसान सेवा समितियों को दिये जाने वाले अग्रिमों, विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत मंजूर किये गये अग्रिमों, निर्यात निवेश के लिए दिए जाने वाले अग्रिमों, ऋण गारण्टी निगम (क्रेडिट गारण्टी कारपोरेशन) की गारण्टी योजनाओं के अंतर्गत आने वाले अग्रिमो, कृषि और तत्संबंधी कार्यकलापों के लिए एक बैंक द्वारा एक ही ऋणकर्ता को 50,000 रुपये की सीमा तक मंजूर किए गए अग्रिमों और एक बैंक से एक बार एक एकक को 2 लाख रुपये की सीमा तक ऋण गारण्टी योजना के अंतर्गत आने वाले छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को मंजूर किए गए अग्रिमों को न्यूनतम-ऋण की निर्धारित सीमा से बाहर रखा है। इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के बैंक, इस प्रकार की मुक्त श्रेणी के अग्रिमों के लिए निर्धारित ब्याज की न्यूनतम दर से भिन्न दर पर ब्याज लेने के लिए स्वतन्त्र हैं। प्रत्येक बैंक, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणकर्ता के खातों पर लिए जाने वाले ब्याज की वास्तविक दर का निर्धारण कई बातों को ध्यान में रख कर करता है जैसे--घटकों (कन्स्टीट्यूएन्टस) का लेन देन में कैसा व्यवहार रहा है, कितनी अवधि के लिए सुविधा मांगी जा रही है, इस प्रकार की निधि जुटाने की लागत क्या है, ऋणकर्ता का कार्य संचालन कैसा है, आदि। विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत अग्रिमों पर इन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दर 4 प्रतिशत से लगभग 17 प्रतिशत के बीच होती है। बड़े बड़े ऋणकर्ताओं से ब्याज अपेक्षाकृत ऊंची दरों पर लिया जाता है।

निर्यात के लिए दिये गए अग्रिमों पर लिए जाने वाले ब्याज की दर की अधिकतम सीमा निर्धारित होती है, जो आजकल, 90 दिन तक के जहाज-पर-लदान-पूर्व ऋणों के लिए और पश्चिमी गोलार्ध के देशों को किए गए निर्यातों पर 120 दिन तक के जहाज-पर-लदान-के बाद के ऋणों (विलम्बित अदायगी के आधार पर दिए गए ऋणों को छोड़कर) के लिए तथा 90 दिन तक के अन्य देशों को किये गये निर्यातों पर 11.5 प्रतिशत वार्षिक है। विलम्बित अदायगी आधार पर दिये गए जहाज-पर-लदान के बाद के ऋणों पर, ऋण की पूरी अवधि के लिए प्रतिशत तक रियायती दर से ब्याज लिया जाना अपेक्षित है।

आयकर अधिकारियों को नकद पुरस्कार

4315. श्री शशिभूषण : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों को प्रोत्साहन के निमित नकद पुरस्कार देने संबंधी कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) योजना का पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) आयकर अधिकारियों को गत तीन वर्षों में वर्षवार कुल कितने पुरस्कार दिए गए ; और

(घ) इस संबंध में भविष्य की योजनायें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) आयकर विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी कर वसूली और संग्रह के महत्वपूर्ण क्षेत्र में तैनात हैं उनको प्रोत्साहन देने की दृष्टि से एक पुरस्कार योजना पहली बार नवम्बर, 1973 में चालू की गयी थी। आयकर विभाग में कार्य का सारा क्षेत्र इस योजना के अंतर्गत नहीं आता। यह योजना इसलिए बनायी गयी है कि कर वसूली अधिकारियों और आयकर संग्रह अधिकारियों के एककों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहन दे कर करों की बकाया वसूली की कठिन समस्या को हल किया जा सके। इस योजना में 68 क्षेत्रीय पुरस्कार और सारे भारत में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले दो एककों को दो अखिल भारतीय पुरस्कार देने की व्यवस्था है। जिन मामलों में कोई एकक क्षेत्री पुरस्कार पाने की अर्हता सिद्ध करता है उनमें उस एकक में काम करने वाले प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उसके दो महीने के मूल वेतन के बराबर नकद पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी न्यूनतम सीमा 200 रु० और अधिकतम सीमा 1,000 रु० है। अखिल भारतीय पुरस्कार के मामले में जिस एकक को इस पुरस्कार के योग्य पाया जाता है उसमें काम करने वाले प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उसके तीन महीने के मूल वेतन के बराबर नकद पुरस्कार दिया जाता है जिसकी न्यूनतम सीमा 300 रु० और अधिकतम सीमा 1,500 रु० है। पुरस्कार प्राप्ति की पात्रता के लिए फलाप्ति की न्यूनतम सीमा योजना में दी गयी है। फलाप्ति का निर्णय निपटान के लिये समग्र कार्यभार के संदर्भ में किया जाता है और प्राप्त प्रतिशत अनुपात के आधार पर आनुपातिक अंक दिये जाते हैं।

(ग) अभी तक, वर्ष 1973–74 में कार्य की निष्पत्ति के आधार पर, वर्ष 1974–75 में 35 आयकर अधिकारियों और 449 कर्मचारियों को ये पुरस्कार दिये गए हैं। कुछ आयकर आयुक्तों से पुरस्कार के प्रस्ताव अभी भी आने हैं और अविशिष्ट मामलों में उन प्रस्तावों के प्राप्त होने पर पुरस्कार मंजूर किए जाएंगे। योजना अभी वर्ष 1973–74 में ही तो चालू की गई है और इसलिए अभी तक पुरस्कार, वर्ष 1973–74 की कार्य निष्पत्ति के आधार पर, वर्ष 1974–75 में ही दिए गए हैं।

(घ) इस योजना को आग अभी चालू रखने का इरादा है। परन्तु इसके संचालन से प्राप्त होने वाले अनुभव के आधार पर इसमें उपयुक्त संशोधन किये जा सकते हैं।

एग्जिम बैंक की स्थापना

4316. **श्री बसंत साठे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एग्जिम बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अन्तर्मंन्त्रालय समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने निर्यात के वित्तपोषण के लिये अलग बैंक स्थापित करने का निर्णय कर लिया है; और

(घ) अन्तर्मंत्रालयीय समिति द्वारा दिये गए विभिन्न सुझावों और की गई सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) सरकर इस समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षा कर रही है और आशा है कि यह समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत कर देगी।

Employment conditions for appointment of air-hostesses

4317. **Shri M.S. Purty** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether air hostesses are employed in Indian Air Services on the condition that they should be of white or fair complexion; and

(b) whether young ladies of dark or brown complexion are not appointed to this post and if so, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) No, Sir. Selection of Air Hostesses is dependent on applicants overall personality, poise, manners and ability to converse fluently in English and Hindi or in one of the Indian regional languages.

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा

4319. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के धावन-पथ को थोड़ी सी अवधि में 2000 फुट और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस प्रस्ताव को कार्यरूप नहीं दिया जा सका; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) सरकार ने 64.79 लाख रुपये की अनुमानित लागत से मुख्य धावन-पथ को 6,000 फुट से बढ़ाकर 8,000 फुट कर देने तथा एप्रन और टैक्सी ट्रैक, इत्यादि को अधिक मजबूत बनाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है । त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे के विकास-कार्य के 1975–76 के दौरान प्रारम्भ कर दिये जाने की आशा है ।

चीनी के कारखानों को ऋण देने के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी किए गए निदेश

4320. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऐसे अनुदेश जारी किये हैं कि वे चालू मौसम के दौरान चीनी के कारखानों को ऋण वर्ष 1972-73 अथवा 1973-74 में उन पर बकाया राशि तक ही सीमित रखें, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) चीनी के भण्डारों पर ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक के चयनात्मक ऋण नियंत्रण उपायों के अनुसार दिया जाता है । इन उपायों के अनुसार यह निर्धारित कर दिया जाता है कि किसी एक पार्टी को किस सीमा तक ऋण दिया जा सकता है और ऐसे ऋणों पर कम से कम ब्याज की दर और मार्जिन क्या हो । भारतीय रिज़र्व

बैंक ने चालू पेराई मौसम में चीनी उद्योग को ऋण देने के कार्य में तेजी लाने की सुविधा की दृष्टि से, चालू मौसम के आरम्भ में ही, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दे दी थी कि वे रिज़र्व बैंक की ऋण प्राधिकरण योजना के अधीन रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना ही वे, चीनी के स्टाफ की बिना पर पिछले दो पेराई मौसमों के लिए स्वीकृत नियमित सीमाओं की अधिकतम बकाया के बराबर ऋण सीमाएं, 1974-75 के पेराई मौसम के लिए, चीनी मिलों को मंजूर कर सकते हैं। रिज़र्व बक ने यह भी सलाह दी है कि यदि कोई बैंक किसी चीनी मिल को पिछले दो पेराई की सीमा से अधिक ऋण सीमाएं मजूंर करना आवश्यक समझे तो उसे इस प्रकार की सीमाएं रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही देनी चाहिए।

भारतीय पटसन और नारियल जटा से बनी वस्तुओं का यू० के० और डेनमार्क में निःशुल्क प्रवेश

4321. **श्री रानेन सेन :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय भारतीय पटसन और नारियल जटा से बनी वस्तुओं के यू० के० और डैनमार्क में एक और वर्ष के लिए निःशुल्क प्रवेश पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1975 के दौरान भी ब्रिटेन तथा डेनमार्क में भारतीय पटसन एवं कयर उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त प्रवेश जारी रखने हेतु सहमत हो गया है। शुल्कमुक्त प्रवेश की अनुमति समुदाय की अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली के अन्तर्गत दी गई है और यह बंगलादेश व थाईलैण्ड में बनने वाले पटसन माल तथा श्रीलंका में बनने वाले कयर उत्पादकों पर भी लागू है।

चाय व्यापार निगम

4322. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरम्भ से लेकर आज तक चाय व्यापार निगम के कार्यकरण के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) चाय व्यापार निगम बनाने का उद्देश्य कहां तक पूरा हो पाया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारतीय चाय निगम के कार्यकरण के परिणाम निम्नलिखित हैं :—

	जितने मूल्य का व्यवसाय किया गया	हानि* (लाख रु० में)
आरम्भ से 1972-73 तक	—	0.35
1973-74	0.67 लाख†	3.11

*सकल लाभ 0.09 लाख रु० था।

†इसका कारण संगठनात्मक ढांचे पर हुआ आरम्भिक व्यय तथा व्यापारिक काय हेतु अवस्थापना है।

(ख) निगम का उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ चाय का निर्यात करना, जिसमें पैक्ट चाय शामिल है, और चाय के स्वदेशी बाजार में कारोबार करना है। निगम अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है। अगस्त 1974 में निगम ने 5.5 मे० टन चाय का निर्यात किया तथा हाल ही में इराकी गवर्नमेंट परचेज बोर्ड की ओर से 15.70 लाख रु० मूल्य की चाय का भी निर्यात किया है।

स्वदेशी व्यापार में कतिपय राज्य/केन्द्रीय सरकारी संगठनों को चाय सप्लाई करने के अलावा 1975 में लगभग 3.40 करोड़ रुपये मूल्य की 3000 मे० टन चाय की सप्लाई के लिए रक्षा संविदा हासिल की गई है।

भारतीय वायुसेना के सेवामुक्त वायु सैनिकों को नागर विमानन में खपाने के लिए कार्यवाही

4323. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के कुछ सेवामुक्त वायु सैनिकों ने गत तीन वर्षों में वाणिज्यिक विमानचालकों का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार सेना के इन अनुशासित नवयुवकों को उपयुक्त रोजगार नहीं दे सकी है; और

(घ) यदि हां, तो उनको नागर विमानन अथवा अन्यत्र सरकारी उपक्रमों में खपाने के लिए और क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान 47 वायुसेना कार्मिकों को, उनकी वायुसेना में उड़ान के अनुभव के आधार पर, वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंस जारी किये गये थे।

(ग) और (घ) बेरोजगार विमानचालकों को रोजगार प्राप्त करने में सभी संभव सहायता दी जा रही है। उनकी सहायता के लिए उठाये गये कदम निम्न प्रकार हैं :—

1. नागर विमानन विभाग में सहायक विमान क्षेत्र अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के नियमों में वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस को एक स्वीकार्य अर्हता के रूप में शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था।
2. कृषि मन्त्रालय ने बेरोजगार वाणिज्यिक विमानचालकों को फसल पर छिड़काव करने के लिए सम्परिवर्तन प्रशिक्षण (कन्वर्शन ट्रेनिंग) देने पर विचार करना मान लिया है।
3. इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया को परामर्श दिया गया है कि जहां कहीं संभव हो वे बेरोजगार वाणिज्यिक विमानचालकों का उपयोग करें।
4. राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि जहां कहीं संभव हो, वे वाणिज्यिक विमान-चालक लाइसेंस धारियों को अपने यहां नौकरी देने पर विचार करें।

Measures to Unearth Black Money in Possession of Landlords and Rich Persons

4324. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are contemplating measures, similar to those adopted in the case of Jaipur Palace, for conducting searches in the premises of landlords and rich persons to unearth gold, silver and other ornaments; and

(b) if so, the time by which these measures will be adopted and the estimated value of gold, silver and other ornaments likely to be so unearthed ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Searches and seizures under the Income-tax Act, 1961 can be conducted only when the conditions prescribed in Section 132 of that Act are satisfied. If these conditions are satisfied in particular cases, necessary action will be taken.

(b) Does not arise in view of the reply to part (a) .

अलाभकारी हवाई अड्डे

4325. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ अलाभकारी हवाई अड्डे बन्द कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) विमानन ईंधन के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि और विमान-बेड़े की तंग स्थिति के कारण इंडियन एयरलाइंस ने कुछ केन्द्रों के लिये अपनी विमान सेवायें बन्द कर दी हैं जिस के परिणामस्वरूप कुछ विमान क्षेत्रों पर कर्मचारियों और सुविधाओं में कमी कर दी गई ।

विग इन्डिया, मद्रास का बन्द होना

4326. **श्री के० गोपाल** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विग इंडिया, मद्रास बन्द है यदि हां, तो कब से;

(ख) क्या तीन सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई थी और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस एकक को कब तक चालू किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) मानव बालों के उत्पादों के विनिर्माण तथा निर्यात के लिए 1965 में स्थापित विग इंडिया अब कुछ समय से कोई लाभ नहीं दिखा पाया है। अत: यह अध्ययन करने के लिए एक कार्यकारी दल गठित करने का विचार है कि किस वैकल्पिक कार्य के लिये इस फैक्टरी का उपयोग किया जा सकता है और इसे किस संगठन को अन्तरित किया जा सकता है ।

Loan from World Bank for Milk Project in M.P.

4327. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether World Bank has agreed to give long term loan for a milk project in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) The Government of India has signed on 18-12-74 an agreement with the International Development Association, an affiliate of the World Bank, for Sixteen Million four hundred thousand dollars ($16,400,000) for the Madhya Pradesh Dairy Development project.

(b) The Project is an integrated program to increase the production of milk in rural areas of M.P. through the development of village dairy co-operative societies and unions thereof. The main components include :

(*a*) construction and expansion of dairy plants and construction of cattle feed mills, (*b*) cattle breeding including importation of exotic pure bred cattle, frozen semen and related equipment and establishment of a breeding farm for exotic bulls, bull farms, animal health services and related facilities. (*c*) establishment and operation of training centres and extension programs and (*d*) provision of consultants' services and Fellowships abroad. The project is expected to be completed by June 30, 1981.

विदेश से व्यापार की प्रमुख वस्तुओं का आयात

4328. **श्री मधु दंडवते :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 में अमरीका, रूस और पश्चिमी जर्मनी से व्यापार (लाइन) की किन-किन प्रमुख वस्तुओं का आयात किया गया ;

(ख) इन वस्तुओं का लगभग कुल मूल्य कितना है और समेकित धनराशि कितनी है ;

(ग) क्या आयात सूची में से कुछ प्रमुख वस्तुएं निकाली जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) तथा (घ) मदों की स्वदेशी उपलब्धता, अनिवार्य आयातों के स्थान पर आयातों की जगह प्रयुक्त होने वाले माल को ध्यान में रखकर आयात नीति का सतत रूप से पुनर्विलोकन किया जाता है । आयात नीति की घोषणा सामान्यत: प्रति वर्ष अप्रैल में होती है ।

विवरण

प्रमुख मदों के आयात

(मूल्य लाख रु० में)

क्रमांक	वस्तुएं	1973-74	अप्रैल-जून 1974-75
	अमरीका		
1.	गेहूं	19474	273
2.	बिजली की मशीनों को छोड़कर अन्य मशीनें	4644	745
3.	अनाज, बिना पिसा, अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है	7138	742
4.	विद्युत मशीनें, उपकरण तथा साधित्र	1584	363
5.	परिवहन उपस्कर	2224	581
6.	विनिर्मित उर्वरक	3653	815
7.	रासायनिक तत्व तथा संघटक	1297	293
8.	सोयाबीन का तेल	1069	103
	आयातों का कुल योग	49341	5151
	सोवियत संघ		
1.	गेहूं	10871†	9088
2.	मशीनें, गैर विद्युतीय	4351	1279
3.	विद्युतीय मशीनें	753	128
4.	लोहा तथा इस्पात	942	431
5.	कागज तथा गत्ता	779	451
6.	जस्ता	888	362
7.	विनिर्मित उर्वरक	468	800
8.	कच्ची रूई	430	618
	आयातों का कुल योग	24975	15149
	पश्चिम जर्मनी		
1.	मशीनें बिजली की मशीनों को छोड़कर	6626	2390
2.	लोहा तथा इस्पात	3444	1556
3.	विनिर्मित उर्वरक	1777	692
4.	विद्युत मशीनें, उपकरण तथा साधित्र	1706	370
5.	रासायनिक तत्व तथा भौतिक	1169	315
6.	परिवहन उपस्कर	889	293
7.	औषधीय तथा भेषजीय उत्पाद	464	123
	आयातों का कुल योग	19573	6363

†ऋण आधार पर आयातित, मूल्य अनुमानित है ।

केन्द्रीय सरकार का केरल सरकार की ओर बकाया ऋण

4329. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सरकार के केरल सरकार की ओर कुल कितनी राशि के ऋण बकाया हैं ;

(ख) केरल सरकार इन ऋणों का भुगतान किस प्रकार करती है; और

(ग) वह ब्याज के रूप में, प्रति वर्ष कितनी धनराशि का भुगतान करती है ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) 1973-74 के अन्त में केरल सरकार पर केन्द्रीय ऋणों की कुल बकाया रकम लगभग 366 करोड़ रुपये थी ।

(ख) छटे वित्त आयोग ने जिन संशोधित शर्तों की सिफारिश की थी उनके अनुसार कई प्रकार के ऋण चुकाये जा रहे हैं । सरकार द्वारा स्वीकृत, आयोग की सिफारिशों में, केरल सरकार द्वारा, 31 मार्च 1974 को बकाया कुछ प्रकार के ऋणों के मामले में, 15 से 25 वर्ष तक की अवधि में चुकाये जाने की परिकल्पना की गई है ।

(ग) 1974-75 में केरल द्वारा दिये जाने वाले ब्याज की रकम का अनुमान लगभग 16 करोड़ रुपये का है ।

चाय बोर्ड के सदस्य

4330. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चाय बोर्ड के सदस्यों की संख्या कम करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) जी हां ।

(ख) चाय बोर्ड का आकार कम करने के लिए चाय उद्योग के बारे में टास्क फोर्स की सिफारिश सरकार ने मान ली है ताकि यह सुसम्बद्ध तथा सुगठित हो सके ।

चाय बोर्ड में, जिसका शीघ्र ही पुनर्गठन किया जायेगा, 40 सदस्यों की बजाय 30 सदस्य होंगे ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में भारतीय हथकरघा उत्पादों की सम्भावनाएं

4331. **श्री राम हेड़ाऊ :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में भारतीय हथकरघा उत्पादों की सम्भावनाओं के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या इन देशों को निर्यात की जा सकने वाली वस्तुओं का पता लगाया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई समझौता करने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में भारतीय हथकरघा उत्पादों के लिए विद्यमान संभाव्यता का लाभ उठाने के लिये जो कदम उठाये गये हैं उनमें विशेषीकृत मेलों, प्रदर्शनियों में भाग लेने, विदेशों में खरीदारों तथा भारतीय व्यापारियों दोनों की टीमों/प्रतिनिधि मण्डलों की व्यवस्था, विभागीय भण्डारों के माध्यम से संवर्धन आदि के लिए प्रस्थापनाएं शामिल हैं ।

(ग) विशेष निर्यात संभाव्यता वाली जो हथकरघा मदें हैं उनमें सूत तथा रेशम की कमीजें/ब्लाउज, तौलिए, नैप्किन, पलंगपोश, परदे तथा अन्य साज-सामान शामिल हैं ।

(घ) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में उपलब्ध कतिपय अधिकतम सीमा के भीतर वार्षिक निःशुल्क कोटे के अलावा निःशुल्क अधिकतम सीमा स्तर में सुधार करवाने और जो अन्य हथकरघा उत्पाद इस समय शामिल नहीं है उनके सम्बन्ध में निःशुल्क व्यवहार लागू करवाने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं ।

नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक द्वारा की जाने वाली करों की चोरी की जांच

4332. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक लिमिटेड द्वारा की जाने वाली करों की चोरी की शिकायतों की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 और वर्ष 1971-72 के लिए बैंक के कर-निर्धारण पहले ही पूरे किये जा चुके हैं । प्राप्त सूचनाओं तथा विभाग द्वारा की गई व्यापक जांच के आधार पर उनमें उपयुक्त वृद्धियां कर दी गई हैं । इन अधिकांश वृद्धियों के खिलाफ अपीलें की गई हैं । बैंक के कुछ पूर्ववर्ती कर-निर्धारण में भी कर निर्धारण की कार्यवाही फिर से चालू की गई है ।

पोलीएस्टर फाईबर का आयात

4333. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री 6 दिसम्बर, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 352 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1970 के बाद पोलीएस्टर फाइबर का आयात करने के लिए विभिन्न पार्टियों को दिये गए अधिकार-पत्रों/रिलीज आर्डरों के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) जी हां । एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अब तक एकत्र की गई जानकारी दर्शाई गई है । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 9261/75]**

देश के महत्वपूर्ण भागों से वाराणसी को विमान सेवा उपलब्ध करने का प्रस्ताव

4334. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी के धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, देश के प्रत्येक केन्द्र या महानगर वाराणसी को विमान सेवा की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या वाराणसी से काठमाण्डु के लिए सीधी विमान सेवा को ध्यान में रखते हुए देश के प्रत्येक महत्वपूर्ण भाग से वहां के लिए विमान सेवा की व्यवस्था करने की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) वाराणसी पहले ही दिल्ली और कलकत्ता से विमान सेवा द्वारा जुड़ी हुई है । इंडियन एयरलाइन्स वाराणसी और काठमांडू (नेपाल) के बीच भी एक विमान सेवा परिचालित करती है । यातायात मांग फिलहाल वाराणसी तथा देश के अन्य महानगरों के बीच सीधी विमान सेवाओं की व्यवस्था के औचित्य को स्थापित नहीं करती है ।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का पालन करने वाली विदेशी कम्पनियां

4335. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को उन विदेशी कम्पनियों से अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हो गए हैं जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करने के लिए सहमत हो गई है; और

(ख) ऐसी विदेशी कम्पनियां कौन कौन सी हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29(2) (क) के अन्तर्गत विदेशी कम्पनियां और भारतीय कम्पनियों से, जिनके 40 प्रतिशत से अधिक शेयर गैर निवासियों के पास हैं, प्राप्त हुए प्रार्थनापत्रों पर इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा घोषित निर्देशों के अनुसार जिसकी एक प्रति 20 दिसम्बर, 1973 को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी, विचार किया जा रहा है । इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कितनी कम्पनियों ने इन निर्देशों का पालन करना स्वीकार कर लिया है क्योंकि इन प्रार्थनापत्रों पर विभिन्न चरणों में विचार किया जा रहा है ।

National Tourism Authority

4336. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the attention of the Department of Tourism has been drawn to an article entitled "National Tourism Authority" published in "The Hindustan Times" dated the 22nd February, 1975 and if so, the reaction of Government thereto ;

(b) whether Government propose to take important decisions in regard to earning of foreign exchange, improving the image of Department abroad and attracting the tourists; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) Yes, Sir. The article is within the knowledge of the Government. 'Decisions' by Government are a continual process. Some of the recent decisions taken by Government to step up tourist traffic are indicated in the attached statement.

Statement

1. The Government has decided to introduce 'Discover India promotional fares' payable in foreign exchange from 1st September 1974. They are US $200 for 14 days and US $ 275 for 21 days' unrestricted travel on the domestic sectors of Indian Airlines.
2. To promote mountaineering and trekking, certain restricted areas in Jammu & Kashmir, U.P. and Himachal Pradesh have been declared open recently to foreign tourists at the instance of the Department of Tourism.
3. A vigorous market-oriented drive has been launched in the potential markets abroad. Under the 'Operation Europe' and 'Operation U.S.A.' launched in collaboration with Air India, efforts are being made to attract more tourists from Continental Europe and the America.
4. A Government of India Tourist Office is being opened in West Asia to attract tourists from the oil rich countries.
5. Intensive publicity programme in India and abroad with improved quality of literature has been undertaken.
6. The policy regarding charter flights has been liberalised.
7. Visa fees for a number of countries on a reciprocal basis have been abolished.
8. The period of validity of the 21-day landing permit, which permits a visa-free entry, has been raised to 28 days.
9. Facilitation procedures at airports have been improved.
10. As a part of publicity drive, the Tourism Department invites every year travel agents and travel writers journalists/TV film producers from abroad for familiarisation visits to India.
11. Holiday resorts at Gulmarg, Kovalam and Goa are being created for destination traffic.
12. Wild-life tourism is being developed to attract wild life enthusiasts from abroad.
13. Financial assistance is given to voluntary organisations, institutions and other private parties in the tourist trade by way of grants and loans for improving and augmenting tourist facilities.

14. Existing tourist facilities at important tourist centres are being improved wherever possible.

15. Places of tourist interest including archaeological monuments are being developed.

16. A training programme for building up a cadre of trained and qualified personnel for manning tourist services is being organised.

17. Special point-to-point fares have also been introduced on some international sectors of Air India *e.g.* New York/Bombay/Delhi, Paris/Delhi/Bombay/Calcutta etc. within the IATA framework. Continuous efforts are being made through Air India to introduce attractive promotional fares on as many sectors as possible to reduce the initial cost of travel to India and to face the stiff competition from other tourist destinations.

Journalists provided Passes for free Travel in Air Flights

4337. **Shri R.V. Bade :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether some journalists had been provided passes for travelling free in air flights during the last two years :

(b) if so, their names and the news agencies and newspapers they represent as also the number of subscribers thereof, separately ; and

(c) the criteria on which they were selected?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement containing the names of the journalists and the news agencies/newspapers they represent, is attached. **[Placed in Library** *See* **No. L.T.-9262/75]**. As regards subscribers thereof, the information is not readily available.

(c) Such free passes are provided by the Corporations to journalists writing on Aviation and Tourism topics.

वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा लिए जाने वाले ऋण के स्रोत

4338. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 में शहरों में रहने वाले शारीरिक काम न करने वाले कर्मचारियों की ऋणग्रस्तता के सर्वेक्षण के बारे में रिजर्व बैंक के बुलेटिन में उल्लिखित ऋणों के स्रोत क्या हैं जिनसे शारीरिक काम न करने वाले (वेतनभोगी) कर्मचारी ऋण लेते हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : रिजर्व बैंक बुलेटिन में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ये ऋण नियोजक (सरकार अथवा अन्य), जीवन बीमा, वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों अथवा समितियों, चिट फंडों, किराया-खरीद अभिकरणों, सरकार, व्यावसायिक महाजनों, व्यापारियों, संबन्धियों और मित्रों आदि से लिए गए ।

भारतीय रूई निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश में रूई की खरीद

4339. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रूई निगम ने आन्ध्र प्रदेश में रूई के बाजार में प्रवेश करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां, रूई निगम ने आंध्र प्रदेश में रूई की खरीदारी शुरू कर दी है ।

हथकरघे तथा विद्युत चालित करघे द्वारा निर्मित कपड़े का निर्यात

4340. **श्री नरसिंह नारायण पाण्डे :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघे तथा विद्युत चालित करघे द्वारा निर्मित कपड़ों, विशेष रूप से तौलियों, लुंगियों और पलंग की चादरों का विदेशों को निर्यात करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) क्या निर्यात के लिए खुले बाजार से इन कपड़ों को खरीदने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार स्वयं किसी हथकरघे और/अथवा विद्युतचालित करघे द्वारा निर्मित कपड़े का निर्यात नहीं करती है परन्तु ऐसे निर्यातों को प्रोत्साहन देती है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद के कर्मचारियों की मुअत्तली/बर्खास्तगी

4341. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद के कितने कर्मचारी 1 जनवरी, 1973 से मुअत्तल/बर्खास्त किये गये और उनकी मुअत्तली/बर्खास्तकी के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): 1 जनवरी, 1973 के बाद की अवधि से सम्बन्धित सूचना इस प्रकार है :—

(i) 5 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है जिनमें 3 को न्यायालय द्वारा अनुचित कार्यों के लिये अपराधी घोषित किये जाने के कारण, चौथे को अपनी पहले की नौकरियों से निकाले जाने से सम्बन्धित तथ्यों को छिपाने के कारण और पांचवें को अपने ड्यूटी पर कार्य कर रहे पर्यवेक्षक पर हमला करने के कारण बर्खास्त किया गया है ।

(ii) पांच कर्मचारियों को अनधिकृत रूप से लगातार एक लम्बे समय तक ड्यूटी से गैर-हाजिर रहने के कारण नौकरी से हटा दिया गया है ।

(iii) पांच कर्मचारी इस समय निलम्बित हैं जिनमें से चार को उनके विरुद्ध विशेष फौजदारी के मामले होने के कारण निलम्बित किया गया था और पांचवें को उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन न करने पर अपने कर्तव्य की पूर्णत: अवहेलना के लिए ।

Orders from Yugoslavia for Supply of Wagons

4342. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Burn and Company had received orders from Yugoslavia for the supply of wagons ;

(b) whether Yugoslavia sells these wagons further to U.S.S.R. on higher prices; and

(c) if so, the facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) S.T.C. have a contract for supply of wagons to Yugoslav Railways. Burn and Company are supplying 300 wagons against this contract.

(b) We have no such information.

(c) Does not arise.

व्यापार विकास प्राधिकरण के विरुद्ध आरोप

4343. **श्री बनमाली बाबू :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी कलकत्ता यात्रा के दौरान व्यापार विकास प्राधिकरण के विरुद्ध अनुसंधान तथा विश्लेषण (रिसर्च एण्ड एनालिसिस) विंग सम्बन्धी कार्यों तथा कुछ नियुक्तियों के सम्बन्ध में गम्भीर आरोप लगाये हैं ;

(ख) क्या इन आरोपों की जांच के सम्बन्ध में एक समिति स्थापित की जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो कब तथा उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अमरीका से सहायता

4344. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत को अमरीका ने कुल कितनी सहायता देने का निश्चय किया है ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): अमरीकी सरकार चालू वित्तीय वर्ष में भारत को ऋण राहत के रूप में चार करोड़ 50 लाख डालर की सहायता देने के लिए सहमत हो गई है।

एशियाई सांझा बाजार की स्थापना

4345. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई सांझा बाजार स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक कितनी प्रगति की गई है अथवा कौन सी अग्रेत्तर कार्यवाही की गई है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) एशियाई सांझा बाजार स्थापित करने के लिए अभी तक कोई विशेष प्रस्थापना नहीं है। तथापि, 2 अक्तूबर

से 4 अक्तूबर तक नई दिल्ली की यात्रा के दौरान महामहिम शाहंशाह ईरान की प्रधान मन्त्री के साथ हुई वार्ताओं के दौरान यह सहमति हुई थी कि समग्र क्षेत्र के भीतर, जिसमें भारतीय महासागर के तटीय देश भी शामिल हैं, और अधिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग की गुंजाईश है।

आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही के दौरान पकड़े गए माल की कीमत

4346. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम/विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियां निवारक अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही के दौरान पकड़े गये माल का उनके मूल्य सहित ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन का निपटान किस प्रकार किया गया ; और

(ग) क्या तस्करी गतिविधियों में कोई कमी हुई है और यदि हां, तो किन वस्तुओं के संबंध में तथा ऐसा विश्वास करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में माल पकड़ने की नहीं अपितु केवल व्यक्तियों की निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तस्करी-विरोधी अभियान के परिणामस्वरूप तस्करों के गिरोहों के मुख्य भारतीय सम्पर्क तोड़ दिये गये हैं और तस्करी की गतिविधियों को रोक दिया गया है। गुप्त सूचना रिपोर्टों से पता चलता है कि उक्त अभियान के परिणामतः देश में निषिद्ध वस्तुओं का आना कम हो गया है तथा भारत में बड़े शहरों और नगरों में तस्करी की वस्तुओं का खुला प्रदर्शन बहुत कम हो गया है। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि विदेशी शराब, सिगरेट, टेक्स्टाइल्स तथा घड़िया जैसी तस्करी की वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं। इसके अतिरिक्त, हालांकि आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम (अध्यादेश) के पहले और बाद की अवधि के दौरान माल पकड़ने की मासिक घटनायें उतनी ही रहीं तथापि बाद की अवधि में प्रतिमास पकड़े गये माल का कुल मूल्य लगभग आधा रह गया था।

C. B. I. Enquiry against Officers of STC.

4347. **Shri Ishwar Chaudhry**
Shri Atal Behari Vajpayee
Shri Hamendra Singh Banera
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the number of officers in the State Trading Corporation against whom the C.B.I. has conducted an enquiry at any time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : Since 1966, the C.B.I. has conducted enquiries against 37 officers of the State Trading Corporation.

कोचीन में इलेक्ट्रोनिक्स के सामान के लिए निर्यात प्रोसैसिंग ज़ोन की स्थापना

4348. **श्री वयालार रवि :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन में इलेक्ट्रोनिक्स सामान के लिए एक निर्यात प्रोसैसिंग जोन स्थापित करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) केरल सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे एक विशिष्ट अभिकरण भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से कोचीन में एक निर्यात प्रोसैसिंग ज़ोन स्थापित करने के लिए की गई प्रस्थापना पर एक सम्भाव्यता अध्ययन कराये तथा कुछ जानकारी भी दें। जैसे ही और जब वह राज्य सरकार से सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तथा अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो जायेगी, विनिश्चय ले लिया जायेगा।

नाशवान वस्तुओं के निर्यात की मात्रा

4349. **श्री भाऊसाहेब धामनकर :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय फलों, सब्जियों, फूलों तथा फैशन की वस्तुओं जैसी नाशवान पदार्थों का विदेशी मुद्रा के रूप में कितना निर्यात किया जाता है; और

(ख) इन वस्तुओं के निर्यातकों की क्या कठिनाइयां हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) 1973-74 में फल, सब्जियों (प्याज समेत) तथा फूलों के निर्यातों का मूल्य लगभग 7.16 करोड़ रु० रहा। यह मालूम नहीं है कि "फैशन की वस्तुएं" मद सही रूप में क्या हैं और उनमें कौन कौन सी वस्तुएं शामिल हैं, अतः इसके बारे में जानकारी देना संभव नहीं है।

(ख) हमारे निर्यातकों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याएं हैं : ऊंचा हवाई भाड़ा लगाया जाना और मौसम के दौरान ब्रिटेन तथा पश्चिम एशियाई देशों को फल तथा सब्जियों के निर्यात के लिए विमानों में पर्याप्त जगह न मिलना और कतिपय आयातक देशों द्वारा इन मदों के आयात पर आयात शुल्क लगाया जाना।

जल्दी खराब हो जाने वाली वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना

4350. **श्री भाऊसाहेब धामनकर :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जम्बो जैट सेवा आरम्भ होने से उत्पन्न हुई नई मण्डियों की सम्भावनाओं का उचित उपभोग करके, जल्दी खराब हो जाने वाली वस्तुओं, जैसे फलों, सब्जियों, फूलों और फैशन की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए, जिनकी काफी मांग है, क्या कार्यवाही की जा रही है, ताकि पश्चिम योरुप के और अन्य ग्राहकों की वर्ष भर की मांग को पूरा करने के लिए विमान द्वारा माल के यातायात में वृद्धि का पूरा लाभ उठाया जा सके ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : जी हां।

ताजे फलों तथा सब्जियों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार निर्यातकों को एक प्रोत्साहन देती है जिसके द्वारा उन्हें, उनके द्वारा किए गए निर्यातों के आधार पर पैकेजिंग सामग्री आयात करने के लिए 5 प्रतिशत आयात प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाती है।

वायुयान द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय स्थायी समन्वय समिति स्थापित की जा चुकी है ।

"फैशन की चीजों" का और अधिक ठीक-ठीक विवरण न होने पर इसके सम्बन्ध में जानकारी देना संभव नहीं है ।

सरकारी कार्य के लिए विदेश भेजे गए संसद सदस्यों और अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल

4351. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संसद सदस्यों के नाम क्या हैं और ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनको वर्ष 1972-73, 1973-74 और 31 दिसम्बर, 1974 तक प्रतिनिधि के रूप में तथा अन्य सरकारी कार्य के लिए विभिन्न देशों में भेजा गया ; और

(ख) प्रत्येक वर्ष में इस कारण कितनी धनराशि खर्च की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्र और राज्यों के मंत्रियों के विदेशों के दौरों पर व्यय

4352. **श्री रोबिन ककोटी : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973-74 में 31 दिसम्बर, 1974 तक केन्द्र और राज्यों के मन्त्रियों के विदेशों के दौरों पर, अलग-अलग, कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : केन्द्रीय मन्त्रियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-सम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायेगी। राज्य सरकारों के मन्त्रियों के बारे में किए गये व्यय से उन सरकारों का सम्बन्ध है ।

रूस को केबलों की सप्लाई

4353. **श्री पी० गंगादेव : क्या वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के अन्तिम 8 महीनों में भारत ने केबलों तथा तारों का कितना निर्यात किया ;

(ख) उक्त निर्यात वर्ष 1973-74 के दौरान इसी अवधि में हुए निर्यात से कम था या अधिक था ; और

(ग) क्या चालू वर्ष की व्यापार योजना में सोवियत संघ को एल्यूमिनियम से बने बिजली के तारों की सप्लाई के लिए कोई करार किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) अप्रैल-नवम्बर, 1974 के दौरान निर्यात 882.74 लाख रुपये के हुए जबकि अप्रैल-नवम्बर, 1973 के दौरान 647.64 लाख रुपये के हुए थे ।

(ग) जी हां ।

"सांताक्रुज ई०पी० जेड० लैंगिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4354. **श्री वसन्त साठे**
श्री राजदेव सिंह
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 फरवरी, 1975 के एक अंग्रेजी दैनिक में "सांताक्रुज ई० पी० जेड० लैंगिंग" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) लेख में बहुत सी बातें तथ्यों की दृष्टि से सही नहीं हैं। अभी से ऐसा कोई मूल्यांकन करना कठिन है कि सान्ताक्रुज इलैक्ट्रोनिक्स निर्यात प्रोसैसिंग जोन परियोजना सफल होगी या नहीं जो अभी अपनी निर्माण अवस्था में है और अधिकांश एकक, जो मंजूर किये जा चुके हैं, अपनी परियोजनाओं को कार्यान्वियन हेतु कदम उठा रहे हैं। तथापि, समस्त विश्व में इलैक्ट्रोनिक उद्योग में वर्तमान मंदी के कारण उद्यमी सावधानी-पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। सान्ताक्रुज परियोजना की प्रगति का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

फैरो-मैंगनीज का निर्यात

4355. **श्री वसन्त साठे** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान फैरो-मैंगनीज के निर्यात में कमी के बारे में दिनांक 16 फरवरी, 1975 के समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) फैरो-मैंगनीज के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) बिजली की कमी के कारण देश में लोह मैंगनीज का उत्पादन कम होने की वजह से इसके निर्यातों में गिरावट आई है। सम्बन्धित राज्य सरकारों को लोह मैंगनीज उत्पादन करने वाले संयंत्रों के सम्बन्ध में बिजली की कटौती समाप्त करने के लिए लिखा गया है।

प्रत्येक पत्तन से आयात और निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य

4356. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान प्रत्येक पत्तन से कितने मूल्य की किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया गया था; और

(ख) 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान भारत में प्रत्येक पत्तन पर कितने मूल्य की क्या क्या आयातित वस्तुएं आई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) 1971-72 तथा 1972-73 के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर

रख दी जाएगी। जहां तक 1973-74 के सम्बन्ध में जानकारी की बात है पत्तनवार सारणीकरण अप्रैल, 1973 से समाप्त कर दिया गया है।

आयातित इस्पात के लिए निर्गम आदेश (रिलीज आर्डर)

4357. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयातित इस्पात के लिए निर्गम-आदेश (रिलीज आर्डर) इस बीच जारी कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) अनुमेय इस्पात मदों के आयात के लिए रिलीज आर्डर लाइसैंसिंग प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में निर्धारित आयात नीति के अनुसार नियमित रूप से जारी किये जा रहे हैं। इन रिलीज आर्डरों के ब्यौरे "वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिस, इम्पोर्ट लाइसेंसिस एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिस" में प्रकाशित किये जाते हैं जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

दिल्ली में स्थल पत्तन बनाया जाना

4358. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री दिल्ली में शुष्क पत्तन बनाये जाने के बारे में 18 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 879 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की राजधानी के सन्निकट क्षेत्र के किसी बड़े नगर में स्थल पत्तन के लिए स्थान निर्धारित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार ने सिद्धान्त रूप में एक शुष्क पत्तन स्थापित करने का अनुमोदन कर दिया है। योजना आयोग में एक पैनल से शुष्क पत्तन के लिए स्थान के बारे में विचार करने और सरकार को अपनी सिफारिशें करने के लिए कहा गया है।

गुण नियंत्रण नौभरण पूर्व निरीक्षण अधिनियम को विद्युत उपकरण उद्योग पर लागू करना

4359. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात में अन्य बातों के साथ साथ विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विद्युत उपकरणों के विस्तृत क्षेत्र पर यथा संभव गुण नियंत्रण नौभरण पूर्व निरीक्षण अधिनियम लागू करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) वर्ष 1973-74 में विद्युत उद्योगों का निर्यात में क्या योगदान था और चालू वित्तीय वर्ष के संबंध में क्या अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(लाख रु० में)

(ख)	मद	वास्तविक 1973-74	प्राक्कलन 1974-75
(1)	बिजली के पंखे	243	350
(2)	केबल्स तथा कंडक्टर्स	1154	1500
(3)	इलैक्ट्रोनिक्स	926	1200
(4)	बैटरियां	299	430
(5)	बत्तियां तथा ट्यूबें	110	120
(6)	अनुषंगी तथा सहायक सामान	207	250
(7)	*हैवी इलैक्ट्रिकल्स	605	1068

*बिजली की मोटरें, जेनरेटर्स, कंट्रोल गीयर, माइल्ड गीयर, ट्रांसफार्मर्स आदि शामिल हैं।

डाकतार विभाग द्वारा दिल्ली में डाक बचत बैंक खोलने का प्रस्ताव

4360. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग के दिल्ली सर्किल ने राजधानी में बचत की आदत को उत्साहित करने के लिए डाक बचत बैंक खोलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में राष्ट्रीय बचत कार्यालय खोले जाने का निर्णय किया गया है। शुरू में उपर्युक्त चार नगरों में एक-एक राष्ट्रीय बचत कार्यालय खोला जाएगा।

(ख) राष्ट्रीय बचत कार्यालय की मुख्य विशेषताएं ये होंगी :—

(i) ये बचत कार्यालय डाक और तार विभाग द्वारा चलाये जायेंगे और केवल बचत बैंक का ही काम करेंगे ।

(ii) ये कार्यालय नगर के किसी केन्द्रीय स्थान पर होंगे और इनमें काउन्टर और फर्नीचर उसी प्रकार होगा जैसाकि एक वाणिज्यिक बैंक में होता है ।

(iii) इन कार्यालयों के लिए कर्मचारी खास तौर पर इस बात को ध्यान में रखकर चुने जायेंगे कि जनता के लिए अत्यन्त कुशल और विनम्र सेवा की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके

(iv) चूंकि ये कार्यालय विशेष रूप से बचत का ही कार्य करेंगे इस लिए आशा है कि सेवा का स्तर बेहतर होगा ।

पश्चिम बंगाल में झाड़ग्राम में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आवेदकों को दिया गया ऋण

4361. **श्री टुना उरांव** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 में पश्चिम बंगाल में झाड़ग्राम में अनुसूचित जाति और जनजाति के आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितना ऋण दिया गया ; और

(ख) जनवरी, 1975 के अन्त में कितने ऐसे आवेदन पत्र विचाराधीन थे ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) बैंक केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए गए अग्रिमों के बारे में अथवा ऋणकर्त्ताओं की अधिवास (डोमीसाइल) श्रेणी के अनुसार पृथक आंकड़े नहीं रखते हैं। सांख्यिकीय सूचना देने की वर्तमान प्रणाली में अनिर्णीत आवेदनपत्रों की संख्या के विषय में सूचना का आंकलन नहीं किया जाता है ।

राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंक, खासकर सरकारी क्षेत्र के बैंक, स्वीकृत नीति के एक अंग के रूप में कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, परिवहन परिचालक, स्वयं-नियोजन आदि प्राथमिकता वाले विभिन्न क्षेत्रों में छोटे ऋणकर्त्ताओं तक व्यापक स्तर पर पहुंचने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसके अतिरिक्त, ये बैंक ऐसे 265 जिलों में जो या तो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए माने गए हैं अथवा जहां लघु कृषक विकास अभिकरणों (एस० एफ० डी० ए०)/सीमान्त कृषक एवम् खेतीहर मजदूर अभिकरणों (एम० एफ० ए० एल०) के कार्यक्रम कार्यान्वित हो रहे हैं, अपेक्षाकृत अधिक निर्बलों को 4 प्रतिशत की रियायती दर पर सहायता भी दे रहे हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अग्रिम के रूप में दी गई धनराशि का अधिकांश अभी तक उपेक्षित क्षेत्रों के ऋणकर्त्ताओं और विभेदी ब्याज-दर योजना के अधीन छोटे ऋणकर्त्ताओं को दिये गये ऋणों की राशि में प्रदर्शित होगी । पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में (जिसमें झाड़ग्राम शामिल है) इन क्षेत्रों को (राष्ट्रीयकृत बैंकों समेत) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों की दिसम्बर, 1973 के अन्त में बकाया राशियों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है ।

विवरण

मिदनापुर जिले (झाड़ग्राम समेत) में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि, खुदरा व्यापार, परिवहन सेवाओं, विभेदी ब्याज-दर आदि के लिए दिए गए अग्रिम

(दिसम्बर, 1973 के अन्तिम शुक्रवार को)

(राशि हजार रु० में)

पेशा	खातों की संख्या	बकाया राशि
1. **कृषि, जिसमें**	**12721**	**10991**
(क) प्रत्यक्ष वित्त	12247	9296
(ख) अप्रत्यक्ष वित्त	329	1393
(ग) सहायक गतिविधियां	145	302
2. परिवहन-भंडारण और संचार	513	8222
3. खुदरा व्यापार	119	133
4. **वैयक्ति एवम् व्यावसायिक सेवाएं, जिनमें**	**423**	**1063**
(क) व्यवसायिक सेवाएं	81	394

1	2	3
(ख) शिल्पी एवम् दस्तकार	120	269
(ग) अन्य सेवायें	222	400
5. ग्रामीण औद्योगिक परियोजनायें	148	327
6. विभेदी ब्याज-दर योजना	2042	549
7. छोटे पैमाने के उद्योग	314	2945
इस जिले में बैंक-ऋण का जोड़	**20033**	**37641**

पुरुलिया, पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

4362. **श्री टुना उरांव :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 के दौरान पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितना ऋण दिया गया; और

(ख) जनवरी, 1975 के अन्त में कितने आवेदन पत्र निलम्बित पड़े थे ?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) बैंक केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए गए अग्रिमों के बारे में अथवा ऋणकर्त्ताओं की अधिवास (डोमीसाइल) श्रेणी के अनुसार पृथक आंकड़े नहीं रखते हैं । सांख्यिकीय सूचना देने की वर्तमान प्रणाली में अनिर्णीत आवेदनपत्रों की संख्या के विषय में सूचना का आंकलन नहीं किया जाता है ।

राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंक, खासकर सरकारी क्षेत्र के बैंक, स्वीकृत नीति के एक अंग के रूप में कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, परिवहन परिचालक, स्वयं-नियोजन आदि प्राथमिकता वाले विभिन्न क्षेत्रों में छोटे ऋणकर्त्ताओं तक व्यापक स्तर पर पहुंचने के लिए प्रयत्नशील हैं । इसके अतिरिक्त, ये बैंक ऐसे 265 जिलों में जो या तो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए माने गए हैं अथवा जहां लघु कृषक विकास अभिकरणों (एस०एफ०डी०ए०)/सीमान्त कृषक एवम् खेतीहर मजदूर अभिकरणों (एम०एफ०ए०एल०) के कार्यक्रम कार्यान्वित हो रहे हैं, अपेक्षाकृत अधिक निर्बलों को 4 प्रतिशत की रियायती दर पर सहायता भी दे रहे हैं । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अग्रिम के रूप में दी गयी धनराशि का अधिकांश अभी तक अपेक्षित क्षेत्रों के ऋण-कर्त्ताओं और विभेदी ब्याज-दर योजना के अधीन छोटे ऋणकर्त्ताओं को दिये गए ऋणों की राशि में प्रदर्शित होगी । पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में इन क्षेत्रों को (राष्ट्रीयकृत बैंकों समेत) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों की दिसम्बर, 1973 के अन्त में बकाया राशियों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है ।

विवरण

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि, खुदरा व्यापार परिवहन, सेवाओं, विभेदी ब्याज-दर आदि के लिए दिए गए अग्रिम ।

(दिसम्बर, 1973 के अन्तिम शुक्रवार को)

(राशि हजार रु० में)

पेशा	खातों की संख्या	बकाया राशि
1. **कृषि, जिसमें**	**12153**	**5385**
(क) प्रत्यक्ष वित्त	11984	4454
(ख) अप्रत्यक्ष वित्त	26	776
(ग) सहायक गतिविधियां	143	155
2. परिवहन-भंडारण और संचार	198	656
3. खुदरा व्यापार	24	307
4. **वैयक्तिक एवं व्यावसायिक सेवाएं, जिनमें**	**619**	**195**
(क) व्यावसायिक सेवायें	21	43
(ख) शिल्पी एवं दस्तकार	558	70
(ग) अन्य सेवायें	40	82
5. ग्रामीण औद्योगिक परियोजनायें	—	—
6. विभेदी ब्याज-दर योजना	9	4
7. छोटे पैमाने के उद्योग	146	861
इस जिले में बैंक-ऋण का जोड़	**13631**	**19101**

जीवन बीमा निगम द्वारा नगर की नगरपालिका परिषद् उदीपी को दिया गया ऋण

4363. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने नगरपालिका परिषद्, उदीपी को उदीपी में भूमिगत नालियों का निर्माण करने हेतु कुल कितना ऋण दिया गया है ; और

(ख) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम का विचार इस नगरपालिका परिषद् को और अधिक ऋण देने का है ताकि वह नालियों के निर्माण का कार्य आरम्भ तथा पूरा कर सकें ?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम ने नगरपालिका परिषद्, उदीपी को उदीपी नगर में भूमिगत नालियां बनाने के लिये आज तक 12 लाख रुपये का ऋण दिया है ।

(ख) उदीपी नगरपालिका परिषद् ने हाल ही में 6.36 लाख रु० का अतिरिक्त ऋण मांगा है जिस पर जीवन बीमा निगम द्वारा 1975–76 में विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि इस योजना का कार्य संतोषजनक पाया जाता है ।

केरल में पर्यटन का विकास

4364. **श्री वयालार रवि :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास के लिये एक व्यापक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और उक्त योजना की समुचित क्रियान्विति के लिये भारत सरकार का विचार किस प्रकार की सहायता करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) केरल सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास के लिये एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है ।

(ख) मास्टर प्लान की विषय सूची का पता नहीं है क्योंकि यह राज्य सरकार द्वारा अभी तैयार किया जा रहा है ।

Arrears of Income Tax against individuals/Companies in M.P.

4365. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the first 100 public/private undertakings or companies/ persons in Madhya Pradesh against whom an amount of Income-tax of more than Rs. one lakh is still outstanding ; and

(b) the action taken for the realization of this amount ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Parnab Kumar Mukherjee) : (a) As on 31-12-1974, there were 80 assessees in the charges of the Commissioners of Income-tax, Madhya Pradesh I & II, Bhopal, against each of whom an amount of Income-tax (including corporation-tax) of Rs. one lakh or more was outstanding. Their names are given in the Annexure. **[Placed in Library.** *See* **No. L.T.-9263/75]**

(b) Such of the steps provided in the Income-tax Act, 1961 as are appropriate to the circumstances of each case have been and are being taken for effecting recovery of outstanding demand.

Raids by Income Tax authorities in Madhya Pradesh

4366. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the persons in Madhya Pradesh whose premises were raided by the Income-tax officials during the last year;

(b) the specific charges against each of them; and

(c) whether any action had been taken or is being taken against them; and if so, the particulars thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) to (c) The names of the persons in Madhya Pradesh whose premises were searched Under Section 132 of the Income Tax Act, 1961 during 1974 are given in the annexed statement. **[Placed in Library** *See* **No. L.T 9264/75].** A search under the said Act is authorised where the Director of Inspection or Commissioner of Income Tax, in consequence of information in his possession,

has reason to believe that the person concerned has failed to produce or would not produce the requisite books of account or other documents or is in possession of any undisclosed income or property.

The seized books of account/documents are under scrutiny.

The first step after a search involving seizure of valuable assets is to pass an order Under Section 132(5) of the Income-tax Act, 1961 estimating in a summary manner the undisclosed income and for retaining such of the seized assets as are sufficient to satisfy the tax liability thereon and any other liability under the Direct Tax Acts. This order has to be passed within 90 days of the search. Regular assessment proceedings are then taken up. Penalty is levied and prosecution launched, wherever warranted.

Recession in Textile Industry

4367. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the causes of recession in textile industry at present; and

(b) whether Government are taking or propose to take remedial measures in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) Based on data of production and stocks the cotton textile industry does not show any signs of recession at present.

(b) Does not arise.

केन्द्र सरकार तथा राज्यों के मध्य वित्त सम्बन्धी मामले

4368. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य ने केन्द्र सरकार तथा राज्यों के बीच वित्तीय मामलों के बारे में संवैधानिक प्रावधानों में संशोधनों या परिवर्तनों की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने क्या सुझाव दिये हैं ; और

(ग) इन सुझावों के बारे में केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) तमिलनाडु और गुजरात की राज्य सरकारों ने निगम कर को विभाज्य पूल के अन्तर्गत लाने के प्रश्न पर छठे वित्त आयोग द्वारा दिए गए सुझाव को (जिसके लिये संविधान के उपबन्धों में संशोधन करना पड़ेगा) राष्ट्रीय विकास परिषद् के पास विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने का आग्रह किया है । यह मामला अभी विचाराधीन है ।

Cases pending with Collectors of Customs and Excise, Nagpur

4369. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of various types of cases under consideration in the office of the Collector of Customs and Excise, Nagpur at present and the number of cases

out of them relating to each of the cities of Vadarbha and Madhya Pradesh and the names of the persons who are associated with them;

(b) the minimum and maximum time fixed for disposing of each case and whether many hearings are held for every case;

(c) whether difficulties being experienced by the people living at Nagpur and 50 miles away for coming and going are taken into account; and

(d) if so, the nature of facilities provided to them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) It is presumed that information is sought in respect of offence cases under enquiry and adjudication under the Central Excises and Salt Act, 1944, Gold Control Act, 1968 and the Customs Act, 1962. The number of such cases in the office of the Collector of Customs and Central Excise, Nagpur as is as follows :

	Madhya Pradesh Region	Vidarbha Region
Customs	38	28
Gold	58	49
Central Excise	169	14

The names of the persons/parties associated with the above cases are being collected and will be placed on the Table of the House.

(b) No minimum or maximum time for the disposal of each case has been fixed under statute. Cases are generally decided after first or second hearing.

(c) & (d) No party has ever complained regarding any difficulty. So the question of providing any special facilities does not arise.

गुजरात में होटल

4370. **श्री एन० आर० बेकारिया**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के पर्यटकों के लिये, जिलावार, सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कितने होटल च रहे हैं ;

(ख) क्या वर्ष 1975–76 में राज्य में और होटल खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसके लिये कौन-कौन से स्थान चुने गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) फिलहाल सरकारी उद्यम भारत पर्यटन विकास निगम गुजरात में कोई होटल नहीं चला रहा है। परन्तु निगम की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अहमदाबाद में 3–स्टार वर्ग के 60 कमरों वाले एक मोटल के निर्माण के लिए व्यवस्था की गई है। इस प्रायोजना का कार्यान्वयन वित्तीय साधनों के उपलब्ध

होने, संतोषजनक व्यवहार्यता अध्ययन हो जाने तथा नये निर्माणकार्यों पर लगे प्रतिबंध उठा लेने पर ही प्रारम्भ किया जाएगा ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अमरीका के साथ किया गया आयात और निर्यात व्यापार

4371. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974–75 में अमरीका से किये गए आयात और उसको किए गए निर्यात संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : अप्रैल-अक्तूबर 1974 की अवधि में भारत से अमरीका को किये गए निर्यातों तथा उस देश से किए गए आयातों का ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :—

निर्यात	लगभग 242 करोड़ रु०
आयात	लगभग 277 करोड़ रु०

बाद के महीनों के लिये व्यापार आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

गैरसरकारी फर्मों द्वारा समाचारपत्रों में विज्ञापन देकर जनता से धन एकत्र किया जाना

4372. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गैर सरकारी फर्में समाचारपत्रों में विज्ञापन देकर बैंक से अधिक दर पर जनता से धनराशि आमंत्रित करती हैं ;

(ख) क्या इससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों से यह शिकायत मिलती रही है कि कम्पनियों द्वारा अपनी मांगी हुई जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज की दर के बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज की दर से अधिक होने के कारण, बैंकों के जमायें जुटाने के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । रिजर्व बैंक ने, 27 जनवरी 1975 से उस जमा राशि की मात्रा घटा दी है जो गैर-बैंकिंग कम्पनियां निदेशकों द्वारा दी गई गारन्टी पर अप्रत्याभूत ऋणों और शेयर-धारकों की जमाओं के रूप में स्वीकार कर सकती हैं और यह राशि उन कम्पनियों की चुकता पूंजी और उनके शुद्ध निर्बन्ध कोषों के कुल योग के 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत, कर दी गयी है । इसके साथ ही जनता से गैर–बैंकिंग गैर वित्तीय कम्पनियों द्वारा लिये जाने वाले ऋणों को हतोत्साहित करने के लिये 1975 के वित्त विधेयक में यह भी व्यवस्था की गयी है कि कम्पनियों की कराधान-योग्य आय का निर्धारण करते समय, जनता से प्राप्त जमाओं पर, उनके द्वारा अदा किये गये ब्याज की राशि के केवल 85 प्रतिशत भाग को ही, कर प्रयोजनों के लिए, 'व्यय' मानने की अनुमति दी जाएगी ।

रिजर्व बैंक के ये निदेश सांझेदारी फर्मों पर लागू नहीं होते हैं । जहां तक इनका प्रश्न है सरकार ने सिद्धांत रूप से यह तय कर लिया है कि सभी अनिगणित संस्थाओं द्वारा जमायें स्वीकार करने के कार्य पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सांविधिक शक्तियां प्राप्त की जाएं ।

पालम हवाई अड्डे में सीमा शुल्क संबंधी औपचारिकताओं का पूरा किया जाना

4373. **श्री वीर भद्र सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे में सीमाशुल्क संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के साथ काफी विलम्ब किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब को दूर करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों को पालम हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क संबंधी औपचारिकतायें पूरी करने के लिए देर तक नहीं ठहराया जाता । वास्तव में उनके संबंध में ये औपचारिकतायें शीघ्र ही पूरी की जाती हैं । हाल ही में, पालम हवाई अड्डे पर एक नई पद्धति चालू की गई है जो बाहर जाने वाले असबाब की जांच के लिए यादृच्छिक चुनाव पर आधारित है जिससे बाहर जाने वाले यात्रियों के संबंध में सीमाशुल्क संबंधी औपचारिकता शीघ्रता से पूरी करना सुनिश्चित हो जाता है । जहां तक आने वाले यात्रियों का संबंध है, सीमाशुल्क संबंधी औपचारिकता पूरी करने की एक त्रि-माध्यम पद्धति चालू की गई है जिससे ऐसे यात्रियों के संबंध में यह औपचारिकता शीघ्रता से पूरी करने में सहायता मिलती है । इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय आगमन-कक्ष का अब विस्तार कर दिया गया है और सीमाशुल्क काउंटरों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि इन औपचारिकताओं को शीघ्रता से पूरा करने का कार्य सुगम हो जाए ।

खाद्य तेल के संकट को समाप्त करने हेतु महंगे तेल का निर्यात करके सस्ते तेल का आयात करना

4374. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल प्रौद्योगिकियों ने खाद्य तेलों के उपलब्ध न होने तथा उसके ऊंचे मूल्य होने के वर्तमान संकट का समाधान करने के लिए, मंहगे तेलों का निर्यात करके सस्ते तेलों का आयात करने के बारे में कोई सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके ऊंचे मूल्यों को देखते हुए किस-किस तेल का निर्यात किया जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) तेल प्रौद्योगिकों द्वारा दिये गए सुझाव पर सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक विचार किया गया है लेकिन इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

ब्राजील को रेल वैगनों तथा अन्य उपकरणों का निर्यात

4375. **श्री एस०एन० मिश्र**

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को, ब्राजील से रेल वैगनों तथा अन्य उपकरणों का निर्यात करने के बारे में कोई मांग प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यह निर्यात किस अवधि में पूरा हो जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

कम्पनियों को नई पूंजी एकत्रित करने के लिए अनुमति देना

4376. **श्री वयालार रवि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 के दौरान कुल कितनी तथा किन-किन कम्पनियों को नई पूंजी एकत्रित करने के लिए अनुमति दी गई है तथा उन्होंने पूंजी निर्गम के द्वारा कुल कितनी पूंजी एकत्रित की है; और

(ख) इनमें से कितनी कम्पनियां एकाधिकार समूह से संबंधित हैं तथा उन्होंने कुल कितनी पूंजी एकत्रित की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न अनुबन्ध में दी गई है । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी०–9265/75]**

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

सिन्थेटिक रेजिन पर उत्पाद शुल्क

4377. **श्री वरके जार्ज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्थेटिक रेजिन पर लगाये गए अत्याधिक उत्पाद शुल्क के कारण पेन्ट उद्योग संकट का सामना कर रहा है ;

(ख) क्या उक्त उद्योग ने रेजिन पर उत्पाद-शुल्क समाप्त करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) सरकार को यह मालूम नहीं है कि रोगन उद्योग की इस तरह के किसी संकट का सामना करना पड़ रहा है ।

(ख) तथा (ग) जी हां । भारतीय रोगन संघ, कलकत्ता ने 25–2–75 को उद्योग तथा नागरिक पूर्ति के प्रशासनिक मंत्रालय को एक अभ्यावेदन भेजा था । चूंकि उक्त अभ्यावेदन हाल ही में भेजा गया है इसलिए उसकी सविस्तार जांच किये बिना यह कहना असामयिक होगा कि उक्त उद्योग का अनुरोध उचित है या नहीं ।

स्टैण्डर्ड कपड़े की वितरण व्यवस्था में सुधार करने के लिए बिक्री केन्द्रों की स्थापना

4378. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया है कि स्टैण्डर्ड कपड़े के वितरण में सुधार करने

के लिए एक साल के भीतर प्रत्येक जिले को अपने क्षेत्राधिकार में लाने वाले 1000 बिक्री केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो देश में स्टैण्डर्ड कपड़े का कितना उत्पादन हुआ और राष्ट्रीयकृत क्षेत्र के पास इस समय कितनी कार्यकारी पूंजी उपलब्ध है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। संघ सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है।

(ख) मार्च 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में 31-12-1974 को समाप्त होने वाली तीन तिमाहियों के दौरान नियंत्रित कपड़े का उत्पादन 6120 लाख वर्ग मीटर था। राष्ट्रीयकृत वस्त्र मिलों के कार्यकारी पूंजी के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है।

गुजरात समुद्र तट पर तस्करी रोकने वाली नौकायें

4379. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात समुद्र तट पर तस्करी रोकने वाली कितनी नौकायें चल रही हैं ;

(ख) क्या सरकार तस्करी को रोकने के लिए ऐसी नौकाओं की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी बढ़ाई जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ता, अहमदाबाद के अधिकार में 17 नौकायें हैं। इस समाहर्ता कार्यालय को हाल ही में दी गई नार्वे में बनी तेज चलने वाली दो नौकाओं के अलावा तेज चलने वाली 4 और नौकायें देने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि विद्यमान कुछ नौकाओं को बदल दिया जाए और साथ ही जब्त शुदा जलयानों में से और अधिक जलयानों को उपयोग में लाकर उनकी संख्या में वृद्धि की जाए।

तस्करों की गतिविधियों का पुनः आरम्भ होना

4380. **श्री डी० पी० जदेजा**

श्री एन० आर० बेकारिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को जानती है कि तस्कर गोवा तथा भारत के अन्य भागों में फिर से सक्रिय हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) कुछ गुप्त सूचना रिपोर्टों से पता चलता है कि पहले आघात के बाद तस्कर-व्यापारियों द्वारा गतिविधियां फिर से शुरु किए जाने के संकेत मिले हैं। तथापि, इस स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा रही है। तस्कर-व्यापारियों तथा विदेशी-मुद्रा के जाल-चक्र में लगे व्यक्तियों की निवारक नजरबंदी

के अलावा, सुगमता से सुधार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों में, वितरण-केन्द्रों में तथा सम्पर्क-मार्गों पर निवारक चौकियां स्थापित करने के उपाय पहले ही किये जा चुके हैं। एक बेतार-संचार व्यवस्था भी स्थापित की गई है जो पश्चिमी समुद्र तट के बहुत से स्थलों को जोड़ती है। इस प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को अतिरिक्त कर्मचारी तथा उपकरण देने की व्यवस्था भी की गई है। नार्वे में बनी दस नौकायें, जिन पर रडार तथा अन्य उपकरण लगे हैं, प्राप्त की जा चुकी हैं और दस अन्य नौकाओं के इस वर्ष मार्च/अप्रैल तक पहुंच जाने की संभावना है।

अधिक प्रभावी अधिकारियों को मौके पर तैनात करने जैसे प्रशासनिक उपाय भी किये गये हैं। अतिरिक्त प्रशासनिक तथा वैधानिक उपायों पर विचार किया जा रहा है।

उगांडा को चीनी मिलों के लिए मशीनरी का निर्यात

4381. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उगांडा ने भारत से चीनी मिलों के लिए मशीनरी का आयात करने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस मशीनरी का मूल्य कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 1.5 करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर के लिए एक क्रयादेश प्राप्त हुआ है।

तस्करी निवारक तीव्रगामी नावें

4382. **श्री एन० आर० बेकारिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तस्करी को रोकने के लिए इस समय कितनी तीव्रगामी नावें (स्पीड बोट्स) कार्य कर रही हैं ; और

(ख) कितनी नावें अप्रयुक्त अथवा खराब तथा मरम्मत के लिए पड़ी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सीमाशुल्क विभाग के लिए नार्वे से मंगाई गई तेज रफ्तार वाली 20 नौकाओं में से अब तक 10 नौकायें प्राप्त हो चुकी हैं। इनमें से 7 नौकायें इस समय क्रियाशील हैं, एक नौका गंभीर रूप से क्षति-ग्रस्त है और जल परिवहन विभाग ने यह घोषित कर दिया है कि उसकी मरम्मत गैर किफायती होगी और अन्य 2 की रख रखाव संबंधी मरम्मत हो रही है।

पारम्परिक भारतीय माल का ब्रिटेन में निःशुल्क प्रवेश

4383. **श्री पी० गंगादेव**
श्री डी० डी० देसाई
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1974 को भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय समिति की बैठक में पारम्परिक भारतीय माल के ब्रिटेन में निःशुल्क प्रवेश के बारे में कोई समझौता हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय संयुक्त आयोग सिफारिश करने वाला एक निकाय है ।

दिसम्बर, 1974 में दिल्ली में हुई संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान समुदाय पक्ष ने घोषणा की तथा भारतीय पक्ष ने पुन: 1975 में ब्रिटेन व डेनमार्क में भारतीय पटसन तथा कयर उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त प्रवेश जारी रखने संबंधी अनुमति देने के समुदाय के विनिश्चय की प्रशंसा की । भारतीय पक्ष को आशा है कि व्यवस्था 1976 तक भी बढ़ा दी जाएगी ।

भारतीय पक्ष ने शुल्क मुक्त अधिकतम सीमाओं को बढ़ाने तथा हथकरघा तथा हस्तशिल्प से संबंधित समुदाय की शुल्क मुक्त योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद क्षेत्र में विस्तार करने के लिए भी अनुरोध किया है, जो ब्रिटेन के संबंध में भी लागू होता है । भारतीय उत्पादों पर टैरिफ निलम्बनों संबंधी इन तथा अन्य भारतीय अनुरोधों पर समुदाय के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा ।

बम्बई हवाई अड्डे में एयर कार्गो काम्पलेक्स की स्थापना

4384. **श्री पी० गंगादेव**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष बम्बई हवाई अड्डे में प्रथम एयर कार्गो काम्पलेक्स की स्थापना की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा क्या यह देश में विमान सेवाओं की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने हेतु अन्तरिम व्यवस्था है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) इस वर्ष के अन्त तक बम्बई विमान पत्तन पर एक नये एयर कार्गो टर्मिनल को स्थापित किये जाने की आशा है । यह टर्मिनल अन्तर्राष्ट्रीय कार्गो की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ एयर कार्गो के बारे में सीमा-शुल्क तथा अन्य सरकारी विनियामक अभिकरणों को सुविधायें प्रदान करेगा तथा कार्गो अभिकरणों के लिये कार्यालय स्थान की व्यवस्था भी करेगा । इसे वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु डिजाइन किया गया है ।

कोजीकोडे हवाई अड्डा

4385. **श्री वयालार रवि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कीजीकोडे हवाई अड्डे के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजना और प्राक्कलन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार तैयार योजना में कोई परिवर्तन करने का है और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) इंडियन एयर-लाइन्स ने हाल ही में सूचित किया है कि विमान-बेड़े की तंग स्थिति और परिचालन मूल्यों की

अभिवृद्धि के कारण पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उनके लिये कालिकट के लिए विमान सेवा का परिचालन करना संभव नहीं होगा। तथापि यदि साधन उपलब्ध हुए तो फिलहाल अनुसूचित परिचालनों के लिए इस विमान क्षेत्र के विकास के प्रस्तावों पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

कोचीन हवाई अड्डे की हवाई पट्टी का विस्तार

4386. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन हवाई अड्डे की विद्यमान हवाई पट्टी का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे बोइंग–737 विमान वहां उतर सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कितना खर्च आयेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव में कोचीन के हवाई अड्डे को सीमित बोइंग 737 परिचालनों की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहां के मौजूदा धावन-पथ को विस्तारित एवं मजबूत करने की अपेक्षा की गई है। लागत अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।

बुल्गारिया से यूरिया का आयात

4387. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में बुल्गारिया से कितना यूरिया आयात किया जायेगा ;

(ख) यूरिया का प्रति टन क्रय मूल्य क्या होगा ; और

(ग) देश में इसे किस मूल्य पर बेचा जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 70,000 मे० टन।

(ख) वाणिज्यिक सौदा होने के कारण क्रय कीमत प्रकट नहीं की जाती।

(ग) देश में यूरिया की विद्यमान बिक्री कीमत 2,000 रु० प्रति मे० टन है।

मत्स्य पालन उद्योग में संकट

4388. **श्री बरके जार्ज :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी तथा जापानी मंडियों में श्रिम्पों के मूल्य में काफी कमी होने के कारण मछली पालन उद्योग संकट में पड़ गया है ;

(ख) क्या पश्चिमी तथा उत्तरी तट पर बहुत सी मत्स्य फर्में पहले ही बन्द हो चुकी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1974–75 के दौरान निर्यात योग्य किस्मों की मछलियां अपेक्षाकृत कम मात्रा में पकड़े जाने के साथ साथ समृद्ध बाजारों में मन्दी के कारण मत्स्य उद्योग को समस्याओं का सामना करना पड़ा।

(ख) दिसम्बर, 1974 के उत्तरार्द्ध के दौरान कुछ मत्स्य साधिकर्त्ता एककों को कार्य बन्द करना पड़ा परन्तु उनमें से अधिकांश में पुनः कार्य आरंभ हो गया है।

(ग) (1) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर, 1974 के दौरान दो अध्ययन दल प्रायोजित किये गए--एक जापान को तथा दूसरा संयुक्त राज्य अमरीका को। दलों ने पर्याप्त निर्यात आदेश प्राप्त किए।

(2) उत्पादों तथा बाजारों का विविधीकरण करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। मध्यपूर्व में भारतीय डिब्बाबन्द सार्डीन मछलियों के विपणन के लिए उपयुक्त विपणन नीति तैयार की गई है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नई समुद्री खाद्य मदों के विशेष संदर्भ में पूर्व तथा पश्चिम यूरोप में बाजारों के विकास की संभाव्यताओं का पता लगा रहा है।

फिनलैंड के साथ आर्थिक सहयोग के लिए समझौता

4389. **श्री बरके जार्ज :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने फिनलैण्ड के साथ आर्थिक सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) फिनलैंड के साथ व्यापार करार पर 29 जून, 1967 को हस्ताक्षर हुए थे। इसके अतिरिक्त 22-5-74 को भारत-फिनलैंड संयुक्त आयोग की स्थापना के संबंध में पत्रों का आदान प्रदान हुआ ताकि भारत और फिनलैंड के बीच आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाये जा सकें और आर्थिक, वाणिज्यिक और अन्य क्षेत्रों में दोनों सरकारों के बीच परस्पर लाभकारी सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जा सके।

(ख) व्यापार करार में कतिपय अपवादों सहित सीमाशुल्कों आदि, नौवहन, प्रदर्शनियों/मेलों के आयोजन आदि जैसे मामलों में परम मित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान किया गया है।

भारत फिनलैंड संयुक्त आयोग की पहली बैठक 19-2-75 से 21-2-75 तक नई दिल्ली में हुई और उसमें दोनों देशों के बीच व्यापार तथा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार किया जायेगा।

फ्लाइंग क्लब

4390. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य से बुरी तरह प्रभावित होने के कारण फ्लाइंग क्लब सफलता पूर्वक नहीं चल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) देश की फ्लाइंग क्लबों पर विमानन ईंधन के अत्याधिक मूल्यों का निसंदेह बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

विमानन ईंधन, विमानों के फुटकर पुर्जों, मजदूरी आदि में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण बढ़ी हुई परिचालन लागत के आधार पर फ्लाइंग क्लबों को दी जाने वाली राजकीय सहायता की वर्तमान दरों में वृद्धि करना सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

शत्रु संपत्तियों के लिये मुआवजा

4391. **श्री समर गुह :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री शत्रु सम्पत्तियों के लिए अनुग्रहपूर्वक देने के बारे में 21 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 641 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) पश्चिम पाकिस्तान के 438 आवेदकों और (दो) पूर्व पाकिस्तान के 487 सम्पत्तियों के दावों के सत्यापन में कितना समय आवश्यक है;

(ख) इन दो क्षेत्रों में शत्रु सम्पत्तियों के दावों के सत्यापन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ग) कलकत्ता समिति द्वारा स्वीकृत राशि का भुगतान न करने के क्या कारण हैं ;

(घ) 144 स्वीकृत और 203 विचाराधीन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ।

(ङ) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के कितने भूतपूर्व बंगाली भाषी निवासियों को अब तक मुआवजा मिला और कुल कितना मुआवजा मिला ;

(च) क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तानी निवासियों से नये आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे; और

(छ) शत्रु सम्पत्तियों के बारे में एक पश्चिम पाकिस्तान और (दो) पूर्वी पाकिस्तान से कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) अप्रैल, 1971 (जबकि अनुग्रहपूर्वक अनुदानों की योजना लागू की गई थी) से 31 जनवरी, 1975 तक की अवधि के दौरान पश्चिम पाकिस्तान की सम्पतियों संबंधी 438 दावे और पूर्वी पाकिस्तान की सम्पतियों संबंधी 487 दावे निपटाये गए । दावों के सत्यापन के लिये अपेक्षित समय दावों के स्वरूप, प्रस्तुत साक्ष्य आदि पर निर्भर करता है ।

(ख) से (घ) अनुग्रहपूर्वक अनुदानों का भुगतान दावेदारों द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सहित प्रस्तुत दावों के सत्यापन के बाद किये जा रहे हैं । अधिकांश मामलों में दावेदार दस्तावेजी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सके हैं । अतः सांपार्श्विक साक्ष्य स्वीकार करने का विनिश्चय किया गया है । कलकत्ता स्थित पैनल भूमि तथा इमारतों के संबंध में दावों का मूल्यांकन मौखिक साक्ष्य के जरिये करता है । सरकार द्वारा भुगतान पैनल की सिफारिशों पर विचार करने के बाद किया जाता है । दावों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ङ) भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान से संबंधित 502 दावों के संबंध में अनुग्रहपूर्वक अनुदान दिए गए हैं जिनका कुल योग 2,68,46,365 रु० है । ये दावे कम्पनियों, फर्मों, व्यक्तियों आदि से सम्बन्धित हैं ।

(च) भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान के आवेदकों के दावे निम्नलिखित शर्तों के अधीन पंजीकृत किये जाते हैं :—

(1) आवेदक पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्थिति में है; और

(2) इस बात के लिए कि वह दावा पहले प्रस्तुत नहीं कर सका, संतोषजनक कारणों का उल्लेख करे ।

(छ) अनुग्रहपूर्वक अनुदान के लिए अब तक लगभग 6000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें लगभग 80% पूर्व पाकिस्तान से प्राप्त दावों और 20% पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त दावों से संबंधित हैं।

भारत बंगला देश सीमा पर तस्करी

4392. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-बंगलादेश सीमा के पार, दोनों देशों के बीच पासपोर्ट पद्धति लागू करने के बाद, तस्करी के कितने मामलों का पता लगा है ;

(ख) अब तक कुल कितनी राशि की तस्करी की वस्तुयें और नकदी पकड़ी गई है ;

(ग) इस प्रकार की सीमावर्ती तस्करी के संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ;

(घ) (एक) भारत और (दो) बंगला देश के गिरफ्तार किये गये ऐसे व्यक्तियों के आंकड़ों का ब्योरा क्या है ;

(ङ) ऐसी सीमावर्ती तस्करी के संबंध में कितने मुकदमें चलाये गये हैं; और

(च) सीमा पर तस्करी को रोकने के लिए दोनों देशों के तस्करी-विरोधी अधिकारियों ने किस प्रकार का सहयोग किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) 16866 मामले।

(ख) 1.73 करोड़ रुपये (लगभग)

(ग) 149 व्यक्ति

(घ) (1) भारतीय-89 (2) बंगलादेश के-60

(ङ) 21 मामले।

(च) दोनों देशों के तस्करी विरोधी अधिकारियों के बीच घनिष्ठ सम्पर्क बनाये रखा जाता है और तस्करी से निपटने के लिये सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा दल/प्रदेश पुलिस के साथ सम्मिलित रूप से गश्त की व्यवस्था की जाती है।

भारत-बंगला देश सीमा पर तस्कर-व्यापार को रोकने के लिये बंगलादेश के सीमाशुल्क विभाग और पुलिस अधिकारियों द्वारा भी इसी प्रकार के उपाय किए गये हैं।

भारत नेपाल सीमा पर तस्करी

4393. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तस्करी-विरोधी नया अभियान चलाये जाने के बाद (एक) नेपाल की सीमा के पार तस्करी और (दो) कलकत्ता, हल्दिया और पारादीप पत्तनों पर और उनके आस-पास होने वाली तस्करी के संबंध में कितनी तस्करी वस्तुयें या नकदी पकड़ी गई है ;

(ख) उस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ग) क्या सीमा पर तस्करी रोकने के लिए कोई भारत-नेपाल संयुक्त तंत्र गठित किया गया है

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ङ) क्या कलकत्ता, हल्दिया और पारादीप पत्तनों पर तथा उनके आस-पास तस्करी की रोकथाम के लिए तेज गति वाली नौकाएं लगाई जा रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) तस्करी-विरोधी नये अभियान के शुरु किये जाने के बाद कलकत्ता, हल्दिया और पारादीप पत्तनों पर और उनके आस-पास फरवरी 1975 तक पकड़े गये तस्करी के माल अथवा नकदी का मूल्य लगभग 1.80 करोड़ रु० है तथा भारत-नेपाल सीमा पर पकड़े गये तस्करी के माल अथवा नकदी का मूल्य लगभग 1.28 करोड़ रु० है ।

(ख) इस संबंध में कलकत्ता तथा उसके आस-पास (फरवरी 1975 तक) 40 व्यक्ति तथा भारत-नेपाल सीमा पर (जनवरी 1975 तक) 133 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ।

(ग) तथा (घ) तस्करी, व्यापार आदि से संबंधित समस्यायों पर चर्चा करने के लिए समय-समय पर निम्न प्रकार की बैठकों का आयोजन किया जाता है :

(1) दोनों देशों के बीच, सरकारी स्तर पर (संयुक्त समीक्षा समिति की) बैठक

(2) सीमाशुल्क समाहर्ता, पटना तथा नेपाल के महामहिम की सरकार के सीमाशुल्क निदेशक के बीच बैठक और

(3) भारत-नेपाल सीमा के दोनों तरफ भारत-नेपाल के भू-सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच बैठक ।

(ङ) तथा (च) नार्वे से आयात की गई तेज़ चलने वाली नौकाएं कलकत्ता, पारादीप क्षेत्रों को अभी तक आवंटित नहीं की गई हैं। लेकिन तस्करी-विरोधी कार्य के लिए वहां दूसरी लांच नौकाएं लगाई गई हैं ।

डीघा का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

4394. **श्री समर गुह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री डीघा (पश्चिम बंगाल) में पर्यटक सुविधाओं के विकास के बारे में 21 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 784 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में डीघा पर्यटन केन्द्र पर पर्यटकों की संख्या में लगभग छः गुना वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय ने पर्यटन के संवदेन के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार से पूछताछ की है कि डीघा का दौरा करने वाले पर्यटकों के लिए इसी अनुपात में आवास सुविधायें बढ़ी हैं ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में केवल डीघा ही सामान्य लोगों के, विशेषकर वृहद् कलकत्ते के बहुत अधिक भीड़ वाले क्षेत्रों के युवकों तथा विद्यार्थियों के लिए एकमात्र विश्राम स्थल है ;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का डीघा में पर्यटन के विकास के बारे में राज्य सरकार से उनकी आवश्यकताओं के बारे में पूछताछ करने का विचार है; और

(ङ) डीघा में पर्यटन केन्द्र के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या अन्य विकल्पों का अनुमान लगाया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) पर्यटन विभाग देश में विभिन्न पर्यटक केन्द्रों की यात्रा करने वाले पर्यटकों का राज्यवार अथवा स्थानवार आधार पर रिकार्ड नहीं रखता। तथापि, पश्चिमी बंगाल सरकार के पर्यटन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है, डीघा के राज्य पर्यटक लॉज में ठहरने वाले यात्रियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है :—

वर्ष	डीघा के राज्य पर्यटक लॉज में ठहरने वाले अतिथियों की संख्या
अप्रैल 1970 से मार्च 1971 तक	963
अप्रैल 1971 से मार्च 1972 तक	988
अप्रैल 1972 से मार्च 1973 तक	3945
अप्रैल 1973 से मार्च 1974 तक	6898
अप्रैल 1974 से दिसम्बर, 1974 तक	6754

(ख) क्योंकि अन्तर्देशीय पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास करने का उत्तरदायित्व मुख्यतया राज्य सरकार का है, यह निर्णय करना राज्य सरकार की क्षमता के अन्तर्गत है कि राज्यीय क्षेत्र में निधियों की उपलब्धता के अन्तर्गत रहते हुए तथा अन्य प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए, सुविधाओं की किन स्थानों पर अभिवृद्धि करने तथा/अथवा व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

(ग) ऐसा समझा जाता है कि सुन्दरबन में बखाली समुद्रतट भी एक विश्राम स्थल है, परन्तु दीघा कलकत्ता में रहने वाले व्यक्तियों के लिए अधिक लोकप्रिय है।

(घ) और (ङ) साधनों पर लगे प्रतिबन्धों के कारण, जिससे कि पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विकास में चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाना जरुरी हो गया है, दीघा को केन्द्रीय क्षेत्र में विकास करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है। परन्तु, राज्य सरकार ने पर्यटन संबंधी अपनी पांचवीं पंचवर्षीय योजना में दीघा में सुविधाओं के विकास के लिए व्यवस्था की है।

काफी का निर्यात

4395. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय काफी परिषद् ने अन्य देशों की तुलना में भारत को काफी का कितना कोटा निर्यात हेतु आवंटित किया है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) काफी वर्ष 1972-73 (अक्तूबर-सितम्बर) की पहली तिमाही के बाद अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन द्वारा काफी के निर्यात का कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया। 1972-73 की पहली तिमाही में भारत का कोटा 6650 मे० टन था जबकि इसकी तुलना में अन्य उत्पादक सदस्य देशों का कोटा 145 मे० टन से लेकर 2,74,159 मे० टन तक अलग अलग था।

काफी वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में भारत से किये गये काफी के निर्यातों का मूल्य, क्रमशः 45.06 करोड़ रु० तथा 52.89 करोड़ रु० था।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा कथित घटिया किस्म के आभूषणों की सप्लाई

4396. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि उसने आभूषणों के कुछ निर्यातकों को बहुमूल्य आभूषणों का मूल्य लेकर उन्हें घटिया किस्म के आभूषणों की सप्लाई की थी ;

(ख) क्या इस बीच केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले की जांच कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो निर्यातकों द्वारा की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच का क्या परिणाम निकला है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) आरोप आभूषणों के बारे में न होकर घटिया किस्म के अपरिष्कृत हीरों के सम्बन्ध में है ।

(ख) तथा (ग) एक पार्टी ने आरोप लगाया है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने घटिया किस्म के अपरिष्कृत हीरे सप्लाई किए हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो आरोप की जांच कर रहा है ।

सी० डी० ए० पटना कार्यालय में कर्मचारियों की कमी

4397. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० डी० ए० पटना कार्यालय के प्रत्येक अनुभाग में उतने कर्मचारी नहीं हैं जितनों की वहां आवश्यकता है ;

(ख) क्या उस कार्यालय में बहुत अधिक काम जमा हो रहा है ;

(ग) यदि हां, तो सी० डी० ए० पटना कार्यालय में भर्ती क्यों नहीं की जा रही है; और

(घ) पटना कार्यालय से प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बाहर क्यों नियुक्त किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) नियंत्रक रक्षा लेखा संगठन में कर्मचारियों की प्राधिकृत संख्या शक्ति की तुलना में कर्मचारियों की उपान्त कमी है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमन ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) नियंत्रक रक्षा लेखा, पटना को मुख्या कार्यालय तथा उपकार्यालयों के बीच कर्मचारियों का क्रमानुसार स्थानान्तरण करना पड़ता है ताकि कठिन/अप्रिय स्टेशनों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के स्थानान्तरण को सुनिश्चित किया जा सके। यह स्थानान्तरण प्रशिक्षण एवं सतर्कता की दृष्टि से भी किये जाते हैं ।

कन्ट्रोलर आफ डिफेन्स अकाउन्टस, पटना के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

4398. **श्री रामावतार शास्त्री**: क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना स्थित कंट्रोलर आफ डिफेन्स अकाउन्टस के कार्यालय में विभिन्न प्रकार के घोटाले किये जा रहे हैं तथा उनके विरुद्ध आवाज उठाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यावाही की जा रही है ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) जी हां, श्रीमन् ।

(ग) शिकायतों की जांच पड़ताल की गई थी तथा उन्हें आधारहीन पाया गया ।

प्रतिरक्षा-लेखा नियंत्रक के पटना स्थित कार्यालय के कार्यों के एक अन्श का विकेन्द्रीकरण

4399. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रतिरक्षा-लेखा नियंत्रक के पटना स्थित कार्यालय के कार्यों के एक अंश का विकेन्द्रीकरण करने का है ;

(ख) क्या उक्त कार्य रुड़की भेजे जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन कार्यों को पटना में ही अथवा बिहार में किसी अन्य स्थान पर न रखने के क्या कारण हैं ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) रक्षा लेखा नियंत्रक पटना के अधीन क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों के वेतन बिलों से संबंधित कार्य के विकेन्द्रीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) 'जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स' के कार्मिकों के वेतन लेखों की देखभाल से संबंधित कार्य के लिए रिकार्ड आफिस रुड़की या इसके निकट एक वेतन लेखा कार्यालय के खोलेजाने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

(ग) इन प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य यह है कि भुगतान/लेखा कार्य करने वाले कार्यालयों को यूनिट/संबंधित रिकार्ड कार्यालयों के निकट स्थापित किए जाएं ताकि भुगतान शीघ्र हों सकें तथा लेखे ठीक प्रकार से रखे जा सकें। इस कार्य को पटना में रखने या बिहार के किसी अन्य स्थान पर भेजने से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी ।

मैसर्स हिन्दुस्तान बोट्टीन इंडस्ट्रीज, कलकत्ता के प्रोमोटरों निदेशकों की कर सम्बन्धी देयतायें

4400. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स हिन्दुस्तान बोट्टीन इंडस्ट्रीज, कलकत्ता के प्रोमोटरों, निदेशकों के नाम क्या है और उनकी और आय-कर, धन-कर, उत्पादन शुल्क और निगम कर की कितनी राशि बकाया है तथा राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उनके विरुद्ध कभी कोई जांच की थी अथवा उनके विरुद्ध ऐसी कोई जांच चल रही थी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त कम्पनी के निदेशकों/प्रोमोटरों के निवास स्थानों अथवा कम्पनी के अहातों पर कोई छापा मारा गया था, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त छापों के दौरान क्या क्या चीजें पकड़ी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

बुश इंडिया लिमिटेड के निदेशकों के कर दायित्व

4401. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बुश इन्डिया लिमिटेड के निदेशकों के नाम क्या हैं और आयकर, धनकर, उत्पादन शुल्क और निगम कर के अन्तर्गत उन पर कितनी राशि बकाया है और उसको वसूल करने के लिये क्या कायवाही की गई है ;

(ख) क्या उनके विरुद्ध कभी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की गई थी अथवा इस समय उन के विरुद्ध ऐसी कोई जांच चल रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या निदेशक के निवास स्थान पर अथवा कम्पनी के अहाते में कोई छापे मारे गये थे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और छापों में पकड़े गये दस्तावेजों और माल का व्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

मैसर्स इंगलिश इलैक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड के निदेशकों की कर सम्बन्धी देयताएं

4402. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स इंगलिश इलैक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड के निदेशकों के नाम क्या हैं और उनकी ओर आय कर, धन कर, उत्पाद शुल्क तथा निगम कर की कितनी राशि बकाया है तथा बकाया राशि का वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या उनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कभी कोई जांच की थी अथवा इस समय उनके विरुद्ध ऐसी कोई जांच चल रही है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या निदेशकों के निवास स्थानों या कम्पनी के अहातों पर कोई छापा मारा गया था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और छापों के दौरान पकड़े गये दस्तावेजों और वस्तुओं का विवरण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

Export and Import

4403. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of main items imported during 1973-74; and

(b) the names of main items exported during the above period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) & (b) A statement showing main items imported & exported during 1973-74 is placed on the Table of the House. [**Placed in Library**. *See* **No L.T.-9266/75**]

उत्तर प्रदेश और बिहार द्वारा निश्चित राशि से अधिक राशि निकालना

4404. **श्री हरी सिंह**

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार ने पुन: निश्चित राशि से 100 करोड़ रुपयों की अधिक राशि निकाली है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) 15 मार्च, 1975 को उत्तर प्रदेश के नाम ओवरड्राफ्ट की कोई रकम नहीं थी। बिहार के नाम उसी दिन 32.70 करोड़ रुपये का ओवर-ड्राफ्ट था। इस ओवरड्राफ्ट से राज्य की प्राप्तियों और व्यय के बीच असन्तुलन का पता चलता है।

रुपये में व्यापार करने के लाभ तथा हानियां

4405. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपये में व्यापार करने में सामान्यतया क्या लाभ तथा हानियां हैं; और

(ख) किन देशों के रुपये में व्यापार करने सम्बन्धी करार अब तक (एक) लाभप्रद सिद्ध हुए हैं और (दो) किन देशों के अलाभकर ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(क) तथा (ख) रुपया व्यापार की व्यवस्था के जरिये देश के लिये मुक्त विदेशी मुद्रा संसाधनों का प्रयोग किये बिना मशीनरी और उपस्कर, फालतू पुर्जे, संघटक, महत्वपूर्ण कच्चा माल तथा मध्यवर्ती माल जैसी महत्पूवर्ण विकास मदें प्राप्त करना संभव हुआ है। इसके साथ-साथ निर्यात की परम्परागत मदों के लिये बाजार का परिवर्धन करना और साथ ही गैर-परम्परागत मदों के लिए नये बाजार ढूंढना भी संभव हुआ है। करार पारिस्परिक लाभ के आधार पर परामर्श करके किये जाते हैं।

वाणिज्यिक विमान चालक

4406. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में काफी वाणिज्यिक विमान चालक बेरोजगार हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने ;

(ग) वाणिज्यिक विमान चालक के प्रशिक्षण पर सामान्यत: कितनी धनराशि खर्च होती है; और

(घ) प्रशिक्षित वाणिज्यिक विमान चालक के लिए क्या वैकल्पिक रोजगार हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :(क) और (ख) इस समय लगभग 200 विमान-चालक बेरोजगार हैं।

(ग) वाणिज्यिक विमान चालन के लिए न्यूनतम अर्हता अर्थात् वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लगभग 30,000 रुपये का खर्च आता है।

(घ) वे नागर विमानन विभाग में सहायक विमान क्षेत्र अधिकारी, इंडियन एयरलाइन्स/एयर-इंडिया में उड़ान परिचालन अधिकारी तथा विमानन के क्षेत्र में अन्य उपर्युक्त पदों के लिये आवेदन-पत्र देने के पात्र हैं।

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में नियुक्त विदेशी नागरिक

4407. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में विमान चालकों, हवाई अड्डा प्रबन्धकों या विमान परिचारिकाओं के रूप में विदेशी नागरिक नियुक्त हैं; और

(ख) यदि हां तो कितने विदेशी नागरिक काम कर रहे हैं, उनके नाम और राष्ट्रीयता क्या है और उन्हें किन शर्तों पर तथा किन कारणों से नियुक्त किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) इंडियन एयर-लाइंस की नियमित सेवा में छः गैर-भारतीय हैं जिनमें एक विमान चालक भी है जिसे कारपोरेशन ने अनुसूचित विमान परिवहन का 1953 में राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद अपनी सेवा में ले लिया था। एयर इंडिया में कोई भी विदेशी राष्ट्रिक विमान चालकों के रूप में नियुक्त नहीं हैं। वहां 8 विमान क्षेत्र प्रबन्धक तथा 34 विमान-परिचारिकाएं ऐसी हैं जिनका संबंध विभिन्न विदेशी राष्ट्रिकताओं से है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9267/75]**

भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई के कार्यालय में क्लर्कों द्वारा काम करने से इन्कार

4408. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिजर्व बैंक के बम्बई कार्यालय में कुछ क्लर्कों ने हाल में काम करने से उस आधार पर इन्कार कर दिया कि उनकी मेजों को साफ नहीं किया गया ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की हड़ताल कितने कर्मचारियों ने की; और

(ग) इन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके बम्बई कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने 17 फरवरी, 1975 से फर्नीचर का झाड़ना-पोंछना यह दलील देकर बन्द कर दिया था कि यह काम चपरासियों के काम का अंग नहीं है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप बम्बई फोर्ट और वायकुला कार्यालयों में लिपिक वर्ग के 5580 कर्मचारी इस अवधि में सामान्य रूप से कार्यालय में हाजिर तो रहे किन्तु उन्होंने अपना सामान्य काम नहीं किया। बैंक ने सूचित किया है कि चपरासियों और मजदूरों का अपना सामान्य काम न करना, लिपिक कर्मचारियों के अपने काम करने में बाधक सिद्ध हुआ। बैंक के प्रबन्धकों के साथ 22 फरवरी, 1975 को समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ ने अपना आन्दोलन समाप्त कर दिया और 24 फरवरी, 1975 से झाड़ने-पोंछने का काम फिर किया जाने लगा। बैंक ने यह भी सूचित किया है कि इस मामले की परिस्थिति विशेष को ध्यान में रखकर बैंक ने लिपिक कर्मचारियों के द्वारा कुछ दिन काम न किये जाने के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है।

कर्नाटक में हवाई अड्डों सम्बन्धी विकास कार्य

4409. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक में विभिन्न हवाई अड्डों पर आरम्भ किये जाने वाले विकास कार्यों की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : 1975-76 के दौरान जिन महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की प्रगति करने का प्रस्ताव है उनमें बंगलौर हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का विस्तार तथा हुबली में एक हवाई अड्डे का निर्माण कार्य करना है। बेलगांव में टर्मिनल भवन के विस्तार तथा परिवर्तन से सम्बन्धित कार्य के इस वर्ष पूरा हो जाने की आशा है। मंगलौर में छोटे-मोटे सुधार कार्य भी प्रारम्भ किये जा सकते हैं।

'वी टिव्ल' पटसन की बोरियों का उत्पादन और सप्लाई

4410. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पटसन मिलें अनाज की पैकिंग के लिये प्रयोग किये जाने वाले 'वी-टिव्ल' पटसन की बोरियों का उत्पादन और सप्लाई करने में विलम्ब कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) विलम्ब का मुख्य कारण उद्योग में हाल ही में हुई लम्बी हड़ताल है। कतिपय मिलों ने अधिग्रहण आदेशों के विरुद्ध न्यायालयों से व्यादेश भी प्राप्त कर लिया है। रुके हुए आर्डर निपटाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं और व्यादेश रद्द करवाने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जिस फर्म के विरुद्ध जांच पड़ताल की जा रही है, उससे सम्बद्ध मामले में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के निदेशक का अन्तर्ग्रस्त होना

4411. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जिस फर्म के विरुद्ध जांच पड़ताल की जा रही है, उससे सम्बद्ध मामले में खनिज तथा धातु व्यापार निगम का एक निदेशक अन्तर्ग्रस्त है ;

(ख) क्या उक्त निदेशक के विरुद्ध अनिर्णीत आरोप होने के बावजूद पिछले चार पांच सालों के दौरान अनेक बार उसकी पदोन्नति की गई है ;

(ग) उक्त निदेशक के विरुद्ध कुछ आरोप केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निर्णयाधीन होने के बावजूद उसे किन परिस्थितियों में पदोन्नतियां दी गई हैं; और

(घ) उक्त मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो एक फर्म के विरुद्ध एक मामले की जांच कर रहा था जिसमें खनिज तथा धातु व्यापार निगम के एक निदेशक का भी संबंधित होना बताया जाता था।

(ख) तथा (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान, इस अफसर को गुणावगुण के आधार पर दो पदोन्नतियां मिली तथा उस समय उनके विरुद्ध कोई शिकायतें लम्बित नहीं थीं ।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच पड़ताल पूरी कर ली है और उसकी रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है जो इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

जीवन बीमा निगम के नये कारोबार की प्रगति

4412. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या चालू वर्ष में जीवन बीमा निगम के नये कारोबार की प्रगति गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में काफी धीमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में किए गए नए कारोबार के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इस वर्ष धीमी गति से प्रगति होने के क्या कारण हैं तथा कारोबार में तेज गति से वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) 1972-73 से 1974-75 तक के वित्तीय वर्षों के अन्तिम ग्यारह महीनों के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया नया कारोबार इस प्रकार था :--

(करोड़ रुपयों में)

	1-4-74 से 28-2-75 तक	1-4-73 से 28-2-74 तक	1-4-72 से 28-2-73 तक
वैयक्तिक बीमे	1264	1264	1208
सामूहिक बीमे	605	244	196
कुल बीमे	1869	1508	1404

यद्यपि चालू वर्ष के प्रथम ग्यारह महीनों के दौरान किए गए कारोबार में पूर्ववर्ती वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान किए गए कारोबार की अपेक्षा वृद्धि हुई है, तथापि वैयक्तिक बीमों के अन्तर्गत किए गए कारोबार में हुई वृद्धि जीवन बीमा निगम की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहीं जिसके, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारण हैं :

(i) मुद्रा-स्फीति के कारण मूल्यों में वृद्धि तथा उसके कारण व्यक्ति की बचत करने की गुंजाइश में कमी आ जाना ।

(ii) बैंकों, डाकघरों तथा गैर-बैंकिंग कम्पनियों में जमा जैसे बचत के अन्य तरीकों के साथ प्रतिस्पर्द्धा जिनमें अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त होता हो ।

(iii) वेतनमानों तथा सवारी भत्ता आदि में संशोधन संबंधी अपनी मांगें मनवाने के लिए विकास अधिकारियों द्वारा आन्दोलन (जो अब समाप्त हो गया है) ।

जीवन बीमा निगम, भविष्य में बीमा कराने वाले व्यक्तियों को उनके परिवार के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता समझाने का क्षेत्रीय स्तर पर तथा प्रचार द्वारा अधिका-

धिक प्रयास कर रहा है। वह ऐसी बड़ी सामूहिक बीमा योजनाओं को चालू करने के प्रयत्नों में भी तेजी ला रहा है जिनमें सहकारी प्रयत्न के कारण व्यक्तिगत बचत पर भार कम हो जाता है।

दीर्घकालीन बचत करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, वित्त विधेयक, 1975 में एक उपबन्ध किया गया है ताकि आयकर प्रयोजनों के लिये कर-निर्धारण योग्य आय की गणना करने में इस प्रकार की बचत के संबंध में कटौती की रकम में वृद्धि की जा सके।

विदेशी पूंजी निवेश

4413. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पूंजीनिवेश आमंत्रित व आकर्षित करने के लिए कोई निश्चित नीति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं, औद्योगिक विकास के किन क्षेत्रों में विदेशी पूंजीनिवेश, का स्वागत किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिए बनाई गई सूची में सम्मिलित उद्योगों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी फर्मों और उद्यमकर्त्ताओं द्वारा कुल कितना पूंजीनिवेश आवश्यक समझा जाता है और कितना पूंजीनिवेश किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस प्रकार विदेशी पूंजीनिवेश प्राप्त करने विशेषकर पूंजीनिवेश और स्वदेश भेजे जाने वाले लाभ की राशि के बीच अनुपात के संबंध में, क्या शर्तें रखी गई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : विदेशी निवेश के संबंध में सरकार की नीति अत्यधिक चयनात्मक रही है और इसका लक्ष्य हमारे देश की शिल्प विज्ञान संबंधी कमी को पूरा करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। बैंकिंग, वाणिज्य, वित्त, बागान, व्यापार, उपभोक्ता और अधिक लाभ देने वाले उद्योगों के क्षेत्र में विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति नहीं दी जाती। उन उद्योगों की सोदाहरण सूची जिनके लिये विदेशी पूंजी की अनुमति दी जाती है, औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित उद्योगों के लिए निर्देश 1974–75 में दी गयी है।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना (1974–79) के मसौदे में आयोजना की अवधि में देश में 74 करोड़ रुपये की गैर-सरकारी नयी पूंजी आने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) सरकार विदेशी निवेश का ऐसी टेकनालोजी के मंगाने के काम में उपयोग करने को तरजीह देती है, जो न तो सीधे खरीदी जा सकती है और न ही जिसे किसी आवधिक गारन्टी के समझौते के अन्तर्गत प्राप्त किया जा सकता है। जिन कुछ महत्वपूर्ण विचारों के आधार पर टैक्नालाजी और उसके आयात करने की विधि का चुनाव किया जाना चाहिए जो ये हैं:—विदेशी मुद्रा का निवल खर्च, निर्यात क्षमता, टेक्नालाजी की विशेषतायें और हमारी परिस्थितियों के अनुरूप उसकी उपयुक्तता, सहयोगियों के डिजाइन और परीक्षा सम्बन्धी क्रियाकलापों तक भारतीय इंजीनियरों की पहुंच, उपकरण और कच्चे माल के चुनाव को और शिल्प विज्ञान संबंधी विकास की गति के संबंध में निर्णय करने की स्वतंत्रता।

बंगला देश को नमक का निर्यात

4414. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश को लगभग 30,000 टन नमक का निर्यात करने के बारे में पूछ-ताछ की गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो बंगलादेश में आयात कर्त्ताओं ने क्या शर्तें रखी हैं और दोनों सरकारों के पारस्परिक सौदों के अन्तर्गत कितनी मात्रा में इसकी आवश्यकता है; और

(ग) नमक के निर्यात के लिए यदि बंगलादेश से कोई करार किया गया है, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) से (ग) भारत से बंगला देश को नमक की सप्लाई राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ही की जाती है। किन्तु बंगलादेश की सरकार ने हाल ही में 2 करोड़ रु० के वस्तु उपदान के अन्तर्गत 35,000 मे० टन नमक की सप्लाई के लिये अनुरोध किया है। सप्लाई समुद्री मार्ग से की जायेगी और भुगतान वस्तु उपदान पर लागू शर्तों और निबन्धनों के अनुसार किये जायेंगे।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा स्वदेश भेजी गई धनराशि

4415. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रहने वाले कुछ भारतीय प्रतिपूरक भुगतान गिरोह के माध्यम से धनराशि भारत भेजते हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे गिरोहों के माध्यम से अनुमानतः कितनी धनराशि भारत भेजी गई ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे लेन-देनों के स्वरूप को देखते हुए उनका सही-सही अनुमान लगाना संभव नहीं है।

बंगला देश के साथ रुपया-व्यापार-करार पर पुनः विचार

4416. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगला देश के साथ रुपया-व्यापार-करार के बारे में पुनर्विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) 17 दिसम्बर, 1974 को भारत तथा बंगला देश के बीच एक व्यापार संलेख सम्पन्न किया गया था जिसके अंतर्गत 1 जनवरी, 1975 से दोनों देशों के बीच व्यापार से संबंधित सभी भुगतान एवं प्रभार मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में किया जा रहा है। यह कदम दोनों देशों के बीच दोतरफा व्यापार में सुधार तथा वृद्धि के लिए उठाया गया है।

सऊदी अरब से वित्तीय सहायता

4417. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सऊदी अरब ने भारत को कितनी वित्तीय सहायता देना स्वीकार किया है ;

(ख) क्या सऊदी अरब ने इस वित्तीय सहायता का तेल की खरीद के लिए उपयोग पर रोक लगायी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सहायता का उपयोग कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के लिए किया जाना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) वित्तीय सहायता के संबंध में सऊदी अरब और भारत के बीच कोई करार नहीं किया गया है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

ईस्ट एंग्लिया प्लास्टिक कम्पनी को आयात लाइसेंस जारी करना

4419. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की ईस्ट एंग्लिया प्लास्टिक कम्पनी को 1973–74 और 1974–75 में कोई आयात लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या क्या है; और

(ग) क्या इन आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—9268/75]** जिसमें लाइसेंस प्राधिकरणों से अब तक प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर इस फर्म को 1973–74 तथा 1974–75 में जारी किये गये आयात लाइसेंस/रिलीज आर्डर दर्शाये गए हैं । शेष लाइसेंस प्राधिकरणों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) अयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के संबंध में कोई आरोप अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

आर्थिक अपराधों के लिये लोगों की गिरफ्तारी

4420. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिकारियों द्वारा आर्थिक अपराध करने वालों के यहां देश भर में, राज्य-वार, कुल कितने छापे मारे गए तथा वर्ष 1974–75 के दौरान उनसे कुल कितनी अघोषित धन-संपति बरामद की गई ;

(ख) तस्करों के यहां मारे गए छापों के बारे में इसी प्रकार का ब्यौरा क्या है और उनसे कुल कितने मूल्य की विभिन्न वस्तुयें पकड़ी गई; और

(ग) तस्करी के संबंध में, राज्य-वार, अब तक कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं तथा कितने वारंटों की क्रियान्विति होनी शेष है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) वर्ष 1974–75 में (31 जनवरी 1975 तक) आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों के संबंध में आयकर अधिकारियों द्वारा ली गई तलाशियों की संख्या तथा पकड़ी गई परिसम्पतियों का विवरण-पत्र अनुबन्ध 'क' के रूप में संलग्न है।

(ख) वर्ष 1974–75 में (31 जनवरी 1975 तक) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा ली गयी तलाशियों तथा पकड़ी गई वस्तुओं के मूल्य का तथा सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या के समाहर्ता कार्यालय-वार विवरण पत्र अनुबन्ध 'ख' तथा 'ग' के रूप में संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-9269/75]**

समुद्री उत्पादों का निर्यात

4421. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री विकास प्राधिकरण के एक दल ने हाल ही में समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए जापान और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ अन्य देशों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उस दौरे के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) वर्ष 1974–75 में भारत ने कितने और कितने मूल्य के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया था; और

(घ) वर्ष 1975–76 में समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां, एक बिक्री दल ने दिसम्बर, 1974 में जापान का दौरा किया।

(ख) इस प्रतिनिधिमण्डल ने जापानी आयातकों को भारत में समुद्री खाद्य पदार्थ उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी और हमारे उत्पादों के संबंध में उनकी गलतफहमियां दूर कीं। इस दौरे के परिणामस्वरूप प्रतिनिधिमण्डल को लगभग 15.00 करोड़ रु० की पुख्ता पेशकशें प्राप्त हुई और तभी से निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ग) यह अनुमान लगाया जाता है कि अप्रैल-फरवरी, 1975 (1974–75) के दौरान 59.42 करोड़ रु० मूल्य के 38854 मे० टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया।

(घ) सरकार मछली की निर्यातयोग्य किस्मों के लिये उत्पादन आधार के सुदृढ़ीकरण तथा विविधीकरण हेतु गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के ट्रालरों के प्रयोग में वृद्धि करने के लिए कदम उठा रही है। ट्रालरों के लिए उपदान और शुल्क मुक्त डीजल तेल की सप्लाई से उत्पादन लागत में कमी आयेगी जिससे हमारे उत्पाद अधिक प्रतियोगी बन सकेंगे। निर्यातों के गन्तव्य स्थलों के विविधीकरण के लिए नये बाजारों का विकास किया जा रहा है।

मारिशस को अफीम की तस्करी करने वाला गिरोह

4423. **श्री भाऊ साहेब धामनकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बम्बई से मारिशस को बड़े पैमाने पर अफीम की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह, जिसमें एयर इण्डिया के अनेक कर्मचारी शामिल हैं, का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस घोटाले में कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है ;

(ग) इस संबंध में अब तक कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; उनमें से कितने व्यक्ति एयर इण्डिया के कर्मचारी हैं तथा अन्य लोग कौन हैं; और

(घ) क्या उन सभी के विरुद्ध कोई मामले दर्ज किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) मारिशस में $29\frac{1}{2}$ पोण्ड अफीम के पकड़े जाने पर बम्बई में पूछताछ की गई, जिससे पता चला कि बम्बई से मारिशस को अफीम की तस्करी में एयर इण्डिया के कुछ कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त थे ।

(ख) इसमें वैध बाजार मूल्य पर लगभग 40,000 रु० की विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है ।

(ग) अब तक 19 गिरफ्तारियां की गई हैं जिनमें से 8 मारिशस की पुलिस द्वारा की गई । गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से 18 एयर इण्डिया के कर्मचारी हैं । मुख्य अभियुक्त, जो एयर इण्डिया का ही कर्मचारी है, फरार है ।

(घ) सभी अभियुक्तों के विरुद्ध बम्बई में मामला दायर कर दिया गया है ।

मुद्रा विनिमय लाइसेंस के लिए यात्रा एजेंटों की पात्रता

4424. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास जैसे नगरों में यात्रा एजेंट, जिनकी वार्षिक आय विदेशी मुद्रा में 10,000 डालर है, मुद्रा विनिमय लाइसेंस पाने के पात्र होंगे; और

(ख) प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता-प्राप्त यात्रा एजेन्टों को मुद्रा-विनिमय लाइसेंस जारी करने का मामला भारत के बम्बई स्थित रिजर्व बैंक के साथ उठाया गया था जिन्होंने सरकार द्वारा पुष्टि किए जाने की स्थिति में केवल उन्हीं एजेंसियों के बारे में विचार करने पर अपनी सहमति प्रकट की जो वर्तमान अपेक्षाओं को पूरा करती हैं और जिनका अन्य बातों के साथ साथ कम से कम 10,000 अमरीकी डालर या उसके बराबर का व्यवसाय चार महानगरों में हो और 5,000 अमरीकी डालर का व्यवसाय भारत के अन्य स्थानों में हो । ऐसे लाइसेंसों के प्रदान करने के लिये शर्तों को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा इस मामले पर कार्यवाही जारी है ।

Excise Duty on Khandsari

4425. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the excise duty on the Khandsari produced by Khandsari mill set up in Indore division (Madhya Pradesh) is less by Rs. 100 per quintal whereas the market rate of such sugar is less by Rs. 25 or Rs. 30 than that of the crystal sugar; and

(b) if so, whether Government propose to take any action to change excise duty on a uniform rate from the sugar mills ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) & (b) The information is being collected and will be supplied as soon as it is received.

Evasion of Taxes by M/s Chhaganlal Panchulal

4426. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5494 on the 20th December, 1974 regarding evasion of taxes by M/s Chhagan Lal Panchulal, Indore and state :

(a) whether Government are aware of the fact that the proprietors of Chhaganlal Panchulal firm purchased ginning factories, godowns as well as houses in Ujjain and Indore in different names during 1972-73 and 1973-74;

(b) whether the value of these factories, godowns and houses has been shown in the registration documents far below their actual value to avoid income-tax; and

(c) if so, whether Government propose to enquire into this affair ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) to (c) Government are aware of the fact that M/s Chhanganlal Panchulal, Indore had acquired an oil mill and a ginning and pressing mill during the period relevant to assessment year 1974-75. Further enquiries as to the real value of the above mills as also any other asset that might have been acquired by the assessee during the years 1972-73 and 1973-74 are in progress.

देश में गैर-अनुसूचित बैंकों की संख्या

4427. **श्री बालकृष्ण वेन्कन्ना नायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में उन अनुसूचित बैंकों की कुल संख्या कितनी है जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया ;

(ख) उनमें से प्रत्येक में, बैंकवार, 31 दिसम्बर, 1974 को कितनी धनराशि जमा थी; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1974 को उन में से प्रत्येक बैंक की शाखाओं की संख्या और नाम क्या थे ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य के ध्यान में देश में कार्यरत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं। इस समय देश में निजी क्षेत्र में 50 वाणिज्यिक बैंक कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में से प्रत्येक की जमाओं की दिसम्बर, 1974 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति और दिसम्बर, 1974 के अन्त में भारत में उनकी शाखाओं की संख्या संलग्न विवरण में प्रस्तुत है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—9270/75]**। क्योंकि शाखाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, अतएव ये शाखायें जिन स्थानों में अवस्थित हैं, उनके नाम नहीं

दिए गए हैं। अलबत्ता, भारत संघ में बैंकों और उनकी शाखाओं आदि विषयक 31 मार्च, 1973 की स्थिति के बारे में सूचना रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित "स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इण्डिया (1972)" नामक प्रकाशन के परिशिष्ट 1 में दी गयी है।

निर्यात योग्य लौह अयस्क में आवश्यक लौह तत्व

4428. **श्री बालकृष्ण वेन्कन्ना नायक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात योग्य लौह अयस्क में निम्नतम कितने प्रतिशत लौह तत्व होना चाहिए; और

(ख) 1974 में निर्यात किए गए ब्लैंडिड अयस्क की प्रतिशतता क्या थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) निर्यात योग्य लौह अयस्क में लौह तत्व की निम्नतम प्रतिशतता, खरीदार की आवश्यकताओं पर निर्भर होगी। भारतीय लौह अयस्क के अधिकांश निर्यात, 56 प्रतिशत लौह तत्व से अधिक वाले ग्रेडों के होते हैं।

(ख) निर्यात किए जाने वाला सभी लौह अयस्क ब्लेंडिड अयस्क होता है।

इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों में आगे की सीटों का आरक्षण

4429. **श्री बालकृष्ण वेन्कन्ना नायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के असैनिक विमानों में आगे की सीटों को धूम्रपान न करने वाले व्यक्तियों के लिये आरक्षित किया जाना आई०ए०टी०ए० के विनियमों के अनुरूप है; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा किस आधार पर किया जाता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था ने धूम्रपान न करने वाले व्यक्तियों के लिये विमान पर सीटों के आरक्षण के लिये कोई विनियम नहीं निर्धारित किए हैं। इस विषय में अन्य विमान कम्पनियों द्वारा अपनायी गयी प्रथा का अनुसरण करने की दृष्टि से इंडियन एयरलाइन्स धूम्रपान न करने वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिये अनुरोध किये जाने पर 'पहले आओ पहले पाओ' की नीति के आधार पर अगली पंक्ति में कुछ सीटें अलाट करते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की ईक्विटी पूंजी

4430. **श्री बालकृष्ण वेन्कन्ना नायक** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की इक्विटी पूंजी को एक रुपया राष्ट्रीय शेयर पूंजी रख कर बाजार भाव पर ऋण के रूप में बदलने में क्या कठिनाई है ; और

(ख) सरकारी खजाने में इस प्रकार कितनी इक्विटी पूंजी वापस आ जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) अधिकांश सरकारी उद्यम कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं जिसके अनुसार इक्विटी पूंजी की व्यवस्था करना आवश्यक है। ईक्विटी पूंजी कम्पनी की स्थायी पूंजी की परिचायक है।

(ख) यदि इक्विटी पूंजी को ऋण में बदल भी दिया जाएगा तो उससे केवल पूंजी के स्वरूप में ही परिवर्तन होगा और सरकार को तत्काल कोई धन वापस प्राप्त नहीं होगा।

Development of Tourism and Civil Aviation in Udaipur

4431. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether high-ranking officers of his Ministry had visited Udaipur, Rajasthan in January, 1975;

(b) if so, the recommendations made by them in regard to the development of tourism and civil aviation in Udaipur; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) to (c) The Civil Aviation Department is developing the existing aerodrome at Udaipur to make it suitable for Boeing 737 operations. There has been some delay in the normal maintenance of progress on the part of the contractor and due to non-availability of land for extension of the runway and for provision of approach lighting. The land for which requisition was placed on the State Government has not yet been acquired. The question has been taken up with the Government of Rajasthan. Director General of Civil Aviation and two other senior officers of the Civil Aviation Department visited Udaipur in January, 1975 and had discussions with the State officials concerned. They also discussed the matter with the Chief Secretary, Rajasthan at Jaipur. As a result of the discussions, the land required for development works and approach lighting is expected to be made available shortly.

Lake Palace Hotel, Udaipur

4432. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange earned by Government during 1974 from foreign tourists through Lake Palace Hotel in Udaipur; and

(b) the facilities being provided by Government to Lake Palace Hotel with a view to attracting foreign tourists ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The amount of foreign exchange earned by Lake Palace Hotel, Udaipur in 1974 according to information supplied by the Hotel was Rs. 6.85 lakhs.

(b) Facilities accorded to approved Hotels including Lake Palace Hotel, Udaipur constitute release of foreign exchange for import of essential equipments, provisions, advertisements and promotional tours abroad. The publicity by the Department of Tourism and its offices is about hotels in India and occasionally about hotels which attract foreign holiday-makers, such as resort and palace hotels. The Lake Palace Hotel is included in these categories.

राज्यों को केन्द्रीय सहायता में वृद्धि

4433. **श्री अरविन्द एम० पटेल**
श्री एन० आर० वेकारिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोरदार मांग के बावजूद केन्द्रीय सरकार का विचार राज्यों को केन्द्रीय सहायता की राशि में वृद्धि करने का नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1975–76 के लिये प्रत्येक राज्य के लिए कितनी कितनी सहायता निर्धारित की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) राज्य की आयोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता की रकम चालू वर्ष के स्तर की तुलना में 115 करोड़ रुपये बढ़ा दी गयी है ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

राज्य	राज्यों की 1975–76 की वार्षिक आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता का आबंटन
1	2
	(करोड़ रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश	48.75
असम	40.04
बिहार	68.68
गुजरात	32.17
हरियाणा	15.99
हिमाचल प्रदेश	22.35
जम्मू और कश्मीर	30.21
कर्नाटक	35.46
केरल	35.72
मध्य प्रदेश	53.32
महाराष्ट्र	49.98
मणिपुर	7.52
मेघालय	8.85
नागालैण्ड	7.12
उड़ीसा	32.70

1	2
पंजाब	20.64
राजस्थान	45.06
तमिलनाडु	41.15
त्रिपुरा	7.61
उत्तर प्रदेश	106.89
पश्चिम बंगाल	44.94
जोड़	755.15
छः सूत्री फार्मूले की अन्तर्गत आन्ध्र-प्रदेश को सहायता	18.00
अब तक अनिर्धारित	
1. पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र	40.00
2. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	40.00
3. उत्तर-पूर्वी परिषद कार्यक्रम	10.00
4. आयोजनागत सहायता के लिये विशेष अग्रिम	100.00
कुल जोड़	963.15

सरकारी उपक्रमों द्वारा छोटे एककों को बीजक विपणन सुविधायें दिया जाना

4434. **श्री वसन्त साठे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों को बीजक-विपणन योजना के अधीन छोटे एककों को बीजक-विपणन सुविधायें देने के निदेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी सरकारी उपक्रमों विशेष कर भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, द्वारा छोटे एककों पर बीजक विपणन योजना लागू की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गए हैं कि छोटे पैमाने के एककों को विकसित करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने की हमारी नीति के विचार से छोटे पैमाने के एककों को बीजक-विपणन योजना की सुविधा दी जाए ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से धन प्राप्त करने में बीजकों का प्रयोग बढ़ाने और परम्परागत नकद ऋण प्रणाली पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से नवम्बर 1971 से नयी बीजक विपणन योजना चालू की है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंकों को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए थे

(ख) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने उपयुक्त मामलों में लघु उद्योग एककों को इस योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान किये हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) इस योजना से लघु उद्योग एकक भी लाभ उठा सकते हैं ।

नियंत्रित किस्म के कपड़े के वितरण में बिहार को रियायत देना

4435. **श्री एम० एस० पूरती** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रित किस्म के कपड़े के वितरण के बारे में बिहार को कोई रियायत दी गई है जहां गम्भीर सूखा की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) राज्य के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वितरण हेतु नियंत्रित कपड़े के अतिरिक्त आवंटन के लिए बिहार राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध पर सितम्बर तथा अक्तूबर, 1974 के महीनों में नियंत्रित कपड़े की लगभग 3164 लाख गांठों की अतिरिक्त मात्रा आवंटित की गई थी ।

सौराष्ट्र में पोरबन्दर हवाई अड्डे का विकास

4436. **श्री पी०जी० मालवंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र में पोरबन्दर हवाई अड्डे के विकास की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) उक्त हवाई अड्डे को विकास परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है तथा कितनी राशि मंजूर की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग) एच०एस०—748 परिचालनों के योग्य बनाने के लिये पोरबन्दर विमान क्षेत्र का लगभग 9 लाख रुपये की अनुमानित लागत से विकास किया जा रहा है । निर्माणकार्य के शीघ्र पूरा होने की आशा है ।

गुजरात में मत्स्य-पालन उद्योग का विकास

4437. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात से मछली के निर्यात में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो गुजरात में मत्स्य पालन उद्योग का विकास न हो सकने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या मत्स्य पालन से सम्बद्ध एक या अधिक अखिल भारतीय समितियों और निकायों में गुजरात को प्रतिनिधित्व प्राप्त है और यदि हां, तो तत्संबद्ध तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(घ) गुजरात की मत्स्य पालन से सम्बद्ध निम्नलिखित निकायों ने प्रतिनिधित्व प्राप्त है :–

(1) गुजरात मत्स्यपालन मंत्री और मछली उद्योग के गैर सरकारी प्रतिनिधि को मत्स्य पालन के सर्वोच्च सलाहकार निकाय, केन्द्रीय मत्स्यपालन बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्राप्त है ।

(2) मत्स्य पालन आयुक्त, गुजरात केन्द्रीय मत्स्यपालन समन्वषी सलाहकार समिति के सदस्य हैं ।

(3) भारत से किए जाने वाले समुद्री उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए उपाय करने के लिए गठित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में मत्स्यपालन आयुक्त, गुजरात और गुजरात के मछली उद्योग के एक व्यापार सदस्य को प्रतिनिधित्व प्राप्त है ।

(4) मत्स्य पालन आयुक्त, गुजरात मैसर्स केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम, कलकत्ता के निदेशक बोर्ड में निदेशक हैं ।

इण्डियन एसोसिएशन फार एक्सपेरीमेंट इन इण्टरनेशनल लिविंग द्वारा विदेशी मुद्रा का हेर फेर

4439. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री मैसर्स एक्सपैरीमेंट इन इन्टरनेशनल लिविंग द्वारा किये गये विदेशी मुद्रा के लेनदेन की जांच के बारे में 31 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5196 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन एसोसियेशन फार एक्सपैरीमेंट इन इन्टरनेशनल लिविंग के सैक्रेटरी जनरल द्वारा विदेशी मुद्रा संबंधी हेर फेर की शिकायतों के बारे में जांच पूरी कर ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) क्या कोई व्यक्ति गिरफ्तार किये गए हैं अथवा इस बारे में मुकदमे दायर किए गये हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) मैसर्स "एक्सपैरीमेंट इन इन्टरनेशनल लिविंग" और उसके महासचिव को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के विभिन्न उपबन्धों का स्पष्टत: उल्लंघन करने के संबंध में दस कारण बताओ नोटिस जारी किये जा चुके हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

सर्वोच्च रैंक के भूतपूर्व नरेशों और उनके रिश्तेदारों के पास बिना हिसाब का धन

4440. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन
श्री सरजू पाण्डे
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सर्वोच्च रैंक के अन्य भूतपूर्व नरेशों और उन के रिश्तेदारों के

पास, हाल ही में जयपुर में मारे गए छापों में पाए गए धन जैसे, बिना हिसाब के बहुत से छिपे धन के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा साथ साथ कार्यवाही न किये जाने के कारण ऐसे धन के भौतिक तथा कानूनी ढंग से बच निकलने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जब कभी, किसी व्यक्ति द्वारा धन के छिपाने के संबंध में सूचना मिलती है, आयकर विभाग उसके बारे में जांच करके उपयुक्त कार्यवाही करता है । आवश्यक समझे जाने पर अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को इस प्रकार की कार्यवाही में शामिल किया जाता है ।

भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न केन्द्रों के चपरासियों द्वारा नियमानुसार काम करने का आन्दोलन

4441. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के चपरासियों ने विभिन्न केन्द्रों में हाल ही में नियमानुसार काम करने का आन्दोलन किया था;

(ख) यदि हां, तो किन किन शिकायतों और मांगों को लेकर आन्दोलन किया गया था ;

(ग) समझौते की शर्तें क्या थीं ; और

(घ) क्या रिजर्व बैंक के गवर्नर के दृष्टि कोण के कारण नियमानुसार काम करने का आन्दोलन कुछ समय तक चलता रहा ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बम्बई में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने 17 फरवरी, 1975 से फरनीचर झाड़ना और पोंछना इस दलील पर बंद कर दिया था कि यह चपरासियों, मजदूरों आदि के काम का अंग नहीं है । बैंक के प्रबन्धकों के साथ 22 फरवरी, 1975 को समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने पर रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ, बम्बई ने अपना आन्दोलन समाप्त कर दिया और बैंक तथा आल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स फेडरेशन के बीच विचार-विमर्श पूरा होने तक, बम्बई में, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने 24 फरवरी, 1975 से झाड़पोंछ का काम आरम्भ कर दिया ।

आल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स फेडरेशन के साथ चर्चा के बाद बैंक ने यह निर्णय किया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में (चपरासियों/मजदूरों के खाली पदों पर फराशों की नियुक्ति करके) काम को कुछ इस प्रकार बांटा जाए कि बैंक को अतिरिक्त खर्च भी न करना पड़े और कुछ समय में झाड़ने-पोंछने का काम मुख्य रूप से फराशों द्वारा ही किया जाये । फिर भी, यदि चपरासियों और मजदूरों को किसी समय फरनीचर को झाड़ने-पोंछने का काम करने के लिए कहा जायगा तो उन्हें करना होगा । 22 फरवरी, 1975 के समझौते की शर्तों में से एक शर्त में यह भी व्यवस्था है कि संबंधित कर्मचारी का एक दिन का वेतन काट लिया जायेगा और एक दिन की आकस्मिक छुट्टी से उसे वंचित रहना होगा ।

यह आन्दोलन उस समय आरम्भ किया गया था जब झाड़-पोंछ का प्रश्न उन मामलों में से एक था, जिन पर आल इंडिया रिजर्व बैंक आफ इंडिया वर्कर्स फेडरेशन (जिसके साथ बम्बई यूनियन सम्बद्ध है) के साथ चर्चा की तारीख फेडरेशन से तय हो गयी थी ।

सोवियत संघ को बने हुये ऊनी कपड़ों के निर्यात में वृद्धि

4442. **डा० रानेन सेन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री सोवियत संघ को बने हुए ऊनी कपड़ों के निर्यात में वृद्धि के बारे में 6 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3402 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस की क्रय एजेन्सी ने भारत से रूस वापस आकर सोवियत रूस को बुने हुए ऊनी कपड़ों के निर्यात के लिये क्रयादेशों को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1975 के व्यापार कार्यक्रम के अन्तर्गत रूसी क्रेता अभिकरण ने 16,99,47,930 रु० मूल्य के 27,86,000 अदद ऊनी निट वियर के आयात के लिये भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम, नई दिल्ली के साथ संविदायें की हैं ।

बंगलौर तथा मंगलौर के बीच विमान सेवा

4443. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर तथा मंगलौर के बीच फिर से विमान सेवा आरम्भ करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) अपनी ग्रीष्म कालीन समयवाली में इंडियन एयरलाइन्स का मद्रास/बंगलौर/मंगलौर मार्ग पर एच०एस०-748 विमान द्वारा सप्ताह में तीन बार विमान-सेवा परिचालन का प्रस्ताव था । किन्तु एक एच०एस०-748 विमान के भूमिस्थ किए जाने के परिणामस्वरूप कारपोरेशन के विमान-बेड़े की तंग-स्थिति इस प्रस्ताव को फिलहाल अस्थगित कर दिया गया है ।

मंगलौर तथा बम्बई के बीच बोइंग सेवा

4444. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर तथा बम्बई के बीच फिर से बोइंग सेवा चालू करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां .

(ख) इंडियन एयरलाइन्स अपने जैट विमान बेड़े में वृद्धि हो जाने तथा मंगलौर हवाई अड्डे पर बोइंग 737 विमानों के वर्ष-भर परिचालन के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर देने के पश्चात ही बम्बई/मंगलौर खण्ड पर बोइंग-737 विमान सेवा परिचालित करने पर विचार करेगी ।

कर्नाटक में 'चिट फण्ड' संस्थायें

4445. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या वित्तमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निगमित और गैर-निगमित क्षेत्र में पृथक-पृथक कर्नाटक राज्य में कुल कितनी 'चिट फण्ड' संस्थायें हैं और वर्ष 1974 में अपने ग्राहकों को इन संस्थाओं द्वारा कुल कितनी राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी गई ;

(ख) क्या चौदह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात देश में इन संस्थाओं की गतिविधियों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो किस सीमा तक वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या इन संस्थाओं में से किसी एक का राष्ट्रीयकृत बैंकों से ग्राहकों के रूप में या अन्य किसी प्रकार से कोई सम्पर्क है और यदि हां, तो इन सम्बन्धों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) विविध गैर बैंकिंग कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1973 और बातों के साथ उन कम्पनियों पर भी लागू होते हैं जो परम्परागत चिट फण्ड योजनाओं का कारोबार करती हैं। वे गैर निगमित क्षेत्र की चिट फण्ड संस्थाओं पर लागू नहीं होते। रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि परम्परागत चिट फण्ड व्यवसाय करने वाली चिट फण्ड कम्पनियों की योजनाएं स्वत: समापी (सेल्फ लिक्विडेटिंग) प्रकार की होती हैं और उनमें भाग लेना, परस्पर लाभ की योजनाओं में भाग लेने जैसा है, इसलिए इन कम्पनियों द्वारा अपने सदस्यों से लिये गये चन्दे को बैंक द्वारा जारी किये गये उपर्युक्त निदेशों के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। परम्परागत चिट फण्ड व्यवसाय करने वाली संस्थाओं के कार्यकलापों पर राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रण रखा जाता है तथा कई राज्य सरकारों ने इस प्रयोजन के लिए विशेष विधान बनाये हैं। किन्तु कर्नाटक राज्य में इस प्रकार का कोई विधान नहीं है। रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उपयुक्त परिस्थितियों में उसके पास ऐसी कोई निश्चित सूचना नहीं है कि कर्नाटक राज्य में चिट फण्ड संस्थाओं की कुल संख्या कितनी है और इन संस्थाओं ने 1974 वर्ष में अपने सदस्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी है। इस के साथ ही रिजर्व बैंक ने यह भी सूचना दी है कि बैंक की डाक-सी सूची (मेलिंग लिस्ट) के अनुसार कर्नाटक राज्य में परम्परागत चिट फण्ड कम्पनियों की संख्या 19 है।

(ख) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक की डाक-सूची के अनुसार देश में 31 मार्च, 1969 को परम्परागत चिट फण्ड कम्पनियों की संख्या 110 थी जो 31 मार्च, 1971 तक बढ़कर 185 हो गई थी तथा 31 मार्च 1974 तक और बढ़कर 313 हो गई है।

(ग) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस प्रकार की कई कम्पनियों का राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ जमाकर्त्ता और अथवा ऋणकर्त्ता के रूप में लेनदेन विद्यमान हो सकता है किन्तु इस बारे में उसके पास कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है।

फ्लोटिंग रेस्टोरेंट

4446. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये फ्लोटिंग नामक लग्जरी क्रूजर चालू किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये विदेशी जहाज लेने पर कितना पूंजी निवेश करना पड़ा और अब तक पूरी की गई यात्राओं के क्या परिणाम रहे अर्थात क्रूजर ने विदेशों की कितनी बार यात्रा की और इससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ; और

(ग) इस अभियान से कितनी हानि अथवा लाभ हुआ और क्या अन्त के परिणाम से इस योजना को आगे चलाने का औचित्य ठहरता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए "फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के नाम से कोई क्रूजर नहीं चलाया गया है । भारतीय जहाजरानी कार्पोरेशन ने हिन्द महासागर में पर्यटकों के लिए लग्जरी पोत-विहार प्रारंभ करने के लिये एयर-इंडिया तथा ट्रेवल कार्पोरेशन (इण्डिया) प्रा० लि० के सहयोग से एक लग्जरी क्रूजर, एम० टी० एस० "जुपीटर" चालू किया था ।

(ख) और (ग) इस उद्यम के लिये किसी सरकारी विभाग द्वारा कोई धन विनियोजन नहीं किया गया था । समुद्री यात्राओं, अर्जित विदेशी मुद्रा, लाभ/हानि आदि के कार्यकारी परिणामों के बारे में वास्तविक ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

एम० टी० एस० "जुपीटर" ने चालू सीरीज में निम्नलिखित समुद्री यात्राएं पूरी की हैं; (i) कार्य प्रारंभ करने से पहले स्थिति ग्रहण करने के लिए जेनेवा से बम्बई तक की समुद्रीयात्रा (पोजीशनिंग वायेज); (ii) 21 दिसम्बर, 1974 तथा 15 फरवरी, 1975 के बीच हिन्द महासागर में सात 9-दिवसीय-पोतविहार यात्राएं तथा (iii) इसकी मालिकों को सुपुर्दगी के लिये बम्बई से जेनेवा के लिये वापसी समुद्री यात्रा ।

हालांकि मुख्य रूप से विश्व व्यापी आर्थिक मंदी, एयर-इण्डिया की लम्बी हड़ताल तथा कई अन्य कारणों से पहली चार यात्राओं के परिणाम उत्साहजनक नही रहे परन्तु अन्तिम तीन यात्राओं में गति आई यहां तक कि उपलब्ध सीटों की संख्या से मांग अधिक बढ़ गई । देश ने एयर-इण्डिया द्वारा वसूल किये गये यात्रा किराये, भारतीय जहाजरानी कार्पोरेशन को उनकी ओर से परिव्यय के सम्बन्ध में पोत के मालिकों द्वारा विदेशी मुद्रा में की गई प्रतिपूर्ति, परिभ्रमणों (एक्सकर्शन) तथा अन्य दृश्यावलोकन भ्रमणों का प्रबन्ध करने के लिए ट्रेवल कार्पोरेशन आफ इण्डिया द्वारा एकत्रित धनराशि, यात्रियों द्वारा दुकानों से खरीदे गये सामान के मूल्य, भारतीय बंदरगाहों पर जहाज के बंकरों, स्टोरों, रसद, आदि के लिए मालिकों द्वारा भुगतान की गई धनराशि के रूप में मूल्यवान विदेशी मुद्रा भी अर्जित की । इसके अतिरिक्त इस प्रथम प्रयास से भारत का, विशेषकर लक्षद्वीप का, जो प्रचार हुआ उससे पर्यटन की अभिवृद्धि में सहायता मिली है ;

गुलमर्ग से अधिक ऊंचाई तक जाने वाली चेयर लिफ्ट

4447. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब सरकार ने विवरण-पुस्तिका में विज्ञापन दे रखा है कि 'स्की' प्रेमियों को गुलमर्ग से अधिक ऊंचाई तक ले जाने के लिए दैनिक और 'सीजन टिकटों' के आधार पर चेयर-लिफ्ट चलाई जायगी तो भी चेयर-लिफ्टें बहुधा खराब रहती है और पर्यटकों को प्रत्येक लिफ्ट के लिये पैसे अदा करने पड़ते हैं ;

(ख) क्या चेयर-लिफ्ट का इतना असन्तोषजनक रख-रखाव किया जाता है कि वह चलती-चलती बार-बार बन्द हो जाती है और एक अच्छे 'स्कीअर' को चेयर-लिफ्टों के लिये इतने अधिक पैसे देने पड़ते हैं जितने यूरोप के सर्वोत्तम स्वास्थ्य-लाभ स्थलों पर देने पड़ते हैं और इस लिये उसे गुलमर्ग के स्की स्थल आकर्षक और उत्साहवर्धक प्रतीत नहीं होते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी त्रुटियों को दूर करने और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये कोई उपचारात्मक उपाय करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :(क) से (ग) 1974-75 की शीत ऋतु के दौरान गुलमर्ग में चेयर-लिफ्ट निम्न समयों पर परिचालित हुई (इस में रविवार तथा सार्वजनिक छुट्टियां भी सम्मिलित हैं) :—

(i)	1-11-1974 से 31-12-1974 तक	1000 बजे से 1300 बजे 1330 बजे से 1630 बजे
(ii)	1-1-1975 से 6-1-1975 तक	1000 बजे से 1300 बजे 1330 बजे से 1600 बजे
(iii)	7-1-1975 से 28-2-1975 तक	1000 बजे से 1300 बजे 1330 बजे से 1630 बजे

1 मार्च 1975 से ये समय 1000 बजे से 1300 बजे तथा 1330 बजे से 1715 बजे हैं। जब कभी याली नहीं होते हैं तब चेयरलिफ्ट स्वाभाविक तौर पर बन्द रहती है।

1-11-1974 से 21-3-1975 तक की 141 दिनों की अवधि में चेयरलिफ्ट कुछ मरम्मत के लिए केवल 14 दिन बन्द रही। जिन दिनों चेयरलिफ्ट बन्द रही उन दिनों का कोई प्रभार नहीं लगाया गया।

जैसा कि ब्राशर में प्रचारित किया गया है, चेयरलिफ्ट की प्रत्येक सिंगल ट्रिप (एक तरफ) के लिए प्रति वयस्क 2 रुपये तथा 12 वर्ष से कम प्रति बच्चा 1 रुपया प्रभार है; वापसी ट्रिप (दोनों तरफ) प्रति वयस्क 3 रुपये तथा 12 वर्ष से कम प्रति बच्चा 1.50 रुपये है। स्कीअर्स के लाभ के लिये अनेक ट्रिपों (एक तरफ) के प्रभार निम्न प्रकार हैं :—

(1)	10 ट्रिप (एक तरफ)	16 रुपये प्रति वयस्क 8 रुपये प्रति बच्चा (12 वर्ष से कम)
(2)	20 ट्रिप (एक तरफ)	30 रुपये प्रति वयस्क 15 रुपये प्रति बच्चा (12 वर्ष से कम)

गुलमर्ग में विभिन्न 'लिफ्टों' के प्रयोग के लिए सीज़न टिकट जारी करने, जैसाकि यूरोप में रिवाज है, के प्रश्न पर तब विचार किया जाएगा जब गुलमर्ग में लम्बी अवधि के लिए ठहरने वाले स्कीअर्स की संख्या पर्याप्त हो जाएगी और इस प्रकार की सुविधा की आवश्यकता पड़ेगी।

हालांकि गुलमर्ग में शीतकालीन क्रीड़ा सुविधाओं के लिए प्रभारों की तुलना यूरोप में वैसी सुविधाओं के साथ कर सकना संभव नहीं है, क्योंकि यूरोप में लगाई गई विभिन्न लिफ्टें काफी लम्बी

हैं, स्की विहारस्थल अत्यधिक विकसित हैं और स्कीअर्स बहुत अधिक हैं, फिर भी यह कहा जा सकता है कि गुलमर्ग में जबकि चेयरलिफ्ट की सिंगल ट्रिप के लिये प्रभार प्रतिवयस्क 2 रुपये है आस्ट्रिया में यह लगभग 6.90 रुपयें प्रति वयस्क है; जबकि गुलमर्ग में चेयरलिफ्ट के पूरे दिन के (30 ट्रिप) प्रयोग के लिए लागत 46 रुपये प्रति वयस्क बनती है, आस्ट्रिया में पूरे दिन की टिकट का प्रभार प्रति वयस्क लगभग 63 रुपये है। फ्रांस, इटली स्विटजरलेंड तथा पश्चिमी जर्मनी में प्रभार आस्ट्रिया से 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक अधिक हैं। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि गुलमर्ग में चेयरलिफ्ट तथा अन्य सुविधाओं के प्रयोग के लिये लगाये गये प्रभार यूरोप के स्की विहारस्थलों के प्रभारों से काफी कम हैं।

गुलमर्ग अच्छे स्कीअर्स को आकर्षित क्यों नहीं कर रहा है इसका कारण है--श्रीनगर से गुलमर्ग तक पर्यटकों को ले जाने के लिये उपयुक्त स्थल-परिवहन, एक केन्द्रतापित होटल तथा आकाशीय परिवहन व्यवस्था, जोकि अच्छे स्कीअर्स को खिलनमर्ग तथा अफरवत के ऊंचे स्की मैदानों तक ले जा सके, जहांकि अधिक चुनौतीदायक स्की ढलानें उपलब्ध हैं, का अभाव। केन्द्रीय क्षेत्र में गुलमर्ग से खिलनमर्ग तक एक आकाशीय यात्री रज्जुपथ। चेयरलिफ्ट तथा गुलमर्ग में एक केन्द्रतापित होटल के निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावों पर सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही है।

Promotion of Income Tax Officers

4448. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Income tax officers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes were recommended for promotion to the posts of Assistant Commissioner by the Departmental Promotion Committee in July, 1974;

(b) the number of Income tax officers out of them given promotion upto the 15th February, 1975; and

(c) the reasons for which the rest of the Income tax officers have not been given promotion ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Yes, Sir. The Departmental Promotion Committee which met in July 1974 prepared a select panel of 122 officers including 17 officers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(b) Of the 17 officers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, 14 have been promoted.

(c) 119 officers included in the select panel were promoted in October, 1974. The remaining 3 officers, who were at the bottom of the select panel, and happen to belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, could not be promoted alongwith the others, for want of vacancies at that time. Vacancies are now available but these officers cannot be promoted in view of the judgement of a single Judge of the Andhra Pradesh High Court quashing the aforesaid select panel. Government have filed a Writ Appeal against this judgement as also a Petition for stay of the operation of the judgement, which are pending before a Division Bench of that court.

Demand for Bonus and Dearness Allowance by Air India Employees Guild

4449 **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Air India Employees Guild has made a demand for bonus and dearness allowance for the employees;

(b) whether the Chairman of Air India, Shri J.R.D. Tata has acknowledged that the production capacity of the said Corporation has been considerably increased by the employees in 1973-74;

(c) whether no consideration has been given to the said demand of the employees even after this acknowledgement; and

(d) the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) to (d) The Air-India Employees' Guild (AIEG) is not a recognised Union. Certain demands including the one for bonus, were discussed with the Air Corporations Employees' Union (ACEU) and the Indian Aircraft Technicians Association (IATA)--the two recognised unions—and settlements were signed with them in respect of bonus for the year 1970-71 on the 26th September 1972. AIEG then raised the demand for bonus for the same year before the Regional Labour Commissioner (Central), Bombay, The Management of Air-India informed the Regional Labour Commissioner (Central) of the settlements arrived at with the ACEU and IATA and the Regional Labour Commissioner (Central) informed the Guild of his inability to admit the demand in conciliation.

A Charter of Demands including demand for revision of dearness allowance was received by the Management from the two recognised unions viz. ACEU and IATA after the expiry of various agreements in March 1973, and an interim relief was paid to certain categories of employees with effect from the 1st April 1973. Thereafter additional dearness allowance was paid with effect from the 1st April 1974, covering all the employees represented by these unions on the condition that no other demands would be entertained till the 31st March 1975.

(b) No, Sir. What has been stated by the Chairman in the annual report of the Corporation for the year 1973-74 was that the Atkm (available ton kilometers) per employee during the year 1973-74 was 90,000 Atkm as compared to 86,000 Atkm during the year 1972-73 and it had been clarified that the increase in the Atkm by 12.3% over 1972-73 was obtained mainly by improving the Boeing 747 utilisation.

तस्करी विरोधी अभियान का मूल्यों पर प्रभाव

4450. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मन्त्री तस्करी विरोधी अभियान का मूल्यों पर प्रभाव के बारे में 21 फरवरी, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तस्करी विरोधी अभियान के आरम्भ से, राज्यवार किन किन वस्तुओं के मूल्य गिरे हैं और प्रत्येक वस्तु के फुटकर मूल्यों में कितनी गिरावट आई है; और

(ख) तस्करी विरोधी अभियान का मूल्यों पर प्रभाव संबंधी आंकड़े किस स्रोत अथवा स्रोतों से एकत्र किये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर में दिनांक 21-2-75 को यह बताया गया था कि सरकार द्वारा किये गये तस्करी विरोधी उपायों के साथ-साथ मुद्रास्फीति विरोधी अन्य उपायों से सामान्य मूल्य स्तर पर एक अच्छा प्रभाव पड़ा है जिससे मूल्यों में गिरावट आई है। थोक मूल्य सूचकांक (वर्ष 1961-62 में=100) जो 21 सितम्बर, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह में 330.4 के स्तर तक पहुंच गया था वह 1-3-75 को गिरकर 309.2 पर पहुंच गया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) सितम्बर 1974 में 334 से गिरकर दिसम्बर, 1974 में 326 पर आ गया।

बाजारों की बहुलता के कारण और वस्तुओं के प्रकार, क्वालिटी आदि के कारण मूल्यों में घट-बढ़ होने से खुदरा मूल्यों में गिरावट के बारे में राज्यवार तथा वस्तुवार सूचना उपलब्ध करना व्यावहारिक नहीं है।

(ख) थोक मूल्य सूचकांक का संकलन उद्योग एवं नागरिक संभरण मन्त्रालय में अर्थ परामर्शदाता द्वारा किया जाता है; और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन श्रम केन्द्र, शिमला द्वारा किया जाता है जो श्रम मन्त्रालय के अधीन है।

D. A. for RBI Officers

4452. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item published on page 1, column 2 of "The Indian Express" dated 22nd February, 1975 under caption "more D.A. for R.B.I. officers";

(b) whether Government have laid down any foolproof principle in regard to pay and allowances of different categories of employees to the Central and various State Governments; and

(c) it so, the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Government have seen the news item referred to.

(b) and (c) State Governments have their own policy in this matter. So far as pay and allowances of Central Government employees are concerned, the Central Government decide these matters after taking into account the recommendations of the Pay Commission set up by them.

आम उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन की सुविधा के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा ऋण नीति में संशोधन

4453. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने हाल ही में ऋण नीति में कोई संशोधन किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की संशोधित नीति के सम्बन्ध में मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह बात सुनिश्चित कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि ऋण सुविधाओं में वृद्धि का आम उपयोग की वस्तुओं की जमाखोरी के लिये दुरुपयोग नहीं किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) 1974-75 के व्यस्त मौसम के लिये, 29 अक्तूबर, 1974 को, ऋण नीति उपायों की घोषणा करते समय, रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को स्पष्ट किया था कि यद्यपि विद्यमान अर्थव्यवस्था में ऋण-निर्माण पर नियन्त्रण की आवश्यकता है, तथापि उन्हें उपलब्ध ऋण प्रदान करने में चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे कि निवेश जारी रहे, उत्पादन में वृद्धि हो तथा आवश्यक वस्तुओं के वितरण में और अधिक सुविधा लाई जा सके। बैंकों को सूचना दे दी गई है कि वे ऋणकर्ता एककों को, केवल उनके आधार की ही नहीं, बल्कि उनके उत्पादन की किस्म को भी दृष्टिगत रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, अपने दुर्लभ संसाधनों का लाभ पहुचायें। गैर-सरकारी औद्योगिक क्षेत्र में "कोर" क्षेत्र के एककों (मुख्य रूप से उर्वरक, कीटनाशक तथा कृषि सम्बन्धी अन्य आवश्यक वस्तुओं, परिवहन तथा बिजली के उपकरणों और आधारभूत धातुओं तथा खनिजों का उत्पादन करने वाले एककों) और जनसाधारण के उपभोग के लिये आवश्यक वस्तुओं (जैसे कपड़े की नियन्त्रित किस्में, खाद्य, तेल, चीनी आदि) के उत्पादन में लगे हुए एककों को वरीयता दी जाती है।

इसके अतिरिक्त खाद्यान्न, कपास, तिलहन और तेल, चीनी तथा सूती वस्त्र जैसी विशेष महत्व की (सेंसिटीव) वस्तुओं के लिये गैर-सरकारी क्षेत्रों को दिये गये बैंकों ऋणों को भी कड़े चयनात्मक ऋण-नियंत्रण उपायों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे कि इन वस्तुओं की सट्टेबाजी और जमाखोरी को हतोत्साहित किया जा सके। बैंकों को यह भी चेतावनी दी गई है कि वे "मुल्तानी हुन्डियों" तथा इसी प्रकार के अन्य वित्तीय कारोबार को कम करने की नीति को जारी रखें।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह निदेश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बैंकों द्वारा दिया गया ऋण, मुख्य रूप से, अर्थव्यवस्था के सरकारी व गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के उत्पादन की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दिया जाए और इसका उपयोग सट्टेबाजी तथा अन्य गैर-उत्पादक उद्देश्यों के लिये न हो।

काजू की निर्यात आय में वृद्धि

4454. **श्री० जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू की निर्यात आय में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग ने वर्ष 1973-74 में कितनी विदेशी मुद्रा कमाई; और

(ग) पांचवीं योजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) निर्यातों से अर्जित विदेशी मुद्रा 74.62 करोड़ रुपये है। कच्चे काजू के आयात पर 30.52 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय हुई। विदेशी मुद्रा में 44.10 करोड़ रुपये की निवल आय हुई।

(ग) अभी तक पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए किन्हीं भी निर्यात लक्ष्यों को अन्तिम रूप से नहीं दिया गया है।

Regularisation of Handlooms and Powerlooms

4455. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the immediate action being taken by Government to regularise handlooms and powerlooms lying closed in the country; and

(b) whether the economy of Maharashtra and Madhya Pradesh has been shaken as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) No permission is needed to instal and operate Handlooms and therefore, the question of their regularisation does not arise. In the case of powerlooms, only those unauthorised powerlooms which were in existence before 28-2-66, are eligible for regularisation. There is no proposal to regularise any other unauthorised powerlooms, whether closed or working.

(b) Government have no such information.

विमानन कर्मचारियों के मान्यता-प्राप्त मजदूर संघों से बातचीत

4456. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन विभाग, एयर इण्डिया तथा इंडियन एयरलाइंस के विमानन कर्मचारियों के पंजीकृत संघों के साथ हाल ही में कोई ऐसा संगठन बनाने के बारे में चर्चा हुई थी जो दोनों पक्षों की ओर से बातचीत कर सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) नागर विमानन विभाग, एयर इण्डिया तथा इंडियन एयरलाइंस के पंजीकृत श्रमिक संघों/मान्यता-प्राप्त संघों द्वारा प्रतिनिधित्व किये गये कर्मचारियों के साथ किसी ऐसे सांझे अभिकरण के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है जो सब पक्षों की ओर से बातचीत कर सके ।

एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र के लिये आर्थिक तथा सामाजिक आयोग का 31वां वार्षिक अधिवेशन

4457. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र के लिये आर्थिक तथा सामाजिक आयोग का 31वां वार्षिक अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था ;

(ख) क्या उस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधान मन्त्री ने किया था; और

(ग) यदि हां, तो प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये भाषण का ब्यौरा क्या है और सम्मेलन में किस कार्य-सूची पर चर्चा की गई थी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) जी हां ।

(ग) प्रधान मन्त्री के भाषण तथा सत्र की कार्यसूची की एक-एक प्रति संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी०-9271/75]**

केरल में पर्यटन स्थलों का विकास

4458. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी और चौथी योजनाओं में केरल को अन्य राज्यों की तुलना में पर्यटन विकास के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा कितनी सहायता राशि दी गई है ;

(ख) क्या केरल में बहुत से ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विकास किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है और यदि हां, तो ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उन स्थानों की ओर ध्यान दिया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या अब से उन स्थलों पर ध्यान देने का विचार है और यदि हां, तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ) केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटकों के लिये सुविधाओं के विकास को राज्यवार आधार पर नहीं लिया जाता है, बल्कि स्थानों के ऐसे वास्तविक अथवा संभावित आकर्षणों के आधार पर लिया जाता है जो पर्यटकों को वहां की यात्रा करने के लिये प्रेरित करते हैं। अत: केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटन केन्द्रों पर किए गए व्यय के कोई तुलनात्मक विवरण नहीं रखे जाते हैं, तीसरी व चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में तथा तीन वार्षिक योजनाओं (1966-67, 1967-68 तथा 1968-69) में, केरल में पर्यटकों के लिये विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करने पर केन्द्रीय क्षेत्र में 1,61,76,970 रुपये की राशि खर्च की गई थी।

समस्त देश की तरह ही, केरल भी ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व के स्थानों से भरा हुआ है। साधनों की सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए, इन सभी स्थानों पर सुविधाओं का विकास करना संभव नहीं है। अत:, केन्द्रीय क्षेत्र में प्रयत्नों को तीसरी व चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में तथा तीन वार्षिक योजनाओं में कोचीन, पेरियार वन्य जीव-शरण स्थान, थेक्काड़ी, चेरुथुरुथी, त्रिवेन्द्रम तथा कोवालम् में पर्यटकों के लिये सुविधाओं का विकास करने पर केन्द्रित किया गया है। पांचवीं योजना में, त्रिवेन्द्रम में प्रारम्भ किए गए युवा होस्टल के निर्माण-कार्य को पूरा किया जाएगा, तथा कोवालम् में समुद्र-तटीय विहार-स्थल के और आगे विकास को, वहां पर्यटकों के लिए पहले से ही प्रदान की गई सुविधाओं के उपयोग का मूल्यांकन करने के पश्चात, हाथ में लिया जाएगा।

Complaint against Officials of Customs and Excise Department of Vidarbha and Madhya Pradesh

4459. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of complaints received by Government during 1972-73 1973-74 and 1974-75 from public representatives, Legislators, Members of Parliament and public against the Collectors and Assistant Collectors of Customs and Excise of Vidarbha and Madhya Pradesh;

(b) the nature of deficiencies and arbitrary acts or corruption cases mentioned in those complaints: and

(c) the officers who were entrusted with the work of investigating the aforesaid complaints, the results of the investigations and the action taken against the persons found guilty ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) During 1972-73 to 1974-75 (upto 28-2-75), 24 complaints were received against Class I officers of the Central Excise Department in Vidarbha and Madhya Pradesh of which 14 complaints were found to be anonymous or pseudonymous.

(b) The nature of allegations is corrupt practices and departmental irregularities.

(c) These cases have been/are being investigated either by Directorate of Inspection (Customs & Central Excise) or the Vigilance Wing of the Central Excise Collectorate, Nagpur or the C.B.I. Eight cases have been finalised, two of these resulting in issue of warning to the officers concerned. The remaining 6 cases were closed as the allegations were not proved. The rest of the cases are under investigation.

नारियल जटा की वस्तुओं का निर्यात

4460. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में नारियल जटा की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974-75 में अब तक कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया और गत वर्ष की इसी अवधि में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया था; और

(ग) सरकार ने अपने निर्यात व्यापार में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) अप्रैल-दिसम्बर, 1974 में गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में निर्यातों में मूल्य में वृद्धि हुई और परिमाण में कमी आई, जैसा कि नीचे बताया गया है :

अवधि	परिमाण	मूल्य
अप्रैल-दिसम्बर, 1974	31550 मे० टन	1285.70 लाख रुपये
अप्रैल-दिसम्बर, 1973	33737 मे० टन	11121.66 लाख रुपये

(ग) उत्पादन बढ़ाने, आयातक देशों से टैरिफ रियायतें प्राप्त करने और हमारे उत्पादों के लिए और बाजारों का पता लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

जीवन बीमा निगम के विदेशी कारोबार

4461. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम का विदेशी कारोबार लाभ में नहीं चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त-मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) कुछ बाहर के देशों में जीवन बीमा निगम का कारोबार महंगा हो गया है जिसका कारण मुख्यत: निगम द्वारा नया कारोबार लेना बन्द किये जाने से प्रीमियम-आय में कमी और प्रबन्ध व्यवस्था की लागत में वृद्धि है

सरकार से परामर्श करके जीवन बीमा निगम द्वारा इस सम्बन्ध में स्थिति की समय समय पर समीक्षा की जाती है ।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अनिर्णीत पड़े मामलों का निपटारा

4462. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत कुछ मामले अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) जब से यह अधिनियम लागू हुआ तब से कितने मामले निपटाये गये और मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के लागू होने के बाद से लगभग 10,000 मामले निपटाये जा चुके हैं । इन मामलों का निपटारा जल्दी करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) कुछ प्रकार के मामले के निपटाने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकार दे दिये गये हैं;

(2) मामलों के तुरन्त निपटारे को सुनिश्चित करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक को आवश्यकतानुसार निर्देश दे दिये गये हैं;

(3) उचित मामलों में सामान्य अनुमति दे दी गई है; और

(4) कुछ खास किस्म के मामलों में निर्णय देने के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के लिये एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है ।

पाकिस्तानी रुई

4463. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत द्वारा आयात की जाने वाली पाकिस्तानी रूई मूल्य एवं किस्म की दृष्टि से पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में पैदा होने वाली रुई की तुलना में काफी अनुकूल है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : जी हां ।

चीनी तथा इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात

4464. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गन्ने की बहुत अच्छी फसल होने की स्थिति को देखते हुए सरकार को लगभग 12 लाख टन चीनी निर्यात करने की आशा है ;

(ख) क्या इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या तेल-बिल में 1200 करोड़ रुपये की वृद्धि को उपरोक्त निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा से निष्प्रभावी किया जा सकता है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) 1975 के दौरान चीनी की कितनी मात्रा निर्यात की जायेगी यह अन्तर्राष्ट्रीय मांग तथा घरेलू सप्लाई स्थिति पर निर्भर करेगा तथापि घरेलू प्रावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा की आय को बढ़ाने हेतु उच्चतम कीमतों पर अधिकतम सम्भव मात्रा निर्यात करने के प्रयास किये जायेंगे ।

(ख) जी हां ।

(ग) चीनी तथा इंजीनियरी माल के निर्यात, तेल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त योगदान करेंगे लेकिन पैट्रोलियम उत्पादों के आयात बिल की पूरी तरह से पूर्ति नहीं कर पायेंगे ।

कच्चे पटसन का निर्यात

4465. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन ने कच्चे पटसन का निर्यात करने के विरुद्ध सरकार को चेतावनी दी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार तथा इंडिया जूट मिल्स एसोसियशन के बीच मतभेदों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या पटसन की विश्व-व्यापी कमी है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) किसी मतभेद का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस समय कच्चे पटसन का निर्यात करने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

(ग) चूंकि 1974-75 में बंगलादेश और भारत दोनों में फसल कम रही, इसलिये गत मौसम के भारी मात्रा में बचे माल तथा पटसन मिलों द्वारा अपेक्षाकृत कम खपत से चालू मौसम निकल जायेगा और आगामी मौसम के लिए काफी माल बच जायेगा ।

Funds asked for by Cotton Corporation of India and Ministry of Commerce

4466. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Cotton Corporation of India and the Commerce Ministry have sought funds for buying cotton from cultivators and demanded more bank credits for cotton cultivators failing which their condition is likely to deteriorate further and they will give up cotton cultivation;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) whether the Commerce Ministry have also asked for funds for importing long staple cotton from Pakistan and if so, the amount asked for ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) & (b) During 1974-75 cotton season, a credit limit of Rs. 1[illegible] crores was sanctioned to the Cotton Corporation of India by the Reserve Bank of

India. Within the framework of current credit policy which is being pursued to attain the twin objectives of containing inflation and promoting investment production and better distribution of essential commodities in the system and having regard to the competing claims of various priority sectors, every attempt is being made to meet the credit requirements of the CCI. The position is kept under constant review of the RBI and other Government agencies concerned with cotton. In the meanwhile, with a view to enabling a larger volume of purchases to be effected with our limited resources, a scheme to purchase cotton by the Cotton Corporation of India on deferred payment basis has also been drawn up. The scheme envisages the purchase of cotton by immediate payment in cash of 50% of the price and the remaining 50% at the end of 6 months with interest at 6% per annum.

(c) It has been agreed to release foreign exchange for the purpose of importing 2 lakh bales of Medium Staple cotton from Pakistan worth about Rs. 25 crores.

Expenditure on and Income from Delhi-Jaipur Tourist Coach

4467. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) when was the Delhi-Jaipur tourist coach introduced, the per tourist expenditure thereon and the names of places in Jaipur where tourists are taken round in this coach; and

(b) the per day expenditure on this coach and the income accruing to Government therefrom ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Delhi-Jaipur tourist coach was operated by the India Tourism Development Corporation for a brief period from 1-12-74 to 19-2-75 as a tourist transport service from Delhi to Jaipur and back. The average expenditure per tourist amounted to Rs. 20 approximately. The coach did not include any local sight-seeing at Jaipur.

(b) The per day expenditure on this coach was about Rs. 1015 and income was about Rs. 1115.

Financial Assistance to States for preparing an infra-structure of their Handicrafts Industry

4468. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether some States have been given assistance for preparing an infra-structure of their handicrafts industry afresh with a view to developing and expanding them as an export-oriented industry; and

(b) if so, the names of these States and the assistance given to each of them in 1973 and 1974 and the criteria thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) Central assistance to State Governments is provided through block loans

and block grants for their overall annual plan outlays and is not related to any specific schemes or programme.

(b) Does not arise.

Loan asked for by Government of Rajasthan

4469. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Government of Rajasthan have asked for some funds as a loan or aid during the current year keeping in view its weak financial position and also to meet famine conditions prevailing in 18 thousand villages of the State and if so, the amount asked for and the basis therefor; and

(b) whether Government propose to give financial aid or loan keeping in view the special conditions of the State and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) The Government of Rajasthan had estimated an expenditure of Rs. 17.34 crores in the current financial year on account of the current drought and had sought Central assistance of Rs. 11.89 crores to meet that expenditure.

(b) The Government of India have allocated an advance Plan assistance of Rs. 10.24 rores to the State in the current financial year for this purpose.

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोला जाना

4470. **श्री टुना उरांव :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 के दौरान पश्चिम बंगाल में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में राष्ट्रीयकृत बैंकों की, बैंकवार, शाखाएं किन-किन स्थानों पर खोली गई ; और

(ग) वर्ष 1975 के दौरान, बैंकवार, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं किन स्थानों पर खोली जायेंगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1974 वर्ष में, राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने पश्चिम बंगाल में, 94 शाखाएं खोली थीं । जिन केन्द्रों पर ये शाखाएं खोली गई हैं उनके नाम तथा बैंकों के नाम अनुबन्ध I में दिये जा रहे हैं **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9272/75]**

(ग) बैंक, शाखा-विस्तार की तीन-वर्षीय "रोलिंग" योजना बनाते हैं और 1975-77 की अवधि के लिए इन योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1974 के अन्त तक पश्चिम बंगाल में 247 शाखाएं खोलने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास लाइसेंस/आवंटन पत्र थे । बैंकवार और केन्द्रवार विवरण अनुबन्ध II में दिया जा रहा है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-9272/75]**

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के अन्तर्गत आने वाली जनसंख्या और क्षेत्र

4471. **श्री टुना उरांव :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, नागालैंड और पूर्वोत्तर राज्यों में, राज्यवार तथा बैंकों की शाखावार, राष्ट्रीयकृत बेंकों की शाखाओं के अन्तर्गत कितनी-कितनी जनसंख्या और कितना-कितना क्षेत्र है; और

(ख) इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने सम्बन्धी भावी कार्यक्रम की संक्षिप्त रूप रेखा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं और प्रति बैंक-कार्यालय जन-संख्या-औसत के 19 जुलाई, 1969 और 31 दिसम्बर, 1974 के राज्यवार आंकड़े अनुबन्ध I में दिये जा रहे हैं। प्रत्येक बैंक शाखा का कार्यक्षेत्र कई बातों के आधार पर निर्धारित किया जाता है जैसे— शाखा में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, मूलभूत सुविधाओं के विकास का, विशेष रूप से परिवहन और संचार सुविधाओं का स्तर क्या है, क्षेत्र के आर्थिक कार्यकलाप, विशेष रूप से संगठित क्षेत्रों का स्तर क्या है, आदि। फिर भी, वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं अपनी अवस्थिति के स्थान के आस पास औसतन 10 मील के घेरे के क्षेत्र की सेवा करती हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1974 के अन्त तक इन राज्यो और संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के पास 116 लाइसेंस/आबंटन पत्र थे। इन लाइसेंसों/आवंटन पत्रों का राज्यवार वितरण अनुबन्ध II में दिया जा रहा है।

विवरण I

पश्चिम बंगाल नागालैंड और उत्तर-पूर्व राज्यों में निम्नलिखित तारीखों को प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या की औसत

	19-7 1969		31-12-1974	
	वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की संख्या	प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या (हजार में)	वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की संख्या	प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या (हजार में)
पश्चिम बंगाल	505	1059	87	42
नागालैंड	3	8	205	65
असम	74	207	188	71
मेघालय	7	21	141	48
मणिपुर	2	10	497	107
मिजोरम	—	1	—	332
त्रिपुरा	5	20	276	78
अरूणाचल प्रदेश	—	7	—	67

विवरण II

पश्चिम बंगाल, नागालैण्ड, असम और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखाए खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के पास बाकी पड़े लाइसेंस/आवंटन पत्र।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लाइसेंस/आवंटन पत्र की संख्या
असम	29
अरुणाचल प्रदेश	6
मणिपुर	2
मेघालय	7
मिजोराम	3
नागालैण्ड	3
त्रिपुरा	4
पश्चिम बंगाल	62

फिल्म निर्माता द्वारा आयकर का भुगतान

4472. **श्री सरजू पाण्डे :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डायनमो इन्टरनेशनल, बम्बई के मालिक फिल्म-निर्माता श्री बृजसानन्द को उनकी फिल्म "दो भाई' को प्रदर्शन के लिए जारी करते समय वर्ष 1970 में आयकर अधिकारी ने पकड़ा था ;

(ख) क्या उक्त फिल्म निर्माता को नकली वाउचर पेश करते हुए पाया गया था और आयकर अधिकारी ने 10 लाख रुपए के लिए आयकर निर्धारण किया था; और

(ग) क्या आयकर आयुक्त, बम्बई-1 ने उसके प्रति पक्षपात दिखाया और मामले को दबा दिया गया था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) श्री बृजसूदानन्द 'डायनमो इण्टरनेशनल' के नाम से फिल्मों का निर्माण करते हैं, उनका कर-निर्धारण 1973 में 'दो भाई' फिल्म से उनको हुई आमदनी के संबन्ध में किया गया था। कर-निर्धारण कुल 38,9 ,747 रु० को आय पर किया गया था जिसमें अप्रमाणित व्यय और बिना स्पष्टीकरण वाले पूंजी-निवेश का 22,74,579 रु० की रकम शामिल है। लेकिन, अपील में कर-निर्धारण को रद्द कर हुए नए सिरे से कर-निर्धारण करने का आदेश दिया गया है

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता

आयकर आयुक्त बम्बई-1 के विरुद्ध शिकायत

4473. **श्री सरजू पाण्डे :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 में लेखा-वर्ष को बदलने की मंजूरी देकर ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी के प्रति आयकर आयुक्त, बम्बई-1 ने पक्षपात किया था ;

(ख) क्या सहायक आयकर आयुक्त ने इस आधार पर ऐसा करने के प्रति आपत्ति की थी कि लेखा-वर्ष में परिवर्तन करने से सरकार को राजस्व की भारी क्षति होगी ;

(ग) क्या आयकर आयुक्त बम्बई-I ने सहायक आयकर आयुक्त के विरुद्ध गलत धारणा बना ली थी और प्रशासनिक सुविधा के लिये उसे बम्बई से स्थानान्तरित कर दिया था; और

(घ) क्या अनियमितताओं के विरुद्ध सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

आयकर आयुक्त द्वारा ट्रस्टों को छूट दिया जाना

4474. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि. :

(क) क्या बम्बई के उद्योगपति, सोमाणी बन्धुओं ने, 1972 से पूर्व, बहुत से ट्रस्ट (संभवतया 19) बनाये थे और ये ट्रस्ट उनकी आय को इन ट्रस्टों में लगाये जाने के लिये बनाये गये थे;

(ख) क्या आयकर आयुक्त, बम्बई-1 ने आयकर से छूट दी थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) बम्बई के उद्योगपति, सोमाणी बन्धुओं ने उन्नीस ट्रस्ट बनाये थे । ग्यारह ट्रस्टों के न्यासियों को व्यापार चलाने का अधिकार दिया गया था, यद्यपि व्यापार वस्तुत: सात ट्रस्टों द्वारा चलाया गया था । पांच मामलों में आय-कर आयुक्त ने छूट की मंजूरी दी थी ।

आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अन्तर्गत धर्मार्थ ट्रस्ट लाभकारी व्यापार-कारोबार कर सकता है । यदि लाभ को धर्मार्थ ट्रस्ट की निधियों में डाला जाए और इसका प्रयोग किसी निजी लाभ के लिए न करके धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए ही किया जाये तो ऐसे लाभ को कर से छूट प्राप्त है । सोमाणी ट्रस्टों के मामले में, वर्तमान सूचनानुसार, छूट की मंजूरी कानून के मुताबिक ही दी गई है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता है ।

Agreement with USSR for Supply of Fertilizers

4475. **Shri Ramavatar Shashtri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether USSR has signed any agreement for supply of fertilizers to India;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the benefit likely to accrue to India as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) & (b) The Minerals and Metals Trading Corporation has entered into a contract with USSR's Messrs. Soyuzpromexport for import, during 1975, of 2,67,000 tonnes of fertilizers. The deliveries will be completed by December 1975.

(c) The import will help in meeting the gap between the country's requirement and indigenous production of fertilizers.

भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की हत्या के प्रयास के बारे में

RE. ATTEMPT ON THE LIFE OF THE CHIEF JUSTICE OF SUPREME COURT OF INDIA

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सरकार देश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संरक्षण देने एवं अपराधी को पकड़ने में विफल रही है। हमने इस पर काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं चर्चा के विरुद्ध नहीं हूं । परन्तु मन्त्री महोदय ने इस पर वक्तव्य देने की बात कही है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह काम रोको प्रस्ताव के लिये मुक्त विषय है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता । आप किस आधार पर इसे काम रोको प्रस्ताव बनाना चाहते हैं । (**व्यवधान**)

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संरक्षण देने में सरकार की विफलता ।

अध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा की अनुमति तो दूंगा परन्तु काम रोको प्रस्ताव की नहीं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिसूचनाएं और मैसर्स ताहेरी एण्ड फंड लिमिटेड के तमिलनाडु कार्यालय के पंजीकरण सम्बन्धी अधिसूचना ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं ।

(1) (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) कम्पनी (जमा प्राप्ति) नियम, 1975 जो दिनाक 3 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 43(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) विदेश कम्पनी नियम, 1975 जो दिनांक 20 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 52 (ङ) में प्रकाशित हुए थे । पर धारा 159 का लागू किया जाना ।

(तीन) कम्पनी (अंशों पर लाभ प्रद ब्याज की घोषणा) नियम, 1975 जो दिनांक 20 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 53 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) कम्पनी (सोल एजेंटों की नियुक्ति) नियम, 1975 जो दिनांक 1 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 137(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) कम्पनी (सचिव की अर्हताएं) नियम, 1975 जो दिनांक 7 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि 144 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(ख) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण साथ साथ सभा पटल पर रखे जाने के कारण बताने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-9258/75]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 क की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 275 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 मार्च 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मैसर्स ताहेरी एण्ड फंड लिमिटेड कम्पनी को जिसका पंजीकृत कार्यालय तामिलनाडु में है, निधि घोषित किया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी०-9259/95]

इलायची (दूसरा संशोधन) नियम, 1975

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(3) इलायची अधिनियम 1965 की धारा 33 की उप धारा (3) के अन्तर्गत इलायची (दूसरा संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 22 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 245 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-9260/75]

विधेयक पर अनुमति
Assent on Bill

महासचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 1975 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की हत्या के प्रयास के बारे में वक्तव्य
STATEMENT *RE* ATTEMPT ON THE LIFE OF CHIEF JUSTICE OF SUPREME COURT OF INDIA

गृह मन्त्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : हम सब के लिए यह एक बड़ी चिन्ता का विषय है कि 20 मार्च, 1975 को भारत के उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री ए० एन० रे की हत्या का प्रयास किया गया था । सौभाग्यवश हथगोलों का विस्फोट नहीं हुआ ।

2. दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री ए० एन० रे अपराह्न लगभग 4.15 पर अपनी कार नं० डी० एच० सी० 6431 में उच्चतम न्यायालय से चले थे। उनका पुत्र श्री अजय नाथ रे तथा उच्चतम न्यायालय का जमादार जयनन्द भी उसी कार में यात्रा कर रहे थे जिसे श्री इंदर सिंह चला रहे थे। जब कार लालबत्ती के कारण तिलक मार्ग भगवान दास रोड चौराहे पर रुकी तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने दो हथ गोले, जो रूमाल में लपेटे हुये थे, कार की बाई ओर की पिछली खिड़की से फैंक दिये, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश के बाएं कंधे पर लगा। भाग्यवश उनमें से कोई हथ गोला नहीं फटा। मुख्य न्यायाधीश तथा उनका पुत्र कार को घटना स्थल पर छोड़ कर उच्चतम न्यायालय वापस चले गये और बाद में उन्हें अन्य कार से उनके निवास पर ले जाया गया। हथ गोले डालने के पश्चात अपराधी अपनी 'हवाई' चप्पल घटनास्थल पर छोड़कर भगवान दास मार्ग के साथ मंडी हाउस की ओर भाग गया। मुख्य न्यायाधीश के जमादार ने पब्लिक के कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ अपराधी का पीछा किया जिसने बचकर गढ़वाल भवन के अहाते में छलांग लगाई और गायब हो गया।

3. पुलिस महानिरीक्षक, उप-महानिरीक्षक (सुरक्षा) उप-महानिरीक्षक (सशस्त्र पुलिस) उप महानिरीक्षक (रेंज) नई दिल्ली जिले के पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण करने घटना स्थल पर पहुंचे तथा आगे जांच पड़ताल के निर्देशन दिये।

4. तुरन्त दिल्ली पुलिस के श्वान दस्तों का उपयोग किया गया। किन्तु श्वान गन्ध के अनुसार मंडी हाउस से आगे नहीं जा सका। तुरन्त इस इलाके की छान बीन की गई और इस प्रयोजन के लिए नियुक्त की गई विशेष टुकड़ियों ने क्षेत्र में विस्तृत पूछ-ताछ शुरु कर दी। पुलिस दल तुरन्त दो रेलवे स्टेशनों, अन्तर्राज्यीय बस अड्डे और हवाई अड्डे पर भी अपराधी के पूर्ण विवरण के साथ पहुंचे ताकि अपराधी दिल्ली से बाहर बच कर भाग न जाये। इन स्थानों पर निगरानी रखी जा रही है। होटलों, धर्मशालाओं तथा अन्य स्थानों पर भी जहाँ अपराधी संभवत: शरण ले सकता है, जांच के लिये पुलिस दल तैनात किए गए हैं। क्षेत्र में और आगे पूछ-ताछ तथा जांच-पड़ताल भी जारी है।

5. घटनास्थल का फोटो ले लिया गया है। डा० एच० ऐल० बामी निर्देशक केन्द्रीय फारेन-सिक विज्ञान प्रयोगशाला, रामकृष्णपुरम को घटनास्थल पर बुलाया गया जिन्होंने अपराध के स्थल तथा हथगोलों का निरीक्षण किया। दिल्ली क्षेत्र के जी०ओ०सी० से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा घटनास्थल पर सेना के विशेषज्ञ बुलाए गए जिन्होंने हथगोलों को जिन्हें कब्जे में ले लिया गया है, डिफ्यूज कर दिया। वे सेना के अच्छे हथगोले पाये गए। हथगोलों की और अधिक जांच के लिये विस्फोटक विशेषज्ञों के पास भेजा जायेगा।

6. भारतीय दण्डसंहिता की धारा 307, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 और विस्फोटक अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत एक मामला एफ०आई०आर० संख्या 182 तिलक मार्ग थाने में दर्ज किया गया है और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा जांच-पड़ताल का कार्य हाथ में लिया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा अपराध शाखा की सक्रियरूप से सहायता की जा रही है।

7. तिलक मार्ग, भगवानदास रोड़ के यातायात चौहराहे पर कांस्टेबल अब्दुल वहीद को अभियक्त को पकड़ने के लिए उसका पीछा न करने के कारण मुअत्तल कर दिया गया है।

8. भारत के मुख्य न्यायाधीश के निवास पर सुरक्षा प्रबन्ध थे। उक्त घटना को ध्यान में रख कर उन्हें मजबूत कर दिया गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : स्थगन प्रस्ताव रखने वालों को प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय को सम्बोधित करके प्रश्न नहीं पूछ सकते कुछ कहना चाहें तो मुझे कह सकते हैं।

श्री नवल किशोर सिंह (मुजफ्फरनगर) : वाद-विवाद के लिए समय निर्धारित करें।

अध्यक्ष महोदय : आज अथवा सोमवार को समय दिया जा सकता है।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : आप किसी दिन भी छः बजे के बाद का समय रख सकते हैं।

नागालैंड में स्थिति के बारे में
RE. SITUATION IN NAGALAND

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : नागालैंड की क्या स्थिति है ? दोनों दलों ने दावा किया है . . .।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है हम इसकी चर्चा नहीं कर सकते।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : किसी राज्य की निर्वाचित सरकार के विफल होने पर यह सभा उस पर चर्चा कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का मामला है। राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट भेजनी होगी।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : वहां पर विधान सभा कार्य नहीं कर रही है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। हमें कुछ कहने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : राज्य के मामलों की सही स्थिति हम कैसे जान सकते हैं जब तक राज्यपाल अपनी रिपोर्ट न भेजे। यदि राज्यपाल कहते हैं कि सांविधानिक व्यवस्था बनी हुई है हम हस्ताक्षेप नहीं कर सकते।

Shri Madhu Limaye (Banka): We are not demanding a debate. But a statement on facts can be made.

अध्यक्ष महोदय : यदि सम्भव होगा, तो वक्तव्य देने को कहूंगा। (**व्यवधान**)

यदि राज्य विधान सभा के अध्यक्ष महोदय के निदेश पर मार्शल कार्य करता है तब हम उसकी चर्चा कैसे कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

ऐसी बातें आपके सदन में भी होती। जो कुछ आप यहां करते हैं वैसा वहां भी होता है।

श्री के० रघुरामैया : मंत्री महोदय के वक्तव्य पर चर्चा आप सोमवार को करा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह 6 बजे की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : यदि इसे 6 बजे से पूर्व समय दिया जाएगा तो वित्तीय विषयों पर उतना ही समय 6 बजे के बाद दे दिया जाएगा ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : 24 मार्च 1975 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

(1) प्रेस परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के निरनुमोदन संबंधी संकल्प पर आगे चर्चा ।

(2) प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक, 1975, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में ।

(आगे विचार और पास करना)

(3) वायु सेना और थल सेना विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरनुमोदन संबंधी संकल्प पर चर्चा ।

(4) वायु सेना और थल सेना विधि (संशोधन) विधेयक, 1975, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में ।

(विचार और पास करना)

(5) गुजरात विद्युत बोर्ड के संबंध में संकल्प पर चर्चा ।

(6) रामपुर रजा लाइब्रेरी विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में ।

(विचार और पास करना)

(7) अखिल भारतीय सेवायें विनियमन (संरक्षण) विधेयक, 1972, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में ।

(आगे विचार और पास करना)

(8) टोकियो कंवेंशन विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में ।

(विचार और पास करना)

(9) अखिल भारतीय सेवायें (संशोधन) विधेयक, 1975, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में ।

(विचार और पास करना)

(10) भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सर्विस आफिसर्स (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1975, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में ।

(विचार और पास करना)

(11) राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में ।

(विचार और पास करना)

(12) टेलीग्राफ तार (विधि विरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में ।

(विचार और पास करना)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : स्टेट बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों ने नियमानुसार कार्य करने का आन्दोलन चला रखा है जिसके कारण 90 लाख रुपये के चैक जमा पड़े हैं । वित्त मंत्री महोदय इस पर एक वक्तव्य दें ।

1000 अधीनस्थ कर्मचारियों को शिकायत है कि उन्हें बम्बई में गन्दी बस्तियों एवं प्लेटफार्मों पर रहना पड़ता है जबकि वरिष्ठ अधिकारियों को 1500 वर्ग फुट वाला आवास दिया जाता है ।

Shri Madhu Limaye (Banka): I have received certain clippings of Australian post wherein it is stated that the former Maharaja of Mysore sent antigues o Australia. I want that the hon. Minister may make a detailed statement on it during the next week. If you want I can place these on the table of the House.*

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai): Just one or two days back, I gave notice for a call attention motion on this subject. Under whose authority, property worth crores of rupees was sent out from the state is a vital subject and House should be provided an opportunity to discuss the same.

Shri Narsingh Narian Pandey (Gorakhpur): More than eighty crores rupees of sugarcane grower farmers is due from the sugar mills being run under joint stock companies, Co-operative Sector and Non-Governmental sectors. These arrears are increasing despite Government of India's orders to state Governments for ensuring payment to sugarcane growers within fourteen days. Even a revolving funds was created by the State Governments for the purpose but no positive steps have been taken by Mill Owners in this regard. The Sugar Mill Owners are pleading before the Government that if they are permitted to sell sugar at the rate of 400 rupees in the open market, only then they will be in a position to pay the arrears. This is an important issue and I want that Government should apprise the House of the measures which are being taken to ensure the payment of arrears to sugarcane growers.

श्री समर गुह (कंटाई) : श्री विश्व गोस्वामी, जोकि बारपेटा चुनाव क्षेत्र में होने वाले उप चुनाव में उम्मीदवार थे, उन्हें इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया गया है कि उनके पास कुछ बैलेट पेपर थे । बैलेट पेपर मेरे पास भी हैं और यदि सरकार में हिम्मत है तो वह मुझे भी गिरफ्तार करे । यह बैलेट पेपर हेमकोश प्रैस द्वारा छापे गए और लगभग 70,000 बैलेट पेपर नकली छापे गये . . .

*अध्यक्ष महोदय द्वारा तदनन्तर आवश्यक अनुमति प्रदान न किये जाने के कारण कागजात/दस्तावेज को सभा-पटल पर रखा गया नहीं माना गया ।

The hon. Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the paper/document was not treated as paper laid on the Table.

अध्यक्ष महोदय : ऐसे सभी मामले चुनाव आयोग के समक्ष लाए जाने चाहिए। सदन में पहले भी कई बार यह निर्णय हो चुका है कि इस प्रकार के मामले चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए और यदि उनके बारे में आयोग कुछ निर्णय दे दे तो फिर उस पर चर्चा की जा सकती है।

श्री समर गुह : मैं भी आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने भी यही कहा है कि 70,000 बैलेट पेपर छापे गए थे जिन्हें चुनाव से पहली रात को विभाजित किया गया था। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि मामले की जांच के लिए व्यवस्था की जा रही है ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो सके।

यह बहुत ही गंभीर मामला है और यदि इसी प्रकार मतदाता पर्चियों की गड़बड़ी होती रही तो चुनाव हमारे देश में केवल एक धोखा बन कर रह जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह साधारण मामला नहीं है। यह मामला चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में आता है। श्री बनर्जी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सरकारी कर्मचारियों के साथ महंगाई भत्ते के बारे 18 जनवरी 1975 के श्री जगजीवन राम ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण के बारे में भी कर्मचारियों के साथ बातचीत मार्च में आरम्भ होने वाली है। मैं यह बात यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं केन्द्र सरकार के लगभग 28 लाख कर्मचारी सरकार से इसलिए रुष्ट हैं कि उन्हें महंगाई भत्ते की चार किश्तें अभी तक नहीं दी गई हैं यद्यपि वह सरकार की ओर बकाया हो चुकी हैं।

दूसरी बात यह है कि जे० के० रेयन से श्री सिंधानियां ने 1,000 कर्मचारियों को निकाल दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि मिल को कोयला और बिजली नहीं मिल रही है। राष्ट्रीय सूती वस्त्र निगम के एकक विक्टोरिया मिल्ज ने भी अपना कार्यकरण बंद कर दिया है क्योंकि उनके पास कपास की खरीद करने के लिए रुपया नहीं है। अतः वित्त मंत्री महोदय को वेतन पुनःरीक्षण तथा उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री को जे० के० रेयन तथा विक्टोरिया मिल के संबंध में वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे संसदीय कार्य मंत्री से सूचना मिली है कि राज्यसभा 25 तारीख से स्थगित हो रही है अतः 24 तारीख तक गुजरात बजट प्रस्तुत हो जाना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : इस संबंध में मेरा निवेदन यही है कि इसके लिए केवल दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है। हम सोमवार को पहले गुजरात बजट पास करके फिर गृह मंत्री के वक्तव्य पर विचार कर लेंगे। मुझे आशा है कि सदन को यह सुझाव मान्य होगा।

अध्यक्ष महोदय : आज हम इस पर विचार आरम्भ कर लेते हैं यदि यह आज पारित हो गया तो ठीक है अन्यथा हम इसे अगले दिन ले लेंगे।

जहां तक श्री सेझियान द्वारा उठाये गए मामले के बारे में विनिर्णय देने का प्रश्न है वह मैं बजट पास हो जाने के बाद ही दूंगा क्योंकि बिना उसके अध्ययन के विनिर्णय नहीं दिया जा सकता।

श्री जे० माता गौडर : (नीलगिरी) : यह बिल्कुल अनियमित है ।

अध्यक्ष महोदय : यह अनियमित नहीं है । हम इसके लिए निदेश-पद निर्धारित कर सकते हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): Bidi Cigar Bill was passed in 1965 by the Parliament but it is not being honoured by many state Governments. This Bill was challenged by the industrialists in court but they got defeated there. Now they are not providing employment to poor Bidi Cigar labourers and more than 10 lakh labourers are unemployed. It is submitted that the hon. Minister should make a statement, in this regard.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : पश्चिम बंगाल में केशवरम रेयन में 10 फरवरी से हड़ताल चली आ रही है । यह मिल भी बी०के० बिड़ला ग्रुप की ही है और सम्भवत: इसीलिए सरकार कर्मचारियों की मांगों को मनवाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रही है । मिल मालिक यहां बहुत से कर्मचारियों की छंटनी करना चाहते हैं और मिल लगभग बंद हो गयी है । यह दुर्भाग्य की बात है कि श्री टी०ए० पाई जो इस विभाग के प्रभारी हैं आजकल यहां नहीं हैं । सरकार को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम): त्रिपुरा में सभी राज्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं । वहां का मन्त्रीमंडल कांग्रेस दलबदल के कारण पराजित हो गया है । वहां सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । अत: मैं चाहता हूं कि वहां की कानून व्यवस्था आदि पर विचार करने के लिए समय दिया जाए ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): The atrocities on Harijans in Patna, Rohtas, Bhojpur and Nalanda districts of Bihar are on the increase. In Ranchi and Santhal Pargana the Adivasis are being subjected to atrocities. But Government is turning a deaf ear to all this.

Harijans have been subjected to atrocities even in the Rashtrapati Bhawan and to protest against the same the Members of Rashtrapati Bhawan Employees Welfare Association are on strike since 20th March. An opportunity should be given to discuss this issue. Similarly an opportunity should also be provided to discuss the issue of trouble in Scooter Project, *Fatwah* Patna.

Shri K.M. Madhukar (Kesaria): On the one hand, American imperialism is posing a threat to the democracy of India whereas on the other hand J.P. Movement is there to endanger our democracy. So much so that I.A.S. and I.P.S. Officers, are supporting the movement and they have formed committees for the purpose. I want that the Home Minister should make a statement to the effect that how many such officers are supporting J. P. Movement. An opportunity should be provided to discuss this issue.

श्री भोगेन्द्र झा : (जय नगर) : शीतकालीन सत्र के दौरान जब मैंने यह मामला उठाया था तो वित्त मंत्री ने यह स्वीकार किया था कि कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके अधीन सरकार तस्करी तथा विदेशी मुद्रा विनियमन के उल्लंघन द्वारा अर्जित सम्पत्ति को जब्त कर सके तथा उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस संबंध में सरकार एक विधेयक लायेगी । परन्तु आधा बजट सत्र समाप्त हो गया है और सरकार अभी तक कोई विधेयक लाने में विफल रही है । अत: मैं माननीय

मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपना वचन पूरा करेगी तथा इस सत्र में सभा के समक्ष वह विधेयक लाएगी ।

बिहार सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, जिनके पास एक एकड़ तक भूमि है, के संबंध में एक कानून बनाया है परन्तु राष्ट्रपति ने उस पर अपनी अनुमति नहीं दी है । मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री वसन्त साठे (अकोला) : बैंककारी उद्योग के 65 हजार अधिकारियों में से स्टेट बैंक के 20 हजार अधिकारियों की महंगाई भत्ते के संबंध में अति विषमतापूर्ण स्थिति है और इसके परिणामस्वरूप इन अधिकारियों को अन्य बैंकों के क्लर्कों तथा अपने समान पदाधिकारियों की तुलना में कम राशि मिलती है । यह विवाद तीन साल पुराना है । स्टेट बैंक के प्रबन्धकों के साथ बातचीत करने में एक वर्ष व्यतीत हो गया है । मैं नहीं जानता कि यह मामला कितने दिन तक और चलेगा । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस स्थिति को और खराब होने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेलीचेरी) मैं सभा का ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाऊंगा तथा संबंधित मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में अगले सप्ताह एक वक्तव्य दें । अनेक संसद सदस्यों ने भारतीय पर्यटन विकास निगम के चैयरमैन के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथित आरोपों के बारे में प्रधान मत्री तथा पर्यटन और विकास मंत्री को पत्र लिखे हैं । यह ज्ञात हुआ है कि उनके विरुद्ध केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा जांच की जा रही है तथापि वह अभी तक भ्रष्ट कार्य कर रहे हैं । भ्रष्टाचार का नवीनतम आरोप फर्नीचर के बारे में है जिसमें 30 लाख रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त है । सरकार को इन कथित आरोपों तथा प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में वक्तव्य देना चाहिए ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : कुछ समय पूर्व हमें ज्ञात हुआ था कि पंजासाहिब (पाकिस्तान) को दो हजार पांच सौ सिख यात्री जाएंगे । परन्तु अभी हाल में पता चला है कि पाकिस्तान ने केवल एक हजार यात्रियों को ही अनुमति दी है तथा इस संबंध में यात्रियों में काफी निराशा फैली हुई है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : इस सप्ताह हवाना, क्यूबा में तटस्थ राष्ट्रों का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हुआ है । समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों से हमें ज्ञात हुआ है कि उक्त सम्मेलन में हमारे विदेश मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण तथा विदेश मंत्रालय के अन्य वरिष्ट अधिकारियों ने भाग लिया है । समाचारपत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि भारत में उक्त सम्मेलन में अग्रणीय भूमिका निभायी है । चूंकि संसद का सत्र चल रहा है और मंत्री महोदय अगले सप्ताह स्वदेश लौट रहे हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि उन्हें सभा में एक वक्तव्य देना चाहिए ।

Shri R. R. Sharma (Banda) : Mr. Speaker, Sir, it has been reported that a scheme has been chalked out for the realisation of levy by force from the farmers of Uttar Pradesh under the direction of Food and Agriculture Minister. It is surprising that production has been shown as 5 maunds per bigha whereas the actual production has been two maunds per bigha, particularly in 30 backward districts like Jhansi, Zalon, Bandha and Hamir Pur districts etc. of Uttar Pradesh which have continuously be subjected to drought for the last three years. I would request the Hon'ble Minister to include this item in the List of Business for the next week.

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : Mr. Speaker, Sir, recently a very serious matter has been reported that the State Trading Corporation of India has been black listed by the Govt. of Australia. It has lowered our prestige in the international market. I would request the Hon'ble Minister to make a statement in this regard during the next week to clarify the whole position.

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : Mr. Speaker, Sir, I am going to narrate a very heart-rending story of Madhya Pradesh in which an Harizan named Har Lal was summoned by the S. H. O. in the Police Station and his body was torn into two pieces. His dead body was got burried in Nallah. On hearing this news when his old mother and young sister came to the Police Station, his sister was raped and mal-treatment was meted out to his old mother. Two more such incidents have also occurred in Madhya Pradesh.

I would like the Hon'ble Minister to make a statement in this regard during the next week.

श्री राम सहाय पाण्डेय (राजनंदगांव) : कल हमने सभा की ओर से अपनी विजेता हाकी टीम को हार्दिक बधाई दी थी । परन्तु आज हमारी मातृभूमि पर पहुंचने पर मद्रास हवाई अड्डे पर उनके साथ सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जो व्यवहार किया गया वह अत्यन्त अपमानजनक है । मैं यह नहीं कहता कि सीमा शुल्क अधिकारियों को उनके प्रति कोई विशेष रियायत दिखानी चाहिए थी परन्तु उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए था । वे जब हवाई अड्डे पर पहुंचे तो हजारों की संख्या में लोग पुष्प तथा पुष्पाहार लिये उनके स्वागत को बेचैन थे । मैं आपका ध्यान हाकी टीम के केपटिन अजीत पाल सिंह द्वारा हवाई अड्डे पर दिये गए वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि यह बड़े दुःख की बात है कि सीमा-शुल्क अधिकारियों ने उन्हें 2–3 घंटे तक रोके रखा । अतः मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार इस संबंध में पूर्ण जांच करे और वास्तविक घटनाओं के बारे में अगले सप्ताह एक वक्तव्य दे ।

श्री एस० एम० बनर्जी : महोदय, इस मामले में मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप वित्त मंत्री को समूचे मामले की जांच करने के लिए कहें । ऐसा प्रतीत होता है कि उनसे 50 हजार रूपये एकत्रित किए गए हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है । मैं सीमा शुल्क अधिकारियों को दोष नहीं देता । उन लोगों को उस देश के लोगों द्वारा विभिन्न उपहार दिए गए होंगे परन्तु यह बड़े दुख की बात है कि जब वे अपने देश में आये तो उन्हें चार घंटे तक रोके रखा ।

गुजरात बजट, 1975-76---सामान्य चर्चा, लेखानुदानों की मांगें, 1975-76 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (गुजरात), 1974-75

GUJARAT BUDGET, 1975-76--GENERAL DISCUSSION, DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNTS—1975-76 AND SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GUJARAT), 1974-75

अध्यक्ष महोदय : सभा में जो कुछ राय या भावनायें व्यक्त की गयी हैं मैं उन्हें वित्त मंत्री तक पहुंचा दूंगा । अब हम गुजरात के संबंध में मद संख्या 7 और 8 लेंगे । राज्य सभा 26 तारीख को स्थगित हो रही है अतः यह विधान उनके पास 24 तारीख तक अवश्य जाना

चाहिए। इसलिए मैं श्री सेझियान से अनुरोध करूंगा कि यदि वह सहमत हों तो उनके व्यवस्था के प्रश्नों पर जांच किये जाने तक वाद-विवाद को चलने दिया जाए।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : उन्हें पहले हमें अपनी बातों के बारे में संतुष्ट करना चाहिए। यह अति महत्वपूर्ण है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : महोदय, कल गुजरात सरकार की वर्ष 1974–75 की अनुपूरक मांगों तथा वर्ष 1975–76 के प्राक्कलनों के बारे में कुछ बातें उठाई गई हैं।

पहली बात विभिन्न मांगों के अन्तर्गत अतिरिक्त महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में उठाई गई थी। इसके लिए मांग संख्या 24 के अधीन चालू वर्ष के बजट अनुमानों में 5.6 करोड़ रुपये की राशि का उपबन्ध किया गया है। यह उपबन्ध चालू वित्तीय वर्ष में महंगाई भत्ते की सम्भावित वृद्धि के भुगतान के लिए किया गया है। चूंकि यह उपबन्ध तदर्थ आधार पर किया गया है और इसका भुगतान महंगाई भत्ते में वृद्धियों के मंजूर किए जाने पर निर्भर है, इसलिए इसकी व्यवस्था विभिन्न मांगों के अन्तर्गत रखे जाने की बजाय वित्त विभाग के अन्तर्गत किया जाना बेहतर समझा गया है।

मैं श्री सेझियान की इस बात से सहमत हूं कि यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक था कि 5.6 करोड़ रुपये का एक मुश्त उपबन्ध महंगाई भत्ते की प्रस्तावित वृद्धि के लिए किया गया है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान संगत मांगों के अधीन दिखाया गया होता, तो भी यह राशि स्वीकृत राशि से अधिक नहीं होती।

मैं श्री सेझियान की इस बात से भी सहमत हूं कि जहां तक संभव हो एक मुश्त उपबन्ध नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह बजट बनाने का अच्छा तरीका नहीं है।

माननीय सदस्य ने आकस्मिकता निधि के संबंध में भी कुछ बातें कही थी तथा उनका मत था कि आकस्मिकता निधि को चालित लेखा नहीं समझा जाना चाहिए तथा इसका सहारा बहुत सोच समझ कर लिया जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य के मत से पूर्णतया सहमत हूं तथा इस बात को मानता हूं कि बजट बनाते समय हर मद के अधीन व्यय की व्यवस्था की जानी चाहिये। गुजरात सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाये।

माननीय सदस्य ने तीसरी बात मांग संख्या—"49—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" के अधीन 1.49 लाख रुपये के उपबन्ध के बारे में उठाई थी। मुझे सूचित किया गया है कि गुजरात विधान मण्डल की प्राक्कलन समिति ने "नई सेवा" तथा "व्यय की नई मदों" के बारे में कुछ सीमा निर्धारित की है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिये कि वित्तीय सीमाएं संविधान के अनुच्छेद 205 के उपबन्धों के अनुकूल होनी चाहिये।

माननीय सदस्य ने महासचिव लोक सभा सचिवालय के नाम दिनांक 14 मार्च, 1975 के अपने पत्र में कई बातों पर जानकारी चाही थी। जैसा कि लोक सभा सचिवालय द्वारा सूचित किया गया है, गुजरात सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह माननीय सदस्य को शीघ्रातिशीघ्र अपेक्षित जानकारी दे।

इस स्पष्टीकरण के संदर्भ में, मैं निवेदन करता हूं कि गुजरात के बजट पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री एच० एम० पटेल : मेरा एक निवेदन है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि चर्चा के दौरान आप अपनी बात कह सकते हैं ।

श्री एच० एम० पटेल : यह कैसे हो सकता है ? मैं पहली दो बातों के बारे में जो कि महंगाई भत्ते के एक मुश्त उपबन्ध तथा आकस्मिकता निधि के संबंध में हैं, के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता, परन्तु नई सेवा के संबंध में तीसरी बात के बारे में कहना चाहता हूं कि यह संविधान के अनुच्छेद 205 के विरुद्ध है । इसे नियमित कैसे किया जा सकता है ? हम अन्य मामलों के संबंध में आगे कार्यवाही कर सकते हैं, परन्तु इस बारे में नहीं, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 205 के विरुद्ध है । इसलिए मैं समझता हूं कि इस को नियमित करने का कोई तरीका नहीं है । मेरा सुझाव है कि इस मद को बाहर रखा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : हम चर्चा आरम्भ कर सकते हैं तथा इस बीच मंत्री महोदय इस आपत्ति पर विचार कर सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye (Banka): Mr. Speaker, Sir, on a point of order, I would quote Rule 224 of Gujarat Legislative Assembly Rules, which is as follows:—

> "When a demand or any part thereof relates to any new service or new instrument of service or grant-in-aid or loan and the expenditure to be incurred on that service or instrument of service or grant-in-aid or loan exceeds the financial limit recommended by the Estimates Committee for the purpose, all material details in respect of that service or instrument of service or grant-in-aid or loan shall, save in the special circumstances, be supplied to all members at least three days before the demand is made."

The matter is not only of the recommendation of the Estimates Committee, but it concerns the provision of the Constitution. I want your ruling as to how we can supersede the Constitutional provision. So my submission is that this item may be excluded and then we may proceed with the business and the Appropriation Bill may be amended accordingly.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यद्यपि मंत्री महोदय का वक्तव्य काफी संतोषजनक है, तथापि श्री पटेल और श्री मधु लिमये की बातों का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं आप का ध्यान सभा की कल की कार्यवाही की ओर दिलाना चाहता हूं । कल अध्यक्षपीठ ने मंत्री का ध्यान अनुच्छेद 114(2) की ओर दिलाया था । अध्यक्षपीठ ने विशेष रूप से मंत्री महोदय को इस बारे में उत्तर देने को कहा था । परन्तु खेद है कि मंत्री महोदय ने अपने आज के उत्तर में उसका उल्लेख ही नहीं किया । यह संविधान के विरुद्ध है । हम गुजरात बजट पर विचार करने को तैयार हैं, क्योंकि इसे राज्य सभा में भेजना है तथा 31 मार्च से पूर्व पास करना है । परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हम ऐसी मद को नियमित कर सकते हैं, जो संविधान के विरुद्ध हो ?

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : मैंने कल भी सामान्य विक्रय कर अधिनियम के सशोधन तथा अन्य बातों के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । इस से भी संविधान के अनुच्छेद 199 का उल्लंघन किया गया है । इससे संसद द्वारा बनाये गए अधिनियम का भी उल्लंघन किया गया है । राष्ट्रपति के अधिनियम के बिना गुजरात सरकार सामान्य विक्रय कर अधिनियम तथा किसी अन्य अधिनियम में संशोधन नहीं कर सकती । यह अवैध है ।

श्री सेझियान : कल मैंने तीन बातें उठाई थीं —पहली अतिरिक्त महंगाई भत्ते के लिए एक मुश्त उपबन्ध के बारे में ; दूसरी आकस्मिकता निधि के बारे में तथा तीसरी मांग संख्या 49 के बारे में ।

यद्यपि पहली तथा दूसरी बातों में पर्याप्त अनियमितायें हैं तथापि मैं इन पर अधिक जोर नहीं डालना चाहता और इनके कारण चर्चा को रोकना नहीं चाहता, तथापि तीसरी बात के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हालांकि इस में केवल 1.49 लाख रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त है, तथापि यह संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि अनुच्छेद 205 के अधीन जब कि वे किसी नई सेवा के लिये अनुपूरक अनुदान मांगते हैं, उस पर कोई वित्तीय सीमा नहीं लगाई गई है । मैं समूची मांगों और विधेयक को नहीं रोकना नहीं चाहता । मांग संख्या 24 को छोड़ कर अन्य सभी मांगों को पास किया जा सकता है । विनियोग विधेयक अभी पुर:स्थापित नहीं किया गया है । इस लिए हम विनियोग विधेयक में संशोधन कर सकते हैं और संशोधित विधेयक पुर:स्थापित कर सकते हैं । इस प्रकार सभा की कार्यवाही आगे चल सकती है । मांग संख्या 49 को छोड़कर शेष कार्य के बारे में सभा की कार्यवाही आगे चल सकती है और इस बीच महान्यायवादी की राय भी प्राप्त की जा सकती है ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : 1.49 लाख रुपये के बारे में मैंने स्थिति स्पष्ट की है कि यह गुजरात के सांविधिक नियम के अनुसार है जिसका गुजरात विधान सभा द्वारा अनुमोदन किया गया है । गुजरात के अधिकारियों को वर्तमान विधियों के अन्तर्गत बजट बनाना था । राष्ट्रपति का शासन लागू किये जाने का यह अर्थ नहीं है कि विधान सभा द्वारा अनुमोदित सभी नियमों को रद्द किया जाये । इसलिए उन्हें वर्तमान विधियों के अन्तर्गत....

श्री मधु लिमये : प्रश्न यह है कि क्योंकि आपका ध्यान इस ओर दिलाया गया है ...

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम गुजरात सरकार को कहेंगे कि वे भविष्य में इस पद्धति को न अपनायें ।

अध्यक्ष महोदय : आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसा न हो ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जैसा कि आपने कहा है, हम भविष्य के लिए हिदायतें जारी करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार के संवैधानिक मामले में कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहता । यदि यह तथ्यों का मामला होता तो बात आसान थी । मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि नये खर्च के लिए प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी । यदि प्राक्कलन समिति ने कोई गलत निर्णय ले लिया है तो यह संविधान में निर्दिष्ट प्रक्रिया के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए । किन्तु अभी तक वे ऐसा करते आ रहे हैं किन्तु अब उनकी गलती पकड़ी गई है जिसे उन्हें सुधार लेना चाहिए । किन्तु यदि हम बिना किसी कठिनाई के इस राशि को छोड़ सकते हैं तो हमें छोड़ देनी चाहिए ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): आप इसे छोड़ सकते हैं । Now that the expenditure has been incurred, how will it be omitted. हमें गुजरात के लोगों को यह राशि उपलब्ध करानी चाहिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गुजरात बजट के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है । यदि हमें इसे समय पर पास करके राज्य सभा के पास भेजना है तो इसे ऐसे ही भेजना होगा ।

श्री मधु दण्डवते : हम 1.49 को निकाल सकते हैं । इसमें क्या कठिनाई है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : कठिनाई यह है कि सारा बिल ही अस्वीकृत हो जायेगा ।

श्री मधु दण्डवते : आप इसमें संशोधन कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब नहीं ।

श्री सेझियान : किन्तु विनियोग विधेयक अभी पुर:स्थापित नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इसके साथ सभी कुछ जाएगा ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष को इसके बारे में विनिर्णय देना चाहिए । जब नियम और संविधान के बीच मतभेद है तो संविधान में कही गई बात को मानना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : नियम इस लिए बनाए जाते हैं ताकि संविधान के अनुच्छेद की व्याख्या करने में सुविधा हो और हम प्राय: नियमों का पालन करते हैं । दोनों पक्षों ने इस संबंध में अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं । जिन लोगों ने इस मामले को उठाया है, उनके साथ परामर्श करके इन सब बातों पर पुनर्विचार किया जा सकता है । मैं इस समय कोई विनिर्णय नहीं देना चाहता क्योंकि इससे मामला और उलझ जाएगा ।

श्री सेझियान : यह तो व्याख्या का मामला है । नियम संविधान से ऊपर नहीं है । यदि इसमें यह 1.49 अंक शामिल रहते हैं और कोई व्यक्ति इस मामल को न्यायालय में ले जाता है तो सारा गुजरात बजट ही रद्द हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : इस बजट का एक भाग संवैधानिक दृष्टि से ठीक नहीं है । यदि इस भाग को निकाल दिया जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि सारा बजट ही रद्द हो जायेगा । शेष भाग तो संवैधानिक रूप से ठीक है ।

यदि 1.49 लाख रुपये की राशि को निकाल दिया जाए तो सारा विधेयक रद्द नहीं होगा । सभा की यही राय है ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यह गुजरात राज्य की ही नहीं अन्य राज्यों की भी समस्या है । इसलिए हमें इसमें कठिनाई होगी ।

अध्यक्ष महोदय : इस बात को सभी राज्यों के ध्यान में लाया जायेगा । अभी तो यह संभव है क्योंकि यह थोड़ी रकम है । किन्तु बाद में हम इस पर विचार करेंगे और अटार्नी जनरल के साथ परामर्श करके मामला सुलझा सकते हैं ।

मेरा सुझाव है कि हमें चार-पांच मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए और गुजरात संबंधी इन मामलों को निबटा देना चाहिए ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : हमें इसे आज खत्म कर देना चाहिए । लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए या फिर हम सोमवार को भी चर्चा कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, सोमवार को नहीं क्योंकि राज्य सभा का सत्र 25 मार्च तक है । इसलिए हमें इसे 24 तारीख तक राज्य सभा के पास भेज देना चाहिए ।

श्री सेझियान : हमें इसे आज ही पास करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : हम गैर-सरकारी कार्य को 3.30 बजे के बजाय 4.30 बज आरम्भ कर सकते हैं । हमें गुजरात के संबंध में सभी कुछ आज ही शीघ्रातिशीघ्र निबटाना होगा ।

जो सदस्य कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं वे 15 मिनट के अन्दर पर्चियां भेज दें और कटौती प्रस्ताव पेश किए गए समझे जाएंगे ।

गुजरात बजट 1975-76 की लेखानुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव पेश किये गए

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती प्रस्ताव का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
3	1	श्री के०एस० चावड़ा (पाटन)	गुजरात विधान सभा के लिए शीघ्र निर्वाचन कराने में असफलता ।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।
9	2	,,	संसद की अनुमति के बिना वर्ष 1974–75 में 22.89 करोड़ रुपये का नया कर राजस्व एकत्र करना ।	,,
3	3	श्री पी०जी० मावलंकर (अहमदाबाद)	गुजरात में नयी विधान सभा के लिए चुनावों का जानबूझ कर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना ।	,,
5	4	,,	राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिये समुचित एवं संतुलित योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए गुजरात में प्रशासन को सहायता देने में विफलता ।	,,
9	5	,,	संसद की समुचित एवं पूर्व अनुमति के बिना और अधिसूचनाओं के माध्यम से भारी राजस्व वसूल करना ।	,,
35	6	,,	गुजरात में जून 1975 से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पद्धति	,,

1	2	3	4	5
			(10+2+3) लागू करने के लिए पूर्ण रूप से तथा तुरन्त निधियां और शिक्षा ढांचा तथा आवश्यक भौतिक सुविधाएं देने में असफलता ।	
35	7	श्री पी०जी० मावलंकर (अहमदाबाद)	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए पहले के (सेन समिति के प्रतिवेदन से पहले के) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पुनरीक्षित वेतन क्रम लागू करने में विफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए ।
64	8	,,	नर्मदा जल के संबंध में ऐसे समय में सीमित समझौता करना, जबकि गुजरात में लोकप्रिय सरकार नहीं है ।	,,
67	9	,,	गुजरात की नई राजधानी गांधी नगर के लगातार विकास के लिये समुचित एवं शीघ्र कदम उठाने में विफलता ।	,,
73	10	,,	गुजरात में बड़े पैमाने पर सूखा राहत कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में तथा तुरन्त वित्तीय सहायता देने में विफलता ।	,,
3	11	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मन्दसौर)	गुजरात में जनता की राय के विपरीत चुनावों को टाला जाना ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाए ।
5	12	,,	गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों में लोगों के लिये आवागमन की सुविधाएं उपलब्ध कराने में तथा पेय जल की व्यवस्था करने और उनकी अन्य क्षेत्रों में उन्नति में उपेक्षा ।	,,

1	2	3	4	5
64	13	डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर)	अन्तर्राज्यीय जल विवादों को उचित एवं व्यावहारिक रूप में निपटाने में विलम्ब ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाएं ।
64	14	,,	अन्तर्राज्यीय जल परियोजना 'माही प्रोजेक्ट' के लिए उचित धनराशि उपलब्ध कराने में विलम्ब	,,
73	15	,,	गुजरात में सूखे से पीड़ित जनता को आवश्यक राहत, साधन, समय पर उचित मात्रा में पहुंचाने में विलम्ब ।	,,

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री दीनेन भट्टाचार्य ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर): बजट की समीक्षा के उपरान्त यह पता चलता है कि अधिकतम कर राशि विक्रय कर के माध्यम से ही वसूल की जायेगी । इसका अर्थ यह हुआ कि आम जनता को कराधान प्रस्तावों का मुख्य भार उटाना पड़ेगा । गुजरात में 19 जिले हैं । इन 19 जिलों में से 14 जिले सूखाग्रस्त जिले घोषित किये गये हैं जहांकि पेय जल भी उपलब्ध नहीं है । चौथी योजना में यह निर्णय लिया गया था कि संसाधान न होने का आधार लेकर वहां 1000 नये नलकूप लगाये जायेंगे । उन्हीं गांवों में अब 2000 नये नलकूप लगाये जा रहे हैं । क्या मालूम वे लगाये भी जायेंगे या नहीं । गुजरात में जो सूखा राहत कार्य किये गये हैं वे अत्यन्त अपर्याप्त हैं । यह भी शिकायत की गई है कि उचित दर की दुकानों से गांव वालों को कभी कभी बाजरा या चीनी की न्यूनतम मात्रा भी उपलब्ध नहीं होती है ।

अहमदाबाद में सूती मिलों में तीसरी शिफ्ट बन्द हो जाने से बड़ी संख्या में शहरी कर्मचारियों पर असर पड़ा है । मैंने स्वयं देखा है कि 10,000 से अधिक कर्मचारी काफी अरसे से बेरोजगार हैं और प्रबन्धक यह कह रहे हैं कि स्टाक इकट्ठा हो गया है इस लिए वह तीसरी शिफ्ट नहीं चला सकते । जांच करने से पता चला है कि वह स्टाक नकली है क्योंकि प्रबन्धक देश में ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं जिससे ऐसा महसूस हो कि देश में कपड़े का अभाव है । ऐसा वह किसी भी किस्म के कपड़े के लिए मनमाना दाम निर्धारित करने के उद्देश्य से कर रहे हैं । कई मिलें, जोकि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई जा रही हैं वहां कम से कम मजूरी कानूनों को भी लागू नहीं किया जा रहा है । कई कारखानों में विशेषकर उन कारखानों में जहां आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है इंजीनियरिंग मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया । वहां इंजीनियरिंग मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को इस-लिए लागू नहीं किया गया क्योंकि वहां कर्मचारियों की कुल संख्या 50 से कम है । यह उनके साथ सरासर अन्याय है । मन्त्री महोदय इस बात को देखें कि इंजीनियरिंग मजूरी बोर्ड की सिफारिशें उन कारखानों में भी लागू की जायें जिनके कुल कर्मचारियों की संख्या 50 से कम है ।

फिर मुद्रण कर्मचारियों के बारे में न्यूनतम मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की भी समस्या है । कई मामलों में कर्मचारियों को समिति द्वारा सुझाई गई न्यूनतम मजूरी भी नहीं दी जाती । उन्हें न्यूनतम मजूरी बोर्ड द्वारा दी गई इन छोटी मोटी सुविधाओं से वंचित रखे जाने का कोई कारण नहीं दिखता ।

कई सूती कपड़ा मिलों में कर्मचारियों की जबरी छुट्टी कर दी गई है और अधिकांश मामलों में कानून के अनुरूप उन्हें जबरी छुट्टी लाभ भी नहीं दिये गये। इन गरीब कर्मचारियों को उनके उचित अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। जहां तक संसद के समक्ष इस बजट का प्रस्तुतीकरण का सम्बन्ध है परामर्शदात्री समिति से इस बारे में कोई परामर्श नहीं लिया गया। परामर्शदात्री समिति का निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया था कि जब सभा का सत्र न चल रहा हो तो परामर्शदात्री समिति से सलाह ली जाये। बजट प्रस्तावों को संसद के समक्ष रखने से पहले परामर्शदात्री समिति की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई। यह इस सरकार का रवैया है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

बजट प्रस्तावों में कहा गया है कि सूखा इत्यादि के कारण कुछ परेशानियां रहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या परेशानियां रही हैं। फिर उन्होंने पुलिस के लिये धन मांगा है। पुलिस खुद जनता पर अत्याचार करती है। गुजरात में चुनावों के मामले में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए गुजरात में चुनावों के सम्बन्ध में सरकार को तुरन्त घोषणा करनी चाहिए।

श्री डी०डी० देसाई (कैरा) : आने वाले 6 महीनों में गुजरात राज्य की स्थिति काफी संकट पूर्ण हो सकती है। यद्यपि गुजरात बजट की कुछ आलोचना भी हुई है फिर भी धन का व्यय ठीक ही हुआ है। सरकार ने भी काफी मितव्ययता से काम लिया है। सन्देह की कोई बात नहीं है उन्होंने अपने साधनों के भीतर ही रहने का प्रयास किया गया है। परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि अनाज के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

केन्द्रीय सरकार ने गुजरात में पैट्रोलियम के अतिरिक्त ऐसी किसी सरकारी क्षेत्र की परियोजना का निर्माण नहीं किया जिससे इस राज्य में होने वाली चीजों का उपयोग हो सके। अत: सिंचाई और विद्युत के लिए जब तक धन की कोई व्यवस्था न हो, उस दिशा में राज्य सरकार का कुछ करना प्राय: असम्भव हो जाता है। यहां तक कमी और अकाल में भी किसी योजना को उचित रूप में लागू करना सम्भव नहीं हो पाता।

तेल की 'रायल्टी' के प्रश्न का भी काफी समय से कोई निर्णय नहीं हो पाया। एक सुझाव था कि इसे विभक्त कर दिया जाये। सरकार काफी बड़ी राशि इससे कमा रही है। इससे उपलब्ध राशि को समान आधार पर राज्य सरकार से बांटा जाना चाहिए।

गुजरात में अकाल की स्थिति पैदा हो रही है, पानी की कमी हो रही है। नर्मदा का पानी समुद्र में जा रहा है। धन के अभाव में कडाना बांध योजना ठप्प पड़ी है। अत: नर्मदा जल के बारे में जो समझौता हुआ है उसके सन्दर्भ में चार परियोजनाएं गुजरात में और तीन मध्य प्रदेश में चालू होनी चाहिये। नये कार्यों को भी आरम्भ करना चाहिए। गुजरात राज्य में औद्योगीकरण ठप्प पड़ा है। बेकारी इतनी बढ़ी है कि असाध्य हो रही है। औद्योगीकरण के लिए धन उपलब्ध नहीं हो रहा है। पता नहीं गुजरात राज्य के वित्तीय निगमों और निकायों का धन कहां चला गया है। जिन राशियों को देने का वायदा किया गया है, वे भी उपलब्ध नहीं हो रहीं। परियोजनाएं बहुत हैं, परन्तु कोई प्रगति नहीं हो रही है।

तम्बाकू, रूई इत्यादि कृषि उत्पादों में भी काफी कमी आई है। मूंगफली के कारण बहुत सी तेल मिलें हानि उठा रही हैं। इसके लिए सरकारी एजेन्सियों द्वारा धन दिया जाना चाहिए। भावनगर-तारापुर और कपाड़ वानज-मोड़ीसा लाइनों का निर्माण होना चाहिए। सड़क परियोजनाओं और पतन परियोजनाओं का कुछ नहीं बन रहा। वे ठप्प पड़ी हैं। उनके लिए बजट में कोई व्यवस्था ही नहीं की जा रही है। एक-आध कारण को लेकर स्कूटर परियोजना, पैट्रो-रसायन परियोजना ठप्प पड़ी हैं। गुजरात के राष्ट्रीयकृत बैंकों में 725 से 750 करोड़ रुपए की पूंजी जमा है, परन्तु गुजरात को केवल 450 करोड़ रुपया ही दिया जा रहा है। 300 करोड़ रुपया गुजरात से बाहर चला गया है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुजरात राज्य का विकास हो।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-नार्थ-ईस्ट) : गुजरात बजट के मामले में संवैधानिक उपबन्धों की नितान्त उपेक्षा की गई है। सदन ने भी इस बारे में अस्थायी कर ली है। इससे यह भी पता चलता है कि सरकार किस ढंग से सोचती है। मामला कब से पड़ा है। आशा थी कि विधि मंत्री सभा में आयेंगे और गृहमन्त्री जी भी उपस्थित रहेंगे। गुजरात राज्य को आवश्यकता से अधिक समय तक अपने आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित रखा गया है। यदि गुजरात विधान सभा होती तो कम से कम इस बजट पर चर्चा तो कर सकती है।

मुख्य बात यह है कि गुजरात में विधान सभा होनी चाहिए। बार-बार चुनावों का स्थगित किया जाना ठीक नहीं। यहां तक की वर्ष के अन्त तक पंचायतों के चुनाव भी स्थगित कर दिये गये हैं। ईमानदारी से यह क्यों नहीं कह दिया जाता कि गुजरात में अगले वर्ष तक कुछ नहीं होगा।

गुजरात में सूखा पड़ने और इससे सम्बन्धित कष्टों की कहानियां सुनाई जाती हैं, परन्तु राहत कार्यों के लिए गुजरात सरकार को अपेक्षित धन नहीं दिया जा रहा। केन्द्र को 100 करोड़ रुपया देने को कहा गया था, परन्तु वह इसके लिए राजी नहीं हुआ। अतः राहत कार्यों को ठीक पैमाने पर नहीं किया जा सका। जल के अभाव से प्रभावित होने वाले गांवों की संख्या 10,000 है, परन्तु पानी की व्यवस्था टैंकरों द्वारा केवल 170 गांवों में ही की जा सकी है। यदि 200 से 300 टैंकरों की व्यवस्था कर दी जाती है तो इस समस्या का काफी हद तक हल हो जाता है। कच्छ का प्रायः उल्लेख किया जाता है। इस क्षेत्र में योजना आयोग के विचार में पनीर उत्पादन का कारखाना लगाया जा सकता है। परन्तु वर्षों के व्यतीत हो जाने पर भी यहां कुछ नहीं हुआ।

नर्मदा के पानी का प्रश्न 20 वर्षों से चला आ रहा है। कुछ समय हुआ स्वयं प्रधान मन्त्री ने कहा था कि वह इस बारे में मध्यस्थता कर रही हैं। पता नहीं कब वह समय आयेगा जबकि इस क्षेत्र में लोग नर्मदा के जल का प्रयोग कर सकेंगे। मुख्य प्रश्न यह है कि गुजरात में विधान सभा होनी चाहिए। राज्य के प्रतिनिधि अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकें। परन्तु सरकार जिस प्रकार चल रही है उससे सन्देह होता है कि वह चुनाव ही नहीं कराना चाहती। अतः अफसरशाही चल रही है। सब ओर गड़बड़ी हो रही है। बिना कड़ी कार्यवाही के समस्या हल नहीं होगी।

श्री नटवर लाल पटेल (मेहसाना): इस वर्ष गुजरात को अभूतपूर्व सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। गत वर्ष भारी बाढ़ें आई थीं और राज्य की सारी कृषि नष्ट हो गई थी। सूखे की स्थिति को देखते हुए गुजरात सरकार ने स्थिति का सामना करने हेतु कुछ पग उठाये हैं। परन्तु धन की कमी के कारण कोई प्रभावशाली कार्य नहीं किया जा सका है। अतः सामान्य बजट से काफी धन गुजरात को मिलना चाहिए।

गुजरात में लम्बे रेशे वाली कपास पैदा होती है परन्तु उसके लिये राज्य में कोई मन्डी नहीं है । इस लिये वहां के उत्पादकों को काफी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपने उत्पादन की लागत भी नहीं मिलती । रूई के उत्पादकों को कुछ सहायता दी जानी चाहिए ताकि उसकी कीमतें ठीक स्तर पर रहें । यह बात वाणिज्य मन्त्रालय ने सारे देश के लिये भी कही थी और विशेष रूप से गुजरात राज्य के लिये कही थी । परन्तु इसके लिए समुचित धन उपलब्ध नहीं था। अतः काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया को समुचित वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए । यह सहायता कपड़ा मिलों और सहकारी संस्थाओं को भी मिलनी चाहिए ताकि गुजरात राज्य में लम्बे रेशे की कपास की समस्या हल की जा सके ।

राहत कार्यों के लिए लगभग सात लाख श्रमिक काम कर रहे हैं। आठ घंटे कार्य करने के बाद भी उन्हें तीन रुपए नहीं मिलते । वे लोग काफी सख्त भूमि को खोदते हैं। इस मामले में गुजरात सरकार पुराने नियमों पर चल रही है । उसमें संशोधन करके इन श्रमिकों को तीन रुपये प्रति दिन मिलने चाहिये । यह मामला परामर्शदात्री समिति में प्रस्तुत किया गया था और मन्त्री महोदय ने मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था । परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ । इस दिशा में यथाशीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए ।

गुजरात में अत्यधिक मात्रा में तेल मिलता है । इस तेल पर 50 रुपये प्रति क्विंटल स्वामित्व दिया जाना चाहिए ताकि हमारा राज्य भविष्य में आत्मनिभर बन सके । हमने कदना और घरोई जैसी परियोजनाएं पहले से ही आरम्भ कर रखी हैं । यदि वित्तीय सहायता पर्याप्त मात्रा में मिले तो हम ये परियोजनाएं पूरी कर सकते हैं ।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur): It is a pity that this Budget which should have been passed by the elected Assembly of Gujarat is today being passed by Parliament. The people of Gujarat have been demanding that elections be held in the State and that they sould have a Government of their own choice, but the Government here is not listening to that and continuing the President's rule on one pretext or the other. The first thing the Government should do is to hold elections in Gujarat.

There is drought in Gujarat but only a small amount has been provided for this purpose which is not sufficient. This should be increased.

The Narmada River Project is an important project. It will benefit both Gujarat and Madhya Pradesh. This should be completed at the earliest. The project has still not been cleared. The dispute about this project should be settled at the earliest. Sufficient amount should also be provided for the development of irrigation and power. The Ukai and Mahi projects should also be implemented so that the needs of Gujarat in the matter of electricity can be met.

In the Kandla free zone sufficient facilities have not been provided with the result that some people are shifting their industries from there.

Due to drought there is acute shortage of drinking water for the people. There is no fodder for the cattle. The Government should take effective steps

immediately and provide sufficient funds so that these problems can be solved.

The textile mills in Gujarat are retrenching workers as there is large accumulation of stocks. This has created discontent among the labourers. The Government should find a solution to this problem.

डा० महिपतराय मेहता (कच्छ): इस बजट के बारे में कोई बात भी विशेष नहीं है। यह घाटे का बजट है। इसमें 3.27 करोड़ रुपये की घाटे की वित्त व्यवस्था की गई है।

मुख्य प्रश्न यह है कि आज गुजरात में अभूतपूर्व सूखा पड़ा हुआ है। अभी तक सरकार ने केवल 33.50 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। घाटे के बजट में उन्होंने केवल 15 करोड़ रुपये के लिये कहा है और कुल लागत 50 करोड़ रुपये आयेगी। इससे जनता में विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। पिछले समय जब सूखा पड़ा था तो 81 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे। लोगों को 3 रुपये तक भी नहीं मिले हैं। लोगों को काम करने के लिये औजार भी नहीं दिये गये।

गुजरात पिछड़ा क्षेत्र है लोगों में बहुत असमानता है। गरीबी होते हुए भी लोगों ने छोटी बचतों में धन लगाया है। लेकिन वहां विकास कार्यों की कमी है। कच्छ के लिए एक विकास बोर्ड बनाया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र की भांति गुजरात में भी तीन डिवीजन हैं--कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र में प्रत्येक डिवीजन से बारी-बारी से मुख्य मन्त्री आते हैं। लेकिन गुजरात में आप देखिये कि कच्छ का कोई भी प्रतिनिधि मंत्रीमण्डल में शामिल नहीं। हमारी बिल्कुल उपेक्षा की जाती है, क्योंकि हमारा क्षेत्र छोटा है। यदि ध्यान न दिया गया तो आन्ध्र प्रदेश जैसी स्थिति पैदा हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है मन्त्री महोदय इस बात पर ध्यान देंगे।

डा० महिपतराय मेहता : सूखे के कारण स्थिति बहुत खराब हो गई है। लोग निर्धनता के स्तर से नीचे जीवन बिता रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

***श्री जे० माता गौडर** (नीलगिरी): महोदय, गुजरात में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। जब राष्ट्रपति शासन सम्बन्धी उद्घोषणा सभा पटल पर रखी जाती है तो उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट भी साथ रख दी जाती है। अब जबकि गुजरात में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई है तो पता नहीं राज्यपाल की रिपोर्ट लगाई गई है या नहीं क्योंकि उसे सभा पटल पर नहीं रखा गया है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यह तथ्य है कि राज्यपाल की रिपोर्ट सभा पटल पर नहीं रखी गई है।

श्री जे० माता गौडर : मैं जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट सभा पटल पर रखना क्या संवैधानिक कर्तव्य नहीं है। हमारे दल के नेता श्री सेझियान ने कल और आज भी सरकार द्वारा की जा रही संवैधानिक अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया था। अध्यक्ष महोदय, आपने और वित्त मन्त्री जी ने भी उनसे सहमति व्यक्त की है।

---

*तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

यह सभी जानते हैं कि जब गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो केन्द्रीय वित्त मन्त्री को राज्य का बजट बनाना और प्रस्तुत करना चाहिए । लेकिन वित्त मन्त्री जी ने गुजरात बजट को पढ़ने का कष्ट नहीं किया है । वे गुजरात के मामलों में रुचि नहीं ले रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो श्री सुब्रह्मण्यम पर बोलने लगे गुजरात बजट पर नहीं ।

श्री ज० माता गौडर : मैं कहना चाहता हूं कि जब तक श्री सुब्रह्मण्यम वित्त मन्त्री बने रहते हैं तब तक देश में राज्यों के वित्तीय हितों का संरक्षण नहीं होगा ।

Shri Arvind M. Patel (Rajkot) : The opposition parties are greatly responsible for the present state of affairs in Gujarat. The second factor is drought.

I will request that more attention should be paid towards small irrigation schemes in Gujarat especially in Saurashtra. Saurashtra has to depend on rains. So a Saurashtra Irrigation Board should be constituted. Which should assess the needs of that area in respect of irrigation facilities. Gujarat had the benefit of major rivers, while a part of the State, that is, Saurashtra did not have that benefit.

That region is in great need of minor projects for irrigation. Therefore, it is necessary to see that economic disparities do not arise between the two regions. It should not be that only one region developed and the other lagged behind.

The farmers of Gujarat should be given some help to enable them to purchase bullocks for agricultural operations.

श्री एच० एम० पटेल (ढुंढुका) : इस सभा को श्री सेझियान का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने प्रशासन में और वित्त मन्त्रालय में अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया है । प्रशासन में अनुशासन नहीं रह गया है । बड़ी-बड़ी राशियों और आकस्मिक निधि का जिस प्रकार प्रयोग किया जा रहा वह बिल्कुल गलत है । वे इसे केवल तकनीकी गलती मानते हैं लेकिन मैं चेतावनी देता हूं कि वित्तीय मामलों में संवैधानिक उपबन्धों का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए । लोकतांत्रिक पद्धति के लिए यह बहुत आवश्यक है ।

मैं रिपोर्ट में से उदाहरण देता हूं । 12 महीने के राष्ट्रपति शासन के दौरान 34 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाये गये हैं । लेकिन इसके लिये जो उपाय किये गये हैं वे अनुचित हैं । राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल को राज्य की समस्याओं का पता लगाने के लिये संसद सदस्यों के साथ बातचीत करते रहना चाहिए । लोकतंत्र में यह अत्यावश्यक है ।

यह ठीक है कि संसद की एक सलाहकार समिति बनाई गई है लेकिन उसकी बैठक कितनी बार हुई है । प्राय: बैठकें नहीं की जातीं । उसमें भी सदस्यों को ठीक-ठीक जानकारी नहीं मिलती । पंचायत अधिनियम को शीघ्र पास कराने की आवश्यकता है क्योंकि सत्ताधारी दल चाहता है कि वे अधिक समय तक अपना नियंत्रण रख सकें । पिछले दो वर्षों से जिला पंचायतें और ताल्लुका पंचायतें नहीं हैं । यह बड़े असंतोष की बात है ।

इस रिपोर्ट में कदना परियोजना और धारोई परियोजना जैसी महत्वपूर्ण सिंचाई योजनाओं सम्बन्धी की गई प्रगति का कोई उल्लेख नहीं है । समय-सीमा के भीतर इनके पूरा होने की आशा नहीं है । नर्मदा परियोजना का काम भी दस वर्ष तक पूरा होने की आशा नहीं । 117 सिंचाई परियोजनाएं

अन्तर्राज्यीय विवादों के कारण रुकी पड़ी हैं । गुजरात में इन परियोजनाओं से 70 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त कीजिए ।

श्री एच० एम० पटेल : कुछ समय पहले एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मन्त्री द्वारा कहा गया था कि सरकार को जॉन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है । यह समिति विश्वविद्यालीय समस्याओं के बारे में बनाई गई थी । मैंने पूछा था कि इस समिति की सिफारिशें कार्यान्वित कब तब की जाएंगी ? मन्त्री महोदय ने कहा था कि बहुत शीघ्र कदम उठाये जाएंगे । आज तक पता नहीं कि क्या हुआ है । अन्य बातों के मामले में तो शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाता है लेकिन समिति की सिफारिशों के बारे में कुछ पता नहीं । इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह आश्वासन मिले कि पर्याप्त धन की व्यवस्था की जायेगी । व्यवसाय उन्मुख शिक्षा प्रणाली के लिये भी बजट में कुछ नहीं है । ये सभी बातें हैं जिनके बारे में गुजरात सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है । कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना बहुत आवश्यक है ।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम कुछ ऐसा आरम्भ करने जा रहे हैं जिसका वास्तव में बहुत महत्व है । हमें यह स्मरण रखना चाहिए हमारे देश में 50 प्रतिशत से अधिक स्कूल गांवों में हैं और वहां व्यवसायिक संस्थान नहीं हैं । अतः इस ओर उपयुक्त ध्यान दिया जाना चाहिए ।

मेरा अन्तिम निवेदन यही है कि गुजरात सरकार को लोगों का अधिकाधिक विश्वास प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि वर्ष 1976 के लिए उपलब्ध करवाई गई धनराशि का कारगर उपयोग कर राज्य के कार्यों को पूरा किया जा सके ।

श्री डी० पी० जदेजा (जामनगर) : गुजरात राज्य के समक्ष आज सब से विकट समस्या सूखे की है । वहां जैसा भयानक सूखा पड़ा है उसकी वहां के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी । परन्तु राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के अन्तर्गत स्थिति का सामना कर रही है उसके लिये वह निश्चय ही सराहना की पात्र है । अब स्थिति यह है कि उस राज्य से न केवल पशुओं को अपितु कुछ लोगों को भी अन्य राज्यों में भेजना पड़ेगा । गुजरात में सूखे की स्थिति का वास्तविक वहां कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं की संख्या के आधार पर नहीं अपितु वर्ष-वार सूखाग्रस्त गांवों के आंकड़े एकत्र करके लगाया जाना चाहिए । गुजरात के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र और विकास बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए और आजकल वहां जो अभाव आयुक्त का पद है, उसे बोर्ड के सचिव के रूप में परिणत कर दिया जाना चाहिए । इस प्रकार एक नियमित यन्त्र के गठन द्वारा सूखे की स्थिति पर काबू पाने में सुविधा होगी ।

भारत सरकार द्वारा गुजरात राज्य को सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए जो वित्तीय सहायता दी जा रही है, उसे योजना हेतु आबंटित धनराशि में से कम करने की बात कही गई है । यदि ऐसा किया गया तो भविष्य में राज्य की योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पाएंगी । सरकार द्वारा गुजरात राज्य को उसी प्रकार की वित्तीय सहायता देनी चाहिए जैसी कि कुछ वर्ष पूर्व 80 करोड़ रुपये की धनराशि के रूप में दी गई थी । राज्य की सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए । जामनगर में पीने के पानी का भारी अभाव है, वहां की 3 लाख की जनसंख्या को पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं । इस नगर से लगभग 30 मील दूर उंड नाम का स्थान है । वहां के लिए "उंड परियोजना" नाम से जो परियोजना तैयार की गई है उस

से सम्पूर्ण सूखाग्रस्त क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा । अतः इस परियोजना को चालू बजट में शामिल करने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए ।

राज्य सरकार के पास जल टैंकर संख्या में तो काफी हैं परन्तु इनमें से आधे ऐसे हैं जो कार्य नहीं कर रहे हैं । लोग वहां पानी के लिये तड़प रहे हैं परन्तु उनकी मुरम्मत नहीं की जा रही है । इसी प्रकार जामनगर से आगे बेदी पोर्ट नामक स्थान है वहां नगरपालिका द्वारा पीने का पानी सप्लाई किया जाता है । परन्तु वहां भी लोगों को पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में लोग भला किस प्रकार शांत रह सकते हैं ? सरकार को पीने के पानी के लिये उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए ।

इस सम्बन्ध में मेरा एक अन्य निवेदन यह है कि सरकार द्वारा अभावग्रस्त कार्यों के लिए काम करने वाले श्रमिकों को औजार उपलब्ध करवाये जा रहे हैं परन्तु फिर भी वास्तविक स्थिति यह है कि श्रमिकों को अपने औजार लाने के लिये कहा जाता है । परिणाम यह होता है कि मध्यम दर्जे के श्रमिक तो औजार ले आते हैं परन्तु जरूरतमन्द श्रमिक जिन्हें वास्तव में काम की जरूरत होती है, वह काम पर नहीं लग पाते हैं, इस ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए । इसके साथ ही मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कम मूल्यों पर खाद्यान्न तथा घास आदि लोगों को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए ।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : गुजरात राज्य में इस बार अभूतपूर्व सूखा पड़ा है । राज्य के कुल 18,604 गांवों में से 11,694 गांव सूखा तथा अकालग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं । 31 मार्च 1975 तक 4,130 राहत कार्य आरम्भ किये जा चुके हैं जिसका तात्पर्य है कि 5000 गांवों में राहत कार्य होगा परन्तु शेष गांवों का क्या होगा ? वर्ष 1972-73 के सूखे के दौरान गुजरात सरकार द्वारा राहत कार्यों पर 94 करोड़ रुपया खर्च किया गया जिसमें से कि 82 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया । यदि सरकार का कहना यह है कि इस बार सूखा पहले से भी भयानक है तो फिर सरकार को राहत कार्यों के लिए और अधिक वित्तीय सहायता देनी चाहिए ।

राज्य में पानी का भारी अकाल है । सरकार को इस समस्या का समाधान युद्ध स्तर पर करना चाहिए । पशुओं के लिए चारा आदि भी उपलब्ध करवाने का कार्य शीघ्र किया जाना चाहिए क्योंकि आये दिन वहां पशुओं की मृत्यु होती जा रही है ।

गुजरात में राष्ट्रपति का शासन वहां की समस्याओं का समाधान करने तथा स्थिति का सामना करने में असफल रहा है । श्री मोरार जी देसाई ने लोगों का एक मांग पत्र अहमदाबाद में राज्यपाल को प्रस्तुत किया है जिसमें शीघ्र चुनाव करवाने की मांग पर बल दिया गया है । यदि गुजरात में चुनाव करवा दिए जाते हैं तो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों सहित 182 विधान सभा सदस्य, 19 जिला पंचायत प्रधान तथा 119 ताल्लुक पंचायत प्रधान इस सूखे का सामना करने के कार्य में जुट जायेंगे । यदि सरकार ने गुजरात में शीघ्र चुनाव न करवाये तो लोग सरकार तथा शासक दल दोनों को ही सबक सिखा कर रहेंगे ।

मंत्री महोदय द्वारा अपने वक्तव्य में बताया गया है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए जा रहे हैं परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब मैट्रिक से आगे पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है जोकि पूर्ण रूप से रोजगार में लगे हुए हैं । पहले यह सुविधा उन्हें दी जाती थी । इसी

प्रकार एयरक्राफ्ट मेन्टेनेंस इंजीनियर्स कोर्स, तथा मिलिट्री कालेज देहरादून में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां नहीं दी जा रही हैं।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया है कि अस्पृश्यता निवारण हेतु भी अनेक कदम उठाए गए हैं। मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक केवल राज्य स्तर की एक समिति का गठन किया गया है तथा उसकी केवल एक ही बैठक हुई है। इसी प्रकार हरिजनों के कल्याण हेतु राज्य स्तर पर मंत्रणा बोर्ड बने हुए हैं परन्तु सरकार ने बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है। यह संतोष की बात है कि हरिजनों के आर्थिक, सामाजिक उत्थान के लिए सरकार हरिजन विकास निगम बनाने जा रही है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : गुजरात में राष्ट्रपति का शासन एक वर्ष से भी अधिक समय से चला आ रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि गुजरात जैसे राज्य की जहां कि औद्योगिक विकास की संभावनायें काफी अधिक हैं, जहां आर्थिक विकास की काफी संभावना है तथा जहां शिक्षा के अवसर उपलब्ध हैं, उस राज्य को लोकप्रिय सरकार के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। यह ठीक है कि राष्ट्रपति का शासन लागू करने की व्यवस्था हमारे संविधान में है परन्तु क्या राष्ट्रपति का शासन उस समय भी लागू रखा जा सकता है जबकि राज्य के समक्ष किसी प्रकार की कोई आपातकालीन या असमान्य कानून स्थिति न हो? हमारे संविधान में व्यवस्था है कि अपेक्षित समय से एक दिन भी आगे राष्ट्रपति शासन को नहीं बढ़ाया जा सकता। राष्ट्रपति शासन से नौकरशाही प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है तथा वह लोकतांत्रिक कार्यकरण के विपरीत होता है। मुख्य प्रश्न हमारे समक्ष यही है कि राष्ट्रपति शासन को आवश्यकता से अधिक एक दिन भी नहीं रखा जाना चाहिए। गुजरात राज्य को पहले ही संसद में पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाया है क्योंकि जो लोग यहां राज्य का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं वह सरकार का ध्यान राज्य की समस्याओं पर केन्द्रित करने में असमर्थ रहे हैं। मेरा यह सब कहने का मुख्य उद्देश्य यही है कि गुजरात में चुनाव शीघ्र करवाये जाने चाहिए।

गुजरात में लोकप्रिय आन्दोलन चलाने का कार्य संगठन कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए भरसक प्रयत्न की आवश्यकता होती है क्योंकि लोग अक्सर रूढ़िवादी होते हैं। मुझे आशा है कि संगठन कांग्रेस आन्दोलन अपने उद्देश्य में सफल होगा। गुजरात में जहां चुनाव नहीं करवाए गए हैं वहां बरोच में जहां से कि हमारे साथी श्री एम० वी० राणा सदस्य थे, वहां भी उपचुनाव नहीं करवाया गया है। बारपेटा जहां से श्री फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने, वहां उपचुनाव शीघ्र करवा दिया गया है परन्तु बरोच में उपचुनाव अभी तक नहीं करवाया गया है। यद्यपि वहां अकाल जैसी कोई स्थिति नहीं थी।

अन्य मुख्य प्रश्न राहत कार्यों के लिए जुटाई जाने वाली धनराशि का है। कुल मिलाकर वर्ष 1974–75 के लिए भारत सरकार द्वारा 47.70 करोड़ रुपये राहत कार्यों के लिए दिए गए। इसमें 4.25 करोड़ रुपये सूखा सहायता क्षेत्र कार्यक्रम तथा 9.89 करोड़ रुपये योजना सहायता की अग्रिम धनराशि वाले जोड़ दिए जाएं तो कुल धनराशि 61.84 करोड़ रुपये हो जाएगी। 1 सितम्बर, 1974 को राहत कार्य आरम्भ किए गए थे और अब तक उन पर 56 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। अब भला आप ही बताइए कि इस वर्ष के लिए जो 32.60 करोड़ रुपये की धनराशि राहत कार्यों के लिए मंजूर की गई है वह कहां तक उपयुक्त होगी?

क्या केवल संसद में लम्बे चौड़े भाषण देकर या आश्वासन देकर गुजरात की पीड़ित जनता का दर्द दूर किया जा सकता है । सूखा राहत कार्य मौनसून के अन्त तक चलेगा अतः इसके लिए गत वर्ष से अधिक धनराशि जुटाई जानी चाहिए ।

मैं सदन का ध्यान 15 फरवरी, 1975 के इंडियन एक्सप्रैस में छपे इस समाचार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि केन्द्र उत्तर प्रदेश के घाटे का बजट अपने पर वाहन कर लेगी । प्रश्न यह है कि क्या केन्द्र सरकार के बिहार या उत्तर प्रदेश के घाटे का बजट वाहन करने का अधिकार है ? इस संबंध में आप की क्या राय है ?

वर्ष 1975–76 के गुजरात बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन की पृष्ठ संख्या 4 पर कहा गया है कि राजस्व व्यय में 105.38 लाख रुपये की कमी की गई है क्योंकि नये कार्यों पर मितव्ययता की दृष्टि से खर्च करना बंद कर दिया गया है । वर्ष 1974–75 में जब भीष्म सूखा पड़ा तो भी गुजरात में नए कार्यों पर होने वाला व्यय बन्द कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप 105.38 लाख रुपये की धनराशि वापिस लौटाई गई थी । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अब नये कामों पर लगाई गई रोक समाप्त कर दी गई है ? मेरा यह सब कुछ कहने का तात्पर्य यह है कि गुजरात राज्य को और अधिक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए । और यही बात गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री ओझा तथा कांग्रेस अध्यक्ष श्री सोलंकी द्वारा भी कही गई है ।

द्वितीय वेतन आयोग, देसाई आयोग ने राज्य कर्मचारियों के लिये कुछ पुनरीक्षित वेतन-मानों की सिफारिश की है । बजट में इसके लिए केवल 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जबकि इस कार्य पर 25–30 करोड़ रुपये लगेंगे । यह शेष धनराशि कहां से आयेगी ? नर्मदा परियोजना के कार्य की ओर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए । वी०वी० जॉन समिति की रिपोर्ट भी शीघ्र प्रकाशित की जानी चाहिए । जिला तथा ताल्लुक पंचायतों के लिए सदस्य मनोनीत करने की बात भी कही जा रही है, यह प्रथा बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकती है । इसी प्रकार अहमदाबाद की सूती वस्त्र मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के समक्ष भी बहुत सी कठिनाइयां हैं, उन्हें दूर करने के लिए भी उचित कदम उठाये जाने चाहिएं । अहमदाबाद नगरपालिका परिवहन सेवा के लिए और अधिक केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए । गुजरात के पंचमहाल की स्थिति सुधारने तथा आदिवासियों के उत्थान के लिए भी उपयुक्त कदम उठाये जाने चाहिए । मुझे आशा है कि गुजरात के लोगों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए सरकार बजट में उपयुक्त व्यवस्था करेगी ।

Shri Madhu Limaye (Banka): I just want to mention two or three points. Last time when the meeting of Gujarat Consultative Committee was called, I raised the issue of early elections in Gujarat but when I failed to get a clear assurance from Home Minister I resigned from the Membership of the Committee. When my other friends of Opposition raised the issue of drought in Gujarat, the Prime Minister refuted the charge that opposition is carrying out false propaganda to mislead the public and situation in Gujarat is quite normal. Now when we are demanding that elections should be held in Gujarat, Home Minister has come out with the excuse that due to serious drought in the state many people have migrated to other places and hence elections cannot be held under such circumstances. The fact is that elections are being postponed simply for the convenience of Congress

Party. We want that Gujarat should be done away with President's Rule and elections should be held soon.

In accordance with the figures and informations as provided by the Government it is clear that famine conditions are there in Gujarat. In Kutch itself out of 1,124 villages 1,118 are famine sticken. The villages of Gujarat where more than 75 per cent of crop has been destroyed, all such areas should be declared as famine sticken.

The attitude which sixth Finance Commission has adopted about famine, floods and other natural calamaties should be changed because natural calamaties do not come according to the average formula which the commission takes into consideration.

उपाध्यक्ष महोदय : हमने सात मिनट का समय निर्धारित किया है । आपने उससे अधिक समय ले लिया है ।

Shri Madhu Limaye : I will finish my speach within two minutes. You should change the recommendations of the Sixth Finance Commission. Gujarat should be given adequate assistance from the Central Government so that the state may face this crisis.

The relief operations should continue till the Kharif crop is harvested. This should continue upto September.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जिन सदस्यों ने गुजरात बजट पर हुई चर्चा में भाग लिया है मैं उनका आभारी हूं । मैं एक-दो बातें कहूंगा जिनका कि माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है । अधिकतर वहां चुनाव कराने का उल्लेख किया गया है । गुजरात में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए सभा में एक संकल्प पेश किया गया था । माननीय सदस्यों को उस पर भी चर्चा करने का अवसर मिलना था । गृह मंत्री ने स्थिति भी स्पष्ट कर दी थी । उन्होंने कहा था कि राज्य में अभाव तथा सूखे की स्थिति के कारण सारा प्रशासन राहत कार्यों में लगा हुआ है । उन्होंने आश्वासन दिया था कि यथा संभव शीघ्र राज्य में चुनाव कराये जायेंगे । इस संबंध में मैं यह बता दूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने प्राकृतिक आपदाओं के लिए छठे वित्त आयोग द्वारा सहायता के लिए की गई सिफारिश का उल्लेख किया है । हमारा यह अनुभव रहा है कि प्रत्येक राज्य में सूखा राहत, बाढ़ राहत आदि के लिए दी गई सहायता तदर्थ उद्देश्यों पर व्यय की गई है । उस धन को अन्य विकास कार्यों पर व्यय नहीं किया गया । शायद इसी कारण से छठे वित्त आयोग ने इसे सामान्य योजना विकास का एक अंश मानने का निर्णय किया है । इस बात पर कई बार चर्चा हुई है । और वित्त मंत्री ने अपने विचार भी प्रकट किए हैं ।

श्री एच० एम० पटेल : उन्होंने कहा कि वित्त आयोग ने इस पर विचार किया है और कहा है कि पहले जो धनराशि इस प्रयोजन के लिये व्यय की गई वह काफी नहीं थी । क्या अकाल-ग्रस्त लोगों के दुख को दूर करने हेतु कम धनराशि व्यय करने का कोई कारण था ? यदि आपको 50 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है और केवल $4\frac{1}{2}$ करोड़ रुपए दिये जाते हैं तो शेष धन-राशि कहां से आयेगी ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैंने यह नहीं कहा कि धनराशि पर्याप्त थी अथवा नहीं । मैंने तो यह बताया है कि इसका विकास कार्यक्रमों से कहां तक संबंध था । वित्त आयोग की सिफारिश

के अनुसार गुजरात को 4 करोड़ रुपये की धनराशि दी जानी थी। किन्तु वहां की समस्या की विशालता को देखते हुए सूखा-ग्रस्त क्षेत्र राहत कार्यक्रम के अतिरिक्त वहां 6 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई। 15 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय दिया गया। 1975–76 बजट के लिए 11.6 करोड़ रुपये दिये गए हैं। ऐसा नहीं है कि अकाल राहत या प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए उन्हें पर्याप्त धन नहीं दिया जाएगा। प्रश्न यह है कि उस धनराशि को कैसे व्यय करना है क्या उसका संबंध विकास पहलू से जोड़ना है ? भारत सरकार के लिए जितना भी संभव हो पाया है, उतना उसने गुजरात पर व्यय किया है।

प्रश्न पूछा गया है कि सूखा राहत के लिए वास्तविक कार्यक्रम क्या है ? यहां भी समय-समय पर विचार किया जाता है। उदाहरण के लिए अभावग्रस्त ग्रामों की संख्या 8–3–75 को 11,988 घोषित की गई थी। 15–3–75 को इनकी संख्या 12,140 कर दी गई। इसी तरह कई अन्य बातों पर भी ध्यान दिया गया और उनको दी जाने वाली सुविधाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है। मैं यह दावा नहीं करता कि समूचे सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए यह पर्याप्त होगा। सीमित संसाधनों के होते हुए अधिकतम राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

वित्तीय प्रावधान के बारे में श्री मावलंकर ने कहा है कि भारत सरकार को इस पर अधिक धन व्यय करना चाहिए। मैंने इस बारे में स्थिति पहले ही स्पष्ट कर ली है।

गुजरात राज्य को केन्द्रीय सरकार से 32 करोड़ रुपये से अधिक धन दिया गया है। यह गत वर्ष की भांति सहायता के रूप में दिया गया है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार अपने संसाधन बढ़ा पाई है और इसके फलस्वरूप इस वर्ष के लिए गुजरात राज्य की वार्षिक योजना में कुछ अधिक प्रावधान किया जाएगा।

अग्रिम ऋण को बट्टे खाते में डालने के प्रश्न पर काफी विचार करना होगा। मैं यहां स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता कि क्या अग्रिम ऋण की वह धनराशि बट्टे खाते में डाल दी जाएगी ? यह स्थिति पर निर्भर करता है।

श्री पी० जी० मावलंकर : बिहार तथा उत्तर प्रदेश में ऐसा किया गया है। ऐसा समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। मैं इसे आपके ध्यान में लाया हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में मंत्री जी अभी नहीं बता सकते। जब आप यह बात उनके ध्यान में ले आये हैं तो वह अवश्य इस पर विचार करेंगे।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : श्री दीनेन भट्टाचार्य ने एक सुझाव दिया है। मैं नहीं जानता कि बजट को मंत्रणा समिति में पेश किये जाने का क्या कोई उदाहरण है अथवा नहीं। गृह मंत्रालय से संबद्ध मंत्रणा समिति का उद्देश्य यह होता है कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत होता है तो संसद तथा केन्द्रीय प्रशासन को उस राज्य पर निगरानी रखनी होती है। मुझे पता नहीं है कि बजट को सभा में पेश करने से पहले क्या उसे किसी समिति में भी पेश किया जाता है।

श्री पटेल ने दो या तीन परियोजनाओं का उल्लेख किया है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सरकार नर्मदा जल विवाद का सीमित समझौता करके गुजरात के हितों की उपेक्षा नहीं कर रही है। हाथ में ली गई परियोजनाओं पर कार्य तेजी से करने के लिए ही संबंधित राज्य सरकार से सीमित समझौता किया गया है और मेरा ख्याल है कि यह गुजरात राज्य के लिए पूर्ण संतोषजनक होगा। यह समझना सही नहीं है कि चूंकि वहां कोई लोकप्रिय सरकार नहीं है अतः

विकास परियोजनाओं को तब तक चालू नहीं किया जाएगा जब तक कि वहां कोई लोकप्रिय सरकार नहीं बन जाती।

बजट पेश करते हुए मैंने उन विषयों पर प्रकाश डाला है जिन में सुधार हुआ है। राज्य में औद्योगिक प्रगति हुई है। दो नए यूनिटों की स्थापना के फलस्वरूप वहां अधिक बिजली पैदा की गई है। अतः औद्योगिक स्थिति में सुधार हुआ है।

निस्संदेह कुछ कठिनाइयां भी हैं। राज्य के अन्दर ही क्षेत्रीय विषमता है। माननीय सदस्य ने कच्छ के लोगों की कठिनाइयों का उल्लेख किया है। सौराष्ट्र के लोगों की कठिनाइयों का भी उल्लेख किया गया है। सरकार का यही प्रयास है कि राज्यों-राज्यों में ही नहीं वरन् प्रत्येक राज्य में संतुलित विकास हो। गत 27 वर्षों के दौरान हमने इस दिशा में प्रयास किया है और अगले 27 वर्षों में भी हम कुछ करने की आशा करते हैं।

मुझे आशा है कि राज्य प्रशासन भी इन बातों पर ध्यान देगा। कच्छ तथा सौराष्ट्र की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

श्री नटवर लाल पटेल : मंत्री जी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। राहत कार्य में लगे लोगों को 3 रुपये भी नहीं दिये जा रहे हैं। आठ घंटे कार्य करने के पश्चात 80 प्रतिशत श्रमिकों को 2 रुपये प्रतिदिन दिये जा रहे हैं। आपने उनका क्या किया है ?

श्री के०एस० चावड़ा : कहा गया है कि सरकार एक हरिजन विकास निगम स्थापित करने जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि बजट में इसके लिए कितना प्रावधान रखा गया है।

श्री एच० एम० पटेल : मैंने अपने भाषण में शिक्षा का उल्लेख किया है। गुजरात राज्य को शिक्षा संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए तब तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए जब तक कि वहां निर्वाचित सरकार न बन जाए। सरकार ने वी०वी० जॉन समिति का प्रतिवेदन भी प्रकाशित नहीं किया है।

श्री डी०पी० जदेजा : मैंने सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास बोर्ड का उल्लेख किया था। इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। मैंने यह भी कहा था कि कमी वाले क्षेत्रों में श्रमिकों को सस्ता अनाज तथा जानवरों के लिए चारा सप्लाई किया जाना चाहिए।

श्री पी० जी० मावलंकर : भारत सरकार ने कहा है कि देश के चार महानगरों में लोक परिवहन प्रणाली को सहायता दी जायेगी। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली को इस तरह की सहायता दी गई है। अहमदाबाद को ऐसी सहायता क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी: आपने अपने प्रश्न का स्वयं उत्तर दे दिया है। सरकार का निर्णय केवल इन चार नगरों को इस तरह की सहायता देने का है।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुपूरक मांगों के संबंध में, अध्यक्ष महोदय ने आज सुबह घोषणा की है कि श्री सेझियान द्वारा उठाई गई बातों के उत्तर में सरकार मांग संख्या 49 को शुद्धिपत्र जारी करके वापस ले लेगी। अतः जब मैं अनुपूरक मांगों को मतदान के लिए रखूंगा तो उसमें मैं मांग संख्या 49 का उल्लेख नहीं करूंगा।

श्री पी० जी० मावलंकर : मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 10 को पृथक से पेश किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि चुनाव शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में एक रुपया कम किया जाये।"

[गुजरात विधान सभा के चुनाव जल्दी करने में असफलता]

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में	13	Ayes	13
विपक्ष में	60	Noes	60

पक्ष में हम श्री भट्टाचार्य तथा श्री श्यामनन्दन मिश्र का मत भी जोड़ सकते हैं। इस प्रकार पक्ष में 15 तथा विपक्ष में 60 मत होते हैं। कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पी०जी० मावलंकर का कटौती प्रस्ताव संख्या 10 को सभा में मत-विभाजन के लिये पेश करता हूं।

प्रश्न है :—

"कि "प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत" शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग में एक रुपया कम किया जाए।"

[गुजरात में सूखा राहत कार्यों के लिए जनता को तत्काल और पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता देने में असफलता।]

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में	16	Ayes	16
विपक्ष में	58	Noes	58

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं शेष कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिये पेश करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The cut motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा गुजरात के बारे में निम्नलिखित लेखानुदानों की मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

The following demands for vote on Account in respect of Gujarat were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		पूंजी रुपये
2.	मंत्रि परिषद	—
3.	निर्वाचन	—

1	2	3
		पूंजी रुपये
5.	सामान्य प्रशासन विभाग .	—
6.	आर्थिक सलाह तथा सांख्यिकीय .	—
7.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय .	5,61,000
8.	वित्त विभाग .	—
9.	कर संग्रहण प्रभार (वित्त विभाग)	—
10.	राजकोष तथा लेखा प्रशासन	—
11.	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	—
12.	वित्त विभाग से संबंधित अन्य व्यय .	16,14,000
14	विधि विभाग .	—
15.	न्याय प्रशासन .	—
16.	विधि विभाग से संबधित अन्य व्यय	11,51,000
17.	खाद्य तथा सिविल पूर्ति विभाग	—
18.	सिविल पूर्ति .	—
19.	खाद्य तथा पोषाहार . . .	68,35,42,000
20.	खाद्य तथा सिविल पूर्ति विभाग से संबद्ध अन्य व्यय . .	6,15,000
22.	राज्य विधान मण्डल	—
23.	गुजरात विधान मन्डल सचिवालय के सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम .	94,000
24.	कृषि, वन और सहकारिता विभाग	—
25.	सहकारिता	55,03,000
26.	कृषि . . .	63,78,000
27.	लघु सिंचाई भूमि संरक्षण और क्षेत्र विकास	30,88,000
28.	पशु पालन और डेरी विकास	6,67,000
29.	मीन उद्योग .	—
30.	वन	31,86,000
31.	कृषि, वन और सहकारिता विभाग से संबद्ध अन्य व्यय .	40,38,000
33.	शिक्षा और श्रम विभाग	—
34.	राज्य उत्पाद-शुल्क .	—
35.	शिक्षा . .	12,50,000
36.	श्रम और रोजगार	—
37.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण . . .	4,89,000
38.	शिक्षा और श्रम विभाग से संबद्ध अन्य व्यय . . .	37,63,000
39.	गृह विभाग	—
40.	कर संग्रहण प्रभार (गृह विभाग)	—

1	2	3
		पूंजी रुपये
41.	पुलिस	—
42.	जेलें	—
43.	सूचना, प्रचार और पर्यटन	—
44.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	82,27,000
45.	उद्योग, खान और विद्युत विभाग	—
46.	कर संग्रहण प्रभार (उद्योग खान और विद्युत विभाग)	—
47.	स्टेशनरी और प्रिंटिंग	—
48.	उद्योग	24,94,000
49.	खानें और खनिज	—
50.	विद्युत परियोजनायें	—
51.	उद्योग, खान और विद्युत विभाग के संबंध में अन्य व्यय	16,02,000
52.	पंचायत और स्वास्थ्य विभाग	—
53.	सामुदायिक विकास	—
54.	चिकित्सा	—
55.	परिवार नियोजन	—
56.	लोक स्वास्थ्य	63,25,000
57.	नगर विकास	42,000
58.	पंचायती राज	—
59.	पंचायतों और स्वास्थ्य विभाग से संबद्ध अन्य व्यय	64,67,000
61.	लोक निर्माण विभाग	—
62.	गैर-रिहायशी इमारतें	65,80,000
63.	आवास	98,98,000
64.	सिंचाई और भू-संरक्षण	20,47,83,000
65.	बन्दरगाह	1,29,20,000
66.	सड़कें और पुल	2,76,94,000
67.	गुजरात पूंजीगत निर्माण योजना	56,67,000
68.	लोक निर्माण विभाग से संबंधित अन्य व्यय	52,01,000
70.	राजस्व विभाग	—
71.	कर संग्रहण प्रभार (राजस्व विभाग)	—
72.	जिला प्रशासन	—
73.	दैवी विपत्तियों के कारण राहत सहायता	2,30,00,000
74.	डांग जिला	2,81,000
75.	क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	8,34,000
76.	राजस्व विभाग से संबंधित अन्य व्यय	58,78,000

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा गुजरात के बारे में निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक मांगें मतदान के लिए रखी गई और स्वीकृत हुई ।

The following Supplementary demands of grants in respect of Gujarat were put to vote and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		पूंजी रुपये
8.	विविध सामान्य सेवायें (सामान्य प्रशासन विभाग) .	—
11.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (सामान्य प्रशासन विभाग)	—
14.	आर्थिक सलाह और अंक संकलन .	—
17.	बिक्री कर . .	—
21.	वित्त विभाग	—
22.	राजकोष और लेखा प्रशासन .	—
23.	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	—
25.	शिक्षा उपकर का संग्रह .	—
27.	वित्त विभाग आयोजन तंत्र . . .	—
28.	भारतीय भागीदारी अधिनियम और सामान्य बीमा के प्रशासन .	—
33.	न्याय प्रशासन	—
35.	अन्य प्रशासनिक सेवायें (विधि विभाग) . .	—
38.	विधि विभाग में सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	1,55,000
40.	सिविल सप्लाई . . .	—
41.	खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग . . .	—
42.	खाद्य और पोषाहार (खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग) .	5,63,000
49.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (कृषि, वन और सहकारिता विभाग)	—
53.	सहकारिता (कृषि, वन और सहकारिता विभाग)	1,77,000
55.	कृषि (कृषि, वन और सहकारिता) विभाग . . .	8,18,13,000
56.	लघु सिंचाई भूमि संरक्षण और क्षेत्र विकास (कृषि, वन और सहकारिता विभाग)	1,33,00,000
58.	डेरी विकास	—
59.	मत्स्य पालन	—
60.	वन . .	1,000
63.	राज्य उत्पादन शुल्क	—
65.	शिक्षा और श्रम विभाग	—
66.	शिक्षा .	—

1	2	3
		पूंजी रुपये
69.	आवास	10,00,000
71.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (शिक्षा और श्रम विभाग)	15,00,000
72.	शिक्षा और श्रम विभाग आयोजन तंत्र	—
74.	मोटर गाड़ियों पर कर	—
75.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क (गृह विभाग)	—
76.	गृह विभाग	—
77.	पुलिस	—
78.	जेल	—
79.	अन्य प्रशासनिक सेवायें (गृह विभाग)	—
82.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (गृह विभाग)	—
84.	पर्यटन	—
86.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क (उद्योग खान और बिजली विभाग)	—
87.	लेखन सामग्री और मुद्रण	—
88.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (उद्योग, खान और बिजली विभाग)	—
90.	उद्योग, खान और बिजली विभाग	—
94.	उद्योग	17,40,000
97.	विद्युत परियोजनायें	5,00,00,000
105.	पंचायत और स्वास्थ्य विभाग	—
107.	चिकित्सा	—
108.	परिवार नियोजन	—
110.	नगरीय विकास (पंचायत और स्वास्थ्य विभाग)	6,00,000
113.	पचायत और स्वास्थ्य विभाग आयोजन तंत्र	—
116.	पंचायत और स्वास्थ्य विभाग में सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	15,48,000
119.	अन्य प्रशासनिक सेवायें (लोक निर्माण विभाग)	30,00,000
120.	आवास (लोक निर्माण विभाग)	1,06,34,000
122.	लोक निर्माण विभाग	—
124.	सिंचाई	12,76,76,000
125.	बन्दरगाह	1,00,000
126.	ग्लाइडिंग क्लब	—
127.	सड़क और पुल	2,35,00,000
128.	गुजरात राजधानी निर्माण योजना	1,33,00,000
131.	लोक निर्माण विभाग में सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	10,15,000

1	2	3
		पूंजी रुपये
132.	भू-राजस्व	—
137.	जिला प्रशासन . . .	—
138.	विविध सामान्य सेवायें (राजस्व विभाग)	—
139.	शहरी विकास (राजस्व विभाग) . .	—
140.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (राजस्व विभाग) .	—
141.	दैवी विपत्तियों के कारण राहत कार्य (राजस्व विभाग) .	35,00,000
142.	डंग्स जिला	—
144.	क्षतिपूर्ति और समर्पण (राजस्व विभाग) . .	10,00,000
146.	राजस्व विभाग में सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम .	2,00,000

गुजरात विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975
GUJARAT APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1975

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1975-76 के एक भाग की सेवाओं के लिए गुजरात राज्य की आकस्मिक निधि से कतिपय राशियों को निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

श्री पीलू मोदी : यथा संशोधित

उपाध्यक्ष महोदय : अभी नहीं । प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1975-76 से एक भाग की सेवाओं के लिए गुजरात राज्य की आकस्मिक निधि से कतिपय राशियों की निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1975-76 के एक भाग की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की आकस्मिक निधि से कतिपय राशियों को निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1975-76 के एक भाग की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की आकस्मिक निधि से कतिपय राशियों को निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक से जोड़े गये ।

Clause 2, 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula, the Title were added to the Bill

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

गुजरात विनियोग विधेयक, 1975
GUJARAT APPROPRIATION BILL, 1975

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1975-76 की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले यथा संशोधित विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया शुद्धियों को पढ़िये ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : शुद्धियां इस प्रकार हैं—

1. पृष्ठ 1, खण्ड 2 के सीमांतक शीर्षक में,
   "रुपये 57,71,66,000" **के स्थान पर** रुपये 57,70,13,000" **पढ़िए** ।
2. पृष्ठ 1, पंक्तियां 6 और 7 में,
   सत्तावन करोड़, इकहत्तर लाख और छियासठ हजार रुपये **के स्थान पर** 'सत्तावन करोड़ सत्तर लाख और सत्तर हजार रुपये **पढ़िए** ।
3. पृष्ठ 3, पंक्तियां 16 से 18 का लोप कीजिए
   (मतदान संख्या 49 से सम्बन्धित)
4. पृष्ठ 5, पंक्ति 34 (शीर्षक से सम्बन्धित)
   (क) "56,50,98,000" **के स्थान पर** "56,49,49,000" **पढ़िए** ।
   (ख) "57,71,66,000" **के स्थान पर** "57,70,17,000" **पढ़िए** ।

श्री पीलू मोदी : यह बहुत नीरस है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि से कतिपय

राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले यथा संशोधित विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं यथा संशोधित विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : हम खण्डवार विचार करते हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, यथा संशोधित, खण्ड 3 अनुसूची, यथा संशोधित, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक का भाग माने जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2, यथा संशोधित, खंड 3, अनुसूचि यथा संशोधित, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक से जोड़े गए ।

Clause 2 as corrected, clause 3 the Schedule as corrected, clause 1 the enacting formula, the title were added to the Bill

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पास किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक यथा संशोधित रूप में पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री सेझियान : मन्त्री महोदय के व्यवहार की मैं सराहना करता हूं । उन्होंने हमारे सुझाव मान कर संशोधन कर दिये । यह लोकतंत्र के लिये बहुत अच्छी बात है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : हम उपाध्यक्ष महोदय की सराहना करते हैं कि उन्होंने अच्छे ढंग से हमारी बात मान ली ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी आप लोगों के साथ हूं । सभा के लिये यह एक खुशी का दिन है । यहां 'एक ने कही दूसरे ने मानी' वाली बात चरितार्थ हुई है । कोई भी झूठी मर्यादा का अवलम्बन लेकर जिद पर नहीं अड़ा । इस लोकतंत्र में यह सभा प्रभुसत्ता सम्पन्न है । यह सिद्ध हो गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को लेंगे। डा० लक्ष्मीनारायण पांडे यहां नहीं हैं। अतः उनका विधेयक नहीं पुरःस्थापित किया जायेगा।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
अनुच्छेद 101, 102 आदि का संशोधन

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रिय रंजन दास मुंशी द्वारा 7 मार्च, 1975 को पेश किये गये इस प्रस्ताव पर अब सभा में आगे चर्चा की जायेगी :—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

पिछली बार श्री प्रिय रंजनदास मुंशी इस प्रस्ताव पर बोले थे। अब उन्होंने लिखा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं और वे अपना भाषण जारी नहीं रख सकते। अतः यह माना जायेगा कि उन्होंने अपना भाषण समाप्त कर दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या इससे यह माना जाये कि आधे घंटे की चर्चा 6 बजे होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा अन्यथा निर्णय न ले तो हमें सभा की सारी कार्यवाही पूरी करनी होगी।

श्री के० गोपाल (करूर) : मैं विधेयक की भावना का तो आदर करता हूं लेकिन पूरे विधेयक का समर्थन नहीं करता। खण्ड 3 के भाग (ii) के मैं पक्ष में नहीं हूं।

जो लोग विधान सभा, पंचायत या नगरपालिकाओं में चुने जाते हैं उन्हें भी जीवन निर्वाह के लिये किसी न किसी काम की आवश्यकता होती है। मेरे मित्र ने कहा है कि डाक्टरों, वकीलों और अध्यापकों को अपना व्यवसाय जारी नहीं रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि जिस के पास बहुत अधिक सम्पत्ति है या जिसका बड़ा कारोबार है उसे भी छोड़ दिया जाना चाहिए हमारे देश में परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो सदस्य चुने जाते हैं, उनका भविष्य सुनिश्चित नहीं होता। पांच वर्ष के बाद उन्हें फिर रोजी-रोटी के प्रश्न का सामना करना होता है।

खण्ड (ii) में दल-बदलने के बारे की जाने वाली कार्यवाही का प्रस्ताव है। मैं इस बात से सहमत हूं। इसके लिये एक संसदीय समिति भी बनाई गई है। जो व्यक्ति दल-बदलता है उसे सदस्यता से हटा दिया जाना चाहिए और किसी सरकारी पद पर उसकी नियुक्ति भी नहीं होनी चाहिए।

फिर यह कहा गया है कि यदि कोई सदस्य 1 वर्ष तक किसी समिति की बैठक में भाग नहीं लेता तो उसे भी सभा की सदस्यता से हटा दिया जाये। लेकिन कई ऐसी समितियां हैं जिनकी बैठकें ही बहुत कम होती हैं कई समितियों जैसे 'डेक पासेंजर वेलफेयर कमेटी" की बैठक दो तीन वर्ष से नहीं हुई। होना यह चाहिए कि जो सदस्य कमेटी की बैठक में दो तीन बार उपस्थित नहीं होता तो उसे सदस्यता से हटा दिया जाये। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

अभी बहुत सी बातें की जानी हैं। यह विधेयक लोकतंत्र पद्धति के विरुद्ध हैं क्योंकि प्रोफेसर, वकील, डाक्टरों आदि जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उस समय अपना व्यवसाय छोड़ने के लिये कहा गया है जब वे सदस्य निर्वाचित हो जायें। यह अव्यावहारिक है। आज लोकतन्त्र आम जनता के हित में नहीं चल रहा। विभिन्न वर्गों की आय में बहुत असमानता है। मूल्य बढ़ रहे हैं, बेकारी बढ़ रही है।

हमें मूल समस्याओं का सामना करना है। निर्धनता की समस्या बढ़ रही है, बेकारी है। हमें बेकारी बढ़ाने में योगदान नहीं देना है। केवल बड़े बड़े जमींदारों, भूपतियों, काला बाजार करने वालों को लाभ मिल रहा है।

संविधान में इस संशोधन के करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। मैं विधेयक का पूरा विरोध करता हूं।

Shri M. C. Daga (Pali): I have failed to understand the purpose behind this Bill. He perhaps wants to suggest that engineers, doctors, lawyers may be debarred from entering politics and getting themselves elected to the Parliament and other legislative bodies.

We have many eminent persons in this House like Shri Salve, Stephen, Mahajan, Dr. K. L. Rao etc. They are performing their duties diligently and honestly. If this Bill is passed such experts will not be with us in this august House.

So far as loyalty to the Parliament is concerned, I am in total agreement with Shri Munshi. A joint committee has also been constituted to deal with this subject. There are many aspects of this problem. A political party makes tall claims in its election manifests but after elections are over it does not stick to its programme and out of disgust some member leaves the party. Will you call it defection ? Then suppose all the members of a party enter some other party, will it also be defection.

This subject should be left to the people. They can judge the habitual defectors. Only they can decide the punishment for him. I think Shri Munshi's Bill is in complete and there is no use discussing it.

Secondly Shri Munshi has suggested that a member, who does not attend the committee meetings, should be disqualified. Supposing a member of Parliament is a member of many committees, it is clear he will not be able to attend meetings of all the committees. I, therefore, oppose this Bill.

This feeling has gained ground that a member, who speaks during the zero hour, is more active. But a silent member may contribute much to the Parliament. The Members who speak loudly and repeatingly interrupt, figure prominently in newspapers. In fact their contribution towards their country is zero.

So I request the hon. Member to withdraw his Bill.

श्री जे० माता गौडर (नीलगिरी) : मुझे आश्चर्य है कि श्री मुंशी जैसे नेता ऐसा विधेयक लाये हैं।

इस विधेयक में तीन बातें हैं :—

(एक) वकीलों, डाक्टरों, अध्यापकों, इंजीनियरों आदि पेशेवर लोग इस सभा की सदस्यता के लिये प्रयास न करें।

(दो) दल बदलुओं को इस सभा की सदस्यता से हटा दिया जाये।

(तीन) जो संसदीय मामलों में रुचि नहीं लेते उन्हें भी सदस्यता से अलग कर दिया जाये।

मैं श्री मुंशी को याद दिलाना चाहता हूं कि शीशे के घर में बैठकर दूसरों के घरों पर पत्थर न बरसायें। यदि उनकी बात मान ली जाये तो सभा में केवल 92 सदस्य रह पायेंगे क्योंकि वही राजनीति और सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं। सभा में कांग्रेस का बहुमत समाप्त हो जायेगा। क्या लोकतन्त्र में यह संभव है कि इन व्यवसायों में लगे लोगों का सभा में प्रतिनिधित्व ही न हो? लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता। सभी को प्रतिनिधित्व का पूरा-पूरा हक है।

हमारे संविधान के निर्माताओं ने सभी स्थानीय निकायों, अध्यापकों आदि को निर्वाचित विधान मंडलों में स्थान देकर बुद्धिमानी का कार्य किया है। क्या उन्हें इस सदन में अथवा विधान सभाओं में स्थान न देना उचित है? यह विधेयक लाकर श्री मुंशी ने लोकतंत्र की कोई सेवा नहीं की है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि दल बदलुओं को इस सदन की सदस्यता पाने से वंचित किया जाना चाहिए। परन्तु मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि लम्बे समय से चर्चित दल-बदल विरोधी विधेयक पारित क्यों नहीं किया गया? श्री मुंशी कृपया यह बताएं कि उन्हें अपने दल के उन लोगों के बारे में क्या कहना है जिनका दल के राजनीतिक कार्यक्रम और विचारों से विश्वास उठ गया है। क्या उन्हें सदन का सदस्य बने रहने दिया जायेगा या उन्हें भी हटा दिया जाएगा?

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना): यह विधेयक विचित्र ढंग से तैयार किया गया है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पाबन्दी लगाता है।

मैं इसका तीन कारणों से विरोध करता हूं। पहले तो यह अनावश्यक है। दूसरे यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाता है और तीसरे यह संसद को वैधानिक कार्यों में अनुभव प्राप्त व्यक्तियों से वंचित करता है।

सम्भवतः प्रस्तावक चाहते हैं कि सदस्यों को संसदीय कार्य में अधिक से अधिक समय देना चाहिए। हम इसके उद्देश्यों की तो सराहना करते हैं परन्तु जो प्रस्ताव उन्होंने किया है हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते।

उनके संशोधन के अनुसार कालेज एवं स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सदस्यता में रखने का प्रस्ताव है।

जहां तक वकीलों, डाक्टरों, इंजीनियरों का प्रश्न है उनका हमारी विधान सभाओं में होना आवश्यक है। परन्तु यह लोग अपने व्यवसाय को भी छोड़ नहीं सकते अन्यथा ये 5 वर्ष पश्चात क्या करेंगे। अतएव पहला प्रस्ताव अस्वीकार्य है।

दल बदल एक पेचीदा समस्या है। हम दल बदल के विरुद्ध हैं। परन्तु यदि कोई सदस्य अनुभव करता है कि उसके दल की नीतियां इतनी बदल गई हैं जिसे उसकी अन्तर्आत्मा नहीं मानती तो उसे दल छोड़ने का अधिकार होना चाहिए। अतः दल-बदल की समस्या विधेयक में रखे गये प्रस्तावों से हल नहीं हो सकती।

समिति की बैठकों में भाग न लेने सम्बन्धी जिन अयोग्यताओं की व्यवस्था विधेयक में की गई है वह हास्यास्पद हैं। समिति की बैठकों में भाग लेने से हम किसी व्यक्ति द्वारा संसद को दिये गये योगदान का अनुमान नहीं लगा सकते।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बैतूल): यदि यह विधेयक उपहास के लिये नहीं लाया गया तो यह प्रस्तावक की अप्रबुद्धता अथवा मूढ़ता का परिचायक है।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य मूढ़ता शब्द वापस लें।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं मूढ़ता शब्द को वापस लेता हूं।

यदि माननीय सदस्य इस बारे में गम्भीर हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद, 102 जो कि सदस्यों के अयोग्य होने से सम्बन्धित है, में संशोधन ला सकते हैं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की सेवा की है उन्हें इस विधेयक द्वारा अयोग्य घोषित किया जा रहा है। इस विधेयक को प्रस्तुत करने की बजाय यदि प्रस्तावक यह कहते कि बिना किसी अनुभव के चुने जाने वाले और संसद को अपने प्रचार कार्य का माध्यम बनाने वालों को अयोग्य घोषित किया जाये, तो हम इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करते।

मेरा निवेदन है कि प्रत्येक संसद सदस्य को अपने व्यवसाय की घोषणा करनी चाहिए। जिन व्यक्तियों ने संसदीय कार्य में अद्भुत सफलता प्राप्त की है वह अपने विधि आदि व्यवसायों में सिद्धहस्त थे।

दल बदल में अब कमी आ रही है जिसका मूल कारण यही है कि जनमत अब पूर्णतः जागृत है। लोग जानते हैं कि आया राम गया राम की राजनीति संसदीय प्रजातन्त्र के लिए घातक है। मतदाता यदि सचेत हैं तो इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी।

Shri Maha Deepak Singh Shakya (Kesganj) : The mover of this Bill has proposed that lawyers, engineers, doctors and professors be barred from being elected to Parliament. Without the expert opinion of these people the Parliament could not be able to lead the country towards progress.

The mover of the Bill has taken a very narrow view of the work of a Member of Parliament. It is not correct that a Member of Parliament dicharges his duties only when he is sitting in Parliament. His field of activity is very wide.

The proposed provision in regard to incurring disqualification for not attending committee meetings is very strange. Would it not be ridiculous to remove a Member for his absence from committee meeting.

The only sensible provision in the Bill is in regard to defections. The provision is before the country for a long time and a solution for this has to be found. Why is the Government not bringing the necessary legislation?

The intention of the Bill seems to be malafide. The Mover seems to be angry with a particular class of people and wants to disqualify them by this Bill.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्त पुजा) : राष्ट्रीय हित में युवापीढी के नेताओं की कृत्रिम भावावेश का संकेत प्रस्तुत विधेयक द्वारा मिलता है। इस विधेयक के परिणाम क्या होंगे ? इसके परिणाम यह होंगे कि चुनाव के बाद कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय नहीं कर सकेगा और चुनाव के समय कोई व्यक्ति वकील, अध्यापक, डाक्टर अथवा इंजीनियर हो तो उसे अयोग्य घोषित किया जायेगा। यदि ऐसा किया गया तो केवल लोफर तथा बेकार आदमी चुनकर संसद में आ सकेंगे।

इस सदन में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व है। यहां वकील, प्रोफेसर, इन्जीनियर अर्थात् हर वर्ग के लोग होते हैं। अतएव यह विधेयक प्रजातन्त्र विरोधी हैं।

दल बदल दो प्रकार का है। एक राजनीतिक पार्टी जन सभाओं में जाकर जनता के समक्ष कुछ कार्यक्रम रखती है। बाद में उक्त दल उन कार्यक्रमों से विमुख हो जाता है तब यह भी तो एक प्रकार से दल

बदल है । ऐसे राजनीतिक दल को पूर्णत: संसद से निकाल देना चाहिए। इसी प्रकार कोई सदस्य अपने मतदाताओं से दल के कार्यक्रमों के अनुसार कुछ वचन देता है । जो सदस्य कार्यक्रमों की क्रियान्विति पर आग्रह करता है उसे क्या संसद से निकाला जायेगा ?

कुछ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भी होनी चाहिए । सरकार की स्थिरता के लिये सत्तारूढ़ दल के सदस्य को सरकार का समर्थन करने के लिए कहा जा सकता है । लेकिन उसे प्रत्येक बेतुके कानून के समर्थन के लिये नहीं कहा जाना चाहिए। क्या किसी को इस पर चिंतन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए ? जब तक ऐसा अधिकार न दिया जाये उस समय तक प्रजातन्त्र की तानाशाही का निवारण कैसे कर सकता है ? अत: सचेतक प्रणाली पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए ।

दल-बदल का समाधान किसी को संसद से अपदस्त करने से नहीं होगा । इस प्रकार की कल्पना संविधान की भावना के विरुद्ध है और इसका कड़ा विरोध किया जाना चाहिए ।

इस लिये मैं इस विधेयक का समग्र रूप से विरोध करता हूं ।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : जहां तक वकीलों, डाक्टरों, प्रोफेसरों आदि को अयोग्य घोषित करने का सम्बन्ध है मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । हर प्रकार के व्यक्तियों से सम्पर्क रखने वाला व्यक्ति, प्रजातन्त्रीय व्यवस्था को सफल बनाने के लिये अपना योगदान देने के लिए सबसे उपयोगी हो सकता है । यह विधेयक भ्रान्तिपूर्ण है ।

दुर्भाग्य से राजनीतिज्ञों का ऐसा वर्ग बनता जा रहा है जिसका धंधा ही राजनीति है इस लिये ऐसे राजनीतिज्ञों का निहित स्वार्थ हो जाता है । ये लोग किसी भी विषय को गुणों अवगुणों के आधार पर न लेकर अपनी स्वार्थपरता के आधार पर देखते हैं । मैं समझता हूं कि एक वकील अपने प्रशिक्षण, व्यवहार कुशलता एवं जन सम्पर्क के कारण प्रजातंत्रीय प्रक्रिया के लिये अधिक उपयुक्त है ।

जहां तक दल-बदल का सम्बन्ध है मैं इस विधेयक की भावना का समर्थन तो करता हूं लेकिन उस ढंग से नहीं जिससे यह पेश किया गया है । जिस विधेयक को सत्तारूढ़ दल ने प्रस्तुत किया है तथा जो संयुक्त समिति को सौंपा गया है उसे शीघ्र पास किया जाना चाहिए ताकि दल-बदल हमारे जनजीवन को दूषित न कर सके ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): उपयुक्त विशेषण के आभाव में मैं इस विधेयक को अत्यन्त रोचक विधेयक कह सकता हूं । इस विधेयक का मसौदा तैयार करने में बड़ी रूचि ली गई है । यदि इस संसद में अथवा किसी भी प्रजातन्त्र की संसद में केवल पूर्णकालिक पेशेवर राजनीतिज्ञ ही एकत्र किये जायें तो यह एक तरह से प्रजातन्त्र का ही अन्त होगा । पूर्णकालिक पेशेवर राजनीतिज्ञों को संसद सदस्य मानना एक अज्ञानी द्वारा संसदीय प्रजातन्त्र पर निबन्ध लिखने के समान ही है । संसद में हर क्षेत्र एवं वर्ग के सदस्य होने चाहिएं ।

जीवन के अनेक क्षेत्रों से आने वाले ये लोग इस सदन को अपना अनुभव तथा विशेष विचार देते हैं और इस देश की समस्याओं का समाधान भी बताते हैं । बल-बदल के बारे में सरकार ने इस सदन में एक विधेयक रखा था। विधेयक संयुक्त समिति के विचाराधीन है और इस समय इस विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करना उचित नहीं होगा । दल-बदल के नाम पर यदि स्वतन्त्र रूप से भाषण के अधिकारों को छीना जाये तो क्या इससे दल-बदल समाप्त नहीं होगा? इससे प्रजातन्त्र की बुनियादें खोखली हो रही हैं। लेकिन श्री मुंशी ने अपने संवैधानिक संशोधन विधेयक में ऐसा सुझाव दिया है जिसका जिक्र संयुक्त समिति के विचाराधीन विधेयक में भी चर्चा नहीं की गई है । उन्होंने

कहा है कि निर्दलीय सदस्य को किसी दल में सम्मिलित नहीं होना चाहिए जबकि संयुक्त समिति में विचाराधीन विधेयक में कहा है कि निर्दलीय सदस्य को किसी भी दल में शामिल होने की अनुमति दी जाये। एक निर्दलीय सदस्य के नाते मैं अनुभव करता हूं कि बात ऐसी नहीं है। वास्तविक समस्या तो यह है कि जनजीवन में ईमानदारी तथा अच्छे चरित्र का वातावरण किस प्रकार उत्पन्न किया जाये तथा किस प्रकार गुणवान व्यक्ति महत्वपूर्ण संस्थाओं में प्रवेश करें ? विभिन्न व्यवसायों के सच्चे तथा ईमानदार सदस्य ही सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं और पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : श्री प्रियरंजनदास मुंशी ने संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है लेकिन मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता। इस विधेयक द्वारा पेशेवर राजनीतिज्ञों के बारे में विवाद उत्पन्न किया गया है।

अन्य सदस्यों की भांति श्री मुंशी ने अनुभव किया है कि चुनाव प्रणाली में कुछ दोष हैं। वास्तव में उनका उद्देश्य संसद को प्रभावी बनाना है।

जब हम लोकतन्त्र की बात करते हैं तो सबसे बड़ी खटकने वाली बात यह होती है कि संसद सदस्य मतदाताओं के लिये उत्तरदायी नहीं हैं। हम उनसे पांच साल में एक बार मिलते हैं जबकि चुनाव होते हैं। मैं यह नहीं कहता कि पेशेवर लोगों का संसद से आना बुरा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब मतदाता किसी को चुनकर संसद में भेजते हैं तो उसे चाहिए कि वह संसद या उसके बाहर ऐसा कार्य करे जिससे वह अपने मतदाताओं का सही प्रतिनिधित्व कर सके।

मैं विधेयक का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि यहां समस्या कुछ भिन्न है।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : हमें एक वर्ष और जारी रखना है (**व्यवधान**)

श्री मूलचन्द डागा : आधे घंटे की चर्चा 6 बजे आरम्भ होनी चाहिए।

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय द्वारा सभा की अनुमति से और कभी सभा की अनुमति के बिना आवश्यकता पड़ने पर कार्यसूची में परिवर्तन कर लिया जाता है। श्री चन्द्रप्पन अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : जिन लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया है, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि लोकतन्त्र युवा वर्ग के लिए है और समस्या यह है कि उनमें लोकतन्त्र की भावना कैसे उत्पन्न की जाये।

मुझे याद है कि वापस बुलाने के अधिकार के बारे में सभा में एक विधेयक पेश किया गया था। शायद इसके लिये वापस बुलाने का वह विधेयक एक उपचार होता। जिस सदस्य को मतदाता चुनकर भेजते हैं, उसे वापस बुलाने का अधिकार उन्हें होना चाहिए। इतना ही नहीं जिन्होंने उसके विरुद्ध अपना मत दिया है, उन्हें भी यह अधिकार है। वापस बुलाने के अधिकार से सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ेगी। वापस बुलाने का अधिकार कई देशों में सफल रहा है। किन्तु हमारे जैसे बड़े देश में इसका कोई लाभ नहीं है। हमें लोकतन्त्र को मजबूत करने की बात सोचनी चाहिए।

अब दल-बदल की बात की जाये। ट्रुमुक के एक सदस्य ने कहा है कि दल-बदल की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दल-बदल का प्रश्न केवल तभी उठता है जबकि कोई सदस्य व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिये अपने निर्वाचकों की परवाह किए बिना किसी अन्य दल से मिल जाये। ऐसे में यह दल-

बदल की समस्या हो जाती है । ऐसे सदस्य को पुनः सदस्यता न देना इस समस्या का समाधान नहीं है ।

अतः मेरा अनुरोध है कि चाहे विधेयक में जो भी त्रुटियां हों और चाहे विधेयक किसी भी तरह तैयार किया गया हो, हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए । हमें चुनाव सुधारों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए । श्री मुंशी ने इसके लिये हमें यह अवसर दिया है ।

महात्मा गांधी, पंडित नेहरू तथा श्रीमती इन्दिरा गान्धी को संसार याद रखेगा ये महान भारतीय राजनीतिज्ञ हुए हैं ।

मैं यहां याद दिला दूं कि पेशेवर राजनीतिज्ञ इस देश के लिए बुराई नहीं समझे जाने चाहिएं । सामाजिक विकास तथा राजनीतिक क्षेत्र में उनका योगदान सार्थक होगा । किसी व्यक्ति का व्यवसाय कुछ भी हो, प्रायः यही समझा जाता है कि जब वह निर्वाचित होकर सभा में आया है तो उसे अपने निर्वाचन क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व करना चाहिए । दूसरी सभा में उन लोगों को स्थान मिल सकता है जिन्होंने अन्य क्षेत्रों में अपनी विद्वता का परिचय दिया है । किन्तु इस सभा में ऐसा नहीं है । संसद सदस्य और देश का भविष्य जनता की इच्छा पर निर्भर करता है ।

श्री मुंशी ने विधेयक में कुछ ऐसी बातें दी हैं, जिनसे मैं सहमत नहीं हो सकता । अतः मैं विधेयक का विरोध करता हूं । किन्तु मैं श्री मुन्शी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता कि वह किस तरह का विधेयक यहां लाये हैं । कुछ भी हो यह विधेयक पेश करके श्री मुंशी ने हमें देश के लोकतन्त्र के भविष्य के कार्यकरण पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है । यह आवश्यक है कि प्रत्येक युवक देश के भविष्य पर गंभीरता से विचार करे । मैं यह नहीं कहूंगा कि देश का भविष्य नवयुवकों के हाथ में सुरक्षित नहीं है ।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : It is not necessary to glorify the professionals. Under the fundamental rights, everyone has a right to participate in politics. It is the criterion of service that should be accepted as a qualification for entering into politics. A social worker should also be glorified to some extent. The membership of Parliament should be based on the service, integrity and the performance of a Member. It is not necessary to have an expertise of a professional in order to become a good Parliamentarian. A member of Parliament has only to ventilate the grievances of the people of his Constituency with a view to bringing about the development of economic resources, and for that purpose, it is not at all necessary to possess special knowledge of law and medicine or education. In Panchayats, there are no legal experts and still they manage their affairs very well and find out the satisfactory solutions of their problems. Therefore, we have to enter into the sphere of service, leaving the profession. How a professional can do justice to his profession after he enters into the Legislature ? I will even go to the extent of suggesting that in Lok Sabha also, the system of disposal of business as followed in Panchayats, should be adopted. However, this Bill appears to be superfluous.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : It is learnt that certain member of Parliament is pleading the cases of smugglers in law courts. He represents the poor people but instead of serving them, he indulges in corrupt practices. It is

quite wrong that they advocate the Communal Causes. This should be checked. If 10 lakhs people have elected him as their representative, he should honestly represent his people and he should do their work only and not take up any other vocation. If he does other works, he degrades Parliament. Therefore no Member of Parliament should act like this.

Shri Mool Chand Daga (Pali) : You are maligning this profession. It is a noble profession. Here you will find businessmen, Agriculturists as Members of Parliament. Every one has his own profession (*Interruption*)

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Just as a Government Contractor cannot become a member of Parliament, a Member should also not be allowed to take up the cases of Government for pleading in court. Certain members not only take up the cases of Government, but they are actually Government pleaders. If they take up the cases against the interests of trade unions, it is equally wrong. Some restrictions should be imposed to see that a member of Parliament does not carry on practice in courts till he is a Member of Parliament. Membership of Parliament and this profession cannot go together. As soon as he ceases to be a Member of Parliament, he can take up his profession. Some code must be evolved in this regard and no body should have any objection to that.

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : श्रीमान मैंने दोनों पक्षों की अनुमति ले ली है और उसे ध्यान में रखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि इस विधेयक पर और विचार स्थगित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न है :—

"कि इस विधेयक पर और विचार स्थगित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

नवीं अनुसूची का संशोधन

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं कुछ कारणों से संशोधन पर बल नहीं देना चाहता। उच्चतम न्यायालय ने इस विधान को रोक लिया था इस लिए इसे अब नवीं अनुसूची में सम्मिलित करवाने का कोई कारण नहीं है । किन्तु इसे वापस लेते हुए मैं इसके सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहूंगा क्योंकि इसका सम्बन्ध देश में भूमि सुधार सम्बन्धी विधान से है ।

केरल में 7 लाख एकड़ गैर-सरकारी वन-भूमि सरकार के नियंत्रण में ली गई है। इसके बदले में सरकार ने किसी कुलक या किसी जमींदार को एक भी पैसा मुआवजा नहीं दिया । मेरे विचार

से देश में कोई ऐसा विधान नहीं है कि जमीदारों को एक भी पैसा मुआवजा न दिया जाये। इस विधेयक की यह महत्वपूर्ण विशेषता है। नवम्बर, 1970 में केरल की संयुक्त सरकार ने केरल भूमि सुधार अधिनियम के सभी उपबन्धों को लागू किया था। इस अधिनियम को लागू करके केरल में जमींदारी समाप्त की थी। अब वहां जमींदारी प्रथा नहीं है।

मैं उस अधिनियम की एक या दो विशेषताएं बताना चाहता हूं। लगभग 4,30,000 कृषकों को भूस्वासी बनाया गया। 3,50,000 लोगों को झोंपड़ी डालने के लिए स्थान दिया गया प्रत्येक को भूमि दी गई। इस प्रकार यह अधिनियम केरल में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया।

सरकार ने अधिनियम के अन्तर्गत नियम बना लिए हैं और बनों की कृषि योग्य भूमि को सहकारी समितियां अपने अधिकार में ले लेंगी। वहां सहकारी फार्म, राज्य फार्म और सामूहिक फार्म गठित किए जायेंगे। यदि इसे नवीं अनुसूचि में सम्मिलित कर लिया जाता तो इससे काफी हद तक भूमि सुधार होता। फिर भी मैं सभा से इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न है :—

"कि श्री सी० के० चन्द्रप्पन को भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

कम्पनी (संशोधन) विधेयक
COMPANIES (AMENDMENT) BILL

(धारा 90 का लोप)

Shri Madhu Limaye (Banka) : I move :—

"That the Bill further to amend the Companies Act, 1956 be taken into consideration."

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं।

मद्य निषेध लागू करना*
ENFORCEMENT OF PROHIBITION

Shri Mool Chand Daga (Pali) : I am going to raise a very important matter. The consumption of alcohal is a sin. As Prof. Nurul Hasan has said that the consumption of alcohal has been going up in the last five years. Gandhi ji was deadly against it.

*आधे घन्टे की चर्चा
Half-An-Hour Discussion

While expressing concern over the increasing consumption of liquor, Prof. Nurul Hassan stated on 26th March, 1974 as follows :

"We have been reaffirming year after year faith in prohibition. I have got the figures. I must express regret at the fact that the consumption of liquor has been going up during the last four years."

It is very unfortunate that the consumption of liquor has been going up year after year. In 1970, consumption of liquor was 57919 kilolitres in 1971 it went upto 63782 kilolitres in 1972 it was 78664 kilolitre and in 1973 it increased to 79911 kilolitres. In this state of affairs continues, the country will go down and down. It appears that Government is not faithful and sincere in implementing the constitutional provision regarding prohibition. In that case, why not omit Article 47 from the constitution Article 47 needs as follows:—

"The State has regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medical purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health."

In 1956, the House adopted the following Resolution in regard to prohibition :—

"This House is of opinion that prohibition should be regarded as an integral part of the Second Five Year Plan and recommends that the Planning Commission should formulate the necessary programme to bring about nation-wide prohibition speedily and effectively."

We have been re-affiming year after year our faith in prohibition, but there is absolutely no use in playing with the words, unless something practical is done in this regard. While appointing a study team to go into the question of Prohibition, a resolution was passed in 1963 by the Planning Commission to the effect that the Government of India recently reviewed the position in consultation of the State Governments and decided that the working of Prohibition Programme should be studied for the country as a whole. Such a study will cover problems connected with enforcement of prohibition and Excise laws, measures intended to reduce illicit traffic in liquor, improving administrative efficiency and securing to the maximum extent public support for the programme through the co-operation of both official and non-official agencies.

But what is the use of passing these Resolutions when no concrete steps are taken ? It seems that the Government's policy in this regard is half-hearted. The result of this policy is moral degradation of crores of people of this country.

The All India Prohibition Council is serving no useful purpose. The Central Government are spending about Rs 20 lakhs on this council. All this amount is going waste. It would be better if this Council is wound up. The Members of the Prohibition Council are not taking interest in the matter. There was very poor attendance in the meeting held recently. What is the idea of calling meetings of this body ?

The Government are playing with the lives of crores of people for the sake of getting a small revenue. The fact is that much more amount is spent to check the ill effects of liquor. Is it justified in any way ?

Whenever the matter is raised, the Government always says that it is a state subject. What is the position of Union Territories which are under the control of the Central Government ? The consumption of liquor in Chandigarh was 799038 litres in 1971-72, 903250 in 1972-73 and 925643 litres in 1973-74 and in Delhi it had been 4296397 litres in 1971-72, 6918628 in 1972-73 and 9510572 litres in 1973-74. This shows that the consumption of liquor is increasing year after year.

I would like to point out that if there is a single factor which stands effectively in the way of success of prohibition, it is the drinking officers and I want to emphasise that the Government should formulate a time-bound programme for enforcing prohibition. A law should be passed and then strictly enforced.

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri-Garhwal) : Mr. Chairman, Sir, my hon. friend Shri Mool Chand Daga has thrown sufficient light on all points regarding prohibition and the ill effects of liquor. So, I would not go into the details of each point. The Central Government cannot absolve itself of the responsibility of enforcing prohibition by merely saying that it is a state subject. Shri Daga has rightly pointed out that the Directive Principles laid down in the Constitution have not been implemented. The Central Government should issue directions to the State Governments for adopting a uniform policy in this regard.

Secondly, I would suggest that the work of prohibition should be entrusted to those who are tea-totallers by conviction. The Government Servants Conduct Rules should also contain provisions against drinking. It is impossible to achieve any success in the matter of enforcing prohibition unless this is done.

I would also like to know from the hon. Minister as to what extent the recommendations of the Central Prohibition Committee have been implemented.

Illicit liquor is claiming numerous lives, specially in Garhwal and Kumaon districts of U.P. I would like to know from the hon. Minister the steps being taken by the Government to check the consumption of illicit liquor.

Shri Shankar Dev (Bider) : I would like to know from the hon. Minister whether it behaves a Chief Minister to inaugurate a distillery or liquor shop, because the inauguration ceremony of a distillery was performed by the Chief Minister of Mysore 15 days back, despite my opposition.

श्री समर गुह (कन्टाई) : महोदय, सरकार की मद्यनिषेध की नीति मिथ्याचार का एक ज्वलन्त उदाहरण है। मद्यनिषेध के लिये प्रत्येक राज्य में अनेक समितियां गठित की गई। इसके प्रचार के लिये भारी राशि खर्च की जा रही है। परन्तु वास्तविकता इस के विपरीत है, क्योंकि चाहे माननीय मन्त्री हो अथवा माननीय संसद सदस्य अथवा सरकार का सचिव, जब कभी ये लोग दूतावासों आदि में पार्टी पर जाते हैं, तो डट कर पीते हैं। यह मिथ्याचार नहीं तो और क्या है ?

शिक्षा मन्त्रालय नैतिक शिक्षा देने की बजाय मद्यपान को बढ़ावा दे रहा है। हम स्वतन्त्रता दिवस तथा लोकतन्त्र दिवस को हर वर्ष मद्यनिषेध की प्रतिज्ञा करते हैं, परन्तु मद्यपान बढ़ता जा रहा है। इस समय देश में स्थिति यह है कि यदि गांधी जी जीवित होते तो वह वर्तमान स्थिति को देखकर आत्महत्या कर लेते अर्थात आमरण अनशन कर देते।

पश्चिम बंगाल में शराब के लाइसेन्स दुगने कर दिये गये हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि कालेजों के पास, विश्वविद्यालयों के पास तथा सनेमा गृहों के पास शराब की दुकानें ही दुकानें हैं और इन से युवकों में मद्यपान की आदत बहुत बढ़ गई है। स्थिति यहां तक बिगड़ चुकी है कि देहातों में तो आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र भी शराब पीते हैं। यह कैसा मद्यनिषेध है कि थोड़े से राजस्व के लिए लोगों के जीवन से खेला जा रहा है।

हमारे देश में शराब पेश करना सामाजिक प्रतिष्ठा का चिन्ह हो गया है। यह एक रिवाज हो गया है। यदि आप किसी के घर जाएं तो आपको क्या पेश किया जाता है—शराब। ऐसी स्थिति में मद्यनिषेध की बातें करना मिथ्याचार नहीं है तो और क्या है ?

यदि सरकार समझती है कि मद्यपान में कोई दोष नहीं है तो उसे मद्यनिषेध की बातें नहीं करनी चाहिये और यदि वह इसे आवश्यक समझती है तो इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। केवल बातें करने से कोई लाभ नहीं होगा।

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Departemnt of Culture (Shri Arvind Natam) : Sir, the hon. Members have raised numerous points. My hon. friend Shri Daga has suggested that the Central Prohibition Committee should be wound up. There seems to be some misunderstanding about All India Prohibition Council and Central Prohibition Committee. I want to make it clear that these are two separate voluntary organisations.

The Central Prohibition Committee is a national forum. It is an advisory body. It can only give guidelines to the State Governments. It cannot issue directions to them. Therefore to say that it is serving no useful purpose is not correct.

It has been pointed out that in the meeting of the Central Prohibition Committee held on the 26th March, 1974, only four Ministers from the States were present. The reason for this poor attendance was that majority of them were busy in their States because of budget sessions.

It is correct to say that the Central Government cannot absolve itself of the responsibilities merely by saying that it is a state subject. It was also pointed

out as to why consumption of liquor was going up in the Union Territories which are under the control of the Central Government. The figures of consumption of liquor in Chandigarh and Delhi were given. In this connection the position is that unless prohibition is enforced in nearly states i.e Rajasthan, Haryana and U.P, it would be difficult to enforce prohibition in the union territories of Delhi and Chandigarh.

The question of uniform policy through out the country in regard to prohibition was raised by my hon. friend Shri Painuli. In this connection I would say that in the Prohibition Committee there are representatives of different states. The Committee have made certain recommendations and on the basis of those recommendations, decisions have been taken. Therefore it is not correct to say that there is no uniform policy in this matter.

So far as the Government servants are concerned, it has been provided in the revised rules applicable to them that they should not drink while on duty.

Now coming to the educative programme, it is a fact that a provision of Rs. 20 lakhs has been made for that. Out of that amount Rs. 1,75,00 have been given to the voluntary organisations this year.

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 24 मार्च, 1975/3 चैत्र, 1897 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the 24th March, 1975/Chaitra 3, 1897 (Saka)

MGIPNLK -7 Lok Sabha/75—4-8-75—200 copies.